# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] तेरहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का चालीसवां दिवस [संख्या : 23

**शुक्रवार,**

**02 अप्रैल, 2010**

**राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे**

**राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।**

**(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)**

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती अनीता सिंह।

### कामां तहसील (भरतपुर) की पौराणिक एवं ऐतिहासिक सम्पदाओं का संरक्षण एवं संवर्द्धन

408. **श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): क्या कला, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:-

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर की तहसील कामां में काफी संख्या में ऐतिहासिक कुण्ड, कुएं एवं बावड़ियां हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से व कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कुण्ड, कुएं और बावड़ियां सरकारी उदासीनता के कारण अपने मूल स्वरूप को खोते जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि अधिकांशतः कुण्ड, कुएं और बावड़ियां अतिक्रमण के शिकार होते जा रहे हैं? यदि हां, तो अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त कुण्ड, कुएं, बावड़ियों एवं अन्य ऐतिहासिक इमारतों को अपने अधीन लेकर उन्हें संरक्षित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि वर्ष 2003 से 2008 तक की अवधि में सरकार द्वारा हेरिटेज योजना के अन्तर्गत काफी संख्या में कार्य कराये गये? यदि हां, तो डीग व कामां में कहां-कहां व क्या-क्या कार्य करवाये गये? क्या

(श्रीमती अनीता सिंह)

उक्त सभी कार्य पूर्ण हो गये? यदि हां, तो उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई व नहीं, तो क्यों?

**कला, संस्कृति व पुरातत्व मंत्री** (श्रीमती बीना काक): (1) जी हां। भरतपुर जिले की कामां तहसील के ऐतिहासिक कुण्ड, कुएं और बावड़ियों का अभी तक कोई औपचारिक सर्वे नहीं हुआ है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार भरतपुर जिले की तहसील कामां में 39 कुएं, 23 कुण्ड एवं एक बावड़ी है। इनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्राचीन कुआ और धर्मराज का कुआ ही पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। इन दोनों ऐतिहासिक कुओं का मूल स्वरूप राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित कुओं पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधिकांश कुएं, कुण्ड व बावड़ी व्यक्तिगत खातेदारी में हैं तथा सरकारी भूमि पर स्थित कुण्ड पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) राज्य सरकार कुण्ड, कुआ, बावड़ी एवं ऐतिहासिक इमारतों को उसके ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के आधार पर नियमानुसार संरक्षित घोषित करती है। भरतपुर जिले की तहसील कामां में दो कुएं एवं नौ इमारतों व स्थलों को राज्य सरकार द्वारा तथा एक स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित घोषित किया गया है। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(5) जी हां। पुरातत्व विभाग द्वारा भरतपुर के डीग व कामां में वर्ष 2006-07 से 2008-09 की अवधि में संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के कार्यों पर राशि रुपये 38.50 लाख व्यय की गयी है। सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

वर्ष 2003 से 2008 की अवधि में नगरपालिका, डीग द्वारा रुपये 1,63,94,343/- तथा नगरपालिका, कामां द्वारा रुपये 80,86,337/- राशि से विभिन्न कार्य करवाये गये हैं। कार्य पूर्ण हो चुके हैं। करवाये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

**(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)**

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भगवान श्रीकृष्ण की लीलास्थली है और धार्मिक आस्था का केन्द्र है कामां, जिनके कुओं और बावड़ियों की मैं बात कर रही हूं और पौराणिक इतिहास है इनका

(श्रीमती अनीता सिंह)

कि कामां में 84 कुण्ड, 84 ही कुएं और बावड़ियां थीं। आपने इसमें लिखा है कि औपचारिक सर्वे नहीं हुआ है। तो क्या आप औपचारिक सर्वे इनका करवायेंगे जिससे इन कुण्ड का और ऐतिहासिक धरोहर हैं, इनका संरक्षण हो सके।

एक जफरउल्ला खां जो तत्कालीन संग्रहालय अध्यक्ष थे 2004-05 में, इन्होंने भी एक सर्वे किया था इन कुण्डों और बावड़ियों का, उस पर भी इन्होंने सारी रिपोर्ट दी थी। उसका उल्लेख आपने नहीं किया है इसमें।

दूसरा, जो आपने यह लिखा है कि इसमें, कुण्ड और बावड़ियों में सरकारी उदासीनता नहीं है, तो मेरा निवेदन है कि आपने जो लिस्ट मुझे बताई है, वह बताई है कि 84 में से 39 तो कुएं हैं और कुण्ड भी जो कम हैं, वह भी 23 कुण्ड अभी तक बचे हैं। बाकी जो कुण्ड, कुएं थे, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहूंगी कि जितने भी रहे, वे जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच गये और कुछ तो समाप्त हो गये, वहां हैं ही नहीं। तो मैं यह पूछना चाहती हूं माननीय मंत्री महोदया से, क्या आप बाकी बचे जो ऐतिहासिक कुण्ड, कुएं और बावड़ी हैं, जिसकी आपने मुझे लिस्ट दी है, उनको वित्तीय सहायता देकर मूल स्वरूप में या मरम्मत का विचार रखती हैं? जिससे पर्यटन में वहां इजाफा हो सके क्योंकि वहां पर चार-पांच लाख देशी और विदेशी पर्यटक हर वर्ष आते हैं।

तीसरा, मेरा आपसे सवाल था कि जो पुरातत्व विभाग के द्वारा संचालित नहीं हैं, यह सभी ऐतिहासिक कुण्ड के बारे में मैंने पूछा था कि पुरातत्व विभाग में तो केवल दो ही हैं तो बाकी भी जो जितने हैं, कुण्ड और बावड़ियां जो बचे हुए हैं, वह भी विभाग द्वारा संरक्षित करने का विचार रखती हैं?

और एक सवाल। आपने मुझे बताया कि अधिकांश कुएं, कुण्ड और बावड़ियां व्यक्तिगत खातेदारी में चली गईं, मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि ये कब चली गईं व्यक्तिगत खातेदारी में? जबकि यह वहां पर मंदिर रहता है, उनकी मूर्तियों के नाम, भगवान के नाम पर पहले ये दर्ज थीं लेकिन उसके बाद व्यक्तिगत खाते में चली गईं। क्या आप उनको व्यक्तिगत खाते से हटाकर दुबारा सरकार उन पर अधिग्रहण करना चाहती है? इसमें अतिक्रमण के बारे में भी आपने हां की है कि सरकारी भूमि पर स्थित कुण्ड से अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही जारी है, तो ये अतिक्रमण कब तक आप हटा देंगी?

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल वकिफियत रखती हूं माननीय सदस्या की इस चिंता से और निश्चित ही यह पूरा एरिया है पुरातात्विक महत्व का और ऐतिहासिक महत्व का, और पिल्ग्रिमेज के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेकिन सवाल यह है कि जितनी भी वहां पर बावड़ियां हैं, अधिकतर, माननीय अध्यक्ष महोदय, नेस्तनाबूद हो चुकी हैं और धरातल पर आ चुकी हैं। जहां तक प्राइवेट कुण्ड और बावड़ियां हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का सवाल होता है, तो यह तो खातेदार की तरफ से ही रिक्वेस्ट आनी चाहिए, अर्जी आनी चाहिए कि हम उसको प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं। तो फिर उसको बाकायदा चस्पा किया जाता है, नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद ही वह कार्यवाही होती है।

जहां तक पूरा सर्वे नहीं होने की बात है, मेरी कल ही वहां पर जो अधिकारी हैं, उनसे बात हुई है और मैंने उनसे कहा है कि अगर यह औपचारिक सर्वे अभी तक नहीं हुआ है तो कृपा करके इसका सर्वे करवायें। सी.ई.ओ. लेवल पर या नगरपालिका के अधीन जो बावड़ियां आती हैं, वे भी और आपकी कामां तहसील में जो बावड़ियां आती हैं, उनका एक बार सर्वे हो जाये।

जहां तक दी देन जफरउल्ला खां जी की आपने बात की है कि उनका कोई सर्वे हुआ है तो उसको भी मैं मंगवा लूंगी लेकिन दोनों सर्वे कलक्ट्रेट से मेरे पास आये हैं, वे तो मेरे पास है तो सर्वे कराने की आप बात करते हैं...

एक जो आपने एन्क्रोचमेंट हो रहा है, उसके बारे में बताया, उसको कब तक मैं खाली करवाने की कार्यवाही करूंगी, तो कामां में एक अतिक्रमण हुआ है। तहसीलदार, कामां द्वारा धारा 91 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। अतिक्रमी ने एम.जे.एम. कोर्ट, कामां में वाद दायर किया। एम.जे.एम. द्वारा तहसीलदार के पक्ष में 8.12.2004 को फैसला दिया गया। अभी ए.डी.जे. कोर्ट उसमें हम लोग अपील पर जा रहे हैं कि पुरातत्व विभाग के अधीन इसे होना चाहिए। उस पर भी, लेकिन ऐसे भी अगर कोई लोग हैं, ऐसे भी खातेदार हैं जिनकी ऐतिहासिक महत्व की बावड़ी है, जिसका रूप बहुत अधिक नहीं बिगड़ गया हो और जिसे वह समझते हैं कि विभाग के अधीन या प्रोटेक्टेड लिस्ट में आ जाना चाहिए तो आप कृपया उनको, मैं तो मेरी जानकारी करवा ही रही हूं, उनको थोड़ा मोटिवेट करें कि वे प्रोटेक्ट करवायें, लेकिन नियमों और कायदों के अनुसार और अगर उसका महत्व है तो ही। यह मैं सर्वे जल्दी करवाकर आपको रिपोर्ट दे दूंगी।

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): अध्यक्षजी, मैंने उसमें एक सवाल यह किया था कि जो व्यक्तिगत खातेदारी में चली गईं, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर थीं और वे व्यक्तिगत खाते में कैसे चली गई, इसके लिए भी आप जरूर जांच करायें। जो व्यक्तिगत जहां उसकी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, कई लोग तो हो सकते हैं, तैयार हों, लेकिन बहुत सारे कुण्डों में तो सिंघाड़े डालकर खेती कर रहे हैं तथा उन लोगों को तो उसके महत्व का ही पता नहीं है। इसका क्या करें? तो सरकार उसके लिए भी जरूर कुछ करे।

और एक मेरा निवेदन था कि तीर्थराज विमल, उसमें 20 लाख रुपये सोडियम लाइट पर खर्च किये गये थे हेरिटेज के अन्दर, आज वहां पर एक भी सोडियम लाइट मौजूद नहीं है। अध्यक्षजी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं, एक चीलमहल के जीर्णोद्धार के लिए एन.सी.आर. से 45 लाख रुपये की स्वीकृति हुई थी, उसके तहत काम भी हुए और उस चीलमहल में आज यह है कि जाले-जंगले, कलाकृतियां, सब क्षतिग्रस्त हो गये और लोग उनको निकाल-निकाल कर ले गये। एक सुलभ शौचालय और बना था इस हेरिटेज सिटी के अन्दर वहां पर, वह भी बिलकुल जीर्ण-शीर्ण दशा में चला गया। तो मैं निवेदन करना चाहती हूं, अध्यक्ष महोदय, एक तो दोषी अधिकारी जो इसमें हैं, जिन्होंने इसका इतना पैसा लगने के बाद भी ध्यान नहीं रखा और इस तरह से क्षतिग्रस्त हो गये हैं, इनके खिलाफ भी कार्यवाही हो। क्या इनको दुबारा से आप वित्तीय सहायता देकर ठीक कराने का प्रयास करेंगी जिससे पर्यटन बढ़े?

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अक्सर ऐसा होता है कि सोडियम लाइट, वगैरह जो भी कार्य होते हैं, ये भी या तो नगरपालिका को या जो विभाग अधीन किसके है, मेंटिनेंस के लिए दी जाती हैं। तो माननीय सदस्या को मैं आश्वासन देना चाहती हूं कि उनकी जांच करा ली जायेगी कि किनके अधीन है और कार्यवाही कर लेंगे। और आप बता दीजिये।

**श्री अध्यक्ष**: श्री अर्जुन सिंह बामनिया।

**श्रीमती अनिता सिंह** (नगर): व्यक्तिगत खातेदारी में चली गई, उनकी भी जांच कराने का निवेदन कर रही हूं मैं, मंत्री महोदया।

**श्री अध्यक्ष**: श्री अर्जुन सिंह बामनिया।

## बांसवाड़ा जिले की पुनर्गठित जल योजना के अपूर्ण कार्यों का भुगतान

409. **श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (बांसवाड़ा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में शहरी पुनर्गठित योजना के अन्तर्गत आपूर्ति हेतु 18 करोड़ 26 लाख की निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हां, तो कब व किस फर्म की निविदा स्वीकृत की गई? और उक्त कार्य की समयावधि क्या थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त समयावधि के अनुसार कार्य पूर्ण किया गया? यदि हां, तो कब? और पेयजल आपूर्ति कब से प्रारम्भ की गई?

(3) क्या यह सही है कि कार्य पूर्ण नहीं होने पर भी भुगतान किया गया है? यदि हां, तो क्यों और किस अधिकारी द्वारा?

(4) क्या सरकार कार्य अपूर्ण होने के बाद भी भुगतान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि जो जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं उनको छोड़कर। जो जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं, उनके प्रति आकर्षित करने के लिए भी कोई है क्या आपके पास?

**श्री अध्यक्ष**: यह केवल डीग के सम्बन्ध में बात कर रहे हैं आप।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आप तो शीर्ण की बात करो, जीर्ण की बात मत करो। शीर्ण की बात करो। (व्यवधान)

**जल संसाधन मंत्री** (श्री महीपाल मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खण्ड एक, जी हां।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, विराजें। जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी।

**जल संसाधन मंत्री** (श्री महीपाल मदेरणा): (1) जी हां। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं।

(4) भुगतान में कोई अनियमितता होनी नहीं पाई गई। इसलिए कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

**(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि इस योजना के तहत बांसवाड़ा की कौन-कौन सी बस्तियों को पानी पहुंचाना था और कौन सी अधूरी रहीं? नम्बर एक। उसके साथ में नम्बर दो, दूसरी पेयजल योजना जो आपकी चल रही है जिसकी समयावधि से भी अधिक समय हो गया, साल, डेढ़ साल, नम्बर एक, दानपुर विक्की पेयजल योजना, नम्बर दो, घाटोल की पेयजल योजना, उनको आप कब तक पूरा करा देंगे?

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महादय, ज्ञानदेवजी आहूजा जिन्होंने प्रश्नकाल का बहिष्कार कर रखा है, कृपया मेरा निवेदन है, उनसे बात कर लीजिये।

**श्री अध्यक्ष**: विराजें आप तो। (व्यवधान) आप माननीय मंत्रीजी का जवाब सुनें। अगर आपको भी जाना है तो जायें।

**श्री महीपाल मदेरणा** (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा की जनसंख्या एक लाख है और इस जनसंख्या में जो यह योजना स्वीकृत की गई थी, इस योजना के तहत चार लाख एमएलडी पानी उन व्यक्तियों को पहुंचाना था। आज बांसवाड़ा में प्रति व्यक्ति सौ लीटर प्रति व्यक्ति पानी दिया जा रहा है और इस योजना से चार लाख एमएलडी पानी बढ़ गया है। यह योजना जब स्वीकृत हुई थी 2008 में, 9.2.2008 में, इसके दस पैकेज में 25 कार्य थे। 25 कार्यों में से 16 कार्य तो सितम्बर, 2008 तक हो गये; तीन कार्य एक-डेढ़ महीने लेट हुए; तीन कार्य इर्रिगेशन और आर एस ई बी को करने थे; दो एस आर और एक फिल्टर प्लांट का डिले हुआ, वे भी पूरे हो गये। एक लाइन लगानी थी उसकी भी अभी हमने आज स्वीकृति दे दी है। उस समय जो नीति बनी थी उस नीति निर्धारण के कारण यह हुआ था कि ए सी पाइप्स को नहीं लगाना है और उसके कारण इसके टेंडर्स फ्लोट करने में कुछ कठिनाई आई थी। आज इसकी हमने स्वीकृति दे दी है और आने वाले तीन महीनों में जहां पर प्रेशर कम है उनको पूरा कर लिया जायेगा।

**श्री अर्जुन सिंह बामनिया** (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन जो है, उसके अलावा मैंने एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा कि दानपुर और घाटोल पेयजल योजनाएं जो पिछले दो साल से चल रही हैं, उनकी समयावधि पूरी होने के बाद में भी एक साल अधिक हो गया है। तो उनको आप कब तक पूरा करा लेंगे? तो शार्ट का प्रश्न है, कब तक पूरा करा लेंगे?

**श्री महीपाल मदेरणा** (जल संसाधन मंत्री): आपके मूल प्रश्न में यह नहीं था। अगर आप यह घाटोल की और इसकी पूछते, लेकिन निश्चित रूप से मैं दिखवा कर आपको बता दूंगा कि कब उस स्कीम को पूरा कर लिया जायेगा।

**श्री अध्यक्ष**: श्री रोहिताश कुमार। श्री राजेन्द्र राठौड़।

## राजस्थान लघु उद्योग निगम का विशेष अंकेक्षण

410. **श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजसीको के शोरूम राजस्थली जयपुर में बिना बैंक गारंटी व अनुबंध के ज्वेलरी बेचने के लिए काउंटर आबंटित किया गया है? यदि हां, तो क्यों व किसके आदेश से व संबंधित ज्वेलर पर राजसीको की कितनी राशि बकाया है?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसीको) के जोधपुर इनलैंड कंटेनर डिपो (आई.सी.डी.) में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत पर विशेष आडिट करवाई गई थी? यदि हां, तो विशेष आडिट की रिपोर्ट के आधार पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2008-09 में राजसीको में कुल कितना घाटा था? वर्ष 2009-10 के माह जनवरी तक यह घाटा कितना कम या अधिक हुआ?

**उद्योग मंत्री** (श्री राजेन्द्र पारीक): (1) जी हां । राजसीको द्वारा दिनांक 13.4.2007 को मै. लारोक इंटरनेशनल को राजस्थली एम्पोरियम, जयपुर पर कंसाइनमेंट काउंटर की स्वीकृति सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के आधार पर जारी की गयी। आबंटी को दिनांक 16.6.2007 को काउंटर का कब्जा बिना बैंक गारंटी व अनुबंध के दिया गया। आबंटी पर अभी भी राशि रु. 72,29,724/- बकाया है। यह मामला आर्बिट्रेशन में लम्बित है।

(2) राजसीको द्वारा जोधपुर इनलैंड कंटेनर डिपो की तीन सदस्यों की टीम द्वारा वर्ष 1996 में आडिट करवाई गई थी। तत्पश्चात् इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

(3) वर्ष 2008-09 में राजसीको में कुल घाटा 645.27 लाख था। घाटे का आकलन प्रति वर्ष के अंत में किया जाता है। फिर भी माह जनवरी, 2010

(श्री राजेन्द्र पारीक)

तक यह घाटा अनुमानित रु. 689.90 लाख है, जो पिछले वर्ष के घाटे से 6.90 प्रतिशत अधिक है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, चाहे यह तारीख हमारे शासन की हो पर सक्षम अधिकारी, जिस सक्षम अधिकारी ने लारोक इंटरनेशनल को राजस्थली एम्पोरियम में कंसाइनमेंट काउंटर लगाने की बिना बैंक गारंटी के अनुमति दी और जिस पर आपने खुद ने उत्तर में बताया कि 72,29,724 रुपये बाकी है, इस सक्षम अधिकारी के विरुद्ध आप कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं या नहीं? नम्बर एक। नम्बर दो, क्या यह सही है कि जोधपुर इनलैण्ड कंटनेर की शिकायतें आपको प्राप्त हुईं? 11 दिसम्बर को मुख्य मंत्री कार्यालय में शिकायत गई। आपने बिना टेंडर के एक ठेकेदार को वर्क आर्डर देकर बीस लाख का जो घाटा हुआ, उसके लिए तीन बार जांच बदली। पहली जांच, आपने क्या यह सही है कि 31 अगस्त, 2009 को सात सदस्यीय जांच समिति बनाई? क्या यह सही है कि उसके बाद आपने 25 नवम्बर, 2009 को फिर इस जांच को बदल दिया? और क्या यह भी सही है कि मुख्य मंत्री के आफिस की दखलंदाजी के बाद तीसरी बार आपने जांच बदल दी? क्या जोधपुर इनलैण्ड कंटनेर में जो बिना टेंडर के आपने जिस ठेकेदार को ठेका दिया, उसके विरुद्ध भी आप कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं या नहीं?

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से सौ फीसदी इत्तिफाक रखता हूं, बिना बैंक गारंटी के यह काउंटर दिया गया और सक्षम अधिकारी उस वक्त के सी एम डी थे। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस संबंध में वैसे तो पूर्व में हमने एक आई ए एस अधिकारी हैं मिस्टर धर्मसिंह सागर, उनसे हमने जांच करवाई, उस जांच रिपोर्ट में उन्होंने यह कहा कि चूंकि मामला आर्बिट्रेशन में लम्बित है इसलिए इसकी प्रशासनिक जो भी कार्यवाही है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि मैं मेरे विभाग के सीनियर जो अफसर हैं उनसे इस मामले में पूरी जांच करवाऊंगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, कि आपने खुद ने कहा है कि मामला गम्भीर है और सक्षम अधिकारी से आप जांच करवायेंगे और उसके बाद आर्बिट्रेशन में जाने की बात भी हुई है। आर्बिट्रेशन में वही प्रकरण जाता है जिसमें दोनों पक्ष सहमति व्यक्त करते हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
तो इस आर्बिट्रेशन में जाने के लिए किस स्तर पर सहमति व्यक्त की गई, वह भी आप बतायें।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला काफी पुराना है, 2007 में द देन सी एम डी द्वारा बिना उसके दी गई है। लेकिन साथ-साथ इसमें एक बात मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि 24 महीने का जो पीरियड उसको दिया गया था कंसाइनमेंट काउंटर के लिए, 21 महीने में ही वह पार्टी वहां से छोड़कर चली गई। उसका कारण, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रहा कि पार्टी ने जब कंसाइनमेंट काउंटर लिया तब उसने 4.41 करोड़ रुपये में मिनिमम सेल गारंटी का वह दिया लेकिन वहां जाने के बाद में उसको पता चला कि उसकी जो डे-टू-डे सेल थी, वह जितना उसने अपना एक टारगेट लिया था, उस तक पहुंचने के बजाय वह इतनी ज्यादा कम थी कि वह उसको पूरा नहीं कर पाये और अंत-पंत उन्होंने विभाग को यह लिखा कि चूंकि मेरी सेल वाकई कम हो गई यहां पर और मुश्किल से हजारों में आ गई है इसलिए मैं इस काउंटर को छोड़ना चाहता हूं और काउंटर छोड़कर वह चला गया। उसके बाद फिर यह विवाद खड़ा हुआ कि विभाग के 72 लाख रुपये जो उसमें बाकी रह गये हैं, इसकी रिकवरी कैसे हो। तब उसने आर्बिट्रेशन का सहारा लिया और आर्बिट्रेशन में विभाग के अधिकारियों की भी सहमति रही।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): आप इसको उचित मानते हैं क्या? सरकार का इतना-इतना पैसा हो और आर्बिट्रेशन में आपके अधिकारी उसको सहमति दे दें। इसका बतायें। दूसरा मैंने जो जोधपुर इनलैण्ड कंटेनर के लिए पूछा था, क्या यह सही है कि मेक्सिक्स लॉजिस्टिक्स को हैंडलिंग एजेंट और ट्रांसपोर्ट एजेंट बनाने के लिए बिना निविदाएं काम दिया गया? क्या इसमें तीन बार जांच समिति नहीं बनी क्या?

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय सदस्य, जोधपुर की जिस मेक्स लॉजिस्टिक्स की आप बात कर रहे हैं, उसको हमने कांट्रेक्ट दिया था और कांट्रेक्ट उसका 31.3 को समाप्त होना था लेकिन उसकी जो डे-टू-डे एक्टिविटी थीं वे इतनी ज्यादा परेशान करने वाली हो गईं आम आदमी को कि हमको मजबूरन उसको बीच में छोड़ना पड़ा। लेकिन तब भी हमने इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती। हमको जब यह लगा कि आम व्यापारी जो वहां के हैं, उनको परेशानी हो रही है तो हमने वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी कीं लेकिन अब इससे आगे बढ़ कर चूंकि मामला आई सी डी का है और स्टेट के लिए एक

(श्री राजेन्द्र पारीक)

गम्भीर विषय है, इसमें दो पार्टियां कोंकोर और कृभ जो कृभको है उन दोनों से हमने बातचीत की है और कोंकोर और कृभ, ये दोनों ही चाहते हैं कि आई सी डी से हम एम ओ यू करें ताकि राजस्थान की आई सी डी भी स्ट्रेंथन हो और अभी जो घाटे में चल रही है इसकी भी पूर्ति हो।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, जहां यह राजसीको का राजस्थली शोरूम स्थित है मेरे ख्याल से जयपुर की इससे इम्पोर्टेंट साइट बिजनेस के लिए नहीं हो सकती। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ऐसे क्या कारण हैं कि राजस्थली लगातार घाटे में जा रहा है? वहां जितने भी प्राइवेट शोरूम हैं उनमें से एक भी घाटे में नहीं जा रहा है। तो यह हमारा उपक्रम राजसीको लगातार घाटे में क्यों जा रहा है? एक तो मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर आई सी डी की बात है, मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, जानना चाहूंगा कि जिस एजेंसी को आपने ट्रांसपोर्टेशन का काम दिया, क्या इनको अलाट करने से पहले वह एजेंसी ब्लेक-लिस्टेड थी? नंबर-1. नंबर-2, इसकी कितनी बार सरकार ने जांच करायी? उसकी क्या जांच रिपोर्ट आयी? यह भी माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): आप तो रिपोर्ट बता दें, जांच करायी कि नहीं करायी।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेक्सिक्स लॉजिस्टिक्स की पहले ही 1996 में जांच हुई थी और जांच रिपोर्ट को मैंने खुद स्वीकार भी किया है अपने प्रश्न के उत्तर में, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। चूंकि मामला 1996 का था, मेरे ध्यान में उस वक्त नहीं आया लेकिन अब मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, इस मामले में पूरी जांच करवा करके सदन को अवगत करवाऊंगा।

दूसरा आपने फरमाया कि राजस्थली महत्वपूर्ण स्थान पर है और आस-पास के सारे व्यापारी अच्छा लाभ कमाते हैं, वह घाटे में क्यों चल रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थली के पास आज भी 267 एम्प्लाइज हैं। इतने बड़ा जो हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसका इतना बड़ा जो हमारा खर्चा है,

(श्री राजेन्द्र पारीक)

उसके कारण से निश्चित रूप से घाटे की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब हमने जो हमारे पास राजस्थली का जो एक मॉल है, उसके लिए जो प्रोफेशनल्स हैं, उनसे हम एक डी पी आर बनवा रहे हैं ताकि आने वाले भविष्य में हम इसका कितना बेहतर सदुपयोग कर सकें, कैसे हम इसको एक अच्छा व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित कर सकें, इस रूप में काफी कार्यरत हैं और प्राइवेट एजेंसी को हमने डी पी आर बनाने के लिए कहा है। जैसे ही डी पी आर बन कर तैयार होगी निश्चित रूप से हम इससे लाभान्वित होंगे। यह मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): मेरे स्पेसिफिक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि तीन बार आपने जांच बदली है और मैंने आपको तारीखें कोट कीं, 31 अगस्त, 2009 को सात सदस्यीय जांच समिति, 25.4.09 को फिर तीन सदस्यीय जांच समिति और फिर मुख्य मंत्री कार्यालय की दखलंदाजी के बाद; 11 दिसम्बर को मुख्य मंत्रीजी को आपके विभाग ने जो रिप्लाई किया कि हम एक सप्ताह में दो सदस्यीय जांच समिति बना कर इस पूरे मामले की जांच करवा देंगे। आज आप सदन में फिर कह रहे हैं कि आप जांच समिति बनायेंगे। नंबर-1 । नंबर-2, अभी आपने कहा, घाटे का जो उत्तर दिया है, घाटा है 2008-09 का 425 लाख रुपये। आपकी महाप्रबंधक है रजनी सिंह, ये जनवरी, 2010 में लिखती हैं कि घाटा 17 करोड़ का हो गया है, अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने में कठिनाई आ रही है। सरकार को पत्र लिख रही है। मतलब, पता तो लगे न। एक तो तीन बार जांच बदली और फिर मुख्य मंत्री कार्यालय को कह दिया कि अब एक सप्ताह में जांच पूरी करके हम भेज देंगे। इसका बता दें, अब जांच पर जांच और बैठाने का मतलब क्या रहा, आप जांच कब तक पूरी करा लेंगे और यह घाटे की सही तस्वीर क्या है?

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जांच के बारे में जानकारी चाह रहे हैं, हमने जांच करवायी और उसको हमने दोषी पाया।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): कार्यवाही हो बस।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): दोषी पाने के साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक करोड़ बयासी लाख रुपये जो हमारे उसमें बकाया

(श्री राजेन्द्र पारीक)

निकल रहे थे, हमने उसको नोटिस दिया कि आप एक करोड़ बयासी लाख रुपये हमारे तत्काल जमा करायें। जांच रिपोर्ट, हमने बार-बार वहां जब वह कार्यरत था, उसका 31.3 को हमारा समय पूरा होना था, हमने जैसे ही उसको दोषी पाया, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तत्काल उसको हटा दिया वहां से, जो आई सी डी का एजेंट था, हैंडलिंग एजेंट मेक्सिक्स लॉजिस्टिक्स।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): कितनी राशि बकाया थी?

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): एक करोड़ बयासी लाख।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): उसका क्या है?

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): हमने उसको नोटिस दिया है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): नोटिस से क्या होगा? कब तक वसूली होगी?

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने उसको नोटिस दिया है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, जो हैंडलिंग एजेंट था वह पहले से ही ब्लैक-लिस्टेड था। जिसकी प्रीवियस हिस्टरी ऐसी रही हो उसको दुबारा से काम अलाट करने पर मैं समझता हूं... और दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थली के पीछे सरकार का जो मानस था, वह अपने लोकल आर्टिजंस को बढ़ावा मिले, उनके जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वहां पर डिस्प्ले हो और जितने भी ट्यूरिस्ट आते हैं उनको खरीदें परन्तु मैं समझता हूं कि न तो इसके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है और आज जब शानदार वहां पर मॉल बन कर खड़ा हुआ है, अध्यक्ष महोदय, अगर किराये पर ही उठा दें तो आपका घाटा पूरा हो जाए। परन्तु आपके जो अधिकारी हैं, अगर उनकी वास्तव में मानसिकता है काम करने की, राजस्थली को चलाने की, तो, अध्यक्ष महोदय, वहां नुकसान का कोई काम उस बाजार में नहीं हो सकता, जिस स्पाट पर ये राजस्थली है।

**श्री अध्यक्ष**: एक और इनका, साथ ही दे दें।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय, महत्वपूर्ण बात है। जयपुर हमारे राजस्थान की शान है। राजस्थान में जो भी टूरिस्ट आता है, वह

(श्री मोहनलाल गुप्ता)
राजस्थान में परचेजिंग करने के लिए जाता है और वहां पर अपने-आपको ठगा सा महसूस करता है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम यह चाहते हैं कि ट्यूरिस्ट को सामान वाजिब दाम में मिले लेकिन राजस्थली ने तो अपने काउंटर को आक्शन कर दिया, व्यापारी को आक्शन कर दिया। उनका काम यह था, मुख्य उद्देश्य यह था राजस्थली की स्थापना का कि वहां पर लोकल आर्टिजन्स के सामान..

**श्री अध्यक्ष**: आपका प्रश्न क्या है? भाषण नहीं।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): मेरा यह है कि लोकल आर्टिजन्स का सामान तो बिकता नहीं है, वहां पर व्यापारियों को आपने आक्शन करके दे दिया। तो व्यापारी तो लूट रहे हैं वहां पर। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान की छवि वहां खराब हो रही है और यह घाटे में चल रहा है। तो वहां लोकल आर्टिस्टों का सामान बिकवाने की व्यवस्था करें। लोकल लोगों को प्रोत्साहन मिले; पूरे हैंडीक्राफ्ट और कारपेट सेक्टर में बेरोजगारी और मंदी है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, सरकार प्रोटेक्शन नहीं कर रही है। पूरा मंदीवाड़ा हो रहा है। राजस्थली का काम ही यह है, राजसीको का काम यह है कि उन व्यापारियों को, उन कारीगरों को काम देवें, उनको काम नहीं दे रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: आप विराजें।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): पूरे मजदूर जगत में मंदीवाड़ा छाया हुआ है।

**श्री अध्यक्ष**: तिवाड़ी जी।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): और आत्महत्या पर उतारू हैं सारे कारीगर।

**श्री अध्यक्ष**: आप विराज जाएं।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): सारे कारीगर और मजदूर पेंटिंग वाले, लाख वाले, चूड़ी वाले, सब आत्महत्या पर उतारू हैं।

**श्री अध्यक्ष**: आपके पास प्रश्न नहीं है, केवल भाषण देना है। आप विराजिये।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): महत्वपूर्ण बात है, साहब, आप क्यों बीच में बोलते हो? इतनी महत्वपूर्ण बात है और आप बैठो-बैठो कह रहे

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

हैं। आखिर लोग आत्महत्या को मजबूर हैं, बेरोजगार कर रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप कह रहे हैं कि बैठो-बैठो। यह क्या मतलब है, बैठो -बैठो?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): बोलो-बोलो।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): हां, तो बोल रहा हूं मैं। ये क्या बात हुई, साहब? आज पूरे राजस्थान भर में हैंडीक्राफ्ट के कारीगर...

**श्री अध्यक्ष**: मैंने माननीय तिवाड़ी जी का नाम पुकार लिया है, कृपया आप विराज जाएं।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): मुझे मालूम है, सर। बैठो-बैठो, वे यह बोल रहे हैं, साहब। ये कोई बात हुई आपकी? आप बीच में ही बोलते हो। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह ।

**श्री अध्यक्ष**: आप विराज जाइये।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): आखिर आज सारे ...(व्यवधान) कारपेट के कारीगर उस मंदीवाड़े से जूझ रहे हैं, पेंटिंग के कारीगर मंदीवाड़े से जूझ रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं होगा।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): ×××

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, दो बातें माननीय मंत्री महोदय के जवाब से स्पष्ट हो गयीं, नंबर-1 कि बिना बैंक गारंटी लिए उसको उन्होंने काउंटर दे दिया, उससे 72 लाख रुपये का नुकसान हुआ और उसके बाद में उसको जाने दिया गया। अधिकारी की जांच करा ली, अधिकारी दोषी पाया गया। फिर 72 लाख रुपये की यह आने के बाद में भी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई? नंबर-1. और अब भी इसका विलम्ब क्यों हो रहा है? नंबर-2 दूसरा, एक करोड़ बयासी लाख रुपये का हैंडलिंग एजेंट का जो मामला था, वह भी बिलकुल क्लीयर हो गया, साफ हो गया आपके जवाब से।

जब दोनों बातें, माननीय मुख्य मंत्रीजी, बहुत साफ हो गयी हैं, चाहे हमारे राज में ही हुआ होगा, किसी राज में हुआ होगा, जिसने किया है इस सदन में यह बात आने के बाद में वह आदमी बचना नहीं चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि जो मामला उठा था भीलवाड़ा का, उस पर तुरन्त

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एक्शन हो गया। दो-तीन मामले और थे जिन पर एक्शन हो गया। इस विधान सभा में जब क्लीयर-कट आपने स्वीकार कर लिया है, उसके बाद में सी एम डी के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने का कोई कारण नहीं है आपके पास। आपको सदन में कहना चाहिए कि उस पर तुरन्त कार्यवाही होगी जो 72 लाख रुपये और 1 करोड़ 82 लाख रुपये का स्टेट गवर्नमेंट को सीधा-सीधा नुकसान पहुंचा। अगर चला जाए, 6 करोड़ 49 लाख रुपये घाटे में हमारा राजसीको चले, फिर ऐसे अफसर को चाहे किसी राज में लगा हो, उसको बख्शने का कोई कारण नहीं है, मुख्य मंत्रीजी।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 72 लाख की बात कही, निश्चित रूप से यह मामला आर्बिट्रेशन में है। मैंने स्वयं ने आगे होकर, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा है कि जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं, उनके खिलाफ तत्काल मैंने जांच का, वैसे आल-रैडी मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि मैंने अपने अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिये कि इसकी तत्काल जांच करवाएं। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): वे अधिकारी क्या करेंगे? आप इनको करो। 72 लाख रुपये कह रहे हैं, एक करोड़ 82 लाख का है। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): नहीं, सुनिये-सुनिये। माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): जांच क्या होगी? आर्डर करिये। आप इनको वहां सस्पेंड करिये, उसके बाद जांच चलती रहेगी।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ...(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मैं कह रहा हूं, मंत्री महोदय, कि 72 लाख और एक करोड़ 82 लाख का मामला सामने आ गया, आपने स्वीकार कर लिया, उसके बाद जांच क्या बची? जांच, फिर वह सस्पेंड होने के बाद में अपना स्पष्टीकरण दे। वह जांच में दे देगा। इसलिए करिये उसको सस्पेंड। सदन के अन्दर घोषणा करिये और आगे कार्यवाही करें। निलम्बित करो उसको। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच, आल-रैडी जांच चल रही है। हमने एक रिटायर्ड सीनियर आई.ए.एस. आफिसर हैं, धर्म सिंह जी सागर को ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): आपने तीन बार करा ली और आपने सदन में स्वीकार कर लिया कि अधिकारी दोषी है तो निलम्बित करने में क्या दिक्कत लगती है? (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ढाई करोड़ का यह ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): निलम्बित करने में क्या दिक्कत लगती है? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): उनको सस्पेंड नहीं करने का मतलब है कि कोई न कोई लेन-देन का काम चल रहा है क्या? वह बता दें। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: सुनिये, जवाब दे रहे हैं। जवाब दे रहे हैं, कृपया सुनें। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें जो भी अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। एक करोड़ 82 लाख की, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह बात फरमा रहे हैं, 31.3 को अभी हमने जांच की है। 31.3.2010 को हमने जांच करके उनको हमने 1 करोड़ 82 लाख का नोटिस दिया है। मात्र दो दिन में, एक दिन में पैसा वसूल कर लें हम? एक करोड़ 82 लाख का नोटिस हमने दिया है अभी उसको। 30.10 को दिया है ...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): वसूली तो नहीं होगी लेकिन जिन्होंने ढाई करोड़, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): हम करेंगे उसकी वसूली। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हम वसूली करेंगे। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): आप वसूली करना चाहते हैं तो ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो दोषी को सज़ा दो। एक करोड़ 82 लाख का ...(व्यवधान) दोषी को सज़ा दो। (व्यवधान)

**श्री बंशीधर खण्डेला** (खण्डेला): यह मैच फिक्सिंग हो रहा है।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): यह ढाई करोड़ का चूना लगाया, उस अधिकारी को तो सस्पेंड करो। (व्यवधान)

**श्री बंशीधर खण्डेला** (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैच ऐसा लग रहा है कि फिक्स हो गया। मैच फिक्स हो गया यह तो। बचा रहे हैं उसको।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): यह तो बचा रहे हैं। रिकवरी तो होती रहेगी लेकिन जिसने ढाई करोड़ का चूना लगाया है, उस अधिकारी को सस्पेंड तो करें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन-तीन बार जांच कर ली, तीनों जांचों में प्रमाणित माना गया। फिर मंत्रीजी कहते हैं कि आई.ए.एस. आफिसर है। तो क्या सस्पेंड होने के लिए आर.ए.एस. अफसर और बाबू और क्लर्क ही हैं? आई.ए.एस. अफसर क्या सस्पेंड होने के लिए नहीं है? उनको भी सस्पेंड किया जा सकता है इस सदन में और यहां पर किया गया है सदन में। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): कोई लेन-देन चल रहा है क्या?

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस में इतना आश्वस्त करने के बाद भी माननीय सदस्य बार-बार इस बात को कह रहे हैं कि ...(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): इस सदन में माननीय हरिदेवजी जोशी ने चीफ सेक्रेटरी को हटाया था, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरे सदन को आश्वस्त किया है कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी होंगे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होगी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): तो यह तो आप करो, मंत्रीजी। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): हां, अभी करो कार्यवाही। अभी करो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यह कार्यवाही होनी है? (व्यवधान) दोषियों को बचाना चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): कोई भी माननीय सदस्य हाउस में दबाव बनाकर कार्यवाही नहीं करवा सकता।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): दोषियों को बचाना चाहते हो। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): हम कार्यवाही करेंगे। निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यही पारदर्शी सरकार है आपकी? यही पारदर्शी सरकार है आपकी?

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दबाव बनाकर कोई कार्यवाही नहीं करवा सकते। (व्यवधान) कार्यवाही करेंगे हम।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यह पारदर्शी सरकार है आपकी? दोषियों को बचाना चाहते हो। (व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी बात आ गयी है न, कह दिया है न इन्होंने। क्या बाकी रह गया है? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): क्या बात कह रहे हो? यही पारदर्शी सरकार, जवाबदेह सरकार, यही जवाबदेह सरकार है? (व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): कह दिया है न। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): ये माननीय सदस्य बैठे हैं, यह मामला इनके शासन काल का है। कहां गये थे ये लोग? तब उन्होंने क्यों नहीं की कार्यवाही इस पर? आज जब हम कार्यवाही करने को तैयार हैं तो ये माननीय सदस्य जोर से चिल्ला रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दोषी को बचाना चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): तब क्यों नहीं कार्यवाही की इन लोगों ने? यह मामला है। (व्यवधान) दो-दो उद्योग मंत्री थे। दो-दो माननीय उद्योग मंत्री उस वक्त रहे, उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। (व्यवधान)

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): दोषियों को बचाने का प्रयास मत करिये, मंत्रीजी। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: कार्यवाही कर रहे हैं।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): हमने हिम्मत की, साहस दिखाया और हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो ...(व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): यह आप जवाब दे रहे हैं तो ... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): यदि वह किसी मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। (व्यवधान) आपके समय का मामला है, 2007-08 का मामला है, दो-दो माननीय उद्योग मंत्री रहे जिन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। हमने साहस दिखाया, हमने कार्यवाही की। (व्यवधान)

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): तो दोषी पाया गया है न, साफ दिख रहा है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, आप तो सीधे-सीधे उनके खिलाफ एक्शन की घोषणा करिये। दोष तो तय हो चुका, दोषी अधिकारी तय हो चुका। (व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष**: कृपया चर्चा समाप्त करें।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): आप तो माननीय मंत्री रहे हैं उद्योग के ...(व्यवधान) आपने कार्यवाही क्यों नहीं की?

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): आप यह कहें कि हो जाएगी तो ... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): आप तो उद्योग मंत्री रहे हैं। (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आप तो खुद इस पाप के भागीदार रहे। आपने खुद ने कार्यवाही नहीं की। खुद के पापों को हमारे ऊपर ढोल रहे हो। उस अधिकारी ने ...(व्यवधान) पीछा करने से कुछ नहीं चलेगा ...(व्यवधान) आपने कोई कार्यवाही नहीं की। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): आप, मंत्रीजी, यह नहीं बताना चाहते हैं कि...(व्यवधान) आप, मंत्रीजी, यह भी बता दो ...(व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): बचाया आपने दोषी अधिकारी को। हमारे मंत्रीजी तो कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह ...(व्यवधान) यह कठघरे में दोषी ...(व्यवधान) दोषियों को बचाया जा रहा है।

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): यह एक करोड़ के घोटाले कोई एक साल में नहीं हो गये। कोई एक साल में नहीं हो गये यह 65 लाख के। अभी नहीं हो गये। यह चल रहा है काफी समय से ...(व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): जोर-जोर से बोलकर असली बात से सदन का ध्यान हटाना चाहते हो? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): हमने साहस दिखाकर कार्यवाही करने का तय किया है। ये दो-दो मंत्री रहे, इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आपने सारी की सारी ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): टोटल घोटाले इनके काम के हैं। (व्यवधान) इनके शासन काल में घोटाले हुए सारे। (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): सारा का सारा आश्वासन दे दिया मंत्रीजी ने इसके अन्दर।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): हमने इस बात पर यह कहा कि हम सदन को आश्वस्त करते हैं कि कार्यवाही करेंगे। आप तो माननीय मंत्री रहे हैं, आपने कार्यवाही क्यों नहीं की? (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): स्थिति सामने है, तीन बार जांच हो चुकी। यह कह दिया ...(व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आपने कार्यवाही क्यों नहीं की, इसका जवाब दें। यहां सदन में जोर-जोर से बोल रहे हो, आरोप लगा रहे हो और जब खुद मंत्री थे उद्योग विभाग के, आपकी आंख के नीचे यह अनियमितता हो गयी और आप अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हो, हल्ला करते हो। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यह इस प्रकार से करके ...(व्यवधान) पारदर्शिता की बात करते हो ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये। आसन पांवों पर है, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, the Chair is on legs. कृपया विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): जवाबदेही की बात करते हैं, मुख्य मंत्री मेज थपथपा रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, विराजिये आप। इस प्रकरण को लेकर सदन में अवरोध उत्पन्न हुआ है ...(व्यवधान) विराजिये। आसन पांवों पर है, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाई माधोपुर): दबाने की कोशिश कर रहे हैं। गलत बात को लेकर ...(व्यवधान)...

**श्री अध्यक्ष**: जिस प्रश्न को, प्रकरण को लेकर सदन में गतिरोध उत्पन्न हुआ है, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, जांच का आश्वासन, जो सारी बात मंत्रीजी ने उत्तर में कही है ...(व्यवधान)...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): आप मंगवा लो। फाइल मंगवा लो।

**श्री अध्यक्ष**: मैं मंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि जो भी आपको जांच करानी है, जो एक्शन लेना है, एक महीने में डिस्पोजल कर दें। (व्यवधान)

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था का ...(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था से बिलकुल संतुष्ट हैं। मुझे तो इस बात की और भी प्रसन्नता है कि जब मंत्रीजी जवाब दे रहे थे तो मुख्य मंत्रीजी ने इतनी जोर से तालियां बजाईं तो मुझे तो कोई लगा कि अब तो कार्यवाही हो ही जाएगी। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: अब आप भरोसा रखो। आप भरोसा रखो।

**एक माननीय सदस्य**: कर रहे हैं।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का जवाब नहीं आया है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: श्री शंकर सिंह। श्री शंकर सिंह।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के माध्यम से राजस्थान के जितने भी ...(व्यवधान)

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): प्रश्न संख्या-411.

**श्री अध्यक्ष**: शिक्षा मंत्रीजी।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): राजस्थान में जितने भी कारीगर हैं, मजदूर हैं, उनके हितों की बात उठा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो रहा।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): ×××

## ग्रामीण अंचल के विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात

411. **श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में संचालित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक व छात्रों के अनुपात के निर्धारण के लिए नियम/मानदंड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो नियम/मानदंडों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण अंचल में संचालित उक्त विद्यालयों में शिक्षक व छात्रों के अनुपात में भारी अन्तर हो जाने के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु क्या ठोस नियम/कार्य योजना बनाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**शिक्षा मंत्री** (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) नियम/मानदंड निर्धारण की कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) जी हां। छात्रानुपात में अध्यापकों की कमी वाले विद्यालयों में विद्यार्थी मित्र लगाकर, छात्रानुपात से अधिक अध्यापकों वाले विद्यालयों से आवश्यकता वाले विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था अन्तर्गत अध्यापक लगाकर शिक्षण कार्य सुचारु रखते हुए गुणवत्ता को बनाये रखा जाने का प्रयास किया गया है।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): xxx

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी आवाज के अन्दर मंत्रीजी क्या बोल रहे हैं, कोई आवाज ही मालूम नहीं पड़ी, आपने जो जवाब दिया। आपने जो जवाब दिया है। (व्यवधान)

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): xxx

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, विराज जाएं। आपका अंकित नहीं हो रहा है। विराज जाएं। कृपया विराज जाएं। (व्यवधान)

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): xxx

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं हो रहा।

**श्री गोपाल मीणा** (जमवारामगढ़): xxx

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): xxx

**श्री श्रवण कुमार** (सूरजगढ़): ×××

**श्री नगराज** (धरियावद): xxx

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): xxx

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दोनों के झगड़े में मेरा शिक्षा का प्रश्न है, ...(व्यवधान)

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): xxx

**श्री श्रवण कुमार** (सूरजगढ़): xxx

**श्री नगराज** (धरियावद): xxx

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): xxx

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, विराजिये। अंकित नहीं हो रहा। विराजिये।

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): xxx

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): xxx

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, विराजिये। चर्चा समाप्त। आप विराजिये। व्यवधान की वजह से श्री शंकर सिंहजी का फरमाना है कि वे प्रश्न का उत्तर सुन नहीं पाये इसलिए मैं निवेदन करूंगा शिक्षा मंत्रीजी से कि कृपया वे एक बार फिर से उत्तर दें।

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): धन्यवाद, साहब।

**शिक्षा मंत्री** (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) नियम/मानदंड निर्धारण की कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) जी हां। छात्रानुपात में अध्यापकों की कमी वाले विद्यालयों में विद्यार्थी मित्र लगाकर, छात्रानुपात से अधिक अध्यापकों वाले विद्यालयों से आवश्यकता वाले विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था अन्तर्गत अध्यापक लगाकर शिक्षण कार्य सुचारू रखते हुए गुणवत्ता को बनाये रखा जाने का प्रयास किया गया है।

**श्री शंकर सिंह** रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह जो जवाब की कापी है सदस्यों को मिलनी चाहिए, मुझे अभी तक कापी नहीं मिली है।

दूसरा, निवेदन यह है कि यह जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि शिक्षा के अनुपात में जहां अध्यापकों की कमी है वहां आप बढोत्तरी करोगे, यह कब तक कर दोगे, ऐसा मेरा निवेदन है।

दूसरा, शिक्षा के जो कालेज हैं, उन कालेजों में जो लेक्चरर लगे हुए हैं, चारदीवारी है नहीं, उस जमीन की कहां तक सीमा है, विभाग से अभी तक उसका सीमांकन भी नहीं करवाया जा रहा है और वहीं के लेक्चरर उस जमीन पर अतिक्रमण करके, वहीं पर मकान बना कर कब्जे बना लिये हैं। क्योंकि मैं खुद ही उसके खिलाफ रिपोर्ट करता, बाड़ उठ कर खेत को खा जाये तो मंत्री महोदय हद हो जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे अतिक्रमण जिन्होंने कर रखे हैं, उन्हें हटाया जाये ताकि सरकार का अच्छा संदेश जाये। यह कब तक आप करवा देंगे, इस प्रकार का निवेदन है।

**मास्टर भंवरलाल मेघवाल** (शिक्षा मंत्री): इसमें अतिक्रमण संबंधी मामला है ही नहीं।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, शिक्षा से संबंधित ही मैटर है।

**मास्टर भंवरलाल मेघवाल** (शिक्षा मंत्री): यह कालेज में अतिक्रमण बता रहे हैं, यह कालेज से संबंधित है ही नहीं।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): इसी प्रश्न में मेरा पूरक प्रश्न है, यह उसी विद्यालय से संबंधित है। मैं कोई हास्पिटल की दीवार के बारे में नहीं कहना

(श्री शंकर सिंह)

चाह रहा हूं आपसे, शिक्षा संस्थान की दीवार के बारे में ही कहना चाह रहा हूं कि वहां पर जो अध्यापक लगे हुए हैं, जो लेक्चरर लगे हुए हैं, उन्होंने वहां अतिक्रमण करके मकान बना रखे हैं, उसको आप कब तक हटायेंगे? यह आप बताइए। कालेज में सनातन धर्म महाविद्यालय ...

**श्री अध्यक्ष**: आप सुन तो लें। जवाब तो सुन लें।

**मास्टर भंवरलाल मेघवाल** (शिक्षा मंत्री): यह अध्यापक-छात्र अनुपात के मापदंड का प्रश्न है और इसमें अतिक्रमण का कोई मामला नहीं है। माननीय सदस्य अतिक्रमण का मामला अगर मेरे सामने लायेंगे, अलग से वह लिख कर देंगे तो उसकी जांच करा कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर देंगे।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, माफ करना, मंत्री महोदय जो जवाब दे रहे हैं, लिखित में नहीं, मैं पूरे सदन के सामने आपसे निवेदन कर रहा हूं । इससे छुप कर के या पर्दे में हम कहां से लाकर देवें? इस प्रकार के हमने दस कागज पहले दिये हैं, हमारे अलग से दिये हुए हैं।

**मास्टर भंवरलाल मेघवाल** (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, गांव का नाम तो बतायें, स्कूल का नाम बतायें।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के कक्ष में अलग से दिये हुए कागज हवा में उड़ जाते हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं होती है। किसी सदस्य की कोई सुनवाई का काम नहीं। सभी सदस्य चुन कर आये हैं, आप कागज लेते हैं और कहते हैं कि जाइए, जाइए, आप बाहर जाइए, आपका काम हो जायेगा। आपने मुझे कहा है।

**श्री अध्यक्ष**: आप विराजें, विराजें।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): मैं आपके सामने कह रहा हूं, मंत्री महोदय, आज हमारी सरकार नहीं है, हम विपक्ष में बैठे हैं। इसका मतलब इतना अपमान, सदन के माननीय नेता बैठे हैं, हमारा बहुत सम्मान करते हैं। हम सदन के नेता महोदय से कहते हैं...

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): माननीय सदस्य का आरोप है कि शिक्षा मंत्रीजी ने अपने कार्यालय में कहा कि आप बाहर चले जाओ।

**श्री अध्यक्ष**: आप वहां मौजूद नहीं थे, आप तो विराजो।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मुझे कहा है।

**श्री श्रवण कुमार** (सूरजगढ़): ...(व्यवधान) ढाई सौ करोड़ रुपये का घोटाला कम्प्यूटर में हुआ...(व्यवधान) और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आदेश दिया जांच कराने के लिये और जांच ठंडे बस्ते में पड़ी है। हमारे मुख्य मंत्रीजी चाहते हैं कि जांच हो, जो ढाई सौ करोड़ का घोटाला हुआ है...

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, यह बात इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। (व्यवधान) इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

**श्री श्रवण कुमार** (सूरजगढ़): मैं तो आपको प्रमाण सहित दूंगा, ऐसे थोड़े ही बैठा हूं।

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): ...(व्यवधान) बाफनी में उच्च माध्यमिक विद्यालय केवल एक मास्टर के भरोसे चल रहा है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न पूछना चाहते थे, मैं आपको अलाऊ कर रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, एक सदस्य के अपमान की बात है, मुख्य मंत्री महोदय, उसका तो आप जवाब दिलावें और क्या मापदंड हैं, यह तो आप बतायें।

**श्री अध्यक्ष**: आप विराजें।

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय ने मुझे परमिशन दी है।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): अध्यापक लगाने के क्या मापदंड हैं, वह तो आप बतायें।

**श्री अध्यक्ष**: ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य, आप विराजें।

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाफनी में संस्कृत का विद्यालय एक मास्टर के भरोसे चल रहा है। पूरे पाली जिले में केवल एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है और उसमें भी मास्टर की कमी है।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, अध्यापक लगाने के मापदंड क्या हैं, उसका जवाब बताया नहीं। एक सदस्य का अपमान करके मंत्री महोदय बाहर निकालते हैं...

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं होगा।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): xxx

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं होगा।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): xxx

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं होगा। कोई चीज नियमों में उठाई जाती है, प्रश्न काल में इस तरह की चर्चा नहीं होती है। अंकित नहीं होगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): xxx

**श्री अध्यक्ष**: नियमों के तहत सदन चलता है, प्रश्न से सम्बन्धित है नहीं। अंकित नहीं होगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं होगा।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): ×××

**श्री अध्यक्ष**: आपका कोई पूरक प्रश्न है क्या इससे सम्बन्धित ?

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): xxx

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न है क्या इससे सम्बन्धित ?

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): xxx

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, आरोप की बात नहीं कहता। इस प्रश्न से सम्बन्धित पूरक प्रश्न है क्या ?

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): हां, पूरक प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष**: क्या है ? इससे सम्बन्धित।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): यह सवाल आया है कि छात्र का और अध्यापक का अनुपात होना चाहिये। मुख्य मंत्रीजी को ध्यान है, 1986 में आदरणीय राजीव जी ने आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चलाई थी और एक कक्षा के साथ एक अध्यापक का नियम बनाया था। 8 कक्षाएं, 8 अध्यापक हों, 8 कमरे हों, एक रसोईघर हो, एक प्रधानाध्यापक का कमरा हो। मैं तो चाहता हूं, चूंकि राजस्थान में ...

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न क्या है आपका? 'मैं चाहता हूं' नहीं, पूरक प्रश्न क्या है?

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): इतनी देर में, अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न बोल देता। मेरा तो यह अर्ज करना है, शिक्षा के क्षेत्र को सुधारने के लिये कक्षावार कैसे अध्यापक बनें, कितने संसाधन हैं, यह सारी बात करके हमें कोई निर्णय करना चाहिये और उसके बारे में पूरे सदन को ध्यान करना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष**: आपका पूरक प्रश्न क्या है? भाषण नहीं, भाषण नहीं, भाषण नहीं। पूरक प्रश्न की इजाजत दी है।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): मेरा यह अर्ज करना है, क्या यह सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जाते समय 65 हजार अध्यापकों की कमी थी और यह सरकार उनकी कैसे पूर्ति करेगी? मेरा यह साफ प्रश्न है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है। मंत्रीजी, इसका खण्ड-2 देखिए, ''क्या यह भी सही है ग्रामीण अंचल में संचालित उक्त वियालयों में शिक्षक व छात्रों के अनुपात में भारी अंतर हो जाने के कारण शिक्षा स्तर में गिरावट आ रही है?'' इसका आपने जवाब नहीं दिया। मंत्रीजी, जवाब इसलिए आवश्यक है, इसमें दो प्रश्न हैं। एक तो हम सबको धन्यवाद देना चाहिये भारत सरकार को और प्रधान मंत्रीजी को कि कल उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया कि 1 अप्रैल से अनिवार्य शिक्षा का कानून इस देश में लागू हो गया है। उसके अन्तर्गत आपको 1 अप्रैल को ही कमिश्नर नियुक्त कर देना चाहिये था, आपने वह कमिश्नर एक्ट के तहत नियुक्त नहीं किया। दूसरा, 6 माह में उस एक्ट के तहत आपको शिक्षकों की भर्ती करनी है और राजस्थान में 1 लाख 38 हजार शिक्षक भारत सरकार के उस अनिवार्य शिक्षा के दायरे में आते हैं। उसका आपने क्या किया? तीसरा, राजस्थान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, इसके दूसरे भाग में है, 6 से 14 साल के बच्चे जो स्कूल के बाहर हैं, उनको लाने के लिये उस कमिश्नर के अंतर्गत आपने किन किन अधिकारियों की जिला स्थानों पर नियुक्ति की है जो इस कार्यवाही को पूरा करेंगे? चौथा, इसके अन्तर्गत क्या आप इसी साल से 8वीं तक बिना परीक्षा के पास करेंगे? और दसवीं और बारहवीं में क्या इस एक्ट के अन्तर्गत इसी साल से ग्रेडिंग लागू करेंगे? नंबर तीन, क्या राज्य सरकार इस एक्ट को एडाप्ट करते हुए राज्य की विशेष परिस्थितियों में राजस्थान में अलग से एक्ट लायेगी?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और अंत में, मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके जैसा मंत्री और उसके यहां पर कोई माननीय सदस्य जाये और उसे आप कह दो कि आप बाहर चले जाओ, यह शोभाजनक बात नहीं है।

**मास्टर भंवरलाल मेघवाल** (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय उप नेता महोदय ने खंड 2 के बारे में कहा है, मैंने स्वयं ने हां भरी है। उसमें आपने देखा होगा, मैंने स्वयं ने ''जी हां'' कहा है और यह इसलिए कहा है कि वर्तमान में जितनी हमारी स्कूलें हैं चाहे प्राइमरी हों, चाहे अपर प्राइमरी हों, चाहे सेकण्डरी हों, चाहे सीनियर सैकण्डरी स्कूल हों उनमें अध्यापक ज्यादा हैं छात्र कम हैं, छात्र ज्यादा हैं अध्यापक कम हैं, यह मैंने स्वीकार किया है। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि 1 अप्रैल, चूंकि आज 2 अप्रैल है और 1 अप्रैल को पूरे देश में राइट-टू-एजुकेशन बिल जो लागू हुआ है, 6 से 14 साल के बालक के लिये नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार लागू किया है, उसके लिये कल ही हमने हमारे अधिकारियों के साथ बैठ कर चर्चा की है, उसके अन्दर अलग-अलग प्रकार की कमेटियां गठित करने की चर्चा हुई है। यह एक दिन में तो होता नहीं, 5-7 दिन लगते हैं। यह प्रक्रियाधीन है और इस काम को हम जल्दी से जल्दी पूरा कर लेंगे।

जहां तक 8वीं बोर्ड का इस साल परीक्षा का है, इस साल तो होगा नहीं; अगला सत्र जो 10-11 होगा, उसके अन्दर चूंकि पूरे देश के अन्दर 8वीं का बोर्ड समाप्त होगा तो यहां राजस्थान में भी हम बोर्ड को समाप्त कर देंगे। एक साथ नहीं करेंगे, यह बात तय है। जहां तक आपने कहा कि 10वीं और 12वीं के अन्दर, जैसा आपको मालूम है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट के अन्दर, बजट स्पीच के अन्दर यह बात कही है कि हम एन सी ई आर टी का इसी वित्तीय वर्ष, अगले वित्तीय वर्ष में हम इसको लागू करेंगे राजस्थान में। तो 9वीं और 11वीं के लिए हम इसी साल लागू कर रहे हैं। यह मैं आपसे कहना चाहूंगा।

जहां तक आपने कहा कि किसी माननीय सदस्य को आपने कह दिया है, मैं बहुत विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। अगर भीड़ होती है....(व्यवधान)

**श्री श्रवण कुमार** (सूरजगढ़): आपको +++ आप कह रहे हो यह सब, सदन में आप कह रहे हो यह बात। आप खुद ...(व्यवधान) हिम्मत नहीं है। यह आप सदन को कह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं इसका मतलब। (व्यवधान)

**मास्टर भंवरलाल मेघवाल** (शिक्षा मंत्री): माननीय उप नेता महोदय, इनकी तो मेरे से व्यक्तिगत रंजिश है। इनके बारे में तो मैं नहीं कहना चाहता लेकिन यह जान-बूझकर आरोप लगाते हैं। यह जान-बूझकर लगाते हैं गलत आरोप। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यह आरोप गलत है, कौनसा जमीन-जायदाद का झगड़ा है? (व्यवधान) कौन से जमीन जायदाद का झगड़ा है? कौनसा झगड़ा है? (व्यवधान)

**श्री श्रवण कुमार** (सूरजगढ़): एक विकलांग को इन्होंने धक्के मारकर निकाला, यह शर्म की बात है। (व्यवधान) सदन के सामने मैं कह रहा हूं।

**मास्टर भंवरलाल मेघवाल** (शिक्षा मंत्री): मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, माननीय सदस्य की हर बात को ध्यान से सुना गया है। ध्यान से सुना हर बात को। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: चर्चा समाप्त।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय श्रवण जी से तो व्यक्तिगत रंजिश है, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, मेरे से क्या व्यक्तिगत रंजिश थी आपकी? यह तो बताइये आप। मैं आपका परिचय नहीं जानता...(व्यवधान) कहां के रहने वाले थे...

**श्री श्रवण कुमार** (सूरजगढ़): मेरी क्या रंजिश है मंत्रीजी से? (व्यवधान) मेरी कोई रंजिश नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: श्री मलखान सिंह।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): मीडिया के अन्दर निकला, विकलांग को निकाला है। मैं तो आपके सामने था। (व्यवधान) यह तो बताएं आप।

**श्री सूरजभान धानका** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): जब कभी गये, इन्होंने कभी भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया।

**श्री अध्यक्ष**: श्री मलखान सिंह।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): ये, मुख्य मंत्रीजी, वे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपकी सरकार का समर्थन किया था, अपने दम पर जीते और आपकी सरकार का समर्थन किया और इनका क्या हाल बनाया। कितने धक्के मारे, इनको पूछो जरा। (व्यवधान) यह व्यवहार है आपके मंत्रीजी का।

**श्री सूरजभान धानका** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): नहीं, साहब, कभी भी गये, शिक्षा मंत्रीजी ने कभी संतोषपूर्ण व्यवहार नहीं किया। बड़ा रूखा व्यवहार करते हैं, यह मैं कहता हूं, बिल्कुल रूखा।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): स्कूल खोलने की जो प्रक्रिया थी, एक पंचायत के अन्दर एक स्कूल खोलने की, उसमें भी...(व्यवधान)

## जोजरी नदी लूणी में रसायन युक्त पानी का प्रवाह

**412. श्री मलखान सिंह** (लूणी): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सालावास पंचायत समिति लूणी जिला जोधपुर में स्थित जोजरी नदी में फैक्टरियों का रसायन युक्त पानी प्रवाहित किया जाता है? यदि हां, तो कब से? क्या सरकार उक्त नदी में रसायन युक्त पानी के प्रवाह को बंद कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि बासनी औद्योगिक क्षेत्र के सांगरिया में पानी की सफाई हेतु ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है? यदि हां, तो कितनी क्षमता का?

(3) क्या सरकार उक्त प्लांट की क्षमता बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**श्री अध्यक्ष**: कृपया शांति बनाये रखें, माननीय सदस्य।

**राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण** (श्री रामलाल) : (1) जी नहीं। बासनी, मरूधर एवं अन्य समीपस्थ औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत फैक्टरियों से उत्पन्न प्रदूषित जल को पहले सांगरिया स्थित संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र में उपचारित करने के पश्चात् जोजरी नदी में प्रवाहित किया जाता है।

(2) जी हां। सांगरिया में उद्योगों के प्रदूषित पानी के उपचार हेतु संयुक्त उपचार संयंत्र बना हुआ है जिसकी क्षमता 20 मिलियन लीटर प्रतिदिन है।

(3) संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट द्वारा स्थापित एवं संचालित है जिसकी क्षमता बढ़ाने के लिए स्वीकृति बाबत उनके द्वारा कोई प्रस्ताव राज्य मण्डल को प्रस्तुत नहीं है।

**श्री मलखान सिंह** (लूणी): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो तथ्य बताए वे सही नहीं हैं। सांगरिया में ट्रीटमेंट प्लांट तो लगा हुआ है मगर बासनी इंडस्ट्रियल एरिया है वह 3-4 भागों में विभक्त है। पानी अलग-अलग जगह से निकल जाता है। जो सांगरिया प्लांट के पास से निकलता है वह तो उपचारित हो जाता है लेकिन दूसरी साइड से निकलने वाला पानी उपचारित नहीं हो पाता है। उसके लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? मंत्री महोदय, एक तो यह बता दें। दूसरा मेरा निवेदन है कि इंडस्ट्रियल एरिया जोधपुर में काफी बढ़ गया है, मेरे विधान सभा क्षेत्र बोरनाड़ा में भी काफी लंबा-चौड़ा इंडस्ट्रियल फैल गया है। वहां भी आप ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की मंशा रखते हैं कि नहीं रखते? मंत्री महोदय, यह भी बताने की कृपा करें आप।

**श्री रामलाल** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि करीब दो करोड़ लीटर प्रतिदिन उपचारित करने का संयंत्र जोधपुर में सांगरिया में स्थापित कर रखा है। अभी वर्तमान में 15-16 मिलियन लीटर प्रतिदिन वहां उपचारित होता है। इंडस्ट्रीज वहां 328 के करीब वहां मौजूद हैं उनमें 80 इंडस्ट्रीज स्टील प्लांट की हैं। इनसे जो केमिकल एसिड निकलता है वह बहुत खतरनाक है। पहले चरण में ट्रीटमेंट प्लांट, जहां तक सदस्य ने कहा, अभी हमारे पास 20 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता का है, वहां पानी निकल रहा है 15-16 मिलियन लीटर प्रतिदिन, इसलिए उसकी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो बात बताई, इंडस्ट्रीज अलग-अलग भागों में हैं, वहां पाइपलाइन स्थापित करके उसको जोइंट, उसे एक ही जगह संयंत्र में पानी को लाने का काम करना जरूरी है। इसके लिए हमने पहले चरण में स्टील इंडस्ट्रीज में जो खराब एसिड खतरनाक निकलता है, उसको पहले पाइपलाइन के जरिये उसमें डाल चुके हैं। कुछ इंडस्ट्रीज बाकी हैं, जिसकी योजना प्रस्तावित है 6 करोड़ की, हमने भारत सरकार को भेज दी। बहुत ही जल्दी उस योजना से उन सभी इंडस्ट्रीज को हम जोड़कर, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत ही जल्दी उसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने पैसे भी देने के लिए एलान कर दिया है। हमारे बोर्ड में कई ऐसे निर्णय, जो बोर्ड स्थापित होने के बाद आज दिन तक राज्य सरकार ने कभी कामन ट्रीटमेंट प्लांट में एक पैसा नहीं दिया, पहली बार 25 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार ने देने के लिए हां कही है और पैसा दिया है। इसलिए बहुत ही जल्दी सुधार कर दिया जाएगा।

**श्री अध्यक्ष**: श्री राधेश्याम गंगानगर।

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): प्लांटों की कमेटी बनी हुई है और इसके अध्यक्ष कलक्टर थे। उन कलक्टरों की कमेटियों को हटाने, कलक्टर को हटाकर, अध्यक्ष पद से हटाकर, दूसरी कमेटियां गठन करने का किया था।

**श्री अध्यक्ष**: विराजे, विराजे।

## श्रीगंगानगर में सीवरेज प्लांट हेतु आबंटित राशि

**413. डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): (श्री राधेश्याम गंगानगर के स्थान पर) क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर पर वर्ष 2009 में श्रीगंगानगर सीवरेज प्रोजेक्ट शुरू किया जाना था? यदि हां, तो क्या उक्त प्रोजेक्ट निरस्त कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सीवरेज प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर द्वारा निविदाएं भी आमंत्रित कर ली गई थीं? यदि हां, तो निविदाएं आमंत्रित करने के उपरान्त भी कार्य शुरू नहीं करने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार उक्त कार्य को करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री** (श्री शांति कुमार धारीवाल) : खण्ड का भाग (1) जी हां। राज्य सरकार ने इस परियोजना को निरस्त नहीं किया है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): खण्ड का भाग एक, प्रश्न का.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप खण्ड रहने दें, खण्ड-खण्ड मत करें।

**नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री** (श्री शांति कुमार धारीवाल) : चुकला और देते हो ।

(2) जी हां। नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा उक्त कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। यू आई डी एस एस एम टी के अन्तर्गत एस एल एस सी की 7वीं बैठक दिनांक 13.02.2009 में स्वीकृत 8 योजनाओं में श्रीगंगानगर शहर की सीवरेज योजना भी सम्मिलित की थी परन्तु अभी तक शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से इस हेतु न तो स्वीकृति प्राप्त हुई

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

और न ही एलोकेशन होकर प्रथम किस्त की राशि प्राप्त हुई है। अतः इस योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(3) जी हां। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से एलोकेशन के बाद प्रथम किश्त राशि प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव हो पायेगा।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस काम के लिए आपकी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रयास भी किया जा रहा है या केवल अपन इंतजार में बैठे हैं कि जब एलोकेशन आएगा, तब काम शुरू करेंगे? अगर वहां से किसी कारण से डिले हो रहा है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार इसमें पहल करके उनको पत्र लिखे और वहां से स्वीकृति प्राप्त करे। इसके लिए आप कोई प्रयास करेंगे?

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार को जो पत्र राजस्थान सरकार के द्वारा लिखे गये एलोकेशन बढ़ाने के लिए, उसके जवाब में भारत सरकार का पत्र आया 24 दिसम्बर, 2008 को। पत्र आने के एक महीने बाद ही मुख्य मंत्रीजी ने फिर पत्र लिखा और फिर एक महीने बाद पत्र लिखा और फिर एक महीने बाद फिर पत्र लिखा और फिर व्यक्तिगत रूप से संबंधित मंत्रीजी से जाकर इस बारे में मुख्य मंत्रीजी ने चर्चा की। उसका नतीजा यह हुआ....

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): फिर भी काम नहीं हुआ।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): बैठ जाओ आप। उसका नतीजा यह हुआ कि एस एल एस सी की जो बैठक थी जिसमें 8 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं, जिनका एलोकेशन भारत सरकार की तरफ से राज्य सरकार को मिलना चाहिए था, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि 80 प्रतिशत पैसा तो इसमें भारत सरकार देती है, 10 प्रतिशत राजस्थान की सरकार देती है और 10 प्रतिशत स्थानीय निकाय देती है। स्थानीय निकाय के ऊपर टेंडर प्रीमियम का पैसा भी देना जरूरी हो जाता है। तो कई जगह यह प्रोब्लम आती है कि टेंडर प्रीमियम ज्यादा, डी पी आर कम की बन गई मान लीजिए, डी पी आर 1 करोड़ की बनी लेकिन असल में जब टेंडर हुआ तो टेंडर प्रीमियम चला गया 2 करोड़ रुपये, तो 1 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा हो गये। यू एल बी की पोजिशन ऐसी होती नहीं कि एक करोड़ के बजाए दो करोड़ रुपये दें क्योंकि उसका कमिटमेंट एक करोड़ ही होता है लेकिन दो करोड़ देना पड़ जाता है। तो ये

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

काम इस वजह से रुके पड़े रहे। लेकिन मुख्य मंत्रीजी के व्यक्तिगत रूप से रुचि लेने पर इन 8 परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की तरफ से हमें संकेत

**(समय : 12.00 बजे)**

मिले हैं कि इनका एलोकेशन आइन्दा आ सकता है। जब भी यह आयेगा, गंगानगर में सीवरेज योजना को जरूर शामिल किया जाएगा।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): एक-एक महीने के अन्तर से आपने तीन बार पत्र केन्द्र सरकार को लिखे हैं। तो क्या आप हमें आश्वस्त करेंगे कि एक महीने के अन्दर अगर नहीं आता है तो एक पत्र या एक बार फिर प्रयास एक महीने के बाद आप करेंगे?

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): एक महीने के बाद क्या करेंगे, यह बता देंगे आपको। एक महीने में होता है कुछ।

**श्री अध्यक्ष**: चर्चा समाप्त।

# अनुपस्थिति अनुमति

## महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, श्री, सदस्य को 26 मार्च, 2010 से दो सप्ताह के लिए

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय सदस्य, विधान सभा ने चिकित्सकों द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसार उनका 6 अप्रैल, 2010 को मेडिसिटी हास्पिटल, गुड़गांव, हरियाणा में आपरेशन होने के कारण 26 मार्च, 2010 से दो सप्ताह के लिये सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिये अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

अनुमति प्रदान की गई।

# स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, उदयपुर के प्रबन्ध संचालक के पद पर कार्यरत रहे

(श्री अध्यक्ष)

श्री हरीश कुमार द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश देकर 337 किलोग्राम देशी घी को उपहार स्वरूप वितरित कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री कैलाश चन्द भंसाली एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, पेन्शन, कम्युटेशन व छठे वेतन आयोग के अनुसार पेन्शन का दो वर्ष से भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री बाबूलाल बैरवा एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से वर्ष 2009 में जिला अलवर के थाना बहरोड, शाहजहांपुर, मुण्डावर, जिला जयपुर के थाना प्रागपुरा, चंदवाजी, हरियाणा के नांगल चौधरी एवं दिल्ली नरेना में एक कुख्यात गैंग द्वारा 40-50 लाख की शराब लूटने, ड्राइवर की हत्या, आदि के 13 प्रकरण दर्ज होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री हनुमान बेनीवाल सदस्य की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय एवं संघटक महाविद्यालयों की फीस में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी से गरीब छात्रों के हितों के साथ हो रहे कुठाराघात से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में सदस्य सचिव, सेवा चयन मण्डल द्वारा पिछड़े वर्ग के आशार्थियों को आयु सीमा में छूट नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य द्वारा रखे गये प्रकरण, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बारे में मैं सरकार से जवाब मांगूगा।

6. श्री जसवन्त सिंह यादव एवं सात अन्य सदस्यों की ओर से तहसील बहरोड के ग्राम रैवाणा व कायसा में खान व क्रेशर माफिया द्वारा अवैध खनन करने एवं हरे पेड़ों की कटाई करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

7. श्री वासुदेव देवनानी एवं 12 अन्य सदस्यों की ओर से नसीराबाद अजमेर में अवैध बूचड़खाने संचालित होने से उत्पन्न तनाव की स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्री बंशीधर खण्डेला एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से जिला सीकर में दुधारू पशुओं की हो रही चोरियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री शंकर सिंह रावत एवं बीस अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के 5 प्रतिशत आरक्षण में रावत, मेहरात एवं काठात जातियों को शामिल करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाय। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री जसवन्त सिंह यादव, श्री वासुदेव देवनानी, श्री बंशीधर खण्डेला एवं श्री शंकर सिंह रावत को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

## नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री अमराराम, सदस्य की ओर से एम.पी. व एम.एल.ए. लैड को महानरेगा योजना से डवटेल करने के सम्बन्ध में।

2. श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से दहेज लोभी, अत्याचारी, हत्यारे पति, ससुर, जेठ-जेठानी के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री मलखान सिंह, सदस्य की ओर से जोधपुर नगर निगम के क्षेत्र में विस्तार करने के सम्बन्ध में।

4. श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से जिला जयपुर की तहसील रामगढ़ के ग्राम डोगर की खसरा नम्बर 250 का भूमि प्रकरण।

5. श्री छोटूसिंह भाटी, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर की बिजली की समस्या का समाधान करने हेतु तैयार किये जी.एस.एस. को जल्दी शुरू करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

6. श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य की ओर से स्वामी केशवानंदजी कृषि महाविद्यालय, संगरिया में प्रवेश की 120 सीटें आबंटित कर ग्रामीण परिवेश के बच्चों को प्रवेश की सुविधा देने के सम्बन्ध में।

7. श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से बूंदी की तालेड़ा को उप-तहसील से तहसील एवं डाबी को उप तहसील बनाने के सम्बन्ध में।

8. श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से सज्जन विधि महाविद्यालय, पाली की मान्यता रद्द होते हुए भी छात्रों को अध्ययन कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री मानसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र परबतसर में पानी की भारी परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्रीमती मंजू देवी, सदस्य की ओर से राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय, जोधियासी को राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

11. श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से जयपुर के सुभाष नगर/ शास्त्री नगर स्थित जे.पी. यादव पैट्रोल पम्प अग्निकाण्ड के घायलों को अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से पुलिस उप-अधीक्षक से अपर पुलिस अधीक्षक की पदोन्नति में लागू किया गया बी-लिस्ट फार्मूला पुलिस निरीक्षक से उप- अधीक्षक के पद पर पदोन्नति में भी लागू करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। वैसे आज के बिजनेस को देखते हुए आपकी अनुमति हो तो 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): लास्ट-डे है, पढ़ने दीजिए, पढ़ लेंगे। बैठ जाएंगे, दो घण्टे बैठ जाएंगे।

**श्री अध्यक्ष**: समय, और बिजनेस भी काफी बड़ा है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): बैठ जाएंगे, साहब, पढ़ लेंगे।

**अनेक माननीय सदस्य** : पढ़ा हुआ मान लीजिए।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मान लीजिए, पढ़ा हुआ मान लीजिए।

**श्री अध्यक्ष**: क्या?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): पढ़ा हुआ मान लीजिए।

**श्री अध्यक्ष**: 295 को पढ़ा हुआ मान लिया।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): प्रश्न यह है कि माननीय उप नेता महोदय की मानी जाए या सदस्यों की मानी जाए।

**श्री अध्यक्ष**: विराजें, विराजें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मान लिया ना।

**श्री अध्यक्ष**: आसन से व्यवस्था हो चुकी है कि 295 को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

**(पढ़े हुए माने गये विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए परिशिष्ट-1 देखें)**

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अध्यक्ष जी, प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्रीजी इस तरह से घूम रहे हैं, आसन पैरों पर है, यह देखिये, यह आसन के सामने है।

**श्री अध्यक्ष**: मंत्रीजी, मंत्रीजी, आसन पांवों पर है।

श्री जसवन्त सिंह यादव।

**श्रीमती अनिता सिंह** (नगर): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती अनिता सिंह।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, हमने भी पाइंट आफ इंफार्मेशन दिया है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती अनिता सिंह। (व्यवधान) एक मिनट इनको समय दिया है, रुकिये एक मिनट।

**श्रीमती अनिता सिंह** (नगर): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन। मैं बात उठाना चाहती थी, मैं सदन के और आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि नरेगा के तहत हरित राजस्थान में लगे पौधों के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर गलत आया। क्योंकि ब्लाक को-आर्डिनेटर जो रहा है...

**श्री अध्यक्ष**: तो इंफार्मेशन क्या हुई इसमें?

**श्रीमती अनिता सिंह** (नगर): सर, मैं बता रही हूं।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, नहीं, नहीं, प्लीज। डा. जसवन्त सिंह यादव।

**श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): इंफार्मेशन यह है कि ब्लाक कोर्डिनेटर जो उप-खण्ड अधिकारी है, उनके वहां पर जितने जे.ईएन., ए.ईएन. नरेगा में जो काम कर रहे हैं, उन्होंने कलमबद्ध...

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं होगा।

**श्रीमती अनिता सिंह** (नगर): xxx

**श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): xxx

**श्री अनिल जैन** (खानपुर): xxx

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं होगा।

**श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): xxx

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है। पाइंट आफ इंफार्मेशन में मैं इजाजत दे रहा हूं श्री देवीसिंहजी भाटी को।

**श्री अनिल जैन** (खानपुर): xxx

**श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसा मुद्दा सदन के सामने रखना चाहता हूं। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): ×××

**श्री अनिल जैन** (खानपुर): ×××

# सूचना

## बीकानेर के शिव बाड़ी स्थित प्राचीन शिव मन्दिर का संचालन

**श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं बीकानेर शहर के ऐसे प्राचीन शिव मन्दिर के बारे में, जो शिव बाड़ी में स्थित है, सदन को जानकारी देना चाहता हूं क्योंकि सदन को चिन्ता होनी चाहिए कि एक देवस्थान कमिश्नर के कारण हमारा जो प्राचीन शिव मन्दिर है, जिसका क्षेत्रफल करीबन 536 बीघा है, बीकानेर शहर के अन्दर 536 बीघा और इसमें देवस्थान के तहत ही इस मन्दिर की पूजा होती थी और महन्त आपके द्वारा नियुक्त होता था, आज से 20 साल पहले यह सारा उजड़ चुका था, ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: कृपया व्यवस्था बनाए रखें। (व्यवधान) कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

**श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत): इस 536 बीघा के क्षेत्र में यह जो प्राचीन शिव मन्दिर है, यह आज से 20 वर्ष पूर्व देवस्थान के तहत निगरानी में था, यह उजड़ चुका था। वहां जूलिफ्लोरा, कींकर पेड़ उग चुके थे और दर्शनार्थी भी मात्र 8-10 से ज्यादा आते नहीं थे, लोकल गांव के अलावा। आज जो वर्तमान में हमारे महन्त सोमगिरीजी हैं, जो इंजीनियर हैं, जोधपुर इंजीनियरिंग कालेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने सन्यास ग्रहण किया और ऐसे सुसंस्कृत ज्ञानी..

**श्री अध्यक्ष**: ध्यान आकर्षित हो गया।

**श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं यह सूचित करना चाहता हूं मंत्री महोदय को, उन्होंने महन्त सोमगिरीजी ने आकर सारे परिसर को सुधारा। आपके जब देवस्थान के अंडर में यह सारा परिसर था तो 300 बीघा तो कब्जा हो चुका, डूंगर कालेज उसमें बन गया, उसके अन्दर पोलीटेक्निक हो गया। इनके आने के बाद एक बिस्वा भी कहीं खुर्द-बुर्द नहीं हुआ। आज इतनी बड़ी वहां पर संस्कृत और गीता की प्रतियोगिताएं होती हैं, पूरा शहर आध्यात्मिक भावना से उनसे जुड़ गया है।

**श्री अध्यक्ष**: डा. जसवन्त सिंह यादव।

**श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत): उनके बारे में कमिश्नर द्वारा ऐसी गलत टिप्पणी करना और सारी भावना को भड़काने के कारण ...(व्यवधान) आज पूरा शहर आन्दोलनरत है। यह देखिये आप, बीकानेर शहर में हाल ही में देवस्थान कार्यालय के ऊपर जनता ने दावा किया है।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये, विराजिये। डा. जसवन्त सिंह यादव।

**श्री अनिल जैन** (खानपुर): xxx

**श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत): यह शहर के अन्दर हो रहा है।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, विराजिये।

**श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत): उसके बावजूद भी आपका देवस्थान विभाग चुपचाप देख रहा है। लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन बिगड़ेगी।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

**श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत): हमारी भावना को मत भड़काइये। वह सिर्फ संरक्षक है और बीकानेर की भावना जुड़ी हुई है उसके साथ।

**श्री अध्यक्ष**: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

**श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत): अगर देवस्थान विभाग से छेड़खानी की, आग लग जाएगी और उसमें हित किसी का नहीं होगा। अभी आपको चमत्कार जनता ने बता दिया, आपकी हिम्मत नहीं हो सकती है लेकिन फिर भी मैं आगाह करता हूं कि लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति सही रहे।

**डा. विश्वनाथ मेघवाल** (खाजूवाला): xxx

**श्री अध्यक्ष**: श्री जसवन्त सिंह यादव।

**श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत): ...और लोगों की भावनाओं का ध्यान रखें। इसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय को, ईसाई समुदाय को जोड़ा और वहां पर गीता की प्रतियोगिताएं कराईं।

**श्री अध्यक्ष**: श्री जसवन्त सिंह यादव।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, हाउस आर्डर में आये तभी तो बोलूं।

**श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत): ऐसे सन्त के बारे में ऐसी टिप्पणी करे कमिश्नर, +++ कर देगी जनता, यह ध्यान रखना आप।

**श्री अनिल जैन** (खानपुर): xxx

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं होगा किसी माननीय सदस्य का।

**श्री अनिल जैन** (खानपुर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है। केवल डा. जसवन्त यादव।

# स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

## बहरोड़ के रैवाणा और कायसा गांवों में अवैध खनन व पेड़ों की कटाई

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, बहरोड़ के अन्दर रैवाणा और कायसा गांव हैं। इनके अन्दर, बहुत बार मैंने मंत्रीजी को पत्र लिखकर भी अवगत कराया, वैसे भी अवगत कराया, हाउस में भी यह बात कई बार उठ चुकी है और यह बात बहुत बार सभी माननीय सदस्यों द्वारा भी उठ चुकी कि अवैध खनन हो रहा है, अवैध खनन को रोको। इससे राजस्थान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पेड़ों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 'हरित

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

राजस्थान' क्रान्ति के नारे की धज्जियां उड़ रही हैं। इसी तरह मेरे यहां पर रैवाणा और कायसा के अन्दर क्रेशर को मान्यता दी गयी है, जो नियमानुसार ही गलत है। पहली बात तो स्कूल की बिल्डिंग के बिलकुल पास में दी गयी है जिससे बच्चों का भविष्य बिलकुल खराब हो रहा है और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और उनकी पढ़ाई नहीं होती। दूसरी बात जो उन क्रेशर मालिकों की लीज थी, उस लीज को छोड़कर वह अवैध खनन कर रहे हैं। सरकार या खनिज अधिकारी, उनकी तरफ कोई भी नहीं देख रहा है, ना उनकी तरफ वे ध्यान दे रहे हैं। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का कोई मामला हो भी नहीं सकता। पूरे पेड़ों की कटाई हो रही है। क्रेशर मालिकों से कोई बात करें तो एक ही बात कहते हैं मिलीभगत है। इस कारण से उनकी अपनी जो लीज है, उस स्थान को छोड़ रखा है और वे यह कहकर बचाव कर लेते हैं कि हमारी खान का डि-मार्केशन नहीं हुआ है। जब डि मार्केशन ही नहीं हुआ तो फिर उनको खनन करने की अनुमति क्यों दी जा रही है? इस अनुमति को रोका क्यों नहीं जा रहा है, जब तक कि उनका डि मार्केशन नहीं हो जाता? पर यह केवल एक उनका कथन है, उनका बचाव का रास्ता है। माननीय मंत्री महोदय से आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, बहुत ज्यादा आस-पास के लोग, सारे गांव के लोग परेशान हो रहे हैं और वहां पूरा का पूरा पहाड़ उजाड़ दिया गया है। वहां से रोजाना 200-300 ट्रैक्टर हरियाणा में जा रहे हैं, राजस्थान में आ रहे हैं। इस तरह का ऐसा तांडव नृत्य हो रहा है कि लोगों का जीना दूभर हो रहा है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा भ्रष्टाचार की और पर्यावरण के नुकसान की और कोई बात हो ही नहीं सकती।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात एक बार नहीं, कई बार हम लोग कह चुके हैं। शायद अपने आप में एक पराकाष्ठा है। इससे ज्यादा हम सरकार को और किस तरह से अवगत करायें, मंत्री महोदय को किस तरह से अवगत करायें। मंत्री महोदय अभी भी सुन रहे हैं। मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है, चाहे कोई बड़े हों या छोटे, कोई भी हों, अगर किसी के पास लीज नहीं है या अपनी लीज पर जो खुदाई नहीं कर रहे हैं, या तो आप पारदर्शिता के लिये उनकी लीज का डिमार्केशन करायें और जब तक डि मार्केशन नहीं हो जाता, तब तक उस खनन को बंद करायें जिससे लोगों को राहत मिल सके। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं और हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, किसी दिन इतनी बड़ी दुर्घटना घटेगी,

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

लोगों में इतना जबरदस्त रोष है कि हमें लॉ एण्ड आर्डर मेंटेन करना मुश्किल हो जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपका माइन्स विभाग जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त हो चुका है, इसको रोको। आपकी कोई मजबूरी भी नहीं है। आपसे निवेदन है, आप आज ही इस पर एक्शन लीजिये। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री अध्यक्ष**: वासुदेव देवनानी।

## नसीराबाद (अजमेर) में अवैध बूचड़खाने का संचालन

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले के नसीराबाद शहर, जिसका नियन्त्रण छावनी बोर्ड करता है, वहां की जनता पिछले 40 वर्षों से चल रहे अवैध बूचड़खाने, पशुवध गृह से परेशान है। वहां वातावरण प्रदूषित है, दुर्गंध से लोग परेशान हैं और उनका जीना दूभर हो गया है। समय-समय पर उन्होंने आन्दोलन किये, कोर्ट में गये, संघर्ष किया और आज भी वहां तनावग्रस्त हैं लेकिन इनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। स्थानीय छावनी परिषद्, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और न्यायालयों में भी वे लोग गुहार लगा चुके हैं। सभी न्यायालयों ने उनके पक्ष में निर्णय दिया है लेकिन आज तक इस निर्णय की पालना नहीं हो पाई है। यह तो ऐसा हो गया कि भूखे को भोजन तो दे दिया पर वह उपयोग नहीं कर सकता। यह जो स्थिति है, इस कारण वहां इतना तनाव रहता है कि गत दो दिन पहले वहां पर छह दुकानों के शटर के बाहर जानवरों का खून मिला और उसके कारण जनता ने आन्दोलन किया, बाजार बंद हुआ। सारे दिन पूरा बाजार बंद रहा। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि हम इसकी कार्यवाही करेंगे, फिर दुकानें खुलीं लेकिन उस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासन केवल आश्वासन देता रहा लेकिन मेरा इसमें आपसे एक निवेदन है, इसका मूल कारण वहां पर अवैध पशुवध व बूचड़खाने का चलना है। इसको बंद करने का पहला निर्णय, 7 अक्टूबर, 1969 को वहां के छावनी बोर्ड ने हैल्थ और सफाई के आधार पर इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया, लेकिन पालना नहीं हुई। जनता अपीलेट कोर्ट में गयी, कोर्ट ने पब्लिक नोटिस देकर इसको बंद कर दिया। फिर भी वह बंद नहीं हुआ। उसके

(श्री वासुदेव देवनानी)

बाद प्रभावित लोग जो बूचड़खाना चल रहा था, 3.7.85 को हाई कोर्ट में गये। हाई कोर्ट ने भी अपीलेट कोर्ट के निर्णय को सही माना और कहा कि इसको बंद कर दिया जाना चाहिये। उसके बाद भी पालना नहीं हुई। उसके बाद न्यायालय में गये, लेकिन न्यायालय आदेश पारित करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को बहाल रखा है। जब पालना नहीं हुई फिर ये बाद में गये और न्यायालय ने 17.6.94 तथा 27.8.94 को एक अन्तरिम आदेश दिया, इसकी भी पालना नहीं हुई। आखिर 17.8.99 को अन्तरिम आदेश दिया और प्रशासन को कहा कि आप इसकी पालना करेंगे। पालना नहीं हुई। फिर 30.5.2000 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, नसीराबाद में वाद प्रस्तुत किया, जिसमें 7.11.2000 को निर्णय किया और पाबंद किया थानाधिकारी शहर को, स्लाटर हाउस के आफिसर को, मिलिटरी सेना मुख्यालय को और कलेक्टर को निर्देश दिये कि पशुवध गृह के आस-पास के क्षेत्र में, निजी पशुवध गृह, वहां पर किसी प्रकार के पशु वध नहीं किये जायेंगे लेकिन फिर भी उस पर कुछ नहीं हुआ। प्रशासन केवल एक-आध गाड़ी को पकड़कर किसी प्रकार की फोर्मेलिटी पूरी करता रहा। केस फिर हाई कोर्ट में गया। अपीलेट कोर्ट के आदेश को बहाल रखा, 7.11.2000 के आदेश को बहाल रखते हुए फिर वे पीड़ित लोग कोर्ट में गये। 29.7.2003 को सुप्रीम कोर्ट ने भी उन कसाइयों का, जो वहां थे, उसको खारिज कर दिया और कह दिया कि जो हाई कोर्ट का निर्णय है, वह सही है। उसके बाद भी पालना नहीं हुई। लोग 2006 में फिर 4.6.2007 में, 3.8.2007 को केवल यही कहते रहे कि एक वाहन पकड़ा गया और आगे गाड़ी चलती रही, लेकिन लोगों को इससे राहत नहीं मिली। फिर भी छावनी बोर्ड को कहा गया कि छावनी बोर्ड के अन्तर्गत आता है। छावनी बोर्ड ने 24.2.2009 को सार्वजनिक सूचना वहां के सारे अखबारों में निकलवाई और छावनी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही के निर्देश दिये कि वहां पर किसी प्रकार का पशुवध नहीं होगा, ये बूचड़खाने बंद किये जायें। 31.3.2009 और 17.6.2009 को भी छावनी बोर्ड ने कहा, हमने किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं दिया, सूचना के अधिकार में दे चुके हैं, लेकिन फिर भी पालना नहीं हुई। आखिर जनता क्या करे? उन्होंने कलक्टर के यहां गुहार लगाई, 7.2.2010 को बंद हुआ, उसके पहले 8 को भी बंद हुआ, लोग आश्वासनों पर दुकानें खोलते रहे, पीड़ित रहे, परेशान रहे लेकिन उनकी सुनवाई

(श्री वासुदेव देवनानी)

नहीं हुई। फिर 10.2 को, 13.2 को, 14.2 को और 19.2 को ज्ञापन दिया और आखिर में 11.3.2010 को मुख्य मंत्रीजी के यहां ज्ञापन दिया लेकिन जनता की कोई सुनवाई नहीं हुई।

यह कैसा राज, जिसमें छावनी बोर्ड के निर्णय की प्रशासन पालना नहीं कर सके? या तो जान-बूझकर नहीं किया जा रहा है या प्रशासन बिलकुल असहाय हो गया है। वहां की जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। उसके पास में स्कूल चल रहा है। पहले वहां साढ़े 400 बच्चे थे, इसके कारण बच्चों की संख्या भी घटकर वहां पर 200 रह गयी है। इसमें मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि प्रशासन इतना असहाय क्यों है, बतायें। उस बूचड़खाने को वे तुरन्त बंद करायें ताकि जनता को राहत मिले। वहां दुर्गंध से लोग परेशान हैं। बार-बार उससे तनाव उत्पन्न हो जाता है और तनाव के कारण स्थिति बिगड़ती है। इसलिये इस अवैध बूचड़खाने को तुरन्त बंद किया जाये ताकि जनता को राहत मिल सके। यह मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है। यही बात कहता हुआ मैं मांग करता हूं कि इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाये।

**श्री अध्यक्ष**: श्री बंशीधर खण्डेला।

## सीकर में दुधारू पशुओं की चोरी

**श्री बंशीधर खण्डेला** (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि सीकर जिले में काश्तकारों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। वह एक ऐसा अन्याय है कि काश्तकार पूरे दिन में मेहनत करके घर आता है, रात को सोता है, सोने के बाद रात को कभी भी उठता है तो उसके दुधारू पशु वहां नहीं मिलते हैं। उसके घर में जो तीन-चार पशु होते हैं, उनको चोर पिक-अप में भरकर ले जाते हैं। यह पूरे सीकर जिले, विशेषकर खण्डेला और श्रीमाधोपुर में तो इतना आतंक मचा हुआ है कि वहां पर काश्तकार रात को सो भी नहीं सकता है। सोयेगा तो मालूम नहीं, उसकी गाय-भैंसें कहां चली जायेंगी। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि रात को गश्त बढ़ाई जाये और गश्त करने वाले सिपाही, थानेदार, इंचार्ज, जो भी हों, वे आने वाली गाड़ियों को चैक करें और यदि कोई पशुधन मिलता है तो उससे जरूर पूछताछ करें कि कहां से लाया है ताकि काश्तकार आराम से सो सके, काश्तकार का भला हो सके। हर काश्तकार बड़ी मेहनत से अपना पशु पालता है और आस लगाये बैठा है कि

(श्री बंशीधर खण्डेला)

इसमें क्या होगा लेकिन सुबह जब आकर देखता है तो डेढ़-दो लाख रुपये का माल रात को लुटकर चला जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्डेला और आसपास की पुलिस की यह स्थिति है कि कोई भी आदमी एफ आई आर लाज कराता है, जांच के सम्बन्ध में पूछता है लेकिन कोई उनको आश्वासन नहीं देता है। इनको तब तक आश्वासन नहीं मिलेगा, वहां के थाने के अधिकारी एस पी को नहीं बताकर सम्बन्धित एम एल ए या राज्य मंत्री या मंत्री को पूछते हैं, जैसे शाम को थानेदार एस पी को अपनी रिपोर्ट देता है कि इस केस में यह हुआ और इस केस में यह हुआ, उसी हिसाब से थानेदार पूछता है कि इस केस में क्या करना है, उस केस में क्या करना है। तो पुलिस के ऊपर यह कलंक है। वह अपने आप में खुद असक्षम है तो फिर पुलिस जनता की क्या सहायता कर सकेगी? यह सीकर जिले में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अभी चार दिन पहले की बात है, खण्डेला थाने के नीचे कोटड़ी लुहारवास गांव है, उसमें तिवाड़ी की ढाणी हैं, वहां की गूजरों की एक बहू और उसके पांच साल के लड़के का अपहरण करके ले गये। रिपोर्ट दर्ज करवा दी लेकिन आज तक भी उस बहू एवं लड़के का कोई अता-पता नहीं है। थाने में जाते हैं तो कहते हैं कि अभी ढूंढ रहे हैं, कार्यवाही के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं कि वे कहां गये, कहां नहीं गये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा गृह मंत्रीजी को, खण्डेला एक ऐसी जगह है, वहां दोनों समुदाय बराबर की संख्या में हैं। खण्डेला का थाना पहले शहर में था, वहां से दो किलोमीटर दूर जाकर नया थाना बन गया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पुराने थाने में एक चौकी जरूर स्थापित करें जिससे कि छोटी-मोटी कोई घटना हो तो वहां तुरन्त सूचना हो जाए जिससे आगे कोई दुर्घटना यदि घटे तो उससे हम निश्चित हो जाएं।

मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री शंकर सिंह रावत।

## अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में रावत, मेहरात व काठात जातियों का सम्मिलन

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के मुद्दे पर जिस प्रकार पांच प्रतिशत अति पिछड़ा वर्ग में जो आरक्षण दिया गया था,

(श्री शंकर सिंह)

उस सम्बन्ध में रावत, मेहरात, काठात जातियां अति पिछड़ी जातियां हैं। इनका रहन-सहन, आवास और आय के स्रोत नहीं होने से इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। जिस क्षेत्र में इन जातियों का बाहुल्य है वहां पर न कोई उद्योग धंधे व न के बराबर कारोबार है एवं कृषि योग्य भूमि इनके पास नहीं है। ये वर्ग अति पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं और शिक्षा का स्तर निम्न है और सभी लोग मेहनत, मजदूरी के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। भौगोलिक और आर्थिक स्थिति के मापदण्ड के अनुसार मानकर 1950 में इन जातियों को आरक्षण का लाभ दिये जाने का प्रस्ताव तय था परन्तु राजनीतिक और अन्य कारणों से 1950 से ही इन जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। साथ में अभी जो पांच प्रतिशत की आरक्षण की सूची बनायी गयी थी, उस सूची के अन्दर रावत, मेहरात, काठात जातियों का नाम लिखा गया था लेकिन किन्हीं कारणों से इन नामों को हटा दिया गया है। बहुत दु:खद बात है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इन जातियों का नाम आरक्षण की सूची में जुड़वाया जाए और संबंधित मंत्री महोदय से मुझे भी आश्वासन दिलाया जाए कि इन सूचियों में केन्द्र सरकार को नाम भेजा जाएगा, इन जातियों का नाम निश्चित जोड़कर वहां भेजा जाएगा। ऐसा मेरा निवेदन है। संबंधित मंत्रीजी से आश्वासन दिलाया जाए।

**श्री हरिसिंह रावत** (भीम): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मेरा निवेदन है कि जब भी यह प्रस्ताव जाए....

**श्री अध्यक्ष**: कृपया बिराजें। अंकित नहीं होगा।

**श्री हरिसिंह रावत** (भीम): xxx

**श्री अध्यक्ष**: आज दिनांक 02 अप्रैल, 2010 को शून्यकाल में बोलने हेतु अठारह पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें से शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयीं जो निम्नांकित हैं:-

(1) श्रीमती अनिता भदेल, अजमेर में भू-माफियाओं द्वारा मार-पिटाई करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) डा. रघु शर्मा, जयपुर की ऐतिहासिक महत्व की बिल्डिंग्स के साथ की गई छेड़छाड़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री हनुमान बेनीवाल, राजस्थान विश्वविद्यालय तथा संघटक महाविद्यालयों में दस प्रतिशत सीट बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्रीमती अंजु खन्गवाल, पानी की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

श्रीमती अनिता भदेल।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, संबंधित मंत्री महोदय से जबाव दिलवाया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, विराजें।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): मंत्रीजी से जबाव दिलवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने। जाति समुदाय का मामला है। पिछड़ी जातियां हैं....

**श्री अध्यक्ष**: कृपया विराजें, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): ×××

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती अनिता भदेल।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): ×××

## धरना

**(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री शंकर सिंह एवं श्री हरि सिंह रावत द्वारा सदन के वैल में धरना)**

## पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

### अजमेर में भू-माफिया द्वारा अवैध कब्जा

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्षजी, कल शाम को चार बजे अजमेर शहर में पुलिस लाइन के पास स्थित जवाहर नगर विष्णु मन्दिर के पीछे वाली गली के तुलसी रामजी चौहान जो कि एल आई सी में सर्विस करते थे, कुछ समय पूर्व दुघर्टना में उनकी मृत्यु हो गयी। उनके तीन बेटियां और तीन बेटे थे और उनका एक प्लाट जवाहर नगर में स्थित था। उस प्लाट की रखवाली के लिए तुलसी राम चौहान ने एक बाबू लाल कनोदिया नाम के व्यक्ति को किराये पर दे रखा था। उस भूखण्ड में दो कमरे, लैट्रिन और बाथरूम बने हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद में भूखण्ड को खाली करने के लिए किरायेदार को कहा कि हमारा मकान खाली कर दीजिए ताकि हम यहां पर अपना नया मकान बना सकें। किरायेदार ने पहले तो मकान

(श्रीमती अनिता भदेल)

खाली किया नहीं और जब खाली किया तो मकान मालिक को सुपुर्द करने के बजाय कोई विक्रम शर्मा नाम के भू-माफिया को कब्जा बेच दिया। उसके पास मालिकाना हक के कोई पेपर नहीं हैं। कुछ भी नहीं है, वह सिर्फ चार-पांच साल से किराये पर रहता था और उस कब्जे के आधार पर ही विक्रम शर्मा नाम के व्यक्ति को बेच दिया। कल मकान मालिक के बेटे पवन, पंकज और राजू जब वहां मकान पर गये और उन्होंने मकान की चारदीवारी बनानी चाही और उस पर गेट लगाना चाहा तो विक्रम शर्मा ने लगभग तीस-पैंतीस लोगों के साथ में जिनमें ओमप्रकाश गूजर, पांची गूजर, गोपाल गूजर, विरव गूजर, शक्ति सिंह, शांति देवी, अशोक चाय वाले, मुकेश महावर और विक्की महावर सहित लगभग तीस-चालीस लोगों ने जिनके पास लाठी, हाकी और अन्य धारदार हथियार थे, उनसे मकान मालिक के बेटों पर हमला किया। हमले की जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस भी मौके पर मौजूद हुई।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि इस तरह से अजमेर में भूमाफिया अवैध कब्जे करते हैं और उससे झगड़े होते हैं। मेरा निवेदन है कि कल जो अजमेर में घटना हुई है, उसमें पीड़ित पक्ष जो मकान मालिक है, उस मकान मालिक को राहत देने के लिए और जिसने फर्जी तरीके से उस प्लाट को बेचा है, फर्जी तरीके से भू-माफिया ने उस प्लाट को खरीदा है, उसको दण्डित किया जाए क्योंकि कल पुलिस भी उस समय मौके पर मौजूद थी और पुलिस ने यह सब देखा और उन लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया, उन पर ईंट और पत्थर फेंके और पुलिस को भी तितर-बितर होना पड़ा एक क्षण के लिए तो। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मामले में जो भी व्यक्ति दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और मालिक को सरकार राहत देने का काम करे। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: डा. रघु शर्मा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार को आप थोड़ा कह दें।

**श्री अध्यक्ष**: आप विराजें।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से थोड़ा जबाव दिलवा दीजिए। इसमें थोड़ा मंत्री महोदय जबाव दे देंगे।

**श्री अध्यक्ष**: आप विराजें।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, इनकी आदत में थोड़ा सुधार करवाओ। जब भी मैं खड़ा होता हूं, ये खड़े हो जाते हैं।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): पवन और पंकज जो तुलसी चौहान के परिवार के लोग हैं, उनको राहत मिल जाए, अध्यक्षजी, वे हास्पिटलाइज्ड हैं। बहुत गम्भीर चोटें आयी हैं। वे जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में भर्ती हैं, वह जिन्दगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप इनको चुपचाप बैठे रहने दीजिए। माननीय देवी सिंहजी, आप विराजें। विराजें। डा. रघु शर्मा।

**(माननीय सदस्य, श्री शंकर सिंह एवं श्री हरि सिंह रावत द्वारा धरना समाप्त)**

## जयपुर की ऐतिहासिक महत्व की इमारतों के साथ की गयी छेड़छाड़

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में असंख्य पुरा महत्व की धरोहर हमारे पास मौजूद हैं और राजस्थान की पहचान भी हमारी पुरा महत्व की इन धरोहरों से है। इससे राजस्थान की राजस्व आय में भी प्रति वर्ष बढ़ोतरी होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पुरा महत्व के भवन और इमारतों से अगर कोई छेड़छाड़ की कार्यवाही होती है तो उससे हमको तकलीफ पहुंचती है। इसलिए मैं इस सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह पर्ची के माध्यम से मुद्दा उठाया है, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदया इसके बाद इन सवालों के जवाब भी दें।

राजस्थान के उच्च न्यायालय ने अब्दुल रहमान वर्सेज राज्य सरकार के मुकदमे में एक साफ फैसला दे रखा है कि पूरे प्रदेश में जो भी कैचमेंट एरिया होगा उस कैचमेंट एरिया के अन्दर कोई भी पक्का काम नहीं करवाया जा सकता, उसके बावजूद भी आमेर के अन्दर मावठे के अन्दर स्थित जो कुंड था 18वीं सदी का, उसको तोड़कर, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर लाइट एण्ड साउंड शो प्रोग्राम के लिए उस पूरे कुंड को तोड़ा गया और दर्शक दीर्घा बना दी गयी। सी.ए.जी. ने अपनी रिपोर्ट में गम्भीर टिप्पणियां की हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि पुरा महत्व के ये जो भवन हैं या इमारतें हैं, जो 18वीं सदी की हैं, उनके साथ छेड़छाड़ राज्य की सरकार नहीं कर सकती। यह

(डा. रघु शर्मा)

अफसोस की बात है कि तत्कालीन सरकार द्वारा इस पुरा महत्व की बावड़ी को तोड़कर दर्शक दीर्घा में तबदील कर दिया गया। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

**श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत): मेरे मंत्रित्व काल में नहीं हुआ, मेरे से पहले-पहले ही हुआ है।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): मैंने तो आपके ऊपर कुछ कहा ही नहीं है, माननीय सदस्य।

**श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत): यही तो कह रहे हैं आप, पूर्व सरकार में मैं था न।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): ओ माई गोड, ओ माई गोड, क्या कर रहे हैं आप यह, माननीय अध्यक्ष महोदय?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): ओ माई गोड नहीं, ओ माई लॉर्ड कहिये।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): यह लॉर्ड हैं?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): हां।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): वे क्या हैं फिर, वे क्या हैं?

**श्री अध्यक्ष**: यहां ना कोई लॉर्ड है और ना कोई गौड़ है।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): यहां गूजर गौड़ है।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): भील, गुर्जरों का नाम मत लो, आ जायेंगे वे।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): मैं खुद ही हूं, चिंता मत करो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हवामहल के जो गुम्बद थे हमारे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में क्योंकि जयपुर का दुनिया में नाम है, यह हवामहल के नाम से जाना जाता है। जो कोई भी आता है, पिंक सिटी में पर्यटक आते हैं, उनको चार्म रहता है हवामहल का, उस हवामहल के गुम्बद के ऊपर जो कलश हैं उन कलशों पर जो सोने की कलई थी उसके साथ खरोंच की गयी। वहां पर्यटक आते हैं, पर्यटक वहां लिखते हैं, चित्रकारी करते हैं, उस धरोहर को नष्ट करने का काम होता है और उस पर राज्य सरकार आंख मूंदकर बैठी रहती है, कोई कार्यवाही नहीं होती है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

(डा. रघु शर्मा)

इसी तरह से आमेर के महल में देखें। आमेर के महल में माउंट शिवालिक कम्पनी को रेस्टोरेंट लीज पर दे दिया जाय; दीवार को, जो विरासत की दीवार थी उसको तोड़ दिया जाय; पहले, दूसरे और तीसरे तल को व्यवसायिक उपयोग के लिए दिया जाय; लिफ्ट लगाने की अनुमति दी जाय; माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सभी चीजें ऐसी हैं, एक तरफ तो धरोहर संरक्षण के नाम पर सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करती है और दूसरी तरफ इसके व्यवसायिक उपयोग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे राजस्थान की विरासत को खतरा है।

मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह बताएं कि राजस्थान में पुरा महत्व की कितनी धरोहर आज आपके पास विद्यमान हैं? उन धरोहरों के संरक्षण के लिए सरकार के पास क्या नियम हैं अभी बने हुए? और उन नियमों की अनदेखी कर कहां-कहां हमारी पुरा महत्व की धरोहरों को नष्ट किया गया, छेड़छाड़ की गयी उनकी? और उनके खिलाफ सरकार ने विगत वर्षों में क्या-क्या कार्यवाही की? माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंत्री महोदया यहां विराजमान हैं, यह मैं उनसे पूछना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा राजस्थान सरकार ने राजस्थान के राज्य संग्रहालय एवं स्मारक प्रबन्धन के लिए 1.80 करोड़ रुपये अक्टूबर, 2006 में जारी किये और इसके 19 माह बाद 14 स्मारकों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयीं और उसके बाद तकनीकी कमियों को आधार बना कर उन निविदाओं को निरस्त कर दिया गया। वे 1.80 करोड़ रुपये इनके पास रखे हैं, इन्होंने सरकार को लौटाये भी नहीं और उस पर कोई कार्यवाही भी नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर यह सदन चाहता है।

इसके अलावा झालावाड़ में गागरोन फोर्ट है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए भी .92 करोड़ रुपये भारत सरकार की तरफ से उसके रख-रखाव के लिए मिले, संरक्षण के लिए मिले और पर्यटन सर्किट विकास योजना में यह राशि मिली, दूरस्थ विकास योजना में 4.27 करोड़ रुपये मिले। इन तमाम पैसे का उपयोग केवल मैचिंग ग्रांट तत्कालीन सरकार ने नहीं दी और मुझे अफसोस है कि तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्रीजी वहीं से आती थीं, इसके बावजूद यह राशि मैचिंग ग्रांट की वजह से हम उपयोग नहीं कर पाये और काम में देरी हुई।

(डा. रघु शर्मा)

(12.35 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

इसके अलावा भौतिक सत्यापन के दौरान जो सी.ए.जी. की रिपोर्ट है, वह कहती है कि 23 स्मारक, दो कला दीर्घा और एक पुरातात्विक स्थल के विभाग के स्वामित्व के सम्बन्धित अभिलेख मिले ही नहीं, 10 पर अतिक्रमण पाया गया और 5 स्मारकों और दो पुरातात्विक स्थलों पर सम्पर्क सड़क ही नहीं है। ये तमाम बातें आज हमारी चिंता का कारण बनी हुई हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पर्यटन के नाम से जाना जाता है, राजस्थान की जो राजस्व आय है उसमें भी देशी-विदेशी पर्यटक लाखों की संख्या में हमारे राज्य में आते हैं और इन्हीं पुरा महत्व की चीजों को देखने के लिए हमारे देश में आते हैं। इन पुरा महत्व की चीजों के साथ अगर छेड़छाड़ की जाए तो मैं समझता हूं, यह गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वे स्पष्ट इन सवालों का जवाब इस सदन के माध्यम से सब लोगों को बताएं कि क्या उपाय आप भविष्य में करने वाली हैं जिससे इनका संरक्षण किया जाय, इनका संवर्धन किया जाय और हम देश-विदेश के पर्यटकों को अधिक से अधिक संख्या में आकर्षित कर सकें। धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

**श्री सभापति**: श्री हनुमान बेनीवाल।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): Would you allow me to…

**श्री सभापति**: ठीक है, हां, प्लीज।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जवाब दे दूं, जितनी मेरे पास जानकारी है।

माननीय सभापति महोदय, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ सवाल जो आज अख़बार की कटिंग को देख कर उठाये...

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैंने अपनी जानकारी से दिये हैं।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): हां।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आप यह नहीं कह सकतीं कि मैंने अख़बार से ...

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): नहीं, नहीं ... (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आप कह सकते हैं अख़बार, मैंने मेरी जानकारी के हिसाब से कहा है।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मतलब मैं जो समझती हूं, वह भी है, उनमें जो भी पाइंट हैं, जो इन्होंने उठाये हैं, वे आज के अख़बार में भी हैं, जो मैंने देखा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहती हूं कि मैं स्वयं 1985 से जब से मैं इस विधान सभा में आयी हूं, मुझे पर्यटन का कार्यभार हमेशा दिया गया; कला, संस्कृति का जिम्मा मैंने संभाला और मैं उतनी ही कमिटेड, उतनी ही सेंसिटिविटी मेरे मन में राजस्थान की पुरा सम्पदा के बारे में है, राजस्थान के पर्यटन के बारे में है और वाइल्ड लाइफ के बारे में है। चूंकि यह कार्य भी बार-बार मुझे दिया जाता रहा है, from a Dy. Minister to Cabinet Minister, independent charge and with Kamalaji, मैं सोचती हूं कि मैं बहुत कमिटेड हूं और मेरा मन, मेरा दिल और मेरा दिमाग राजस्थान की पुरा सम्पदा के लिए कमिटेड है। मैं चाहती भी हूं और मैं मेरे होते या मेरे नहीं होते, जैसे पहले भी हुआ ही है, कहीं भी जो भी कोई अनियमितताएं देखी गयीं या पायी गयीं, उनके बारे में मैंने हमेशा आवाज उठायी है, उठायी है और आवाज उठाती भी रही हूं।

माननीय सभापति महोदय, कुछ दो-तीन पाइंट जो इन्होंने कहे हैं, उनका मैं खुलासा कर देना चाहती हूं। पहला, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, एक अब्दुल रहमान बनाम सरकार के केस का जिक्र किया है, जो कैचमेंट सम्बन्धित केस है कि आमेर फोर्ट के नीचे तलहटी में आयी हुयी जो केसर क्यारी है, उसके बीच में जो इमारत बनी हुई है, उसमें एक दर्शक दीर्घा बनाने के बारे में। कैचमेंट एरिया तो, माननीय सभापति महोदय, जो कैचमेंट एरिया है वह केसर क्यारी के आस-पास है। आमेर में कला, संस्कृति विभाग द्वारा विश्व स्तरीय एक लाइट एंड साउंड शो करवाया गया जिसको कई पर्यटक देखने आते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने भी देखा है ...

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): 18वीं सदी के कुंड को तोड़ा गया कि नहीं? (व्यवधान)

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जी नहीं। (व्यवधान) मैं पूरी बात कर लूं, जब आप बोल रहे थे, माननीय सदस्य, तो मैं चुप थी। तो कृपया जब मैं बोल लूं उसके बाद अगर आपको कुछ और पूछना हो तो मैं आपको संतुष्ट करूंगी।

तो दर्शक केसर क्यारी की छत पर बैठकर इसको देखते हैं। तो वहां पर केवल छत के ऊपर एक प्लेटफार्म बनाया गया है ना कि कैचमेंट को तोड़ा गया है। बैठने के लिए केवल उस जगह का इस्तेमाल किया गया है। अंग्रेजी और हिन्दी में यह लाइट एंड साउंड शो होता है जो बहुत ही मोहक है और बहुत ही राजस्थान के इतिहास को दर्शाने वाला है, जिसको मैंने खुद ने देखा है, पसंद किया है। कई लोग वहां पर 45 मिनट बैठ कर उसका नजारा करते हैं। लेकिन कहीं पर कैचमेंट को किया नहीं गया है, कुंड को तोड़ा नहीं गया है, केवल छत के ऊपर बैठाने की सुविधा दी गयी है।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): कितना बढ़िया काम किया है।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): दर्शकों के बैठने के लिए। हां, कुछ काम जो अच्छे किये हैं, देवनानीजी, उनकी तो हम तारीफ ही करेंगे लेकिन जहां-जहां गलत हुआ है उसको भी बतायेंगे। सिविल लाइन्स के अन्दर मकान जो सत्तर साल पुराना था, उसको नेस्तनाबूद करके पूरे के पूरे बंगले को अपना खुद का बना लिया, ऐसा कौन चाहता है? कल आप एम एल एज भी अगर चाहते हैं कि एम एल ए क्वार्टर्स हैं, आपके पास धन है, सम्पत्ति है, दौलत है तो कोई भी अपना मकान बना लेगा? यह सरकार की सम्पत्ति है ...(व्यवधान)

**श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): सात-आठ मंत्रियों ने एम एल ए क्वार्टर तोड़कर मकान बना लिये ...(व्यवधान)

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): कोई कुछ नहीं है ...(व्यवधान) सिविल लाइन्स का पहले बंगला देखिये ...(व्यवधान)

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): एक-एक क्वार्टर तोड़कर के ...(व्यवधान) जाकर के देखो ...(व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): यह भारतीय जनता पार्टी के राज में इन्होंने जो पाप किये ...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी के जवाब से ...(व्यवधान) हो रहे

(डा. रघु शर्मा)

हैं अब यह सुनना नहीं चाहते ...(व्यवधान) यह आपके शासन की ...(व्यवधान)

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): एक-एक क्वार्टर को तोड़कर के ...(व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आप मंत्रीजी के जवाब को सुनना नहीं चाहते?...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आसन पांवों पर है। (व्यवधान) मंत्री महोदय, आप भी विराजें; माननीय सदस्य, आप भी विराजें। (व्यवधान) आदरणीय सदस्य, कृपा करके विराज जाएं। (व्यवधान) Take your seats please. आप विराज जाएं।...(व्यवधान)... आदरणीय सदस्य, विराज जाएं। मैं मंत्री महोदय से भी यह निवेदन करूंगा, क्योंकि पर्ची पर उठाया हुआ विषय पुरातत्व विभाग और पुरा सम्पत्ति से था, if you could keep your commentary limited to that. और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): जो कमेंट किये जाते हैं एक्सपंज होने चाहिए। (व्यवधान) जो कमेंट किया है एक्सपंज होना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): ये प्रतिपक्ष के सदस्य हमेशा आक्रामक मुद्रा में रहते हैं। (व्यवधान) सभापति महोदय, डराने वाली मुद्रा रखते हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): आप एक्सपंज कराएं, साहब। एक्सपंज कराएं।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): यह कोई तरीका है? यह आसन को आदेश देने का तरीका है? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आसन इस बात की भी दे देता है ...(व्यवधान)...

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): यह माननीय सदस्य यहां पर खड़े होकर आसन को उंगली दिखाते हैं, मंत्री को उंगली दिखाते हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यह किसके कहने से की ...(व्यवधान)...

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): यह +++ इस सदन में नहीं चलेगी।

**श्री सभापति**: आसन अभी व्यवस्था दे देता है।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जब बीच में अवरोध उत्पन्न हुआ......

**श्री सभापति**: Just take the seat. आदरणीय मंत्री महोदया ने भी अगर किसी विधायक विशेष का नाम लिया है तो उसको आप एक्सपंज कर दें।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): नाम लिया ही नहीं, कभी नहीं।

**श्री सभापति**: Let us get over that matter.

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): लेकिन जब अवरोध उधर से उत्पन्न हुआ उसका जवाब तो मुझे देना पड़ा। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: Let us get over that issue.

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): अवरोध तो सलमान खान ने किया था। (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): यह क्या हो रहा है सदन के अन्दर? आप देखो, फिर क्या चाहते हैं? यह क्या तरीका है? (व्यवधान) रामायण में रामलीला करने वाले लोग आ गये।...(व्यवधान)...

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): आप अपना चेहरा देखिये ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: आदरणीय सदस्य, विराज जाएं प्लीज। (व्यवधान) कृपा करके विराजें।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह जो दर्शकों के बैठने के लिए भी स्थान बनाया गया है, इसको बाकायदा रिवाइव करके पुराने जमाने में जो रहट प्रणाली से पानी पहुंचाने के लिए स्थान बना हुआ था उसे एडाप्टिव सेंस में दर्शकों के बैठने के लिए स्थान बनाया है और केवल छत डाली गयी है। जैसा मैंने कहा है, रहट से पुनः पानी चढ़ाने की प्रणाली को करीब साठ साल के बाद इसको रिवाइव किया गया है। मैं सोचती हूं कि यह बहुत ही उल्लेखनीय है।

जहां तक माननीय सदस्य ने हवामहल के स्वर्ण कलश जो वर्षों से मौसम और बंदरों के द्वारा खुरच-खुरच कर खराब कर दिये गये थे, उन पर पुनः सोने की परत चढ़वा दी गयी है और 330 पुराने कलशों पर स्वर्ण का

(श्रीमती बीना काक)

काम व 120 कलश जो गायब हो गये थे वे नये बनवा दिये गये हैं और हवा महल के शीर्ष, उसके ऊपर लगा भी दिये गये हैं।

आमरे महल के और जैसा कि माननीय सदस्य ने फरमाया कि यह पी आई एल में जो भी जानकारी मैंने दी है, वह आलरैडी दी जा चुकी है और ए जी के माध्यम से दी जा चुकी है। यह मामला वैसे भी उच्च न्यायालय में लम्बित है, इसलिए मैं इसके ऊपर इसके आगे और कुछ नहीं कहना चाहती हूं।

**श्री सभापति**: श्री हनुमान बेनीवाल।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, एक क्लेरिफिकेशन सीक करता हूं। आपने पहले तो कहा है कि छत के ऊपर प्लेटफार्म किया है बैठने के लिए और अब कह रहे हैं छत भी लगाई है।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): छत ही लगाई है।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): छत लगाने के बाद बावड़ी में क्या रहेगा, कुण्ड में क्या रहेगा?

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): छत ही तो लगाई है और छत को इस्तेमाल किया गया है और एक प्लेटफार्म सा बना दिया गया है। बावड़ी अलग है ।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): I understand that. आपने जो फरमाया है दोनो कंट्राडिक्टरी हैं। आप करके करेक्शन कर देना ।

## राजस्थान विश्वविद्यालय व संघटक महाविद्यालयों में फीस वृद्धि

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): सभापति महोदय, आज राजस्थान की उच्च शिक्षा इस वक्त दुर्दशा का शिकार हो रही है। एक तरफ देश-प्रदेश के अन्दर निजी विश्वविद्यालयों की बाढ़ आ रही है। आज गरीब किसान का बेटा, उन निजी विश्वविद्यालयों की फीस इतनी ज्यादा है कि उनमें पढ़ने की सोच भी नहीं सकता और कल्पना भी नहीं कर सकता। सभापति महोदय, एक तरफ तो केन्द्र सरकार ने आज से पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर शिक्षा को अनिवार्य विषय की श्रेणी में डाल दिया है। देश का प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो, यह कानून स्वागत योग्य है। आज प्रदेश के अन्दर आठ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां सरकार का सीधा नियंत्रण है। आज गरीब किसान का बेटा अगर कालेज पास करने

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आएगा या सीनियर सैकंडरी स्कूल पास करने आता है तो गरीब का बेटा उसी कालेज और विश्वविद्यालय में जाने की सोचेगा जहां फीस कम हो। लेकिन विगत 28 मार्च को राजस्थान विश्वविद्यालय की सिंडिकेट ने राजस्थान विश्वविद्यालय और समस्त संघटक महाविद्यालयों की फीस के अन्दर दस प्रतिशत वृद्धि करके गरीब किसान के बेटों के साथ कुठाराघात किया है।

सभापति महोदय, जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था तब फीस वृद्धि को लेकर एकेडेमिक कौन्सिल ने एक निर्णय किया 1998 के अन्दर, हमने विरोध किया। तब तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने हमारे छात्र हितों की मांगों को देखते हुए गवर्नर से इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा और कुलपति को बुलाकर यह कहा कि छात्रों की फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। 1999 के अन्दर जब भैरोंसिंहजी सत्ता से चले गये और कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अन्दर बनी, एक साथ दस गुना पूरे राजस्थान के अन्दर समस्त महाविद्यालयों की फीस बढ़ा दी गयी। इस 28 मार्च के निर्णय में दस परसेंट फीस बढ़ाकर के कांग्रेस ने राजस्थान के छात्र समुदाय को, नौजवान समुदाय को सीधा संकेत दिया है कि गरीब किसान के बेटों की बात करने वाली यह पार्टी गरीब किसान के बेटों की विरोधी पार्टी है।

सबसे पहले छात्र संघ चुनाव की बात चुनावों के अन्दर की। बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं कि सत्ता के अन्दर आएंगे तो छात्र संघ के चुनाव करायेंगे। लेकिन 1982 के अन्दर सबसे पहले जब छात्र संघों के चुनाव हुए तो यहां कांग्रेस की सरकार थी और 1989 के अन्दर राजस्थान हाई कोर्ट के दखल के बाद 1989 में छात्र संघों के चुनाव पुनः शुरू हुए। सभापति महोदय, छात्र संघों के चुनाव माननीय उच्च न्यायालय ने रोके थे लेकिन अभी चुनाव के घोषणा पत्र के अन्दर यह बात कही गयी कि हम सत्ता के अन्दर आयेंगे तो राजस्थान के अन्दर विश्वविद्यालय और छात्र संघों के बंद पड़े चुनाव करायेंगे लेकिन पन्द्रह महीने बीत जाने के बाद भी छात्र संघ चुनावों की कोई समय सारिणी नहीं आयी। छात्र संघ चुनाव लिंगदोह कमेटी के हिसाब से करायेंगे या बिना लिंगदोह कमेटी के .....

**श्री सभापति**: आपका विषय फीस बढ़ाने से सम्बन्धित था, छात्र संघ के चुनाव से सम्बन्धित नहीं था। कृपा करके अपनी पर्ची के विषय तक अपनी बात को केन्द्रित रखें।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): सभापति महोदय, विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता के मामले में सरकार दखलन्दाजी करे, हम इस बात के कभी भी पक्ष में नहीं हैं लेकिन विश्वविद्यालयों को सरकार बहुत बड़ा अनुदान देती है इसलिए सरकार की यह ड्यूटी बनती है कि विश्वविद्यालय के अन्दर बार-बार फीस नहीं बढ़े। विश्वविद्यालय के अन्दर आय के कम स्रोत होते हैं लेकिन विश्वविद्यालय को अपनी आय के स्रोत छात्र हितों पर नहीं डालकर बार-बार फीस वृद्धि नहीं करके, नये सिरे से आय के स्रोतों के बारे में सोचना चाहिए। सभापति महोदय, आज विश्वविद्यालय के अन्दर ऐसे सफेद हाथी, ऐसे-ऐसे प्रोफेसर बैठे हैं जो तीन-तीन महीने में एक बार आते हैं और अटेंडेंस रजिस्टर पर हाजरी लगाना वे अपना अपमान समझते हैं इसलिए वे दस्तखत भी नहीं करते हैं और एक लाख से दो लाख तक की तनख्वाह लेते हैं।

सभापति महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री भी यहां विराजमान हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सदन के मार्फत कि विश्वविद्यालय के अन्दर गरीब छात्रों की समस्या को देखते हुए आज अगर गरीब का बेटा उच्च शिक्षा लेने की सोचे और इसलिये उच्च शिक्षा नहीं ले कि उसकी फीस ज्यादा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। आज जो केन्द्र सरकार लेकर आयी है कानून एक अप्रैल से, उसकी पालना में इस बढ़ी हुई फीस वृद्धि को वापस लें। आज इस मामले को लेकर चाहे एन एस यू आई कांग्रेस का संगठन हो, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, चाहे एस एफ आई का हो, या अन्य छात्र संगठन हों, पिछले 7 दिन से लगातार आन्दोलन कर रहे हैं वे सड़कों पर उतर आये हैं। मैं, माननीय सभापति महोदय, सदन के माध्यम से आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के आय के अन्य स्रोत उपलब्ध करवाये जाएं। बड़े-बड़े प्रोफेसर्स, जो यहां अटेंडेंस देने नहीं आते और विश्वविद्यालय को घर की दुकान समझ रखा है, उन लोगों की तनख्वाह में कटौती की जाए। विश्वविद्यालय के अन्दर आय के नये स्रोत पैदा करके छात्रों की बार-बार फीस नहीं बढ़ाई जाए।

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

सभापति महोदय, आज इस सदन के अन्दर 24, लगभग दो दर्जन ऐसे विधायक और मंत्री चुनकर आये हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय और राजस्थान के विभिन्न कालेजेज का प्रतिनिधित्व कर छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए आये हैं। जब मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान होते हैं और किसी सदस्य का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, अगर उसका निलम्बन कराने की बात हो तो वेल के अन्दर जाकर जोर-जोर से नारे लगाते हैं कि

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मुख्य मंत्रीजी की नजर उन पर पड़ जाए और उनको मंत्री बना दें। लेकिन जिन बातों को लेकर वे सदन के अन्दर आये हैं...

**श्री सभापति**: थैंक यू वैरी मच। श्रीमती अन्जू खन्गवाल।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): विश्वविद्यालय खोलने की बात को लेकर सदन के अन्दर आये, छात्र हितों की बातों को लेकर आये हैं,...

**श्री सभापति**: श्रीमती अन्जू खन्गवाल।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): उन बातों को वे यहां आकर भूल गये हैं। राजस्थान का छात्र समुदाय आने वाले चुनावों के अन्दर...

**श्री सभापति**: अब विराज जाएं। Your time is up, Sir. Sit down. Please take your seat.

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): किस तरह छात्र इनकी खिलाफत करेगा, इनको आने वाले समय में बहुत बड़ा सबक सिखायेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ इनफार्मेशन है।

**श्री सभापति**: एक मिनट आप विराजें।

## सूचना

## राजसमन्द कलक्टर को ज्ञापन देने के लिए एस.पी. की पूर्वानुमति आवश्यक

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। राजसमन्द कलक्टर को एक ज्ञापन देने के लिये जब हम जन-प्रतिनिधि सारे ही मेरे साथ, जिला परिषद् के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, विश्व हिन्दू परिषद् के मंत्री और हम सभी लोग जब एक ज्ञापन देने के लिये कलक्टर के यहां जा रहे थे तो उस समय कलक्टर साहब यह कहते हैं राजसमन्द के कि आप परमिशन लेकर आएं पुलिस अधीक्षक से। ज्ञापन देने के लिये परमिशन पुलिस अधीक्षक की लेनी होगी? यह देखिये, किस तरीके की हठधर्मिता एक कलक्टर और एस पी की राजसमन्द जिले में चल रही है। ज्ञापन की स्वीकृति ली गयी है पुलिस अधीक्षक से और उसकी भाषा आपको पढ़कर सुना रही हूं। ''उपरोक्त विषयान्तर्गत ...

**श्री सभापति**: You point is well made.

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): मैं एक मिनट सिर्फ...

**श्री सभापति**: It can not be turned into a proper deliberation.

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): OK, Sir.

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): सभापति महोदय, हमारा भी जवाब दिलवाया जाए मंत्रीजी से।

**श्री सभापति**: The Home Minister and the Parliamentary Minister has….(interruptions)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, ज्ञापन के लिये भी जब परमिशन, जनतन्त्र में ज्ञापन के लिये भी परमिशन लेनी पड़ेगी। यह क्या जनतंत्र हुआ? आपका यह... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आदरणीय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन पर इश्यु कस.. (व्यवधान) पाइंट आफ इन्फोर्मेशन पर डिबेट मैं अलाऊ नहीं कर सकता। अलाऊ नहीं कर सकता। अलाऊ नहीं कर सकता, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आसन पांवों पर है। (व्यवधान) your point is well made. माननीय सदस्य, आप विराज जाएं। आसन पांवों पर है, कृपा करके आप विराज जाएं..(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, यह तानाशाही की हद हो गयी कि ज्ञापन देने के लिये भी परमिशन लेनी पड़ेगी।

**श्री सभापति**: आदरणीय सदस्य, विराज जाएं।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): यह तो 1975 की याद दिला रही है कांग्रेस सरकार।

**श्री सभापति**: श्रीमती अन्जू खन्गवाल।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): सिर्फ एक परमिशन लेने के लिये गये जिस परमीशन का...(व्यवधान) माननीय सभापति जी, मुझे दो मिनट का समय दे दीजिये आप। मैं दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगी।

**श्री सभापति**: Hon'ble Member, on a point-of-information I can allow you that issue which should be directed to the Minister. He has understood it.

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): No. I think, he has not understood the issue.

**श्री सभापति**: If he feels the need to react on this then I can allow you. He has not reacted on it, then your point is well made. Thank you very much.

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): But at least he should know as to what the issue is.

**श्री सभापति**: श्रीमती अन्जू खन्गवाल।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): हम ज्ञापन देने के लिये गये थे जनहित की समस्या को लेकर..

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): मेरा जवाब दिलाया जाए।

**श्री सभापति**: आप विराज जाएं। आप विराज जाएं। आप आसन को निर्देश देंगे क्या? विराज जाएं।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): माननीय मंत्रीजी, दो मिनट की बात है केवल। आपके एस पी से हमें ज्ञापन देने के लिये परमिशन लेनी पड़ती है, उस पर जरा ध्यान दीजिये...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: अब विराज जाएं।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): कि किस तरीके से वह एस पी दे रहा है। कलक्टर को एक ज्ञापन देने का, यह मेरा अधिकार है।

**श्री सभापति**: आप बिराज जाएं। I will convey this now.

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): और उस पर...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप आसन पर छोड़ दें, यह आसन कर रहा है।

आदरणीय गृह मंत्री महोदय, the basic sanctity of issue is that the Collector has ordered what ...जो उनको देने गये थे वह ज्ञापन कि आप एस पी से परमिशन लेकर आएं। Now this is something you need to deliberate upon. I think, so that what was exactly, जो दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे थे, उनकी भी भावना यह थी कि ज्ञापन देने जब जनरल पब्लिक के साथ जन-प्रतिनिधि आते हैं तो कलक्टर कम से कम इस बात का ध्यान रखे कि किस प्रकार से यह, यह एक बेसिक ..... (व्यवधान)

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): Chairman, Sir, it is not as simple as that.

**श्री सभापति**: आदरणीय, आप विराज जाएं। आपको किसने परमिशन दी ?

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): क्या ज्ञापन देने के लिये परमिशन लेनी पड़ेगी एस पी की? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आसन ने आपकी बात ...(व्यवधान) आसन ने अब आपकी बात कन्वे कर दी, now what more is left?

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): More is……(interruptions)

**श्री सभापति**: I request you, Hon'ble Member…..(interruptions)

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): It is a matter of privilege.

**श्री सभापति**: Please take your seat.

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): It is a matter of privilege. It is not as simple as that Ask for the permission. MLA has been elected by the people, not by these people. How can….(interruptions)

**श्री सभापति**: That has been well said, Sir. I think that it has been conevyed. The issue has been raised under a specific head, which does not allow me to actually grant a debate on it. Thank you very much. Take your seat.

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): It's not a debate.

**श्री सभापति**: It is turning towards the debate. I will not allow. बैठ जाएं आप। आप विराज जाएं। विराजिये। श्रीमती अन्जू खन्गवाल।

# पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

## बस्सी में पेयजल की गम्भीर समस्या

**श्रीमती अन्जू खन्गवाल** (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, मेरे बस्सी क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या है और पूरा क्षेत्र पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रहा है। मेरे क्षेत्र के 485 हैण्ड पम्प नाकारा हैं, 13 बोरवेल भी नाकारा हो चुके हैं जिन्हें तत्काल नये लगाने की जरूरत है। उस पर दूसरी ओर जनता को सरकार की मार सहन करनी पड़ रही है। योजनाओं की प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति विधिवत रूप से पी पी सी 180, 13.10.2008 के अन्तर्गत जारी की गयी थी। उनके टेंडर भी हो चुके, वर्क आर्डर भी हो चुका था लेकिन पता नहीं, किसके कहने से वह काम रोक दिया गया है। मुख्य अभियन्ता के आदेश की पालना में अधिशाषी अभियन्ता, जिला ग्रामीण ने उन

(श्रीमती अन्जू खन्गवाल)

योजनाओं का काम रोक दिया। उक्त योजनाओं में निम्न ग्राम पंचायतें हैं- दूधावाला, गोकुलपुरा, लसाड़िया, ग्राम खोरी, ग्राम बराला, ग्राम कुथाड़कला, ग्राम चित्तौड़ी और ग्राम दामोदरपुरा। यह बहुत ही जरूरी योजना थी जिसको लागू करना बहुत जरूरी है वरना आने वाले वक्त में मेरे लिये क्षेत्र में जाना मुश्किल हो जायेगा। जिस हिसाब से गर्मी आ रही है, मेरा मंत्री महोदय जी से निवेदन है, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि किस कारण से उपरोक्त योजनाओं को रोका गया जबकि इनका वर्क आर्डर हो चुका था?

इस योजना के बारे में मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी को भी लिखित में कई बार अवगत कराया गया है। कृपया इन योजनाओं को तुरन्त लागू करें, ऐसा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री राजेन्द्र सिंह विधुड़ी।

## ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

### चित्तौड़गढ़ में नरेगा के तहत अनियमितताएं

**श्री राजेन्द्र सिंह विधुड़ी** (बेगूं): आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के तहत मैं सरकार का ध्यान वर्ष 2009-10 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत हरित राजस्थान योजना में पौधों की खरीद एवं नरेगा में हुई अनियमितताओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य राजेन्द्र सिंह जी विधुड़ी और 8 अन्य सदस्यों ने नियम 131 के तहत सदन का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि चित्तौड़ जिले में हरित राजस्थान के तहत पौधे खरीदने में गड़बड़ी हुई है। विचारणीय बात यह है कि माननीय सदस्य और 8 अन्य सदस्य जिन्होंने यह मुद्दा उठाया है वे ट्रैजरी बेंचेज के ही हैं।

मैं माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार पहले ही सदन में और सदन के बाहर इस बात को आश्वस्त कर चुकी है कि नरेगा कार्य में भ्रष्टाचार में चाहे कोई बड़े अधिकारी लिप्त हों या छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार की, अनियमितता की शिकायत आती है तो सरकार उन शिकायतों को बहुत गम्भीरता से लेती है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करने की सरकार की मंशा है तथा कार्यवाही कर भी रहे हैं।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

जहां तक चित्तौड़गढ़ जिले में खरीद के सम्बन्ध में ध्यान दिलाया गया है तो मैं यहां सदन में यह जानकारी देना चाहता हूं कि तत्कालीन जिला कलक्टर, चित्तौड़ द्वारा ई जी एस के तहत 36 लाख रुपये के पौधे खरीद परिवहन पर लगाने में व्यय की गयी राशि के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि तत्कालीन जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा हरित राजस्थान कार्यक्रम हेतु किये जाने वाले पौधा रोपण के लिये यह राशि खर्च की गयी थी। पर्याप्त मात्रा

**(समय : 13.00 बजे)**

में पौधे उपलब्ध नहीं होने के कारण एवं निजी नर्सरी द्वारा पौधों की अत्यधिक कीमत मांगे जाने के कारण प्रमुख शासन सचिव वन, प्रमुख वन संरक्षक जयपुर तथा वन संरक्षक से विचार-विमर्श करके मध्य प्रदेश के पड़ोसी जिले रतलाम से वन विभाग मध्य प्रदेश की पौधशाला से सरकारी विक्रय दर से 4,11,133 पौधों का क्रय किया गया जिसका भुगतान जरिये डी डी के राशि रुपये 21 लाख सहायक वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार), रतलाम को किया गया है। उपरोक्त में मध्य प्रदेश के नीमच जिले की हरकियाखाल एवं दूधियाखेड़ी जावरा की पौधशाला से किया गया है। ये दोनों ही सरकारी पौधशालायें हैं। क्रय किये गये पौधों की कीमत प्रति पौधे 4 से 7 रुपये के मध्य थी जबकि दिनांक 2.07.2009 को पौधे खरीद हेतु आमंत्रित निविदा में कीमत प्रति पौधा 70 पैसे से 27 रुपये के मध्य थी। उसके अतिरिक्त वन विभाग की जयपुर जिले की ग्रास फार्म नर्सरी, खातीपुरा से 1 लाख 54 हजार पौधों का क्रय सरकारी विक्रय दर से किया गया जिसका भुगतान राशि रुपये 5 लाख 32 हजार भी जरिये डी डी किया गया है। इस संबंध में यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि तत्कालीन जिला कलक्टर द्वारा उक्त क्रय की प्रक्रिया को दिनांक 23 जून, 2009 एवं 27 जून, 2009 को संपादित किया गया है जो कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 8 जुलाई, 2009 से पूर्व का है। उपरोक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि पौधों की क्रय सामग्री, समस्त भुगतान एक सरकारी संस्थान से दूसरे सरकारी संस्थान के जरिये डी डी से किया है तथा इसकी एवज में पौधों की आपूर्ति भी हुई है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया यह कहना न्यायोचित नहीं होगा कि पौधे क्रय में कोई वित्तीय अनियमितता की गयी है।

सभापति महोदय, माननीय विधायक-गणों द्वारा पौधों के परिवहन एवं रोपण के संबंध में भी वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया है। जहां

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

तक पौधों के परिवहन का प्रश्न है, यह स्पष्ट जानना उचित होगा कि तत्कालीन जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अधिकारीगण तथा कार्यक्रम अधिकारी को यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि पौधों को नर्सरियों से पंचायत समिति मुख्यालय तक के परिवहन का कार्य नियमानुसार समिति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित कर तदनुसार कार्यवाही की जाये। पौधारोपण की कार्यवाही नरेगा श्रमिकों द्वारा दैनिक मजदूरी के आधार पर की गयी है जिसका भुगतान श्रमिकों के खाते में किया गया है। अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में परिवहन एवं पौधारोपण में प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता नहीं पायी जाती है।

सभापति महोदय, इसमें किसी प्रकार भी जिला कलक्टर के स्तर पर अनियमितता नहीं की गयी है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जिला कलक्टर जो जिले का डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर है, अगर उसके द्वारा अनियमितता की जाती है जैसी कि शिकायतें आयी हैं, सरकार की कोई मंशा नहीं है कि उनको बचाया जाये। सरकार का प्रयास...

**श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी** (बेगूं): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी बात...

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अब सुनिये मेरी बात।

**श्री सभापति**: मंत्री महोदय जब कम्प्लीट कर लें उसके बाद में बोलना। मैं आपको अवसर दूंगा। मंत्री महोदय को कम्प्लीट कर लेने दें। जो आपकी क्वेरी हो वह आप पूछ लेना।

**श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी** (बेगूं): एक सेकंड सर, मंत्री महोदय ने सदन को गुमराह किया है।

**श्री सभापति**: आप एक बार मंत्री महोदय को कम्प्लीट कर लेने दें।

**श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी** (बेगूं): गुमराह किया है।

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि कितना ही बड़ा अधिकारी हो या छोटा अधिकारी हो, उसमें सरकार किसी को भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखती है। मगर सरकार का यह भी प्रयत्न होगा कि अगर कोई शिकायत असत्य है तो किसी भी अधिकारी को हम कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

इस प्रकरण में कहीं भी अनियमितता नहीं की गयी है बल्कि कलक्टर ने पूरे नियमों की पालना करके सरकारी नर्सरी से कम दामों पर, जहां कुछ कलक्टरों के अधिक दामों पर खरीदने की बात है, चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन जिला कलक्टर ने किसी भी खरीद में अनियमितता नहीं की है। अगर कोई तथ्य सामने आयेंगे, कोई भी सदस्य किसी भी अनियमितता की जानकारी सामने लायेंगे तो निश्चित रूप से गहराई से उसकी जांच करके कार्यवाही की जायेगी। मगर इस प्रकरण में मैं फिर स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की है। कलक्टर को दंडित करना या उसको आरोपित करना, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है।

**श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी** (बेगूं): सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि 3 रुपये की दर से पौधे खरीदे गये हैं लेकिन इसमें 2 पर जहां कार्यालय टिप्पणी की गयी है, 14 हजार पौधे 8 रुपये की दर से खरीदे गये हैं और पौधा खरीद जिला कलक्टर, वन अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कमेटी द्वारा की जायेगी। खरीदे गये पौधों की लंबाई भी इसमें 3 फीट आवश्यक रूप से होनी चाहिए। वहां पर पौधा लगेगा कहां, उसकी धरती, जमीन की भी जांच होनी चाहिए। अगर पौधे हमारे यहां पर नहीं हैं तब खरीदने चाहिए।

अभी मंत्री महोदय जी ने यह कहा कि कहीं भी कलक्टर ने घोटाला नहीं किया है, नरेगा नियम के तहत श्रम और सामग्री जिसमें 60 प्रतिशत श्रम होता है और 40 प्रतिशत सामग्री होती है लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले में राशमी के अन्दर 59 प्रतिशत सामग्री, निम्बाहेड़ा में 50 प्रतिशत, कपासन में 59 प्रतिशत, गंगरार में 62 प्रतिशत, चित्तौड़गढ़ में 46 । सामग्री का नरेगा का कानून, एक्ट है, एक्ट के वायलेशन के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो हमारी माननीय नेता सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह जी ने और राहुल जी ने नरेगा योजना बनाकर के भूख से गरीबों को बचाने का काम किया, इसी के अन्दर सामग्री खरीद में जो घोटाला हुआ है चित्तौड़गढ़ जिले के अन्दर, यह सारे मेरे पास पेपर हैं, यह इनकी कार्यालय की टिप्पणी है कि इन्होंने ऐसा घोटाला किया है। किस आधार पर मंत्री महोदय कलक्टर को क्लीन चिट दे रहे हैं? या तो ये गलत है या सदन को गुमराह कर रहे हैं। एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी रोजगार की योजना चालू है और इस तरह से सदन के सामने गुमराह करना गलत है। 3 रुपये से जब

(राजेन्द्र सिंह विधूड़ी)

पौधे मिले, 8 रुपये का 3 रुपये है, 1 लाख 40 हजार पौधे, और 14 हजार पौधे 8 रुपये से हैं। क्या आप यह बतायेंगे कि पौधे के मापदंड के लिए क्या टेलीफोन पर आर्डर होते हैं? लिखित में आदेश होना चाहिए कलक्टर के पास। आप भ्रष्ट अधिकारियों को बचाकर इतनी बड़ी योजना को जो राहुल गांधी, सोनिया जी और मनमोहन सिंह ने इस देश के गरीब लोगों के लिए दी है, ऐसे अधिकारियों को प्रोटेक्ट करके आप इस योजना को फेल करना चाहते हैं और सदन को भी जिस तरीके से...

**श्री सभापति**: आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें। आपकी कोई क्वेरी है, आपके वक्तव्य के बाद में मन में कोई बात ऐसी रह गयी है तो आप वह स्पेसिफिक क्वेरी कर लें।

**श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी** (बेगूं): सभापति महोदय, ट्री गार्ड के अन्दर भी, जो पौधों के ट्री गार्ड हैं, उसके अन्दर भी एक-एक करोड़ रुपये का घोटाला किया है। आप उसकी जांच करके बतायें, ट्री गार्ड में निविदा, टेंडर के बगैर कोई भी पौधा नहीं खरीद सकता है। इसमें खुद लिखा है, इनके कार्यक्रम अधिकारी...

**श्री सभापति**: आप विराज जायें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, एक मिनट।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय...

**श्री सभापति**: One at a time. He may get confused. One at a time. एक बार आप सवाल पूछ लें।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): उन्होंने कर लिया। अब, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, मेरे को अनुमति दे दें आप। पहले मेरे को अनुमति दी है।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, ...

**श्री सभापति**: आप विराज जायें ना। The House is not going to run anywhere. One at a time. आदरणीय सदस्य की जो क्वेरी है अगर उसके बारे में आप बोलें।

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पौधों की खरीद के बारे

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

में है। मैंने विस्तार में उसका उत्तर दे दिया है। पौधों की खरीद में कहीं भी अनियमितता नहीं हुई है। सरकारी नर्सरी से खरीदे हैं। जो राजस्थान में उपलब्ध नहीं थे तो मध्य प्रदेश की सरकारी नर्सरी से खरीदे हैं और डी डी से पैसा दिया है। रहा सवाल इन्होंने सामग्री खर्च और उसके बारे में अगर यह कोई और तथ्य सामने लायेंगे तो उसका मैं अलग से जवाब दूंगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उसका उल्लेख करते तो उसका भी मैं जवाब देता।

अब ये ट्री गार्ड के संबंध में बात कर रहे हैं। जिला कलक्टर ने अपने स्तर पर कोई खरीद ट्री गार्ड की नहीं की है। ट्री गार्ड की पंचायत समिति के स्तर पर अलग-अलग पंचायत ने उसको अपने टेंडर देकर के कहीं ट्री गार्ड लगाये हैं। वह एक अलग प्रश्न है। अगर उसमें कोई तथ्य सामने लायेंगे कि कोई दोषी है तो सरकार के लिए उसको बचाने का कोई काम नहीं है। तथ्य सामने लायें, हम जांच करवा देंगे।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, स्पेसिफिक क्वेश्चन है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सही है कि पौधों की अवैध खरीद कहूं या अनियमितता कहूं, उसके बारे में आपके ई जी एस के सहायक अभियंता ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कोई जांच की जो जांच रिपोर्ट 30.03.2010 को आपको प्राप्त हुई? वह जांच रिपोर्ट यह कहती है कि आपके द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना करके 36 लाख के पौधे खरीदे गये। क्या आपको उस रिपोर्ट के बारे में मालूम है, जो जांच रिपोर्ट 30.03.2010 को की गई? इसमें साफ लिखा है कि पौधों की खरीद में अनियमितताएं की गईं।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): मैं भी मेरी क्वेरी कर लेता हूं।

**श्री सभापति**: Both are the same.

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, इसके बाबत मंत्री महोदय के जवाब में आया है, वे यह कहते हैं कि कार्यालय टिप्पणी को हम जांच रिपोर्ट नहीं मान सकते। इसके अधिकारी काम करें, सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं। ई जी एस का कार्यक्रम समन्वयक अगर यह कहता है कि 30 मार्च के दिन यह अनियमितता का मामला है, 36 लाख रुपए के गबन का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है; मंत्री महोदय जवाब में भी लिख रहे हैं कि चूंकि

(डा. रघु शर्मा)

यह जवाब मिला 30 तारीख को, ई जी एस की जो यह कार्यालय टिप्पणी है, जिलाधीश को मिली है 30 तारीख को, 1 तारीख को यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया इसलिए मैं 2 तारीख को जवाब दे रहा हूं। जवाब में ये खुद भी मान रहे हैं, उसके बावजूद भी क्लीन चिट दे रहे हैं, यह अफसोस का विषय है। (व्यवधान) लेट मी कम्प्लीट।

**श्री सभापति**: मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 131 does not allow me to keep it on as debate. You had a specific query. Please keep your comments to yourself. They will not be accepted by the Chair under rule 131 of Rules.

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, 30 तारीख की रिपोर्ट की जो बात कर रहे हैं वह रिपोर्ट मेरे पास है और वह रिपोर्ट, आज 2 तारीख है, दो-तीन दिन पहले ही और इसमें...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): लास्ट पैराग्राफ पढ़ कर सुना दीजिए, सदन खुश हो जाएगा।

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मुझे मालूम है इसके बारे में। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय मंत्रीजी फरमा रहे हैं।

**श्री भरत सिंह कुन्दनपुर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सदन को मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि इस विधान सभा के चलने का आज आखरी दिन है। मैं जिस क्षेत्र से माननीय सदस्य विधायक हैं, उस क्षेत्र का प्रभारी मंत्री भी हूं, किसी भी सदस्य को अगर इसके बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में मुझे कहीं भी कोई सदस्य, इसकी जानकारी देता है तो मैं पूरे विस्तार से जानकारी..। सदन में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है, पूरी जानकारी प्राप्त करके सदन को मैं फिर कह रहा हूं कि कहीं भी, किसी भी स्तर पर उस समय के जिला कलक्टर ने कोई गड़बड़ी नहीं की, सरकारी नर्सरी से की। मैं यहां पर किसी जिला कलक्टर के, किसी काम की, उसकी गलती के लिए दण्डित करने की बात कहूंगा तो उसको प्रोटेक्शन भी दूंगा, अगर वह उसका दोषी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है और वह जिला कलक्टर बधाई का पात्र है, जिसने निजी नर्सरी से नहीं खरीद कर सरकारी नर्सरियों से खरीदें हैं और किसी प्रकार

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

की, जो दूसरे कलक्टरों ने महंगी दरों पर खरीदें हैं उसने उस दर से बिलो पर खरीदें हैं। इसलिए इसके बाद क्या जांच करना उस कलक्टर की?

**श्री सभापति**: इस पर चर्चा समाप्त। श्री कालीचरणजी सर्राफ।

## जलमहल झील, जयपुर को निजी कम्पनी को लीज पर दिया जाना

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत जयपुर की धरोहर मानसागर झील, जल महल को निजी कम्पनी को लीज पर दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में पर्यटन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

**श्री सभापति**: माननीय मंत्रीजी।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री कालीचरण सर्राफ एवं अन्य सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विषय जयपुर की धरोहर मानसरोवर झील को किसी निजी कम्पनी को लीज पर दिए जाने के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी...

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): सही तो पढ़ो, मानसरोवर नहीं है, मानसरोवर अलग है, मानसागर है उसका नाम।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): मानसरोवर अलग है, मानसागर है यह झील।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): मानसागर है झील आप गलत क्यों पढ़ रहे हो?

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मानसागर, मानसागर, मानसागर। अब सही है?

इससे पहले माननीय सभापति महोदय, मैं अर्ज करना चाहती हूं कि शहर में एक मेरे कत्ल के वास्ते, इन कातिलों की सियासत जरा देखिए, गृह मंत्रीजी, सुन तो लो सही। (व्यवधान)

शहर में एक मेरे कत्ल के वास्ते

(श्रीमती बीना काक)

इन कातिलों की सियासत जरा देखिए
दुश्मनों को तो बंदूक-तलवार थमा दी
दोस्तों को भी खंजर थमा दिए गए।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): कातिल किसको बताया आपने? हमको?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यह पुरानी बात है।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): सदन में तो कातिल आप हो और बाहर जगदीश कातिल है।

**श्री सभापति**: माननीय मंत्रीजी, आप किसकी इजाजत से खड़े हुए?

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): यह प्रिविलेज है सबका।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): तो जो कत्ल हो रहा है, माननीय सभापति महोदय, यह इस वक्त मैं नहीं, राजस्थान की धरोहर ...(व्यवधान) शेर को फिर पढ़ूं?

शहर में एक मेरे कत्ल के वास्ते
इन कातिलों की सियासत जरा देखिए
दुश्मनों को तो बंदूक-तलवार थमा दी
दोस्तों को भी खंजर थमा दिए गए।

तो यह जो कत्ल है, यह मेरा नहीं, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जो धरोहर है, राजस्थान में खास तौर से जयपुर, जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी का दर्जा हम देने जा रहे हैं, एक ऐसा उदाहरण इस जल महल प्रोजेक्ट के रूप में देने जा रहे हैं, उसका कत्ल करने की यह जो मुहिम चली है, उससे मुझे बहुत अफसोस है और मैं इसको एन्डोर्स करना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है, इसकी तो तारीफ होनी चाहिए थी, इस प्रोजेक्ट के कंसेप्शन से लेकर इसकी प्लानिंग और जो जयपुर को नायाब अनूठा प्रोजेक्ट देने की जो कवायद हुई, कुछ काम को, मैं वापस कहना चाहती हूं, जो अच्छे हुए, उनमें से, माननीय सभापति महोदय, यह भी है।

(श्रीमती बीना काक)

यह शुरू होता है जब मेयर, दी देन मेयर, जे डी ए के जो सदस्य हैं, उन्होंने एक बार यह मामला उठाया था कि जल महल जो इतना खूबसूरत एरिया है, एक डम्पिंग यार्ड बन गया है। यह एक खूबसूरत मोन्यूमेंट है, भारत वर्ष आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है और जो पर्यटक जयपुर आता है वह आमेर अवश्य आता है। आमेर से आने जाने वाले पर्यटकों को, आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक बार जो त्राहि-त्राहि मच गई थी, गंदगी का सैलाब वहां उठता था, दुर्गन्ध से मन खराब होता था और आप और हम सब जानते हैं कि जल का पेटा था, पानी का तालाब था, वह डम्पिंग यार्ड बन चुका था। वहां दलदल इकट्ठा रहता था, उसके साथ ही वहां मरे हुए जानवरों को भी डाल दिया जाता था, लोगों को पाखाना जाने की जगह भी वहीं मिलती थी।

**(समय : 13.18 बजे)**

**(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)**

माननीय सभापति महोदय, उस वक्त एक आइडिया कंसीव हुआ, इसे कंजर्व करने का प्रोजेक्ट बनाया गया, पी डी कोर ने इसका प्रोजेक्ट बनाया और इसकी प्रोसेस शुरू हुयी। यह तीन सौ एकड़ के क्षेत्र में 18वीं सदी में निर्मित जयपुर की एकमात्र जल संरचना है और यही एक ऐसा जल स्रोत है जिसको प्रोटेक्ट करने की, कंजर्व करने की, इसको खूबसूरत बनाने की यह योजना बनाई गई। यह लेक वर्षों से सड़ रही थी, इसके पानी की गुणवत्ता कम हो गई थी और सीवर लाइनें सब अन्दर आने लग गई थीं, इसमें पानी खराब हो रहा था।

दी देन जो तब के मेयर थे, सन् 1971 में भी एक मास्टर प्लान बनाया गया था जिसमें जलमहल के विस्तार की बात की गई थी। "A size-able area of about 200 acres along with South and West side of Jalmahal Lake shall be developed for provision of various tourists facilities." उस वक्त की दूरदर्शिता थी। "A 5 starred hotel, tourist bungalows, holiday cottages and other tourists facilities shall be provided in this area. At present this land is almost vacant and offers excellent opportunities for the development because of its obvious location advantages between the Amber and Wall and City of Jaipur Jalmahal Palace, the lake, vacant land near it and the hills all-round offer a very unique opportunity for development of this area in an integrated manner, providing for full range of tourist facilities. This locational advantage

(श्रीमती बीना काक)

shall be fully developed". यह 1971 के अन्दर सोच लिया गया कि जयपुर को ट्यूरिज्म का डेस्टिनेशन बनाना है और उनकी दूरदर्शिता की दाद देती हूं जिन्होंने उस वक्त भी और यह उन्हीं की कापी है जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाई है।

पी पी पी मोड पर 2002 में इसकी प्रोसेस शुरू हुई और 2003 में इसकी निविदाएं आमंत्रित की गई। 5 सितम्बर को सभी निविदाएं मिलीं, 2003 को और 3 फर्मों को तकनीकी रूप से असेप्ट किया गया। केजी कंसोर्टियम, जेएम प्रोजेक्ट्स आन सीडीआरसीआईडीईएस इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। सबसे हाई बिडर इसमें थे वे केजीके कंसोर्टियम थे और सफल निविदादाता से आर टी डी सी द्वारा दिनांक 22.11.2005 को 99 वर्ष की अवधि के लिए इनके साथ अनुबंध किया गया। 22.11.2005 को राजस्थान सरकार द्वारा इसकी अनुमति दे दी गई और निजी जो यह निविदा, ये विकासकर्ता थे, उनको दो चरणों में यह कार्य करना था। पहला था प्लान बनाना, नक्शे वगैरह अप्रूव करवाना, उसको जे डी ए में देना और दूसरा, अनुमोदन के पश्चात् 2010 तक इसका कार्य पूरा कर देना।

यह जो बात इसमें पहली कही गई है कि राज्य सरकार द्वारा मानसागर झील को विकसित करने हेतु निजी कम्पनी को लीज पर दिया गया, तो, माननीय सभापति महोदय, झील को विकसित करने के लिए कम्पनी को लीज पर नहीं दिया गया, झील को विकसित करने के लिए लेकिन झील के बाहर जो जमीन थी जो कैचमेंट नहीं था, यह जमीन नगर निगम के स्वामित्व की थी, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं सार्वजनिक विभाग के स्वामित्व की यह जमीन थी जिसे लीज पर दिया गया है। इन तीनों से जमीन को हस्तांतरित किया गया आर टी डी सी को और जलमहल परियोजना की इस खूबसूरत परियोजना ने जन्म लिया। एक उदाहरण साबित होने के लिए पी पी पी मोड के ऊपर यह शुरू हुई।

उसी दौरान 2005 में ही, 10.12.2005 को एक और सिंचाई विभाग के साथ अनुबंध हुआ जो कि जनमंगल ट्रस्ट के साथ अनुबंध हुआ। उसमें भी पी पी पी मोड पर जलमहल बांध की पार्किंग, वाक-वे को डवलप करना, गार्डन, लाइट्स, सीढ़ीयों का रखरखाव, रेस्टोरेंट्स और कैफेटेरियाज के लिए इनके साथ में अनुबंध किया गया, जनमंगल ट्रस्ट के द्वारा। कुछ काम पाल पर बुर्ज वगैरह का भी इन्होंने कर दिया है।

(श्रीमती बीना काक)

यह सारा काम हो रहा था जयपुर को एक ट्यूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डवलप करने का। जयपुर में जो आज ट्यूरिस्ट आते हैं वह एक या दो दिन रुककर के चले जाते हैं लेकिन जो सोच थी कि ट्यूरिस्ट का ठहराव जयपुर के अन्दर ज्यादा से ज्यादा हो इसलिए इस प्रोजेक्ट को आयाम दें। इस प्रोजेक्ट के अन्दर होटल बनने हैं, स्पॉ बनने हैं, थियेटर, छोटे, बड़े नहीं, एमपी थियेटर, वगैरह जो लोगों को देखने के लिए बनें, क्राफ्ट बाजार बनेगा, एथनिक विलेज की भी शेप दी जाएगी, कंवेंशन सेंटर होगा क्योंकि आज बिड़ला आडिटोरियम और होटल के छोटे, क्या कहते हैं, कंवेंशन सेंटर के अलावा इतनी कांफ्रेंसेज राजस्थान के अन्दर होने लग गयी हैं कि रिक्वायरमेंट अब और बढ़ गई है, कमरों की और कंवेंशन हाल्स की भी। तो कंवेंशन हॉल भी बनाने की इनकी योजना है, बोट हाउस बनाने की योजना है और छोटे रिजोर्ट अन्दर बनाने की योजना है। ये उसी जगह पर जो जे डी ए, नगर निगम और पी डब्ल्यू डी के स्वामित्व की जमीन है, ना कि तालाब का पेटा, ना कि तालाब का कैचमेंट एरिया। माननीय सभापति महोदय, ......(व्यवधान) जी नहीं। जो भी टर्म्स एंड कंडिशंस थीं, उनकी शर्तों के अनुसार यह कार्य करवाया जाएगा। झील का कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है बल्कि, माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहती हूं कि झील की आवक है पानी की, उसमें सुधार हुआ है।

समय की आवश्यकता देखते हुए एक रिवाइज प्लान इस कम्पनी ने हमें दिया। जब हम सरकार में आए, माननीय सभापति महोदय, पीडी कोर और आर टी डी सी ने उसका परीक्षण करके और जो मास्टर प्लान रिवाइज्ड था, 2007 में राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु पहले तो उन्हें भिजवाया लेकिन वह पत्रावली 2007 और 2009 के बीच में इधर-उधर चलती रही, न जाने क्या कारण थे कि जो काम जल्दी होना चाहिए था, उन्हीं के कराये हुए कामों का, वह त्वरित गति नहीं पकड़ सका। तो फिर यह निगम से सरकार में 10.9.2009 को पुन: भेजी गई और यह जो रिवाइज्ड प्लान था, जो नियम बने हुए थे, जो टर्म्स एंड कंडिशंस बनी हुई थीं, अगर इन्होंने होटल बनाने की, होटल के कमरे में इजाफा करने की या और एक-दो कुछ और चेंजेज करने की अनुमति मांगी तो वह परमिसिबल लिमिट और अलाउएबल लिमिट थी, उसके तहत ही थी। केजीके कंसोर्टियम ने कुछ अच्छे काम वहां किये। जो रिवाइज्ड प्रपोजल था, उसमें मल्टीप्लेक्स इन्होंने मांगा लेकिन मल्टीप्लेक्स चूंकि शहर में बहुत हो गये हैं, मल्टीप्लेक्स को इन्होंने स्वयं ही हटाने की मांग की; गो-

(श्रीमती बीना काक)

कार्टिंग जो कि मेल नहीं खाती थी, राजस्थान की पुरा-सम्पदा और ऐतिहासिक महत्व की चीजों के बीच, इसमें गो-कार्टिंग करना तो उन्होंने स्वयं ही हमें प्रपोजल दिया कि ये ठीक नहीं लगता कि गो-कार्टिंग यहां हो तो हम गो-कार्टिंग भी नहीं करना चाहते हैं। आने वाले समय में जैसे कामनवैल्थ गेम्स आ रहे हैं, कमरों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह अगर फुटबाल वहां का यहां आता है और अगर यहां से लोग इंशा-अल्लाह जरूर खुश होकर जाए ट्यूरिस्ट उस दौरान, तो उम्मीदें और बनेंगी कि इस तरह के इंटरनेशनल कार्यक्रम हम राजस्थान में और खास तौर से जयपुर में करवा सकें। तो कमरों की भी अवेलेबिलिटी होती है। It is becoming a wedding destination. अलग-अलग तरह के इवेंट्स यहां पर हो रहे हैं और दुनिया भर के लोग यहां कमरे चाहते हैं और आना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कुछ कमरों को बढ़ाकर के कुछ कमरों में इजाफा मांगा, जो परमिसिबल एरिया में था।

एक और चीज मैं कहना चाहती हूं, माननीय सभापति महोदय, कि इनिशियली इन्होंने 30 एकड़ जमीन मांगी थी होटल्स वगैरह के लिए और ये कंक्रीट काम के लिए और अब इन्होंने उसे घटाकर के 29.30 की मांगी है। यानी कि 0.70 एकड़ क्षेत्र कम कर दिया है। बिल्ट-अप एरिया भी पहले 32,515 स्क्वायर मीटर मांगा था इनिशियली, इसको भी इन्होंने घटाकर 32,185 ही कर दिया। यानी कि 330 स्क्वायर मीटर कम कर दिया है। टोटल सौ एकड़ में 55,179 स्क्वायर मीटर बिल्ट-अप एरिया था जो अब रिवाइज्ड प्लान में 54,220 स्क्वायर मीटर प्रस्तावित हुआ है। यानी कि करीब 959, एक हजार कम कर दिया गया है। पेटे की जमीन जितनी थी, उससे अब, माननीय सभापति महोदय, अधिक है। उन्होंने अपने सौ एकड़ के हिस्से में से भी तालाब के लिए जमीन छोड़ी है। माननीय सभापति महोदय, तालाब की जमीन कहीं कम नहीं हुई है। करीब 45 करोड़ लेक रेस्टोरेशन के लिए, मोन्यूमेंट रेस्टोरेशन के लिए, इत्यादि केजीके जो वहां काम कर रहे हैं, उन्होंने भी किये हैं और गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से भी करीब 26 करोड़ के वहां पर काम करवाये गये हैं। जो रिक्वेस्ट आफ प्रपोजल प्रारम्भ में मिला था, वह बिलकुल एब्सोल्यूटली ट्रांसपेरेंट था; टर्म्स एंड कंडिशंस, बिलकुल उनका कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, कहीं अनियमितता नहीं हुई है; निविदा की जो कांट्रेक्ट की शर्तें थीं, उन्हें भी कहीं पर वायलेट नहीं किया गया है।

(श्रीमती बीना काक)

यह एक बहुत ही, what do you call it, as a prestigious project, माननीय सभापति महोदय, बनने वाला है। तो यह जो माननीय सदस्यों की चिंता है, वह मैं सोचती हूं कि कोई जायज नहीं है। इसका उन्हें सबको एक साथ मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। 15 साल पहले जब मैं उधर से निकलती थी तो मारे सड़ांध के, बदबू के उधर से निकला नहीं जाता था। लोग भी वहां के चिंतित थे। तो गवर्नमेंट तो एक फेसिलिटेटर के रूप में काम करना चाहती है! माननीय सभापति महोदय, इंवेस्टमेंट को एंकरेज हम करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इंवेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के इस झील को खूबसूरत बनाएं, नेशनल लेवल के ऊपर यह उदाहरण बने। जैसा कि एन्वायरनमेंट मिनिस्ट्री ने दी देन चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर के प्रपोजल को देखकर के लिखा है जिसका मुझे फक्र है कि मैं आज इसको एंडोर्स कर रही हूं, इस प्रोजेक्ट को, साफ लिखा है "As you may be aware that we have recently approved project for restoration of Mansagar lake in Jaipur city based on the proposals submitted by the Government of Rajasthan. The project document and structure, as developed by PDCOR Ltd., has served as a benchmark for developing sustainable lake restoration project on a public-private-partnership model. You will be pleased to know that we are recommending a similar approach to other states for lake conservation projects." तो क्या बात कर रहे हैं आप?

माननीय सभापति महोदय, मेरे ख्याल से अब कोई सवालों का न तो कोई औचित्य रह गया है और न ही कोई गुंजाइश रह गई है। आप इसे करिये। मैंने साफ कह दिया है कि it is a prestigious project, यह जयपुर की खूबसूरती में चार चांद लगायेगा, कहीं कोई वायलेट नहीं किया जायेगा और यह आने वाले समय में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जयपुर को विकास की राह दिखायेगा, यहां के लोगों को रोजगार देगा, यहां के लोगों के लिए बेशुमार रास्ते खोलेगा।

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है। 131 में मेरा भी लगा हुआ है। दोनों का है। मैं छोटा हूं इनसे।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): पहले मेरा है साहब। यह क्या हुआ? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: एक तो बोलो। दोनों क्यों खड़े हो? आप दोनों विराजो।

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): ...... इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरा भी लगा हुआ है, उनका भी लगा हुआ है।

**श्री सभापति**: विराजो तो सही।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): जो मूल प्रस्तावक है, उसको बोलने दो।

**श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): हमारा प्रोजेक्ट तो था, 2002 से शुरू हुआ है, ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजिये, माननीय सदस्य। मैंने आपको अलाऊ नहीं किया है। आप विराजो।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं यह सोच रहा था कि पर्यटन मंत्रीजी बहुत ही जिम्मेदार, समझदार और बहुत पुरानी मंत्री हैं पर इन्होंने जो मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब यहां दिया है, इससे निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि इतना गैर जिम्मेदाराना, इतना वाहियात और सदन को गुमराह करने वाला है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने पहली बात यह कही कि जल महल स्मारक और झील को कोई नुकसान नहीं होगा। बड़ी मासूमियत के साथ इन्होंने यह बात कही पर मैं पर्यटन मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जल महल स्मारक में लिफ्ट बनी या नहीं बनी, टायलेट्स का निर्माण हुआ या नहीं हुआ? वहां जो चूने की टाइल्स थीं, जो फर्श था उसको हटाकर के मार्बल की टाइल्स लगाई गईं या नहीं लगाई गईं? वहां जालियों को हटाया गया या नहीं हटाया गया? आपने कहा कि झील को कोई नुकसान नहीं होगा, झील की भराव क्षमता में 160 बीघा जमीन पर मिट्टी का भराव करके दीवार बनाकर आज जिस तरीके से उसको रोका गया है, मैं जिम्मेदारी के साथ यह कह रहा हूं कि आज केवल 1/3 हिस्सा जल महल की भराव क्षमता का रह गया है। आप कह रही हैं कि झील को कोई नुकसान नहीं होगा। इससे ज्यादा भ्रामक और गैर जिम्मेदाराना बयान और कोई हो नहीं सकता।

माननीय सभापित महोदय, यह बात सही है कि जयपुर शहर में पर्यटक लाखों-लाखों की संख्या में जो आते हैं वे यहां आमेर का किला देखने के लिए आते हैं, वे जयगढ़ का किला देखने के लिए आते हैं, वे हवामहल देखने के लिए आते हैं, जल महल का जो प्राकृतिक सौन्दर्य है, वहां जो झील में लबालब पानी भरा रहता है उसको देखने के लिए आते हैं। आज वहां वे फाइव स्टार होटल में ठहरने के लिए नहीं आते। आज फाइव स्टार होटल तो जयपुर शहर में और भी कहीं बन सकता है।

(श्री कालीचरण सराफ)

माननीय सभापति महोदय, मैं अब डायरेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि जब पिछली सरकार के समय बिड के आधार पर केजीके कंसोर्टियम कम्पनी को 99 साल की लीज पर इस शर्त के साथ कि जल महल के मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं की जायेगी और इसके बाद निजी कम्पनी द्वारा राज्य सरकार से, मतलब जब इनको लीज पर दे दिया उसके बाद निजी कम्पनी द्वारा राज्य सरकार से परिवर्तन के लिए निवेदन करने के बावजूद 10 अक्टूबर, 2007 को चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई और जो कम्पनी ने मोडिफिकेशंस चाहे थे उन पर उस हाई पावर कमेटी ने विचार किया और उसमें यह तय किया कि सरकार का कोई राजस्व बढ़ नहीं रहा, जनता की सुविधा में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, यदि मूल स्वरूप को उनके द्वारा जो मोडिफिकेशन के लिए दिया गया, उससे केवल प्राइवेट डवलपर्स को लाभ होगा और झील का मूल स्वरूप बिगड़ जाएगा। इसलिए उस कमेटी ने सी.एस. की अध्यक्षता में जो हुई, उसने मना कर दिया कि आपके लिए मोडिफिकेशन अलाऊ नहीं है। माननीय मंत्रीजी बतायें कि क्या कारण रहे कि आपकी सरकार आने के बाद हमारी पर्यटन मंत्रीजी के निर्देश से 7 सितम्बर, 2009 को पुनः सी.एस. की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की मीटिंग बुलाने के आपने निर्देश दिये? 10.9.2009 को सी.एस. की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में आपके निर्देश से प्राइवेट डवलपर्स को चाही गई मोडिफिकेशन की स्वीकृति दे दी गई। जनता की सुविधाएं कम कर दी गईं, सरकार की रेवेन्यू में कोई इजाफा नहीं हुआ और प्राइवेट डवलपर्स की आमदनी में डबल से ज्यादा फायदा हो गया। क्या हुआ? होटल के कमरों की संख्या, इन्होंने कहा कि कुछ संख्या बढ़ा दी, होटल के कमरों की संख्या पहले जो 200 थी वह 435 कर दी। उसके बाद आपने फिर गलत जवाब दिया। रिसोर्ट होटल का बिल्ट-अप एरिया 11,500 स्क्वायर मीटर था उसको बढ़ाकर के आपने 32,185 स्क्वायर मीटर कर दिया। इतना ही नहीं, टोटल रिवाइज्ड मास्टर प्लान 55,189 स्क्वायर मीटर से ज्यादा किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, यह पहले मास्टर प्लान था, तो उसको रिवाइज्ड मास्टर प्लान में 1,25,000 स्क्वायर मीटर उसको निर्माण की अनुमति दे दी। यह भी इन्होंने भ्रामक यहां पर जवाब दिया। जब वह सी एस की मीटिंग हो गई तो आनन-फानन में 14.9.2009 को हमारे पर्यटन मंत्रीजी ने इस निर्णय को एप्रूव कर दिया और उन्होंने क्या लिखा नोटशीट पर वह भी मैं आपको बताना चाहूंगा।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, स्पेसिफिक प्रश्न करें, डिबेट थोड़ी है।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): ठहरो। इन्होंने कहा, देखिये, आप इनकी जल्दबाजी, सुनिये आप।

**एक माननीय सदस्य** : मैच फिक्सिंग हो गया क्या?

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): सभापति महोदय, सदन को गुमराह, यहां पर भ्रामक जवाब दिया इसलिए मैं बताना चाहूंगा। इन्होंने पहले 7 सितम्बर, 2009 को तो लिखा कि "CS may like to hold a meeting of all concerned departments." 10 तारीख को इनके निर्देशानुसार मीटिंग हो गई और फैसला कर दिया। उसके बाद इन्होंने एप्रूवल में क्या लिखा, वह भी सुन लीजिये। "The minutes of all the meetings approved I regret …."

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आप कुछ स्पेसिफिक पूछो। क्लेरिफिकेशन पूछो आप। आप तो भाषण दे रहे हैं।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): यह स्पेसिफिक जो बात है वह तो बतानी ही पड़ेगी। इन्होंने भ्रामक बताया है, उसका जवाब देना पड़ेगा। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजो। माननीय सदस्य, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, उसमें सरकार का ध्यानाकर्षित कर देंगे। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): ध्यानाकर्षित ही कर रहा हूं, आप विराजें। आप विराजें। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप कोई स्पेसिफिक क्लेरिफिकेशन हो तो कहो। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): प्लीज, दो मिनट। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): ये तो पूरा जयपुर ही बेच रहे हैं। पूरे जयपुर को गिरवी रख रहे हैं।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): "I regret … unusually long ….. to reach a decision …"

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, पहले तो इन्होंने बेच दिया और फिर बचा-खुचा ये बेच रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): सुनिये। "I hope and expect that the department will now pull up its socks and get down to implementing the projects in the shortest possible time. I do not want any obstacles, hurdles being placed in the way of implementation." मैं यह बताना चाहता हूं।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, कोई क्लेरिफिकेशन हो तो आप मांग लो। विराजो-विराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें।

**एक माननीय सदस्य** : यह 200 करोड़ का मामला है। (व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, 131 का खा. (2) में स्पष्ट है कि मंत्री का ध्यानाकर्षित करते समय अपने प्रस्ताव का वाचन करेगा और मंत्री वक्तव्य देगा। उसके बाद वह सदस्य जिसने सूचना दी है और कोई अन्य सदस्य जिसने अध्यक्ष को पूर्व प्रज्ञापना दी है मंत्री से स्पष्टीकरण चाह सकते हैं परन्तु कोई विचार-विमर्श नहीं होगा। (व्यवधान) यह स्पष्ट है कि किसी को... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजें।

**एक माननीय सदस्य**: मिसलीडिंग जवाब दे रहे हैं इसलिए लम्बा बोल रहे हैं। मिसलीडिंग जवाब दिया है इसलिए लम्बा बोल रहे हैं। लम्बा बोलना आवश्यक है। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): जवाब तो लूंगा मैं। जवाब तो लूंगा। नहीं लूंगा क्या? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजो।

**श्रीमती बीना काक** (पर्यटन मंत्री): मैं जवाब दे रही हूं।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): मैं पहले पूरी बात पूछ लूं, एक साथ जवाब दे देना।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): कोई स्पेसिफिक प्रश्न पूछ लें, आप तो डिबेट कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजिये, माननीय सदस्य। आप विराजो।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने जो नोटशीट पर लिखा, सी.एस. को निर्देश दिया, सी.एस. की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और उन्होंने जो मोडिफिकेशन किया, बिल्ट-अप एरिया बढ़ा दिया, वह आपने बता दिया कि 11,500 वर्गमीटर से 32,185 वर्गमीटर कर

(श्री कालीचरण सराफ)

दिया; 200 की जगह 435 कमरे कर दिये; 1.25 लाख वर्गमीटर का रिवाइज मास्टर प्लान उन्होंने पास कर दिया। तो इसका परिणाम क्या हुआ? माननीय सभापति महोदय, जहां पहले यह तय हुआ था कि जल महल स्मारक और झील के मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, आपकी अनुमति के बाद जल महल स्मारक में लिफ्ट लगा दी गई; टायलेट्स का निर्माण कर दिया; मार्बल की जालियां, पत्थर व टेनिस गार्डन डवलप कर दिया। उसका आपने मूल स्वरूप बिगाड़ दिया। इतना ही नहीं, दो फाइव स्टार होटल, फूड कोर्ट और अप्पूघर, अब यह बनाने के लिए महल से थोड़ी दूर पर एक पक्की दीवार बना दी। दीवार के दूसरी तरफ जलमहल पाल की मिट्टी भरकर...

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह तो बोल चुकी मैं। मैं खुद ही बोल चुकी।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, बोल चुके ना आप। माननीय सदस्य, यह तो बोल चुके आप। यह तो बोल चुके आप।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): ...उसका जमीन स्तर काफी नीचे कर दिया। इससे तेज बारिश आने पर भी पानी दीवार के दूसरी तरफ जा नहीं सकता।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय,...

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय पर्यटन मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्राइवेट डवलपर्स के व्यवसायिक हितों को कोई नुकसान न हो, इसलिये यह दीवार बनाई गई। 160 बीघा जमीन पर अब कोई पानी नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, कितना ही पानी बरसे, जब प्राइवेट डवलपर्स ने वहां पर दीवार बनाई है, उसके कारण जल महल स्मारक में बिलकुल पानी जा ही नहीं सकता क्योंकि यह भी व्यवस्था की है इसकी प्राइवेट डवलपर्स ने, ज्यादा पानी आने पर झील की मोरियां खोल दी जायेंगी। उसका आपने परिणाम नहीं देखा। मैं पूछना चाहता हूं...

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि माननीय सदस्य स्पेसिफिक

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

प्रश्न तक सीमित रहें। इस पर डिबेट भी हो रही है। आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये ना।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय,...

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): मैं स्पेसिफिक प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): सभापति महोदय, यह हो क्या रहा है? आप बैठिये, आप बैठिये।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): आप मुझे तो निर्देशित करने का कष्ट ना करें। मैं माननीय सभापति महोदय की अनुमति से बोल रहा हूं।

**श्री सभापति**: आप सब विराज जाइये। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): हवामहल तक बेच दिया, अब तो राजस्थान को बेचोगे? अब क्या, बेनीवाल साहब, राजस्थान को बेचोगे?

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिये।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय,...

**श्री सभापति**: विराजिये आप। (व्यवधान) विराजिये आप।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): विराजिये। प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान) आप विराजो तो सही।

**श्री सभापति**: मंत्रीजी, एक मिनट। एक मिनट, मंत्रीजी।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): आप मुझे निर्देशित करने का कष्ट ना करें। मैं सभापति महोदय से निवेदन करूंगा कि...

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैं जवाब दे दूंगी। मुझे जवाब देने दो। (व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, नियम 131, जिसके तहत माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है, इसका (ख) स्पष्ट रूप से यह कहता है कि जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

को रख रहा है, वह इसके सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी के वक्तव्य देने के बाद में कोई स्पष्टीकरण चाहे तो ले सकता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य को कि स्पष्टीकरण तक सीमित रहें।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय... (व्यवधान) आप विराजिये ना।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं जवाब दे रही हूं इनका।

**श्री सभापति**: आप विराजो तो सही। आप तो विराजिये। (व्यवधान) आप तो विराजिये। (व्यवधान) माननीय सचेतक महोदय बोल रहे हैं। (व्यवधान) आप परम्पराओं का ध्यान रखें। हाउस के मुख्य सचेतक बोल रहे हैं।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): आप एक मिनट सुन लें।

**श्री सभापति**: आप विराजें।

**श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर): माननीय सभापति महोदय, हाउस को मिसलीड करने की बात अगर करेंगे, तब तो यह स्पष्टीकरण से ज्यादा बढ़ेगा। (व्यवधान) हाउस को मिसलीड करने वाली बात तो ओपन करनी पड़ेगी।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, इस पर व्यवस्था फरमायें। इस पर व्यवस्था फरमायें, मैं निवेदन कर रहा हूं।

**श्री सभापति**: आप विराजिये। आप विराजें तो सही। (व्यवधान) इनको बोल लेने दो आप।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): इस पर व्यवस्था फरमायें।

**श्री सभापति**: आप विराजिये।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): आप विराजो तो सही। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं 1985 से विधायक हूं। (व्यवधान) बात सुन लीजिये, मेरी बात सुन लीजिये।

**श्री सभापति**: आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। विराजिये तो सही आप।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): इस पर व्यवस्था फरमायें आप।

**श्री सभापति**: वह मैंने देख ली है।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): माननीय सभापति जी...

**श्री अशोक परनामी** (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय,...

**श्री सभापति**: विराजिये, विराजिये, विराजिये। (व्यवधान) परनामी साहब, विराजिये। (व्यवधान) सचेतक महोदय, एक मिनट। आप विराजिये। सचेतक महोदय, आसन पांवों पर है। अगर आप भी वरिष्ठ सदस्य खड़े हो जायेंगे तो फिर हो गया।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): माननीय सभापति महोदय,...

**श्री सभापति**: मेरा आपसे निवेदन है, जो 131 में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, इसके अन्दर आपने जो चीज बोली, मंत्रीजी ने उसका स्पष्ट, अच्छा जवाब दे दिया। उसके बाद में आपका कोई स्पेसिफिक क्लेरिफिकेशन हो, वह क्लेरिफिकेशन मांग लो लेकिन डिबेट चलेगी तो कैसे काम चलेगा? बताओ।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): तो गलत जवाब दिया है मंत्रीजी ने। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजें। आप विराजें। विराजिये। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने जो जवाब दिया है, बिलकुल गैर-जिम्मेदाराना जवाब है, सदन को भ्रमित करने वाला जवाब है। मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, ऐसा कौनसा कारण था, ऐसा छिपा हुआ कौनसा एजेंडा था कि 200 कमरों को आपने 435 कमरे कर दिया? 11,500 वर्ग मीटर का जो बिल्ट-अप एरिया था, उसको 32,185 वर्ग मीटर कर दिया? और जो आपने कहा कि पूरी झील को कोई नुकसान नहीं हुआ, जलमहल को बिलकुल प्रोटेक्टेड किया गया है, तो वहां लिफ्ट लगी कि नहीं लगी? वहां पर टायलेट्स बने कि नहीं बने?

एक बात का और जवाब दीजिये कि जलमहल में हनुमान जी का मंदिर है, कालभैरव का मंदिर है, पीर बाबा की मजार है जिसमें सैकड़ों-सैकड़ों सालों से भक्त लोग जाते थे पूजा-अर्चना करने, उस पर रोक लगाने का अधिकार इस प्राइवेट डवलपर्स को किसने दिया? इस बात का जवाब दीजिये।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ...

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): मंत्रीजी, आप एक साथ जवाब दे देना। मंत्रीजी, आप एक साथ दे देना।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): एक साथ दे रही हूं। माननीय सभापति महोदय, ...

**श्री सभापति**: आपके सवाल का जवाब आ रहा है। (व्यवधान) कोई क्लेरिफिकेशन हो तो वह उसके बाद जवाब दे दें। (व्यवधान)

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आप मुझे इनका जवाब दे देने दीजिये। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, एक बार मुझे इनके जवाब देने दीजिये।

**श्री सभापति**: पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आ जाने दो। (व्यवधान) विराजिये, विराजिये। आप विराजिये।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब दे दूं। (व्यवधान) मैं वापस दे दूंगी।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): आप मेरी बात का जवाब दे दें। मूल प्रश्नकर्ता तो मैं भी हूं। हम भी मूल प्रश्नकर्ता हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: यह तो कई लोगों ने उठाया है मामला।

**श्री सभापति**: जवाब आने दीजिये। (व्यवधान) मंत्रीजी का जवाब आने दीजिये। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। अब जो भी बोलेंगे, अंकित नहीं होगा। मंत्रीजी के बोलने के बाद कोई बात हो तो आप बोलें। (व्यवधान) आप विराजिये। आप विराजिये। विराजिये तो सही। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये। आप विराजिये।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): ×××

**श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): xxx

**श्री सभापति**: आप विराजिये। विराजिये आप। (व्यवधान)

**श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): xxx

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): xxx

**श्री सभापति**: आप विराजिये। आप विराजिये। (व्यवधान) आप विराजिये तो सही।

**श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): xxx

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आप विराजिये। आप विराजिये। (व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा हूं, आप विराजिये।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): xxx

**श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): ×××

**श्री अशोक परनामी** (आदर्श नगर): xxx

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय,...

**श्री सभापति**: विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं होगा। मंत्रीजी, आप एक मिनट रुकें। आप विराजिये, आप विराजिये। (व्यवधान) आप, मंत्रीजी, एक मिनट विराजिये। (व्यवधान) आप तीनों साथ बोलेंगे तो अंकित नहीं होगा। आप तीनों कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी अंकित नहीं होगा। आप बोलते जाओ तीनों। (व्यवधान) यह क्या बात है?

**श्री अशोक परनामी** (आदर्श नगर): xxx

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): xxx

**श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): ×××

**अनेक माननीय सदस्य**: xxx

**श्री सभापति**: मैंने आपको कहा है कि विराजिये। अंकित कुछ भी नहीं होगा, आप कुछ भी बोलते जाओ। (व्यवधान) आप विराजिये। मैंने आपको कहा ना कि विराजिये, विराजिये। (व्यवधान) मंत्रीजी बोल लें, उसके बाद में कोई बात हो तो बोल लीजिये। (व्यवधान)

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को वापस रिएटेरेट करना चाहती हूं... (व्यवधान)

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): ×××

**श्री सभापति**: एक बार मुझे हाउस को आर्डर में लेने दो आप। (व्यवधान) उनको समझ में नहीं आएगा आप जो बोल रहे हैं। (व्यवधान) आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं हाउस को वापस यह रिएटेरेट करना चाहती हूं कि किसी भी तरह से खिलवाड़, किसी भी तरह का कम्प्रोमाइज, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन के रूप में नहीं करना चाहते। मैं बता रही हूं ना।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): xxx

**श्री सभापति**: अब उन्होंने शुरू ही किया है जवाब। अभी जवाब शुरू किया है। आप रुको तो सही।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने तीन के बारे में पूछा है। एक तो माननीय सदस्य, जिस तरह से बीकानेर में सूरसागर झील का प्रोटेक्शन हुआ, इतना खूबसूरत बना दिया। हम कमिटेड हैं। मैं उसका उदाहरण देना चाहती हूं, माननीय सभापति महोदय, जब मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट जयपुर में आया तो यह जयपुर के ऊपर से निकालने की बात चली थी और प्रपोजल वह बनकर आया था लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी अशोक जी गहलोत ने और यू.डी.एच. मंत्रीजी ने केवल इसलिए कि वह खिलवाड़ करता जयपुर की पुरा धरा से, इसलिए उसको अंडरग्राउंड लेकर किया गया है।

एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूं। सभापति महोदय, पिछले काल में...

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जब हमने इसके मूल स्वरूप को बिगाड़ने के लिए... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: मंत्रीजी को बोलने दीजिये।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): xxx

**श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): xxx

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): ×××

**अनेक माननीय सदस्य**: xxx

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय मंत्रीजी, विराजिये। (व्यवधान) आप विराजिये, आपका सब्जेक्ट नहीं है। आप विराजो तो सही।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार हमारे पूर्व मंत्रित्व काल में एम.आई. रोड के ऊपर फ्लाई ओवर बनाने की बात हुई थी। उस समय में भी हम लोगों के, मेरे एतराज के बाद फ्लाई ओवर को रोका था।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): xxx

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरा उदाहरण देना चाहती हूं, जब हम लोग पहले सत्ता में थे, उस समय... (व्यवधान) यह भाषण नहीं है। मैं आपके मूल सवाल का जवाब दूंगी।

**श्री सभापति**: आप विराजिये। जवाब दे रही हैं ना।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): एम.आई. रोड पर जब फ्लाई ओवर बनने की बात हुई थी...

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): ×××

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैंने आब्जर्वेशन दिया था, मंत्रीजी ने उसके ऊपर हां किया था कि फ्लाई ओवर नहीं बने। (व्यवधान) माननीय सदस्य, इसमें क्या पूछना चाहते हैं? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): xxx

**श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): ×××

**अनेक माननीय सदस्य**: xxx

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): xxx

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ हैं, आप तो विराजें। माननीय सदस्य, आप विराजो। (व्यवधान)

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अच्छा, लिफ्ट का...(व्यवधान)

**श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): xxx

**श्री सभापति**: आप विराजिये।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जो लिफ्ट, लिफ्ट...

**श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): xxx

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): xxx

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) जवाब दे रही हैं वे।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): xxx

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अच्छा, आपको लिफ्ट का जवाब देती हूं। माननीय सभापति महोदय ...(व्यवधान) आज देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं उनमें से कोई डिफरेंटली इनेबल्ड भी होते हैं; जिनको आप डिसेबल्ड कहते हैं उनको मैं डिफरेंटली इनेबल्ड कहती हूं।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): xxx

**श्री सभापति**: फिर वही बात। (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): xxx

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जो भी जरूरत देखते हुए...(व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): xxx

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): ×××

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): बनानी पड़ेगी लिफ्ट। लिफ्ट बनानी पड़ेगी। अब आप कहते हैं..(व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराजें।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अब आप कहते हैं टायलेट बना दिये, तो टायलेट क्या नदी के पेटे में करने जायेंगे अभी भी?

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): xxx

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): राजस्थान कहां जा रहा है। टायलेट, टायलेट बना दिये तो टायलेट अभी भी क्या नदी के पेटे में करना चाहते हैं? वह एक ओर ट्यूरिस्ट अट्रेक्शन बनाना चाहते हैं आप उसको। तो नदी के पेटे में शौचालय जायें लोग?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): xxx

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): xxx

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): xxx

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जो मैंने निर्देश दिये, वह दिये कि कम से कम 2003 से...

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): xxx

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप तो विराजें। (व्यवधान)

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जो प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए था, 2010 में नहीं हुआ तो department has to be pulled up. (व्यवधान) मैंने निर्देश दिये, देंगे यह निर्देश क्योंकि हम चाहते हैं कि यह प्रोजेक्ट पूरा हो। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): xxx

**श्री सभापति**: आप विराजें। विराजें आप। (व्यवधान) आप तो विराजो।

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): xxx

**श्री सभापति**: इनका जवाब आ जाने दो।

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): xxx

**श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): xxx

**श्री सभापति**: आप विराजिये। आप विराजिये। आप विराजिये।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): xxx

**श्री सभापति**: आप विराजिये। बैठिये न आप। आप सभी बोलेंगे।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): xxx

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): xxx

**श्री सभापति**: आप तो विराजें।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): xxx

**श्री सभापति**: आप विराजें।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): xxx

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आपने जिन-जिन ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है, मैं सभी को बोलने दूंगा, आप विराजें तो सही। आप विराजो। आप सब लोग नियमों को पढ़ते हो, आपको सब को नियमों का ध्यान है, आप जो भी क्लेरिफिकेशन मांगना चाहो...

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): xxx

**श्री सभापति**: मैं वाद-विवाद को अलाउ नहीं करूंगा। बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। जो नियमों में है उससे आप हट कर के सदन के अन्दर कोई चर्चा करना चाहें तो मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): xxx

**श्री सभापति**: आप विराजो, आप विराजो। श्री प्रतापसिंह खाचरियावास।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): xxx

**श्री सभापति**: आप विराजें। (व्यवधान) मैं सबको बोलने दूंगा न, मेरे पास है लिस्ट।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): xxx

**श्री सभापति**: मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास यहां पर है। मैं सबको बोलने दूंगा, आप विराजो। अब आप विराजो। (व्यवधान) आप विराजो।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): xxx

**श्री सभापति**: मोहनलाल जी गुप्ता साहब, विराजिये। (व्यवधान)

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): xxx

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): मोहनलालजी, मेरे बाद आप बोल लेना। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजें, माननीय सदस्य। आप विराजें, माननीय सदस्य।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): xxx

**श्री सभापति**: गुप्ता साहब, मैं आपको बोलने दूंगा, आप विराजो तो सही।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल): xxx

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): मेरे बाद बोल लेना आप।

**श्री सभापति**: आप, मुख्य सचेतक कह रहे हैं आपके। (व्यवधान) मैं, माननीय सदस्य, ...

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): हां, मैं नियमों में ही बोलूंगा, मुझे आपका आदेश पता है।

**श्री सभापति**: प्लीज, जो क्लेरिफिकेशन हो वह आप ले लें; जो स्पष्टीकरण है वह आप मांग लें।

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): सभापतिजी, मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं हम नियमों में ही बोलेंगे लेकिन यह नियम सिर्फ विधायक के लिए लागू नहीं होते हैं, मंत्रियों के लिए भी लागू होते हैं, मुख्य मंत्रीजी के लिए भी लागू होते हैं और सभापतिजी के लिए भी लागू होते हैं। मैं नियम में बात करूंगा मेरी, यह मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

कुछ क्वेश्चन के आधार पर मैं एक निवेदन करूंगा, चाहे सरकार हमारी हो, चाहे सरकार विपक्ष की हो लेकिन जब यहां पर जवाब आये, किसी भी प्राइवेट पार्टी के लिए हमको प्रतिनिधि बनकर जवाब नहीं देना चाहिए। हम इतना सा निवेदन करेंगे ...(व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट। आगे भी सुन लो। आप इतना चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहे थे, मैं आपके सम्मान के साथ कह रहा हूं, आप मेरे बड़े भाई हैं, कालीचरण जी, लेकिन जिस दिन आपकी सरकार में यह हो रहा था, उस दिन इतनी बार आप अटक जाते न तो आज यह जलमहल नहीं जाता। उस दिन आप नहीं बोल पाये, आपकी जबान पर ताले लगे हुए थे। आज मैं निवेदन कर रहा हूं, सभापतिजी...

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): ×××

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): नहीं, देखिये, मैं नहीं बोला आपके बीच में। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बड़े भाई हैं, मैं आपके सम्मान के साथ बात कर रहा हूं।

**श्री सभापति**: आप विराजो।

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): आपके बीच में मैं नहीं बोला। आप राजेन्द्र जी, बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं। इसलिए आप, यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी, आपकी हिम्मत नहीं होती थी। नाराज होने की बात भी नहीं है, आप क्या कर सकते थे, जो महारानी साहिबा चाहती थीं, वह होता था। आपके हाथ में भी नहीं था।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): xxx

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): xxx

**श्री सभापति**: माननीय।

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): दो मिनट में। सभापतिजी, मैं नियमों के तहत निवेदन कर रहा हूं। जब जयपुर बसा नहीं था, आमेर था, पन्द्रहवीं शताब्दी से पहले और हम पैदा नहीं हुए थे, जयपुर की स्थापना नहीं हुई, तब राजा मान सिंह ने अकाल पड़ा, अकाल पड़ा तो इस झील की स्थापना करवाई अकाल के लिए। जलमहल बना, उसके बाद जयपुर बसा। जिसको बसाने में हमारा कोई योगदान नहीं, जिस झील को बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं, जिस महल को बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं, आजादी के पहले जो झील बनी, जो जयपुर का हार्ट है और, सभापतिजी, मैं आपको नियम से अवगत कराना चाहता हूं, सन् 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने, लार्ड वायसराय भवन, शिमला को लीज पर दिया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा 2000 में कि लार्ड वायसराय भवन यद्यपि संरक्षित क्षेत्र में नहीं आता है फिर भी इसको लीज पर देने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है और पूरे हिंदुस्तान में यदि कोई भी भवन इस तरह से लीज पर दे दिया गया है तो उनको कैंसिल माना जाय। यही नहीं, अभी खुद मंत्रीजी मान रही थीं, उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ ने 18 जुलाई, 2003 को अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार के मामले में भी ऐसा ही फैसला दिया। ठीक है, यह कानून की बात है, वह किनारे कर दी गई।

मैं सम्मान के साथ निवेदन करूंगा, सभापतिजी, मंत्रीजी ने यह कहा कैचमेंट एरिया में झील का भराव क्षेत्र कम नहीं किया गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास सिविल लाइन्स से विधायक है जयपुर में, मैं इस्तीफा दूंगा, पूरा झील का एरिया कम किया गया है, मैं गारंटी से कहता हूं, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। आज इतनी बड़ी बात इसलिए कह रहा हूं। सिर्फ वह पार्टी अधिकारियों के साथ मिलकर यह कह दे कि झील का भराव क्षेत्र हमने कम नहीं किया है। इस सदन की कमेटी बनाओ और जांच करायें और उस कमेटी में आप किसी को मत रखो भले ही से, आपकी जो इच्छा हो, दोनों सदन की मिलाओ, लेकिन कम से कम हम यहां पर यह नहीं कहें। जो चोरी, पिछली सरकार ने गलती की, आज उस गलती पर हम मोहर लगाने के लिए यह कह दें। ठीक है, इन लोगों के हाथ लम्बे होते हैं, हर जगह इनका प्रभाव होता है, वे मनमाने फैसले करा सकते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

जयपुर के हार्ट की हत्या की, उसके बाद हमारी सरकार आई, हमारी सरकार आ गई, लोगों का विरोध है, मैं निवेदन कर दूं, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं...

**श्री सभापति**: क्लेरिफिकेशन मांग लो, माननीय सदस्य।

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): हां, सवाल ही पूछ रहा हूं, सवाल पर ही आ रहा हूं।

**श्री सभापति**: नहीं, आप कोई मांगना हो तो, डिबेट चल जायेगी फिर।

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): इतना लम्बा जवाब है इसलिए सवाल पर आ रहा हूं।

**श्री सभापति**: नहीं, जो माननीय मंत्री ने कहा, उसके बाद में आपको क्या, मतलब आपकी शंका क्या है? (व्यवधान)

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): हां, मैं मंत्रीजी की बात, मंत्रीजी से ही पूछ लेता हूं, बिलकुल।

**श्री सभापति**: और कोई स्पष्टीकरण हो, आप मांग लो माननीय मंत्रीजी से।

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): मैं मंत्रीजी पर कोई चार्ज नहीं, मैं बात...

**श्री सभापति**: क्लेरिफिकेशन मांगो आप, प्लीज।

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): अभी बात यह हुई कि यह जो सारा मामला है, यह जयपुर के विकास का है। मैं मंत्रीजी से इतना ही निवेदन करूंगा कि, मंत्रीजी, आपकी भावना अच्छी है, जवाब अधिकारियों ने बनाया है लेकिन खुद जो आपने जवाब दिया है, जिन शर्तों के तहत आपने के.जी. कंसोर्टियम को यह पूरी झील जहां पर दो सेवन स्टार होटल बनेंगे, आपने खुद ने माना है, अप्पू घर बनेगा, बोटिंग होगी, उसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, पूरे अधिकार प्राइवेट पार्टी को दे दिये गये हैं। अब जब यह पूरे अधिकार उनको दे दिये गये हैं तो इसमें जयपुर को कौन सा फायदा होने वाला है? जयपुर को इससे क्या मिलेगा? आसपास जो फोरेस्ट का एरिया है, पहाड़ है चारों तरफ, अब वह सारा पहाड़, पूरी जमीन इस प्राइवेट पार्टी को दे दी गई है। यदि खुली बिड कराई जाय, मंत्रीजी, पांच हजार करोड़ रुपये राजस्थान की सरकार को दुनिया का कोई भी व्यक्ति देने को तैयार हो जायेगा।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, यह जो सारा मामला है, इस मामले में पिछली सरकार ने जो गलती की, मेरा निवेदन इतना ही है, उस गलती का सुधार करते हुए जो हो गया है वह ठीक है, कैचमेंट एरिया में मैं आज फिर कह रहा हूं, पानी का भराव क्षेत्र कम किया गया है, नियम, कायदे-कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, आम आदमी का घुसना...

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, स्पष्टीकरण ही मांग लो न आप। स्पष्टीकरण मांगो न।

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): मंत्रीजी से ही निवेदन है। आम आदमी का घुसना बंद हो गया है। मैं निवेदन करूंगा, अभी भी मौका है, आज तो यह जलमहल गया है, कल नाहरगढ़ भी नहीं बचेगा, आमेर भी नहीं बचेगा, कल संरक्षित क्षेत्र सारे चले जायेंगे। यदि इसी तरह हम देते रहे तो राजस्थान की जनता यह समझेगी कि कभी वे देकर चले जाते हैं, कभी हम उस पर मोहर लगा देते हैं।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य।

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): लोग आज देखना चाहते हैं, यह संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार है, मैं अनुरोध करूंगा, मंत्रीजी, सारे मामले की जांच कराई जाय...

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य...

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): और इस जलमहल के होटल जो दिया गया है, इसको कैंसिल करके जयपुर की धरोहर राजस्थान की सरकार के नाम पर ही रखी जाय।

**(14.00 बजे)**

**श्री सभापति**: मैं एक-एक को अलाउ करूंगा। मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपका कोई क्लेरिफिकेशन बाकी है तो आप मेहरबानी करके उस बिन्दु पर आ जाओ। क्लेरिफिकेशन नहीं है और यही अगर वाद-विवाद या कोई वह चलाना चाहेंगे तो मैं अलाऊ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य, कोई क्लेरिफिकेशन लेना चाहें, कोई रह गया, जो मंत्रीजी ने कहा, उसके बावजूद भी आपके दिमाग में कोई है तो आप मेहरबानी करके क्लेरिफिकेशन मांग लें।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): जी-जी, माननीय सभापति महोदय, चार-पांच प्रश्न पूछने हैं।

**श्री सभापति**: बिना किसी भूमिका के।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): बिना किसी लाग-लपेट के। मेरा पाइंटेड सवाल नंबर-1, जनमंगल चैरिटेबल ट्रस्ट को यह जलमहल डवलपमेंट करने के लिए दिया था, उसकी शर्तों में और इस फर्म की शर्तों में क्या फर्क है?

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): वह प्रोजेक्ट ही अलग है।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): एक मिनट, आप सुनिये, बाद में जवाब दीजिये मुझे। जनमंगल चैरिटेबल ट्रस्ट को यह जमीन दी थी सरकार ने उसको डवलपमेंट करने के लिए, उसके कामर्शियल उपयोग के लिए नहीं दी थी और इस फर्म को कामर्शियल उपयोग के लिए दी है। मेरा यह प्रश्न है कि इसमें दोनों में फर्क क्या है?

नंबर-2, पीडी कोर ने इसका प्रोजेक्ट बनाया। (व्यवधान) प्लीज लिसन मी। पीडी कोर ने इसका प्रोजेक्ट बनाया और इस प्रोजेक्ट का नाम था जलमहल डवलपमेंट प्रोजेक्ट, नाट ए कामर्शियल प्रोजेक्ट, नाट एन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। आप उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कापी सदन की मेज पर रखें।

तीसरा मेरा प्रश्न है कि पीडी कोर ने इस प्रोजेक्ट को जब अप्रूव कराया तो क्या चीफ टाउन प्लानर, राजस्थान की राय ली? मुझे मालूम है, जब मैं मेयर था तब इस म्यूनिसिपल कारपोरेशन की जमीन पर यह रिपोर्ट आयी थी कि यहां पर होटल प्रोजेक्ट बनने चाहिए थे। मैं चीफ टाउन प्लानर, राजस्थान को लेकर इस साइट पर गया था। आज मैं कहता हूं कि उस वक्त चीफ टाउन प्लानर की रिपोर्ट यह नहीं थी और उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि यहां पर इस प्रकार के प्रोजेक्ट लाना गलत है, गैरकानूनी है। क्या उस रिपोर्ट पर आपने गौर किया? पीडी कोर ने उस चीफ टाउन प्लानर की रिपोर्ट पर गौर किया? उस रिपोर्ट को भी आप सदन की मेज पर रखें क्योंकि वह...

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): ×××

**श्री सभापति**: मैं बुला लूंगा।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): ...ओरिजिनल बिड डाक्यूमेंट के आधार पर इस फर्म को ढाई करोड़ रुपये प्रतिवर्ष देने हैं ।

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य, जिस चीज का मंत्रीजी जवाब दे चुकी हैं उस विषय पर आप बोल रहे हैं। अब क्या क्लेरिफिकेशन चाहिए, वह बोलो न आप।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): हां-हां, यह प्रश्न है मेरा। नहीं-नहीं, जब इसकी शर्तों में चेंज हो गया, जब शर्तों में चेंज कर दिया गया तो पहला मेरा प्रश्न है कि इसके लिए दुबारा बिड होनी चाहिए थी, ओरिजिनल शर्तों में चेंज किया तो इसके लिए दुबारा बिड होनी चाहिए और अगर दुबारा बिड आती तो हो सकता है कि कोई फर्म सौ करोड़ रुपये दे सकती थी, डेढ़ सौ करोड़ रुपये दे सकती थी। यह काल्पनिक बात नहीं है। (व्यवधान)

नंबर-4 प्रश्न। जे डी ए, म्यूनिसिपल कारपोरेशन, इनकी क्या क्लीयरेंस ली गई? जे डी ए और म्यूनिसिपल कारपोरेशन की क्लीयरेंस नहीं ली गई।

पांचवां मेरा प्रश्न है, यह जमीन जयपुर नगर निगम की है, पी डब्ल्यू डी की या जे डी ए की है। तो राज्य सरकार ने इस जमीन को किस प्रकार से दे दिया? यह जयपुर म्यूनिसिपल कारपोरेशन की जमीन है और जयपुर म्यूनिसिपल कारपोरेशन की जमीन को इस प्रकार से नहीं दिया जा सकता है।

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य, आप विराजें।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): एक बात और मैं बताना चाहता हूं, सुनिये।

**श्री सभापतिः** आप विराजें।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): इस जमीन को यदि आक्शन किया जाए तो आज एक लाख रुपये गज से यह जमीन आक्शन हो सकती है और...

**श्री सभापतिः** अब आप विराजें।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल):...(व्यवधान) यह बहुत बड़ा घोटाला है और आपने ...(व्यवधान) सुनिये।

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य, आप विराजें। आप विराजें।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): ...(व्यवधान) उसके लिए कितना पैसा फर्म से चार्ज किया? आपने फ्री में दे दिया।

**श्री सभापतिः** अब आप विराजें।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): यह मेरे प्रश्न हैं।

**श्री सभापति**: आपने कर लिया न, अब आप विराजें। माननीय सदस्य, मैं प्रतिपक्ष से और सत्ता पक्ष से एक-एक माननीय सदस्य को अलाऊ करूंगा। आप विराजें। श्री रघु शर्मा।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): मैं, माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से यही जानना चाहता हूं कि कुल कितने करोड़ रुपये यह झील संरक्षण के लिए जिस फर्म को आपने दिया है कांट्रेक्ट, वह कितने रुपये लगा कर इस झील के संरक्षण का काम करेगी? मेरी जानकारी है कि वह लगभग चार सौ करोड़ रुपये खर्च करेगी और जितनी जमीन आपने दी है उसकी एवज में...पहली बात तो, माननीय सभापति महोदय, इस बात से मैं सहमत हूं, मैंने बचपन से जलमहल झील को देखा है, यह बात सही है कि वह दुर्दशा की शिकार थी लेकिन इसकी आड़ में जो काम किया जा रहा है अगर वह हो जाएगा तो वह और भी गम्भीर प्रकृति का मामला हो जाएगा। मैं तो आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो झील है 14 विधायक गये थे हम यहां से देखने इस झील को, आपने 1/3 कर दिया है। यह सच्चाई है और मैं भी पूरी सच्चाई के साथ इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि इसको 1/3 किया, जे सी बी लगायी गयी, मिट्टी डाली गयी, कैचमेंट एरिया को खतम किया गया और दीवार बना दी गई वहां पर।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि जो जमीन सरकार ने इनको दी है कंपनी को, ...

**श्री सभापति**: आपका, माननीय सदस्य, क्लेरिफिकेशन बाकी हो तो पूछिये।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): क्लेरिफिकेशन पूछ रहा हूं, सभापति महोदय, चार सौ करोड़ की एवज में...

**श्री सभापति**: वह जवाब आ चुका है।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): मैं पूछ रहा हूं, वह ही तो।

**श्री सभापति**: क्लेरिफिकेशन पूछिये आप।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): चार सौ करोड़ की एवज में जो जमीन दी गई, उसका बाजार मूल्य कितना है? और उस पर जो व्यवसायिक गतिविधियां होंगी उससे उन प्राइवेट पार्टीज को कितनी आमदनी होगी सालाना, क्या आपने एस्टीमेट किया इसका? और ये जो स्थिति बनेगी और दूसरा, ये जिस कंपनी को दिया उसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं?

**श्री सभापति**: श्री अशोक परनामी।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): ×××

**श्री सभापति**: आप विराजिये, वे माननीय सदस्य बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, आप बोल चुके हैं, सब चीजें आपने मांग ली हैं।

**श्री अशोक परनामी** (आदर्श नगर): सभापति महोदय, जब ये पीडी कोर एजेंसी ने इस प्रोजेक्ट को बनाया था और इसके साथ जब करार हो रहा था, मुझे जहां तक याद है, हमारे मंत्री आदरणीय धारीवाल जी थे और महापौर शील जी धाभाई थीं, जयपुर विकास प्राधिकरण के कक्ष में बैठ करके इस पर समझौता हुआ था और उस समझौते के बाद जयपुर के जन-प्रतिनिधियों ने विरोध किया था, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने विरोध किया था।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, कोई क्लेरिफिकेशन हो तो आप फरमायें, बाकी तो वह सब माननीय मंत्रीजी बोल चुकी हैं। आपका कोई क्लेरिफिकेशन बाकी हो तो मांगें न आप। वह वापस शुरू कर रहे हो आप। माननीय सदस्य, आपका क्लेरिफिकेशन आप मांग लो।

**श्री अशोक परनामी** (आदर्श नगर): मैं उस पर आ रहा हूं न। मैं आ रहा हूं। मैं बोल रहा हूं न।

**श्री सभापति**: आप पूरी भूमिका मत बनाओ। क्लेरिफिकेशन पूछ लें आप, बाकी माननीय सदस्य पहले सारी चीज बोल चुके हैं। क्लेरिफिकेशन जो मंत्रीजी ने बोला है, उसमें रह गया है वह बोलें आप। बस क्लेरिफिकेशन।

**श्री अशोक परनामी** (आदर्श नगर): स्पेसिफिक पूछ रहा हूं। पीडी कोर.... बोलने दो अब।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): ×××

**श्री सभापति**: क्लेरिफिकेशन जो मंत्रीजी ने बोला, उसमें रह गया हो, वह पूछो आप।

**श्री अशोक परनामी** (आदर्श नगर): मैं स्पेसिफिक पूछूंगा। पीडी कोर एजेंसी ने जब टेंडर बिड बनायी, पूरी शर्तें रखीं, शर्तों को पूरा पब्लिश किया गया, उसके माध्यम से तीस-चालीस बिडर जिन्होंने इन शर्तों को पढ़ कर अपनी बिड लगायी, उनमें से एक व्यक्ति की बिड आपने पास की। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने जो रिवाइज्ड प्लान पास किया, क्या जिन्होंने पहले बिड लगायी थी तीस-चालीस लोगों ने,

(श्री अशोक परनामी)

आपने उनके साथ कुठाराघात नहीं किया? आपको यदि रिवाइज्ड प्लान करना था तो आपको दुबारा बिड लेनी चाहिए थी। हो सकता है, वे तीस-चालीस जो बिडर थे वे दुबारा इसमें शामिल होते और आपको ज्यादा रेवेन्यू देते, आपको ज्यादा पैसे देते। मेरा यह स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आपने रिवाइज्ड प्लान करते हुए दुबारा बिड इन्वाइट क्यों नहीं की? आपने पीडी कोर के द्वारा बनाये जो नियम थे...

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आपने ध्यान आकर्षित कर लिया। अब आप विराजें।

**श्री अशोक परनामी** (आदर्श नगर): इसका जवाब दें। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: अब आप विराजें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, मैं एक लाइन का सवाल करना चाहता हूं सिर्फ एक लाइन कि ये के.जी.के. कंसोर्टियम है, इसमें कौन-कौन महानुभाव हैं? और इसमें क्या यह सही है, मफतलाल मेहनोत इसके कार्यकारी निदेशक हैं जिनके कहने से ये सारा काम हुआ? और फिर 7 सितम्बर को पहली एप्लीकेशन आयी आपके पास रिवाइज्ड प्लान की और आपने 14 तारीख को, यानी सात दिन के अन्दर बिना ग्लोबल टेंडर के दो सौ कमरो से चार सौ पैंतीस कमरे कैसे बढ़ाये? एक हजार स्क्वायर मीटर से 32 हजार स्कवायर मीटर कैसे बढ़ाये?

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): प्रश्न तो करिये न। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): पूर्व में सारे ग्लोबल टेंडर हुए थे। पूर्व में ग्लोबल टेंडर किये थे 2005 में। आपने बिना ग्लोबल टेंडर के इस तरह का फायदा क्यों दिया?

**श्री सभापति**: मंत्रीजी। मुख्य सचेतक महोदय, अब आप विराजो। मंत्रीजी।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): ×××

**श्री सभापति**: आप विराजें। माननीय सदस्य, मंत्रीजी जवाब देंगी। अब मंत्रीजी जवाब देंगी।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सभापति महोदय, मैं सारे सदन को यह आश्वस्त करना चाहती हूं बहुत जिम्मेदारी से कि कहीं

(श्रीमती बीना काक)
कोई गलत जवाब नहीं दिया गया है और न ही गलत जवाब दिया जायेगा। जो तथ्य हैं, वे सामने रखे गये हैं।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): ...(व्यवधान) इनको पूछो गलत जवाब दिया है।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): आप विराजिए ना, जवाब आने दीजिए।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): कष्ट मुझे यही नजर आता है कि जो 2002-03 में जो बिड्स हुई थीं, उस वक्त जो निविदाएं आईं और उसमें जो टेंडर्स हुए, उसमें जो मैक्सिमम बिड वाले थे ..

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं करें।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): उनको स्वीकृति दी गई ढाई करोड रुपये पर साल में। अब उस वक्त वे सब कहां थे जो 5 हजार करोड दे सकते हैं, 100 करोड दे सकते थे, 300 करोड दे सकते थे? तो 2003 में यह सब देने वाले कहां गये थे। (व्यवधान) उस समय यह मैक्सिमम बिड वाले क्यों नहीं आये? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजिए, मंत्रीजी जवाब दे रही हैं। मैं आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य, मैं आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ...(व्यवधान) अब तो सबको कष्ट हो रहा है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, मैं आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं, विराजो। (व्यवधान)

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ...(व्यवधान) किसी कम्पनी ने कलेजा करके इस बिड को किया, कोई कम्पनी कलेजा कर के आई, उस वक्त यह 5 हजार, 2 हजार, 300 वाले सब कहां गये थे? सभापति महोदय, माननीय सदन, ये मेजर पैरामीटर्स इस प्रोजेक्ट के तय कर लिये गये थे और जो भी मैक्सिमम अलाउऐबिलिटी थी, जो परमिसिबल था, वही रिवाइज्ड प्लान में किया गया। जी हां, 200 कमरों से 400 कमरे किये गये क्योंकि जयपुर को जरूरत है ज्यादा कमरों की। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: मुख्य सचेतक महोदय, परम्पराओं का ध्यान रखें, विराजें। विराजो आप। आप क्यों उस पर इतना उत्तेजित हो रहे हो? विराजो आप, विराजो आप। (व्यवधान)

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैं फिर बताना चाहती हूं कि इस तालाब की, इस जल महल की जो तकलीफ इन सबको है, मैं बताना चाहती हूं कि 40 मिलियन लीटर पर डे गंदगी और सड़न इस तालाब में आती थी, अब वह घट कर मात्र जो 45 करोड केजीके कम्पनी ने लगाया है और 25 करोड गवर्नमेंट आफ इंडिया का लगा है, वह घट कर मात्र 5 मिलियन लीटर रह गई है।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): 500 करोड की जगह केवल 45 करोड लगाये हैं।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): और जहां तक आप कैचमेंट की बात करते हैं, सभापति महोदय, 23 स्क्वायर किलो मीटर कैचमेंट एरिया है। उसमें तो नाहरगढ के पहाड़ भी आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर के पहाड़ भी आ जाते हैं और आधा जयपुर शहर भी आ जाता है। अगर आप उस पर कार्यवाही करना चाहते हैं तो सबको ही इवेक्यूएट कीजिए और जो आपका कैचमेंट एरिया है उसको खाली करके उस झील के संरक्षण और प्रोटेक्शन का काम कीजिए।

**श्री अशोक परनामी** (आदर्श नगर): सभापति महोदय, दुबारा टेंडर क्यों नहीं किये गये, इसका जवाब दें ना।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): रूड़की की रिपोर्ट में भी यह दिया गया है कि कैचमेंट का एरिया सुधरा है। जो पक्की नालियां और जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह लगे हैं, ...(व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): आप तो यह बताइए कि झील का 1/3 रहा या नहीं? आपने पहले कहा कि झील को बिलकुल नहीं छेडा, अब आप यह बताइए कि झील का एरिया 1/3 रहा या नहीं?

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सभापति महोदय, मैं फिर कहना चाहती हूं, मैं रिपीट कर रही हूं, मैंने मेरे मूल प्रश्न के जवाब में दे दिया था कि 55,179 स्कवायर मीटर बिल्टअप एरिया उन्हें दिया गया था। 55,000

(श्रीमती बीना काक)

से अब केवल 54,220 यानी कि 959 स्कवायर मीटर बिल्टअप एरिया को कम कर दिया गया है और जिस मिट्टी की आप बात कर रहे हैं, ....

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): हवा में बनाये हैं क्या कमरे? (व्यवधान)

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): 20 लाख टन प्रदूषित मिट्टी को वहां से हटाया गया है।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): ...(व्यवधान) मल्टीप्लेक्स होटल में दे दिया है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजो। मंत्रीजी बोल रही हैं, आप कैसे? (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): यह बिलकुल भ्रामक और जनता को भ्रमित करने वाला जवाब दे रही हैं। गैर जिम्मेदाराना जवाब दे रही हैं आप।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ...(व्यवधान) और जो पैरामीटर्स कमरे बनाने के थे, वे आलरेंडी तय थे और पहली वाली बिड में इन्क्लूडेड थे, जो कहीं गलत नहीं है। उन लोगों को समझाइए जिन्हें कष्ट हो रहा है कि अब वह 5 हजार की हो गई, हम क्यों नहीं ले सके। तो पहले कहां थे वे सब?

**श्री सभापति**: चर्चा समाप्त। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): ...(व्यवधान)... जवाब दिया गया है। जयपुर की धरोहर को लूटने का काम हो रहा है, एक कम्पनी विशेष को फायदा पहुंचाने का काम हो रहा है, इसके विरोध में हम लोग सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं। (व्यवधान)

## बहिर्गमन

**(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)**

**श्री सभापति**: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री शांति कुमार धारीवाल, श्री शांति कुमार धारीवाल।

# सदन पटल पर रखे गये पत्र

## प्रतिवेदन

## लोकायुक्त सचिवालय की स्पेशल रिपोर्ट दिनांक 23.3.1993

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(5) के अन्तर्गत लोकायुक्त सचिवालय की स्पेशल रिपोर्ट दिनांक 23.3.1993 एवं स्पष्ट कारण सदन की मेज पर रखता हूं।

# याचिका का उपस्थापन

## विधि महाविद्यालय, सीकर के लिए भूमि की उपलब्धि

**श्री सभापति**: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री अमराराम जी।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सीकर के विधि महाविद्यालय के लिये अलग भवन एवं भूमि उपलब्ध कराने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

**श्री सभापति**: श्री प्रभुलाल जी सैनी।

## गोविन्द देवजी मन्दिर, जयपुर में अधिरोपित प्रतिबन्ध से मुक्ति व जनहित में अधिग्रहण

**श्री प्रभुलाल सैनी** (हिण्डौली): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से गोविन्द देवजी मंदिर, जयपुर में ठाकुर जी की प्रतिमा को श्रद्धालुओं द्वारा सैंकडों वर्षों से चढ़ाई जाने वाली माला पर मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी द्वारा गत वर्ष कार्तिक के महीने में लगाये गये प्रतिबंध को हटाये जाने तथा गोविन्द देवजी के मंदिर का सरकार द्वारा जनहित में अधिग्रहण किये जाने के संबंध में पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

# अनुरोध एवं मांग

## घड़साना गोलीकाण्ड, 2004 की जांच रिपोर्ट का सदन पटल पर उपस्थापन

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोरमेशन, आप इजाजत दें तो।

(श्री अमराराम)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2004 में घड़साना में पानी मांगते हुए किसानों पर गोलीकांड हुआ, 5 किसान उन गोलियों के शिकार हुए। तत्कालीन सरकार ने एक न्यायिक आयोग बैठाया जिसमें उस समय क्या विफलताएं रहीं और आगे से ऐसा नहीं हो, इसलिए अनूप चंद गोयल जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उन्होंने एक महीने पहले उस आयोग की जांच रिपोर्ट राजस्थान सरकार, गृह मंत्रालय को पेश कर दी है। आज विधान सभा का आखिरी दिन है इसलिए मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि उसकी रिपोर्ट गृह मंत्रीजी सदन में रखते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं नहीं हों..

**श्री सभापति**: विराजो आप, आप मिल लेना, विराजो। वरिष्ठ सदस्य हो, आप विराजो।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): और जिन अधिकारियों ने ऐसा कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्यवाही हो। इसलिए मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप उस आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का काम करें।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, जो रेलेवेंट बिजनेस की व्यवस्था कीजिए।

**श्री सभापति**: विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 । श्री परसादीलाल जी मीणा।

## विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

### राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाये।

**श्री सभापति**: श्री गुलाबचन्द जी कटारिया।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): सभापति महोदय, यह विषय पिछले तीन साल से विचाराधीन था कि फार्मेसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास रहे या तकनीकी विश्वविद्यालय के पास में रहे। इसके बारे में मैं सोचता हूं कि फार्मेसी पाठ्यक्रमों से संबंधित उपबंध राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 इसके साथ भी संबद्ध हो गया था और राजस्थान स्वास्थ्य

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विज्ञान विश्वविद्यालय 2005, दोनों में विद्यमान था। इसमें दोनों की दखलन्दाजी थी। इसके कारण से राज्य सरकार ने यह तय किया कि चूंकि फार्मेसी मेडिकल साइंस से संबंधित है इसलिए यह मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाये। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका निर्णय होना चाहिये था और मेडिकल साइंस में अगर यह जाता है तो यह उचित है, इसमें कोई नहीं है लेकिन इसके निर्णय में जो कमियां रही हैं उनको ध्यान में लाता हूं।

केवल यह नहीं है कि तकनीकी विश्वविद्यालय से निकाल दिया फार्मेसी को और आपने मेडिकल विश्वविद्यालय में डाल दिया, इतना ही नहीं है क्योंकि इसमें और कुछ मामले हैं। यह विषय पिछले तीन साल से विचाराधीन चल रहा था और दोनों के बीच में यह फार्मेसी डिपार्टमेंट घूम रहा था। फार्मेसी एक्ट, 1948 फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया से संबंधित है। इसके द्वारा यह संचालित है, इसके द्वारा इसको अनुमति है। अब मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि जब आपने इसको मेडिकल यूनिवर्सिटी में डाल दिया तो इसका पहले जो ए आई सी टी ई नई दिल्ली से इसका जो जुड़ाव था या इसको जो स्वीकृति मिली हुई थी उसकी अब क्या स्थिति होगी? इसी तरह से टेक्निकल बोर्ड, जोधपुर से भी फार्मेसी का उसके साथ जो एफिलिएशन था, क्या इन दोनों को इनसे अपन ने मुक्त कर लिया या अभी इन दोनों की दखलन्दाजी साथ में है? क्योंकि अगर यह क्लीयर नहीं होगा कि यह उस तकनीकी विश्वविद्यालय के जो मापदंड हैं, जिनसे यह पहले एफिलिएटेड था, जिनके साथ फार्मेसी के कोर्स चलाने वाले कालेजों का उनके साथ जो जुड़ाव था, वह क्या इसके साथ ही, इस कानून को पास करते ही समाप्त हो जाएगा?

इसी तरह से देखा होगा, एक बात का और ध्यान दीजिए इसमें कि फार्मेसी कोर्स यद्यपि मेडिकल यूनिवर्सिटी से ही गवर्न हो रहा था, इसकी परीक्षा का संचालन भी मेडिकल विश्वविद्यालय ही कर रहा था पिछले तीन साल से, अब यह पूर्णतया मेडिकल विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आयेगा लेकिन इसको और देखने की आवश्यकता है कि मेडिकल कालेज इस परीक्षा को जो करा रहा है, इस परीक्षा में हमेशा विलम्ब हो रहा है और फार्मेसी की पिछले तीन साल से, फार्मेसी की जितनी सीटें हैं राजस्थान में, उसकी लगभग 25 प्रतिशत सीटें ही भरी जा रही हैं। कारण यह है कि परीक्षा इतनी लेट चलती है जिसके कारण से जितने भी फार्मेसी कालेजज हैं इनको संख्या उपलब्ध नहीं हो पाती, संख्या मिलती नहीं है। तो इसके साथ यह भी व्यवस्था कर दें, जैसे अपने यहां नर्सिंग की परीक्षा होती है, मेडिकल की परीक्षा होती है, ठीक उसी प्रकार से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसकी परीक्षा भी उसी के साथ में हो जाए तो कम से कम उन बच्चों को जो इसमें जाना चाहते हैं, उनको इसमें मौका मिल जाए; नहीं तो पहले ही किसी न किसी दूसरी जगह जाकर एडमिशन ले लेते हैं और उससे वंचित हो जाते हैं।

यह निश्चित रूप से एक लम्बे समय से चल रहा था कि टेक्निकली, यह वास्तव में है तो मेडिकल से संबंधित ही, व्यवसाय भी मेडिकल से संबंधित है लेकिन एक बात और इसमें ध्यान दीजिए, जितने भी बी फार्मा और डी फार्मा करके जो बच्चे निकलते हैं इन बच्चों का कोई प्लेसमेंट नहीं, कहीं भी। इनको केवल प्राइवेट दुकान लगाने का है और प्राइवेट दुकान, कई बार यह गरीब बच्चा पढ़ तो जाता है लेकिन इसके पास इस प्रकार के पैसे की व्यवस्था नहीं होती कि अपना अलग से मेडिकल स्टोर लगा सके। जितनी मेडिकल दुकानें खुली हुई हैं, इन सब बच्चों को इन्होंने दो हजार, तीन हजार रूपये महीना देकर, केवल उनकी डिग्री का लाभ लेकर वह सारी की सारी दुकानें चला रखी हैं। उस बच्चे को तो केवल मंथली जो पैसा जाना है वह जाता है, बाकी का सारा का सारा प्रोफिट तो वह पैसे वाला कमा रहा है। उसका तो केवल नाम है। इसलिए जब इस सारी व्यवस्था को आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस बच्चे का जिस बच्चे के नाम से वह लाइसेंस है, मेडिकल की दुकान है, वह ही बच्चा वहां बैठा हुआ है कि नहीं है, इसको अगर आप सख्ती से लागू करोगे तो मैं समझता हूं कि जो बच्चे बी फार्मा और डी फार्मा करके निकले है, इनको स्वयं को भी नौकरी मिलेगी और ये स्वयं स्वाभिमानी जीवन जी सकेंगे। दूसरों के सहारे केवल अपनी डिग्री के आधार पर 1500, 1800, 2000 रुपये महीना देकर केवल अपनी जिंदगी को काटने का जो सहारा मिला है, मैं ऐसी आपको एक नहीं सैकड़ों दुकानें बता सकता हूं जिन दुकानों पर उनके नाम से तो लाइसेंस है उन बच्चों के नाम से तो है लेकिन वे उस दुकान पर बैठते नहीं हैं, उनको केवल पैसा मिलता है। जब अपनी इतनी बड़ी कमी रही, उसकी पूर्ति करने के लिए इसको मेडिकल यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत दे रहे हैं तो दोनों चीजों को भी साथ-साथ देखें कि इनकी परीक्षा समय पर होकर इनका एडमिशन समय पर हो और उसके बाद डिग्री मिलने के बाद वास्तव में इनको अपनी डिग्री का लाभ मिले और इनको भी ठीक प्रकार से व्यवसाय करने की स्थिति मिले।

इसीलिए मैंने चाहा था कि इस साधारण सी, इसलिए इसको जनमत जानने के लिए मैंने आपके सम्मुख रखा है। आप मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करें।

**श्री सभापति**: श्री राजेन्द्रजी राठौड़ ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2010, देखने में तो मात्र एक तकनीकी विश्वविद्यालय से फार्मेसी पाठ्यक्रम जो इससे पहले एफिलिएटेड थे, उससे हटाकर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ जोड़ने के लिए यह लेकर आए हैं परन्तु वस्तुस्थिति वह ही है जो उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे। पिछले दो वर्षों की फार्मेसी काउंसिल की जितनी सीटे पूरे राजस्थान में हैं, विभिन्न फार्मेसी कालेजेज में हैं, उन आंकड़ों को उठाकर देख लें और जितने लोगों को हमने प्रवेश दिया, उस आंकड़े को उठाकर देख लें और राजस्थान में आज जितने क्वालिफाइड फार्मेसिस्ट हमारे पास हैं, उस आंकड़े को उठाकर देख लें और जितनी आज हमारी मेडिकल शाप्स हैं जो ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स एक्ट के अनुसार जिनका रजिस्ट्रेशन हमारे विभाग में है तो आपको यह लगेगा कि कम से कम 30 प्रतिशत ही मात्र फार्मेसिस्ट होंगे। इसलिए मंत्री महोदय, इस बात पर भी निगाह डालनी चाहिए।

दूसरा मैं निवेदन करूंगा, तकनीकी शिक्षा, इस तकनीकी शिक्षा के लिए आपने उधर बैठकर कई बार गाल बजाने की बात की, कई बार अपने बजट में कई तरह की घोषणाएं कीं पर वे घोषणाएं आपकी इतना लम्बा समय व्यतीत होने के बाद भी कागजों के दायरे से बाहर नहीं आईं। मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान बजट 2009-10 के पैरा 161 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें तकनीकी के लिए आपने क्या किया है, तकनीकी शिक्षा और अन्य प्रोफेशनल कालेज, एम बी ए इत्यादि में व्यापक सुधार लाने तथा इन संस्थाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, इस हेतु तकनीकी शिक्षा अधिनियम लाया जाएगा। पूरा वर्ष बीत गया, नये बजट पर आखिरी दिन हम बहस कर रहे हैं, बजट सत्र में इस कानून पर बहस कर रहे हैं, आपका यह तकनीकी शिक्षा अधिनियम कहां है? आज जब हम बात करते हैं तकनीकी शिक्षा के उत्थान की और विस्तार की, बड़े जोर-शोर से आप बात करते हैं कि राजस्थान के अन्दर इंजीनियरिंग कालेजेज में सीटें बढ़कर 32,187 हो गईं, 85 निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज आ गये, 11 सरकारी क्षेत्र में आ गये हैं, पोलिटेक्निकल कालेजेज में भी संख्या बढ़कर सीटों की 16,510 हो गई पर आपका यह अधिनियम आया नहीं। आपने इसलिए स्टेट एडमिशन अथोरिटी बनाने की बात कही थी। आपने राजस्थान राज्य उच्च तकनीकी शिक्षा परिषद् बनाने की बात कही थी, ये सारी बातें जो आपने कहीं, उसी का परिणाम है कि आज तकनीकी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

शिक्षा के अन्दर अराजकता का वातावरण है। तकनीकी शिक्षा की जो हालत, जो दुर्गति आपने की है, किसी से छिपी नहीं है।

आज गुणवत्ता की दृष्टि से हम तकनीकी शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को नहीं दे रहे, आज जो डिग्री इस तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत जिन भी राजस्थान के विद्यार्थियों को मिल रही है, सभापति महोदय, आज युग आ गया प्रतिस्पर्धा का, ग्लोबेलाइजेशन का समय है, उस डिग्री को इस हिन्दुस्तान के कई सूबे मान्य नहीं करेंगे। आज यू जी सी ने मापदण्ड बना रखे हैं, ए आई सी टी ई ने मापदण्ड बना रखे हैं, आप इसका निरीक्षण करवा लें, आपकी तकनीकी शिक्षा की जो चाहे इंजीनियरिंग कालेज हों, चाहे आपके पोलीटेक्निकल कालेज हों, इन कालेजों में आज यू जी सी के मापदण्ड के अनुसार, ए आई सी टी ई के मापदण्ड के अनुसार कोई पूरा नहीं कर रहे। लोग नये महाविद्यालय खोलते हैं, आपके यहां की एक इन्स्पेक्शन टीम जाती है, दूसरे भवन को दिखाते हैं और तीसरे भवन में उसको संचालन करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि निश्चित तौर पर आपको इसके बारे में बात करनी चाहिए। आपने राजस्थान उच्च तकनीकी शिक्षा परिषद् और इन सारी बातों की जब-जब घोषणायें कीं, आपने खुद ने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बना ली, आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट कहां है?

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक है, विधेयक पारित हो जाएगा, एक छोटी सी तकनीकी को लेकर आप आये हैं पर इसके साथ-साथ बहुत बड़ी महती आवश्यकता है, हम किस प्रकार की शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को दे रहे हैं, हम क्यों बजट में घोषणा करते हैं, हम क्यों बाहर जाकर घोषणायें करते हैं, फिर उन घोषणाओं की पूर्ति हम क्यों नहीं करते। क्या इसकी आवश्यकता नहीं है?

आज ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स एक्ट के अनुसार मेडिकल हैल्थ के अन्दर पूरी सूची है, किस-किस शहर में कितनी-कितनी मेडिकल शाप, लाइसेंस शाप हैं। उसके साथ आज फार्मेसी काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन होता है उस रजिस्ट्रार के पास भी पूरी सूची है कि कितने क्वालिफाइड फार्मेसिस्ट राजस्थान में हैं। उनकी संख्या को जब मैच करेंगे ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य सही कह रहे थे कि एक-एक लाइसेंस, सभापति महोदय, कई-कई शहरों में वह फोटो लगी हुई है। फोटो कापी है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उसको लगा देते हैं। फार्मेसिस्ट का नाम अजय कुमार जी, यह उनकी फोटो लगी है। उसके बाद वह ही लाइसेंस चूरू में भी है, बीकानेर में भी वह ही है। फिर ये लोग जिस तरह खिलवाड़ करते हैं लोगों के जीवन के साथ, अनक्वालिफाइड फार्मेसिस्ट जिस तरह खिलवाड़ करता हैं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा, मंत्री महोदय, आप अपने दम पर जीते हो, आपने कांग्रेस को पीटा, आपने हमें भी पीटा, यह मजबूरी है कि आप जैसा योग्य व्यक्ति यहां बैठा है, परन्तु आप तो कम से कम इस पाप के भागीदार मत बनो। मैंने सुना है कि आप जो कहते हैं, वह करते हो पर मैंने जैसा कहा, बजटीय घोषणा यह सरकार पूरा नहीं करे, इसलिए आपको मजबूती से खड़े होकर कह देना चाहिए कि इसके पीछे जो भावना है, तकनीकी शिक्षा के विस्तार के पीछे जो राज्य सरकार की भावना है, वह भावना अच्छी नहीं है, खोटी भावना है, गलत भावना है और उस गलत भावना के साथ, सफेद झण्डे के नीचे जीत कर आने वाले हमारे परसादीलाल जी मीणा, मैं समझता हूं, भावनाओं के साथ नहीं बहेंगे। आपको इस बिल को बिना सोचे समझे जनमत जानने के लिए प्रचारित कर देना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

**श्री सभापति**: श्री दिगम्बर सिंह जी।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, द राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2010, अभी हमारे वरिष्ठ सदस्यों, माननीय कटारिया जी और राजेन्द्र जी ने इस पर अपने विचार रखे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह फार्मेसी कोर्सेज, इनका राजस्थान में भी एक तरह से ड्यूल कंट्रोल था। ड्यूल इसलिये था कि पहले राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक्ट, 2006 में तो यह टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ थे कोर्सेज और राजस्थान हैल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी एक्ट, 2005, उसमें हमारी हैल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी के साथ भी ये कोर्सेज एफिलिएटेड थे। आज सरकार का मानस है कि इसको टेक्निकल यूनिवर्सिटी से निकाल कर हैल्थ यूनिवर्सिटी के साथ में पूरी तरह से दे दिया जाए। मैं समझता हूं, जहां तक इसमें विचार करने की बात है, बहुत अच्छी बात है परन्तु इसको लागू करने से पहले हमें देखना होगा। क्योंकि इसका, अब भी टॉप मैनेजमेंट होगा, फार्मेसी का, वह अभी ए.आई.सी.टी.ई. के थ्रू होगा, दिल्ली में तो ए.आई.सी.टी.ई. के अंडर में ही आएगा। यहां पर हैल्थ यूनिवर्सिटी के अंडर में इसको लेकर आना चाहते हैं, उससे पहले अपनी हैल्थ यूनिवर्सिटी की स्थिति के बारे में भी अपने को विचार करना पड़ेगा।

(डा. दिगम्बर सिंह)

हैल्थ यूनिवर्सिटी को अभी कई साल, जब शुरू में कोई चीज तैयार होती है, नई-नई, तो निश्चित रूप से कई कमियां-खामियां उसमें होती हैं परन्तु कई वर्ष हो गये, अब तो हैल्थ यूनिवर्सिटी को खुले हुए। अभी जो मुझे लगता है कि हैल्थ यूनिवर्सिटी के अन्दर जो इंटर डिपार्टमेंटल को-आर्डिनेशन होना चाहिए, उसकी बहुत बड़ी कमी है। हालांकि जो आज वाइस-चांसलर हैल्थ यूनिवर्सिटी में लगा रखे हैं, हमारे मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल और बहुत ही लर्नेड डाक्टर हैं, he is a very good administrator also परन्तु फिर भी उसमें इंटर डिपार्टमेंटल को-आर्डिनेशन, एग्जामिनेशन सेल कुछ कह रहा है, एडमिशन सेल कुछ कह रहा है। एक-दूसरे को एक-दूसरे का पता ही नहीं, कौन कब एडमिशन करेंगे। एडमिशन होने चाहिए अक्टूबर में, तो जाकर हो रहे हैं 4 महीने, 6 महीने बाद। बच्चे यहां से चले जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाकर एडमिशन ले लेते हैं।

सबसे बड़ी बात जो सोचने की है, सभापति महोदय, कि फार्मेसी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है परन्तु इसकी जो दुर्दशा हो रही है, उसका कारण यह है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आज तक इसके जाब के लिये किसी ने सोचा नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धराजी को कि अपने शासन काल में उसमें एन.आर.एच.एम. में भी हमने प्रावधान किया कि कम से कम सी.एच.सी., पी.एच.सी. लेवल तक एक फार्मेसिस्ट की पोस्ट भी हो जाए। केन्द्र सरकार का पैसा आये, हमारे बच्चों को यहां, युवा को जाब मिले। फार्मेसिस्ट की महत्ती आवश्यकता हर पी.एच.सी., सी.एच.सी. पर है, यह मैं, सभापति महोदय, आपको कहना चाहता हूं। केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी. फार्मा करने के बाद केवल यह सोचें कि कोई दुकान खोलकर बैठ जाएगा, वह भी माननीय कटारियाजी और राजेन्द्रजी ने सही कहा था कि दुकानों पर तो लाइसेंस केवल किराये पर चलते हैं, डेढ-दो-तीन हजार रुपये महीने में लाइसेंस किराये पर लेकर वहां दुकानदार कोई और ही है। जो गुड़ का काम कर रहा है, वह दवाई बेचने लग जाएगा, उसको यही पता नहीं कि कौनसी दवाई का कम्पोजिशन कौनसा है और वह दवाइयां बेच रहा है। लाइसेंस किसी का है, बैठा कोई और है। हालांकि सरकार ने काफी सख्ती इसमें की है परन्तु मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है और जब तक यह सुधार नहीं होता, जब तक आपकी हैल्थ यूनिवर्सिटी इस लायक नहीं हो जाती कि वह सारे कोर्सेज में टाइमली एडमिशन करे, टाइमली उनके

(डा. दिगम्बर सिंह)

एग्जामिनेशंस करे और अपने सारे कोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से रन कराये, जो इंस्टीट्यूट से जाए, कोर्सेज चलते हैं, उनकी भी फिजिकल कण्डिशंस क्या हैं, वहां पर फैकल्टीज की स्थिति क्या है, ये भी सारी चीज देखने की हैं।

इसलिये यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, जब तक ये सारी चीजें नहीं होतीं तब तक इसको एक महीने के लिये जनमत जानने के लिये भेज दिया जाय।

**श्री सभापति**: श्रीमती अनीता सिंह। श्री कालीचरणजी सराफ। श्री हनुमानजी बेनवाल। श्री अमरारामजी।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010, यह जो संशोधन लेकर आये हैं, निश्चित रूप से उदयपुर से, तारानगर से और डीग से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो बातें रखीं, मैं उनको तो नहीं दोहराना चाहता लेकिन जहां तक तकनीकी शिक्षा, यह बात सही है कि इनको उसमें स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में सम्मिलित करने के लिये लेकर आये हैं लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, तकनीकी शिक्षा की जो हालत है, वैसे मंत्रीजी तो केवल काम-चलाऊ हैं, जहां तक सीकर में पोलीटेक्निक का महाविद्यालय है, उसमें न तो पूरा स्टाफ है, वहां जो प्राचार्य लगा रखा है, वह महीने में एक या दो दिन जाता है और हाजिरी करके आता है। अब आप बताइये कि संस्था का हैड ही ऐसे जाएगा तो उस संस्था का क्या हाल होगा? मंत्री महोदय, आप उसको दिखाइये।

जहां तक निजी ये तकनीकी महाविद्यालय खोले हैं, भारी संख्या में खोले हैं लेकिन उनमें जो हालत, बहुत सी संस्थाओं की हालत है, जो बढ़िया रेपुटेड इंजीनियरिंग कालेज हैं, उनकी तो हालत यह है कि जिनको आपका विभाग पी.ई.टी. होने के बाद, सलेक्शन होने के बाद जिनको भेजते हैं, वह उनको एडमिशन नहीं देते। यह शोभासरिया इंजीनियरिंग कालेज, जो सीकर में है, बहुत रेपुटेड है लेकिन दो साल पहले वहां के बच्चों और बच्चियों को, जिनको भी आपने शोभासरिया कालेज अलाट किया, उनको कह दिया, हमने तो सीटें भर दीं। उन्होंने प्रदर्शन किया, कलक्टर के यहां दो दिन तक भूख-हड़ताल की, तब जाकर कलक्टर को इंटरवीन करना पड़ा और उसके बाद उनको एडमिशन दिया गया। दुर्भाग्य यह है कि मैंने उसके लिये प्रश्न लगाया और आपके विभाग ने उत्तर दिया कि कोई समस्या नहीं है, जबकि कलक्टर ने इंटरवेंशन करके...।

(श्री अमराराम)

अभी नोहर में गोदारा इंजीनियरिंग कालेज है, वहां के तमाम विद्यार्थियों को, एक भी वहां लेक्चरर नहीं है, कोई वर्कशाप नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है। वहां के तमाम विद्यार्थियों ने जब इस बात के लिये आन्दोलन किया तो वहां के एस.डी.एम. और तहसीलदार की मौजूदगी में वहां के मैनेजमेंट ने यह लिख करके समझौता किया कि एक महीने में यह जितने भी, चाहे प्रोफेसर की जरूरत है, लाइब्रेरी की है या दूसरी कोई सुविधाएं हैं, जो होनी चाहिए, वह सुविधाएं एक महीने में हम दे देंगे। लेकिन एक महीने में देने के बजाय, आपको पता है जितने भी लड़के, यहां जसवन्त सिंहजी यादव, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी उस बता को रखा था, आज उनको धमकियां दी जा रही हैं कि यह अगर मांग करोगे, इस समझौते के अनुसार लागू करने की बात करोगे तो हम आपको ठीक करने का, मैं समझता हूं, तकनीकी शिक्षा देते हैं या गुण्डागर्दी की शिक्षा देते हैं।

तो ये जो तकनीकी महाविद्यालय हैं, जो इंजीनियरिंग कालेज, जो प्राइवेट कालेज खुले हैं, निश्चित रूप से आप यह दिखाएं कि उनमें तमाम वे सुविधाएं, एक इंजीनियर बनाने के लिये जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, वे हैं या नहीं हैं। इसलिये उनको इस बात के लिये बाध्य किया जाए।

मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो प्रस्ताव मैंने जनमत जानने के लिये दिया है, निश्चित रूप से जो आपने कहा है कि फार्मेसिस्ट हैं, इनको निश्चित रूप से सी.एच.सी. और पी.एच.सी. में लगाएंगे तो वहां दवाइयों का भी ठीक से होगा और उनको भी रोजगार मिलेगा। इसलिये इसको एक महीने के लिये जनमत जानने के लिये मैं प्रस्ताव करता हूं।

**श्री सभापति**: श्री पेमारामजी। श्री घनश्यामजी तिवाड़ी। श्री ओमजी बिड़ला। श्री परसादीलाल मीणा।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, जो यह संशोधन लेकर आये हैं, इसमें शिक्षा की दोहरी व्यवस्था थी। एक ही विषय को, जो फार्मेसी था, वह राजस्थान विधान सभा द्वारा 2005 में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 22.09.2004 से प्रभावी होते हुए स्थापित किया गया था, जिसकी धारा 6(1) के अन्तर्गत राज्य में संचालित सभी फार्मेसी महाविद्यालय राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में थे। दूसरा, 2006 में राजस्थान विधान सभा द्वारा ही राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006, दिनांक 31.12.2005 से प्रभावी

(श्री परसादीलाल)

होते हुए स्थापित किया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 2(जी) के अनुसार तकनीकी शिक्षा की परिभाषा में 'फार्मेसी' शब्द होने के कारण राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 2(22) के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा की परिभाषा में फार्मेसी को भी सम्मिलित किया गया। दोहरी व्यवस्था होने के कारण इसमें से तकनीकी शिक्षा से फार्मेसी को हटाने के लिये यह संशोधन हम लेकर आये हैं। पूर्ववर्ती सरकार के समय इसकी पूरी एक्सरसाइज हो गयी थी। माननीय मंत्री, हैल्थ और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, कालीचरणजी और तिवाड़ी साहब का इसमें अनुमोदन है और इसको उसी रूप में लाये हैं जो इन्होंने किया था कि इसको एक ही जगह रखा जाए। इसलिए फार्मेसी को तकनीकी शिक्षा से हटाने के लिए यह संशोधन लेकर आये हैं।

जैसा कि माननीय कटारियाजी ने कहा कि ए.आई.सी.टी.ई. से जुड़ाव रहेगा या नहीं रहेगा, निश्चित रहें, इसका उससे जुड़ाव रहेगा। टेक्निकल बोर्ड फार्मेसी से नए फार्मेसी कोर्स एप्रूवल यथावत रहेगा।

राठौड़ साहब ने जो आशंकाएं व्यक्त कीं कि वह अधिनियम राजस्थान का क्यों नहीं आया, केन्द्र के स्तर पर उच्च शिक्षा हेतु नया अधिनियम लाया जाना विचाराधीन है जिसमें यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई., आदि संस्थाओं को मिलाकर एक केन्द्रीय संस्था के अधीन लाया जाना प्रस्तावित है। इस स्थिति में केन्द्र के उक्त अधिनियम के संदर्भ में विचार करके राज्य का अधिनियम लाये जाने पर विचार किया जाएगा।

कटारिया साहब ने कहा कि इसकी परीक्षाएं समय पर नहीं होतीं। यह दोहरी व्यवस्था के कारण शायद इसमें विलम्ब हो रहा था। अब उधर जाएगा तो इसकी बी-फार्मा, डी-फार्मा की परीक्षाएं निश्चित समय पर, जैसा कहा नर्सिंग परीक्षाओं के साथ होनी चाहिए, हम कहेंगे सरकार से, विभाग से कि इसकी परीक्षाएं उनके साथ ही करा ली जाएं।

यह सही बात है कि डी-फार्मा, बी-फार्मा को सरकारी नौकरियों का कोई स्कोप नहीं है। दुकानों पर, कहा कि इनके यह लाइसेंस का दो हजार-तीन हजार किराया मिलता है, वही इनका स्कोप है। हमने जो भी अब आगे हमारे कॉ-आपरेटिव में भी जो हम मेडिकल शाप खोल रहे हैं, वहां डी-फार्मा, बी-फार्मा वालों को लगाते हैं। सीधा इनको बैठाने की हमने हमारे विभाग से व्यवस्था की

(श्री परसादीलाल)

है। जो भी अब दुकानें खुलेंगी, भण्डार की या दूसरी वे इन्हीं को, जो स्वयं बैठेंगे, लाइसेंस नहीं, स्वयं बैठेंगे, उन्हीं को रोजगार देने की व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश से हमने की है क्योंकि इनकी नौकरी का स्कोप नहीं होते हुए भी इनको इस तरह की व्यवस्था हो जाए कि इनको रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएं।

माननीय सभापति महोदय, आपकी जो आशंकाएं थीं, इससे दोहरी व्यवस्था खतम होगी, एक जगह रहेगा तो इसकी अच्छी व्यवस्था होगी और दो जगह रहने से व्यवस्था ठीक नहीं थी। केवल एक शब्द को हटाया जा रहा है टेक्निकल एजुकेशन से, 'फार्मेसी' ।

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय,...

**श्री सभापति**: विराजिये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

**(अस्वीकृत)**

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

**खंडशः विचार**

खंड-2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-2 स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खंड-2 स्वीकार किया गया।

खंड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खंड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खंड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री परसादीलाल मीणा।

## विधेयक का पारण

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाए?

**श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, यह जो फार्मेसी पाठ्यक्रम तकनीकी विश्वविद्यालय से हटाया जा रहा है, आज भी फार्मेसी कालेजों को स्वीकृति के लिए हम ए.आई.सी.टी.ई. भेजते हैं। यह दोहरापन खतम नहीं हो रहा है। आज यह फार्मेसी कालेजों की स्वीकृति तो ए.आई.सी.टी.ई. देगी और सारे देश भर के जितने भी तकनीकी विश्वविद्यालय हैं, आज भी फार्मेसी उसके पास है और बी-फार्मेसी, एम-फार्मेसी, सबकी स्वीकृति भी ए.आई.सी.टी.ई. देती है। इसलिए यह पारित करने से पहले इस पर दुबारा एक पुनर्विचार किया जाए।

साथ में जिस टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थिति की बात करते हैं, आज टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थिति बदतर है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वाइस-चांसलर नहीं है। वहां उससे सम्बद्ध 10 कालेज हैं। पांच कालेजों में तो प्राचार्य नहीं हैं और जो पांच प्राचार्य काम कर रहे हैं वे भी ए.आई.सी.टी.ई. से जो अनुमोदित शैक्षणिक योग्यताएं हैं वे पूरी नहीं करते हैं। प्राचार्य के लिए ए.आई.सी.टी.ई. के जो आज निर्धारित मापदंड हैं, उसमें तीन वर्ष के प्रोफेसर का अनुभव होना आवश्यक है। अभी आपने जो नए जो पांच, जिनकी भर्ती होनी है, उसके लिए भी जो विज्ञापन जारी किया है उसमें भी यह धारा नहीं जोड़ी गयी है कि उसे तीन वर्ष का अनुभव हो। इसलिए ए.आई.सी.टी.ई. के जो नियम हैं, जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, उसका पालन विभाग नहीं कर रहा है। उसके बिना जितने भी यह अपाइंटमेंट्स होंगे, यह गलत होंगे। इसलिए इसको तुरन्त ठीक किया जाना चाहिए।

(श्री वासुदेव देवनानी)

साथ में आज आर.पी.ई.टी. की परीक्षा है, आर.पी.ई.टी. की परीक्षा सारे देश भर में तकनीकी विश्वविद्यालय करवाते हैं। हमारी सरकार के समय भी तकनीकी विश्वविद्यालय करवाते थे लेकिन अभी आपने उसको प्राविधिक शिक्षा निदेशालय को दे दिया जिसका इंजीनियरिंग कालेजों से किसी प्रकार का कोई संबंध तक नहीं है। इंजीनियरिंग कालेज का संबंध तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी से है लेकिन उसको टेक्निकल यूनिवर्सिटी को नहीं देकर और जिस प्रकार से डायरेक्टर को दिया है, डायरेक्टरेट को दिया है इसलिए उसमें भी आर.पी.ई.टी. की परीक्षा के साथ पूरा न्याय नहीं हो रहा है जिसे ठीक किया जाना चाहिए।

मेरे अजमेर इंजीनियरिंग कालेज की स्थिति यह हो गयी कि उसकी ग्रांट आपने केवल एक हजार रुपये कर दी। वहां जितनी नान-प्लान पोस्ट्स थीं, उन सारी नान-प्लान पोस्ट्स को आप एस.एफ.एस. में डाल रहे हैं। यह सरासर वहां के कर्मचारियों के साथ अन्याय है। केवल एक हजार रुपये ग्रांट उस पर रखकर आप अजमेर में इंजीनियरिंग कालेज किस प्रकार का चलाएंगे, यह समझ में नहीं आता है। फिर जब आपको तकनीकी शिक्षा में सुधार करना है तो वहां के स्टाफ की भी चिंता करनी पड़ेगी। आज अजमेर इंजीनियरिंग कालेज के प्राध्यापकों को कैरियर एडवांसमेंट नहीं मिला है, बाकी सारे कालेजों को मिल चुका है। 17-17 वर्षों से प्राध्यापक हैं, बड़े कुंठित हो रहे हैं, वे पढ़ा नहीं पा रहे हैं। इसलिए उसकी आप कोई चिंता करें।

एक बात और, सब इंजीनियरिंग कालेजों में आपने कांट्रेक्ट पर कर्मचारी रखे हैं, सारे इंजीनियरिंग कालेजों में। अजमेर को छोड़कर कांट्रेक्ट के कर्मचारियों के छठा वेतनमान आने के बाद उनके आपने वेतन बढ़ाये हैं लेकिन अजमेर के प्राचार्य ने उनका वेतन आज तक नहीं बढ़ाया। वे डिमांड करते रहे, परेशान हैं। इस युग में ढाई हजार, तीन हजार रुपये में कैसे कौन जीवन जी सकता है? एक चपरासी भी नहीं जी सकता। वहां के कर्मचारियों की आपने यह स्थिति बना रखी है।

आपके प्रिंसिपल्स अपने हैडक्वार्टर पर नहीं रहते। भरतपुर में एक छात्र का मर्डर हो गया। इंजीनियरिंग कालेज का प्राचार्य कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है। इन प्राचार्यों को पाबंद करें कि अपने हैडक्वार्टर पर रहें और उन कर्मचारियों की चिंता करें, कालेज का प्रशासन देखें तब जाकर हम तकनीकी शिक्षा के साथ न्याय कर पाएंगे।

(श्री वासुदेव देवनानी)

केवल 'फार्मेसी' शब्द को हटाकर हम तकनीकी शिक्षा का भला नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं इस सदन से आग्रह करूंगा कि इसको पारित नहीं किया जाए। फार्मेसी क्योंकि जब तक ए.आई.सी.टी.ई. से नहीं हो, वहां से हट जाए तो आप भी हटाइये लेकिन जब तक वहां से नहीं हटे तब तक आप इसको वहीं रहने दें। यह मैं आपसे मांग करता हूं।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं कि यह जितने भी बी-फार्मा और डी-फार्मा जिन बच्चों ने किया है अगर अपन इनको लोन उपलब्ध करा दें तो ये बच्चे सारे के सारे अपनी मेडिकल की दुकान खोलने की क्षमता में आ जाएंगे। एक ओर उनको जाब की सिक्योरिटी हो जाएगी। कोई न कोई ऐसा तरीका निकालिये। नहीं तो क्या होगा कि ये सेठ की नौकरी करते-करते ही केवल अपनी फोटो और अपना सर्टिफिकेट वहां लटकाकर, बैठकर सारी जिन्दगी बर्बाद कर डालेंगे।

दूसरा यह भी देखिये कि कम से कम जो भी आपका ड्रग इंस्पेक्टर है, उसको कहिये कि एक दिन एक शहर की सारी दुकानों को एक साथ देख लें तो दो शहर भी नहीं जाना पड़ेगा। एक ही शहर में एक ही व्यक्ति के नाम पर कहीं दो दुकानें तो नहीं चल रही हैं। कम से कम इन बच्चों के भविष्य का ख्याल करके जब इतना बी-फार्मा और डी-फार्मा किया है, उन बच्चों ने, पहले तो एडमिशन बहुत मुश्किल से होता है और पढ़ाई भी मुश्किल से और काफी खर्चा लगता है, साधारण आदमी के लिए और उसके बाद भी उसकी कोई जाब सिक्योरिटी नहीं है। सरकारी जाब नहीं मिले, कोई बात नहीं पर कम से कम आपके पास सहकारिता का भी काम है, इसका भी है, कहीं न कहीं इनको लोन के साथ जोड़कर इनकी एजुकेशन को, इनको जाब पर लगाने के लिए प्रयास करें। एक इनकी परीक्षाएं समय पर कराएं ताकि शिक्षा सीटों का अलाटमेंट समय पर हो तो बच्चों को एजुकेशन का लाभ मिले।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं एक छोटा-सा निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में फार्मेसी काउंसिल बनी हुई है। बी-फार्मा किये हुए, डी-फार्मा किये हुए, सबको अपना रजिस्ट्रेशन उसमें करवाना अनिवार्य है। उसके बिना वे कहीं दवाई की दुकान पर कोई काम नहीं कर सकते। फार्मसी काउंसिल के अन्दर हजारों की संख्या में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशंस लम्बे समय तक पेंडिंग रहती हैं। क्यों नहीं आप एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अभियान चला कर ये जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस में कुछ एप्लीकेशंस वे भी हैं जो बी-फार्मा या डी-फार्मा दूसरे प्रदेशों से करके आये हैं। उनका रजिस्ट्रेशन यह कह कर रोक लेते हैं कि वहां से अभी हमें एन.ओ.सी. लेनी है। आप स्पेसिफिक टाइम रखिये और यह जो पेंडेंसी है फार्मेसी काउंसिल में, इसमें एक अभियान चला कर इस पेंडेंसी को समाप्त कीजिए।

दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि हम गांवों के अन्दर मेडिकल हैल्थ की सर्विसेज को बढ़ाते जा रहे हैं। पहले गांवों के अन्दर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र नहीं हुआ करते थे, उप-केन्द्र हुआ करते थे। आज गांवों के अन्दर सी.एच.सी. हैं, गांवों के अन्दर जब डाक्टर बैठेगा तो सरकारी हास्पिटल की दवाई एक लिमिटेड दवाई है, उनका एक लिमिटेड बजट भी है, पर गांवों के अन्दर डाक्टर उस मरीज को देखेगा और उसके प्रेस्क्रिप्शन पर लिखेगा कि अमुक-अमुक दवा ले आओ और दवाई लेने के लिये उसको शहर के अन्दर आना पड़ेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई ऐसी इंसेंटिव स्कीम लेकर आओ, इंसेंटिव कोई ऐसा हो कि बी-फार्मा, डी-फार्मा किया हुआ हमारा बच्चा किस तरह गांव के उस हास्पिटल के पास अपनी दुकान खोलकर बैठे। इस पर भी आपको निश्चित तौर पर सोचना चाहिये।

**श्री सभापति**: श्री परसादीलाल जी मीणा।

**श्री परसादीलाल** (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है कि टेक्निकल एजुकेशन में बहुत सारी पोस्टें वेकेंट पड़ी हैं, जो योग्यता होनी चाहिये, उस योग्यता के बिना प्रोफेसर और प्रिंसिपल को अपांइट कर दिया जाता है। कोई विज्ञापन निकला है, अभी आप उसका भी हवाला दे रहे थे। मैं इस पूरे मामले को दिखवाकर जो नियमों में होगा, वैसा ही करेंगे। बिना नियमों के कोई भी नियुक्ति, बिना योग्यता के कोई भी काम टेक्निकल एजुकेशन में नहीं होगा, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

दूसरा, माननीय कटारिया जी ने कहा कि फार्मेसी करने वालों की नौकरी तो होती नहीं, इनके लिये ऋण की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि को-आपरेटिव से एक स्कीम बनायेंगे। बी.फार्मा, डी.फार्मा किया हुआ व्यक्ति लोन लेना चाहे, हम उसके लिये पूरी छूट देंगे। हमारे को-आपरेटिव बैंकों से इनके लिये लोन की व्यवस्था एक स्कीम बनाकर जल्दी

(श्री परसादी लाल)

अप्रेल-अप्रेल में स्कीम बनाकर उनको पूरी सुविधा देंगे, बिना कोई भागदौड़ के। जहां हमारी बैंक हैं, वहां पर उनको किसी तरह लोन की व्यवस्था करेंगे।

तीसरा, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने लाइसेंस के लिये कहा कि फार्मेसी काउंसिल में बहुत सारे आवेदन पेंडिंग हैं। यह सही बात है, पेंडेंसी बहुत ज्यादा हो सकती है, बनाते नहीं, टालते हैं और इसको परेशान करने का भी एक रीजन होता है। मैं आपको भरोसा देता हूं, आज ही मैं काउंसिल को निर्देशित करूंगा कि जितनी भी एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं, एक अभियान चलाकर जो पहले स्टेट के लोग हैं, उनका सबका एक साथ लाइसेंस बना दें अप्रैल-अप्रैल में। फार्मेसी काउंसिल में एक भी इस तरह की एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं रहेगी।

दूसरा, यह कहा गया, यह सही है कि हमारी सी.एच.सी., पी.एच.सी. में बी फार्मा, डी फार्मा वालों के लिये अगर वहां मेडिकल की शाप हो तो इनको रोजगार मिले। जब यह ऋण लेंगे सी.एच.सी., पी.एच.सी. में हम जेनेरिक दवाइयों की दुकान खोल रहे हैं तो वहां पर हम इनको प्राथमिकता देंगे। मेरा तो यह भी मानना है कि को-आपरेटिव सारी जगह जहां भी पी.एच.सी., सी.एच.सी. हैं प्रदेश में, वहां पर सब जगह मेडिकल की शाप को-आपरेटिव और भंडार के माध्यम से हम शुरू करना चाह रहे हैं। हमारी योजना में भी है। इससे जो बेरोजगार हो जाते हैं, उनके लाइसेंस होते हैं, किराये देने पड़ते हैं। उनको किराये पर नहीं देकर स्वयं रोजगार उनको मिले, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे।

सभापति महोदय, इसको पारित करायें।

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया गया।

राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010, डा. जितेन्द्र सिंहजी।

# विधेयक पर विचार

## राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010

**डा. जितेन्द्र सिंह** (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं। मैंने माननीय मंत्री महोदय को भी निवेदन किया था, मैंने विधि मंत्री महोदय को भी निवेदन किया, मैं आसन को भी निवेदन कर रहा हूं। हमारे यहां पर बिलों के बारे में, जब हम सरकार में थे, आज आप सरकार में हैं, जब हम बिल बनाकर पास करते हैं तो उसके उद्देश्य और कारण होते हैं। जिस बिल से पूरे स्टेट को नुकसान होने वाला हो, जो काम करने वाला है, उसको नुकसान होने वाला हो और जिसका कोई लाभ ही नहीं होने वाला हो, जो अकारण किसी के लिये लाया गया हो, उसको जब तक सलेक्ट कमेटी में भेजकर हम विचार नहीं करते, तब तक ठीक नहीं रहेगा। अगर सरकार का मन नहीं था तो जब मेरा नाम आयेगा तब उस समय बात करूंगा और सरकार का मन अगर सलेक्ट कमेटी में भेजने का है तो वैसे बतायें वरना इस बिल पर हम मतदान तक भी जायेंगे और इसमें बात करेंगे। क्योंकि यह बिल काला बिल है, जो सारे विश्वविद्यालयों का अस्तित्व ही समाप्त कर देगा, आज तक की सारी पूंजी को समाप्त कर देगा, सारे विद्यार्थियों का भविष्य अधर में डाल देगा, इसलिये अगर सरकार का विचार है तो ठीक है वरना तो हम हमारी बात है, इसमें विचारार्थ लेंगे। मेरा नम्बर आयेगा, इसको हम रखेंगे। (व्यवधान) आपका मन नहीं है? इसको पारित करायेंगे?

**श्री सभापति**: श्री गुलाबचन्द कटारिया।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): सभापति महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। भले ही आपको बहुत आसान लगता होगा कि दो शब्दों को बदल रहे हैं, पदनाम बदल रहे हैं और दुर्भाग्य तो यह है कि कल हमने कुछ यूनिवर्सिटीज के अन्दर ये पदनाम बदल भी दिये। मतलब, इसको बहुत शांति से विचार करना चाहिये। यह केवल राजस्थान का सवाल नहीं है। राजस्थान में ही विश्वविद्यालय चलते हों, ऐसी बात नहीं है। विश्वविद्यालय तो सारे देश में चलते हैं और यू.जी.सी. द्वारा भी उसकी देखरेख

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

होती है। अगर सम्पूर्ण प्रदेशों में ये विश्वविद्यालय हैं, यही पदनाम हैं तो केवल आप राजस्थान में इन पदनामों को बदल सकेंगे क्या? और बदलेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? इस विश्वविद्यालय में मतलब, सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय, केवल इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति नहीं हैं जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उसमें वे कुलाधिपति हैं। तो शायद यह ध्यान में आया होगा कि अगर कहीं दूसरे भी इसी नाम से पुकारे जायेंगे तो हमारा स्टेटस थोड़ा कम होगा। मैं सोचता हूं, यह मीटिंग हुई थी, यह जनवरी, 2008 में हुई थी जिसमें सारे विश्वविद्यालयों के कुलपति और कुलाधिपति थे, वहां यह चर्चा हुई थी और इस चर्चा में यह बात आई थी कि जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं, उनके अन्दर इस नाम को नहीं देकर कोई नया नाम दिया जाये। उसके बाद आपने देखा होगा, यह जितने भी निजी विश्वविद्यालय हमने बनाये हैं, जिसकी आपने सूची दी है- सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, अधिनियम, 2008, जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2008, यह जो आपने हमको सूची दी है 13 विश्वविद्यालयों की, अब तक यहां से जिनको स्वीकृति दे चुके हैं, उनमें यही पदनाम थे, जो हमारे सरकारी विश्वविद्यालयों में नाम हैं। अब आप इसमें यह चाहते हैं कि इस नाम को बदलकर इनकी जगह उनको कुलपति नहीं कहकर चेयरपर्सन कहा जाये। अब मैं नहीं समझ पाया हूं कि राजस्थान अगर इनको चेयरपर्सन कह देगा तो महाराष्ट्र का व्यक्ति जब वही कहा जायेगा, किसी प्राइवेट विश्वविद्यालय में और वहां गलती से उसने उस नाम से पुकारा तो कहेंगे कि यहां तो ऐसा कोई आदमी नहीं है, यहां तो पोस्ट ही नहीं है। टेलीफोन में उसका नम्बर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो चेयरपर्सन लिखा मिलेगा।

सम्पूर्ण देश में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से आप अलग कैसे हट सकते हैं और कैसे इसको कर सकते हैं? क्योंकि हायर एजुकेशन कोई राजस्थान अकेले की नहीं है। हायर एजुकेशन तो सारे देश की है और जब सारे देश में इन पदों को जिस नाम से पुकारा जाता है, उन्हीं पदनाम से हमको पुकारना चाहिये। मैंने कल भी यह विषय उठाया था कि इस तरह से आप नाम देकर क्यों जबरदस्ती, इसका क्या फर्क पड़ता है? अब निजी विश्वविद्यालय का होगा तो वहां कुलपति कहलाया जायेगा। उसमें क्या फर्क पड़ेगा? सरकारी विश्वविद्यालय होगा, उसमें भी कुलपति के नाम से कहा जायेगा। सांगानेर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने कल भी इस विषय में आपको थोड़ा हिंट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिया था कि मैं इस विषय पर कल बोलूंगा। मान लो आप इसी जिद पर अड़ गये हो कि नहीं, हम तो बिलकुल इससे नहीं हटेंगे तो आज नहीं हटाओगे तो कुछ दिन बाद हटाना पड़ेगा। क्योंकि आखिर यू.जी.सी. आपसे सवाल तो पूछेगी कि आपने यह पदनाम किस हिसाब से बदले। इस विश्वविद्यालय को यू.जी.सी. से किसी प्रकार से कोई अनुदान लेना पड़ेगा, एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी या बाकी जो भी कोर्सेज हैं, उनके बारे में अगर कहीं उनका आपस में संवाद होगा या कोई विषय आयेगा तो मैं सोचता हूं वह कैसे अन्तर करेंगे? केवल निजी विश्वविद्यालय राजस्थान ने ही बनाये हों, ऐसी बात तो नहीं है। सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में सैकड़ों की तादाद में निजी विश्वविद्यालय बने हुए हैं। कई राज्यों में तो वर्षों से चल रहे हैं। जब वहां यही नाम रह सकता है तो राजस्थान के अन्दर ऐसा क्या स्वाभिमान का सवाल पैदा हो गया कि अगर यह नाम किसी दूसरे का रहेगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा?

मैं सोचता हूं, जब विश्वविद्यालय को आप खैरात की तरह बांट रहे हो, कल भी मैंने कहा, जिस ढंग से दिये जा रहे हैं, मैं सोचता हूं, आज जो विश्वविद्यालय सरकार बनायेगी, आज अपन पशु चिकित्सा का जो विश्वविद्यालय बना रहे हैं, उसमें अपन कितनी धाराएं बनाकर सरकारी व्यवस्था होने के बाद भी उसमें राइडर लगाकर हरेक को आपने एक्सप्लेन किया कि इसका क्या काम होगा, इसका क्या काम होगा। कृपा करके आप उतनी धारा

**(15.00 बजे)**

लगाते, आदमी कोई दूसरे रहते, कम से कम उसमें सब राइडर को डालते ताकि सब प्रकार का कंट्रोल, परीक्षा का भी कंट्रोल रहता, बाकी चीजों का भी कंट्रोल रहता, सिलेबस का भी कंट्रोल रहता लेकिन हमने तो केवल छह-सात लाइनें डाल दीं और सारे के सारे अधिकार सेठ को दे दिए कि तेरी मर्जी हो जैसे चल। तो वैसे भी, आप इसको यहां पर बहुमत के आधार पर करेंगे भी सही और फिर अपने को नीचा देखकर वापस उसको बदलना पड़ेगा। पूरे प्रदेश की हंसी होगी। इसलिए इसको प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए।

मैं सोचता हूं कि अगर इसका नाम दो महीने नहीं बदला तो आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा। आप सलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए। सलेक्ट कमेटी में आप और हम सब होंगे, इस पर विचार करेंगे और बाकी प्रदेशों से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी इसकी जानकारी लेंगे। जानकारी लेने के बाद अगर लगेगा कि यह यू जी सी और हमारे आधार पर यह नाम नहीं बदले जा सकते हैं तो नहीं बदले जायेंगे। उसके बाद भी अगर आपने यह तय कर लिया कि हम तो बहुमत के आधार पर पास करेंगे तो मैं सोचता हूं, घनश्यामजी भी अपनी तरफ से सुझाव बतायेंगे।

ऐसी मजबूरी ही आ गयी है, हम जो पढ़ते थे, कुल प्रमुख के नाम से पढ़ते थे, जैसे जर्नादन राय विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई तो जर्नादन राय नागर को कुल प्रमुख के नाम से पुकारते थे। वह वाइस-चांसलर के नाम से कुल प्रमुख था। उस समय वह उस विद्यापीठ का प्रमुख था, विश्वविद्यालय का नहीं, वह सारा का सारा उनके अन्तर्गत चलता था। मैं समझाता हूं, अगर बिलकुल ही तय कर लिया, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया तो इस अटपटे नाम की बजाय तो कम से कम ठीक नाम लें जिससे हम लोग पहचान भी सकें। हमें पता लगे, कोई अनपढ़ आदमी हो तो उसको भी पता लगे कि यह नाम क्या है। प्रेसिडेंट तो समझ में जाता है लेकिन यह प्रो-प्रेसिडेंट क्या होता है और एक और नीचे प्रोवोस्ट है। यह प्रोवोस्ट क्या है, यह समझ में ही नहीं आता, प्रोवोस्ट होता क्या है? मैं सोचता हूं कि नाम को समझने के लिए डिक्शनरी लेकर बैठना पड़े, नाम को समझने के लिए, ऐसी जिद करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि आप निश्चित रूप से, जिसको पूछना है पूछ लीजिए, इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाकर, पूरे प्रदेश की इज्जत का सवाल है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमको लौटकर आना पड़े और वापस अपनी जगह जाना पड़े तो हंसी होगी कि राजस्थान में दो सौ के दो सौ विधायक बैठे थे, पूरा का पूरा हाउस बैठा था। एक छोटी सी बात को समझकर नहीं, केवल एक नाम परिवर्तन की बात का इतना सा बहाना लेकर, अगर हम नाम परिवर्तन करेंगे तो मैं सोचता हूं उचित नहीं होगा। फिर इस पर विचार कर लीजिए। बाकी लोगों के भी विचार सुनने के बाद मेरे विचार से तो यह है कि इसको वापस ले लेना चाहिए और फिर से वापस इस पर विचार करना चाहिए। बाकी सारे स्टेट्स का और यू जी सी से भी इस बारे में चर्चा करके क्या स्थिति बनेगी, क्या नहीं बनेगी, उसके बाद निर्णय हम कर सकते हैं। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री राजेन्द्र राठौड़।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था, अभी मंत्रीजी नहीं हैं, मेरा यह कहना है, मेरा एक प्रश्न है, उसकी जानकारी भी कर लें आप। मूल रूप से इस सदी में, सदन की यह परम्परा रही है, बिल में मिल-जुलकर हम इसको पास करते हैं, जो भी गलती होती है उसको ठीक कर लेते हैं। मैंने बिल पेश किया था, मैंने प्रवर समिति को भेज दिया था। यहां कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध किया था, मैंने प्रवर समिति को भेज दिया। हमारा इतना ही तो कहना है कि यह बिल किस काम के लिए आया है? 2008 में राजस्थान के राज्यपाल की अध्यक्षता में बैठक हुई और कुलपति आये और उन्होंने कह दिया कि साहब यह कुलपति नाम हमारा है, कुलपति नाम उनका भी, यह तो बात अच्छी नहीं है। उन्होंने कह दिया, प्रस्ताव सरकार को भेज दिया कि कुलपति नाम बदल दो। मान लो, कल पुलिस अधीक्षकों की मीटिंग होती है और अधीक्षक मिलकर फैसला कर देंगे कि हमारा नाम अधीक्षक है इसलिए पी एच ई डी और बिजली बोर्ड में ये अधीक्षण अभियन्ता हैं, इसलिए यह नाम मत रखो। तो क्या आप सबके नाम काट दोगे? यह क्या मतलब हुआ? किसी के यह बात जच गई कि मेरा नाम कुलपति है तो इसका नाम कुलपति क्यों? मेरा नाम सुरेश है तो इसका नाम सुरेश क्यों? यह ईर्ष्या किस बात की? एक। और इस ईर्ष्या से अगर राज्य को कोई लाभ होता तो हम राज्य के लाभ की सोचते। अगर विद्यार्थियों को कोई लाभ होता तो विद्यार्थियों के लाभ को सोचते। क्या नुकसान है?

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने मापदण्ड तय कर रखे हैं कि धारा 12 के अन्तर्गत किनको मान्यता दी जाएगी। सात विश्वविद्यालयों को मान्यता दी। आपने राजस्थान वालों को दे दी और उनको सबको कहा कि आपका कुलपति कौन, कुलपति की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उप-कुलपति कौन, उसका विजिटर कौन, उसकी संकाय का प्रमुख कौन, उसकी फैकल्टी किस प्रकार की होगी, ये सारी जो मान्यताएं होंगी उनको धारा 12 के अन्तर्गत यू जी सी करेगा। जो आपने यह नाम चेंज किया, इन सारे विश्वविद्यालयों को यू जी सी का नाम नहीं मिलेगा। एक। दूसरा, इनको बुलायेगा कौन? कुलपतियों का सम्मलेन होगा तो चेयरपर्सन को कौन बुलायेगा? चेयरपर्सन की कोई योग्यता ही आइडेंटिफाई नहीं होगी। कुलपति कम से कम पढ़ा-लिखा होगा, प्रोफेसर होगा। चेयरपर्सन कौन होगा? एक बात।

फिर यह चेयरपर्सन और यह प्रेसिडेंट और यह प्रो-प्रेसिडेंट और यह प्रोवोस्ट, इनका भी तो नाम कुछ होगा प्रेसिडेंट का। चेयरपर्सन का कोई हिन्दी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में नाम ही नहीं है क्या? यह नाम लेकर आ गये। मतलब बिल लाते समय हम सारी प्रतिष्ठा को खाक में मिला दें, सारे विधि के ज्ञान को खाक में मिला दें। इतना बड़ा काम हुआ, जब सारे नाम परिवर्तन किये, सारा का आयोग बना, उसने नाम सुझाये, विधि की शब्दावली हमने बनायी, वह शब्दावली हमारे पास बनी हुई है। यह प्रलय ही हो रही थी तो 2008 से 2010 दो वर्ष हो गये, दो वर्ष तक इन नामों के कारण से कोई प्रलय नहीं हुई और अब नामों के कारण से प्रलय हो जाएगी?

फिर उन हजारों विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा। उनका यूनिवर्सिटी का जो सर्टिफिकेट होगा, उस पर चेयरपर्सन के दस्तखत होंगे, वह सारा का सारा माना जाएगा, एक कोर प्रोडक्ट कम्पनी का सर्टिफिकेट माना जाएगा। उन हजारों विद्यार्थियों की नौकरी नहीं लगेगी। वह धूल फांकते फिरेंगे। वे कहेंगे, उनके साथ अन्याय करने का अधिकार किसने दिया है।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से, सरकार इस पर पुनर्विचार करे। हम सारे हिन्दुस्तान की यूनिवर्सिटीज के एक्ट्स को मंगवाकर देख लेंगे, हम सारा काम कर लेंगे। जब दो वर्ष में ही कुछ नहीं हुआ तो तीन महीने में क्या प्रलय हो जाएगी, जो आप इस बिल को पास करवाकर लेकर जाएंगे? मेरा विनम्र आग्रह है कि इसके लिए एक सलेक्ट कमेटी बना दी जाए, एक समिति बना दी जाए। समिति और सलेक्ट कमेटी मिलकर इस बिल को देख लें और यही नाम रखने होंगे तो इनके नाम, जैसे कोई हिन्दी के नाम जैसे कुल-प्रमुख नाम है, कुलाधिपति या और कोई नाम है, सारे नाम हैं, कुलाचार्य नाम हो जाएंगे। अभी भी सेकंडरी और सीनियर सेकंडरी स्कूल जो प्राइवेट चलते हैं, उनमें भी प्राचार्य नाम है, उनमें भी आचार्य नाम है। सरकारी सेकंडरी स्कूल्स के हैडमास्टर मिलकर यह कह देंगे कि यह प्राचार्य नाम काट दीजिए तो सरकार दूसरे दिन बिल लेकर आ जाएगी तो प्राइवेट स्कूल्स में एक भी प्राचार्य नहीं होगा। उनको आप प्राचार्य कहेंगे? मतलब क्या हुआ इसका? इसके साथ यह मजाक है। यह बिल एक मजाक के रूप में जायेगा और सरकार इसको पास करने पर तुली हुई है।

हम हमारी बात रखेंगे, विरोध करेंगे, विभाजन करायेंगे, वोट करायेंगे और हमारा विरोध दर्ज करायेंगे। सरकार बहुमत के आधार पर पास कर ले। हम नहीं चाहते कि बिल के बारे में इस प्रकार की जिद की जाए। माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, यह दो वर्ष पहले की बात है, दो वर्ष तक यही नाम चलते रहे हैं। इसका कोई नुकसान नहीं हुआ।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसलिए, मंत्रीजी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पर आप शांति से विचार करें। सदन के ये माननीय हैं, इनकी भी राय ले लें और राय लेकर इसके लिए आप सलेक्ट कमेटी बना लें। सलेक्ट कमेटी बनाने की हमारी परम्परा रही है। हमारे बिल आते रहे हैं, हम बिल लाकर वह काम करें तो उचित लगेगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सभापति महोदय, मैंने मेरे संसदीय जीवन में इस प्रकार का लापरवाही से और एक तरह से पूरे सदन का मजाक करने वाला बिल नहीं देखा। यह बिल लाया जा रहा है, एक तरह से इस बिल के माध्यम से जहां एक ओर हम हजारों विद्यार्थियों के जीवन पर संकट खड़ा करने जा रहे हैं, वहीं यू जी सी ने एक माडल एक्ट बनाया। यू जी सी ने जो माडल एक्ट बनाया, उसके अन्दर उन्होंने यह तय किया, राज्य सरकारों को वह माडल एक्ट सर्कुलेट किया कि आप अपने-अपने राज्य के अन्दर जब निजी विश्वविद्यालय आयें तब इस माडल एक्ट के अनुसार आप निजी विश्वविद्यालय का एक्ट बनायें। उस यू जी सी के माडल एक्ट के सेक्शन 12 के बारे में, जिसका जिक्र सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया, उसमें स्पष्ट तौर पर चांसलर, वाइस-चांसलर, प्रो-वाइस चांसलर के नाम दर्ज हैं। अब कुछ लोग सम्मलेन कर लें और राज भवन में सम्मेलन हो जाए, राज भवन में कल सम्मेलन करके और राज्यपाल महोदय के यहां से यह आदेश आ जाए कि आप राजस्थान विधान सभा का नाम बदलो तो क्या हम बदल देंगे? मैं तो कहूंगा कि यह हमारी संस्कृति पर हमला है। अनादिकाल से भगवान राम ने गुरु आश्रम में जाकर शिक्षा ली थी। विश्वामित्रजी और उन सबको कहा करते थे, कुलाधिपति और कुलाचार्य कहा करते थे। आज कुलपति के स्थान पर हम चेयरपर्सन की बात करेंगे। यह हमारी संस्कृति पर सीधा-सीधा हमला है। जब यह मालूम पड़ेगा गांव के व्यक्ति को कि इनको एतराज है, भगवान और विश्वामित्र के नाम पर कुलाधिपति क्यों लगा था।

मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, अगर सारी बातों को देखें, मेरा आपसे निवेदन है, यह आज की बात नहीं है, यह फैसला 04 और 05 जनवरी, 2008 में राजभवन में हुआ और सही कह रहे हैं सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, कल को आपका एस पी खड़ा होकर कह देगा कि मैं तो एस पी हूं सिविल पुलिस का, ये एंटी-करप्शन वाले एस पी साहब हैं, नाम बदलो इसका, एस पी एंटी-करप्शन लिखते हैं। कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, गृह मंत्रीजी कर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भी देते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गम्भीर बनो। उच्च शिक्षा मंत्रीजी, पेशे से डाक्टर हो। यह आपके हाथ से आज इस तरह का कानून पास हो रहा है, जो कोई भी सुन रहा है, चाहे जिस किसी के पास भी यह ध्वनि जायेगी, लोग कहेंगे, डाक्टर साहब, आपकी डिग्री पर भी लोग शक करेंगे। निश्चित तौर पर इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ एक आदेश से, चार और पांच जनवरी को जो कुलपतियों का सम्मेलन हुआ, उनकी मांग पर आप अगर इस चेयरपर्सन लिखोगे और वह लड़का जायेगा अपनी डिग्री को लेकर देश में, विदेश में, दूसरी जगह पर, मल्टी-नेशनल कम्पनी के पास जायेगा, उस सर्टिफिकेट को जो देखेगा, कहेगा, यह सर्टिफिकेट तेरा फर्जी है। इसलिए कहेगा कि आज तक हिन्दुस्तान के अन्दर कोई ऐसा प्रमाण पत्र बता दे जिसमें डिग्री के नीचे लिखा होगा चेयरपर्सन, जिसमें डिग्री के नीचे लिखा होगा प्रेसिडेंट ? प्रेसिडेंट का नाम तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो स्टूडेंट्स यूनियन और कर्मचारी यूनियन के लिए और छात्र संघ के अध्यक्षों के नाम जुड़ा रहता है। क्या करना चाहते हैं? कौनसा प्रश्न बनाना चाहते हो?

इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है और आज तक जितने बिल आये हैं, प्रतिपक्ष ने कभी ऐसा विरोध नहीं किया। आज हमारे उप नेता कह रहे हैं कि हम डिविजन तक जायेंगे। मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा, माननीय सभापति महोदय, आप कृपया इसमें जल्दबाजी नहीं करें, आप इनकी व्यवस्था कर लें, इसमें सदन के अन्दर वोट होगा। हम हमारी संस्कृति पर हमला नहीं होने देंगे। आप बात करते हैं, वोट लेने के लिए कई तरह की बात करते हैं, यह कुलाधिपति का नाम हटाना और उसके आगे प्रेसिडेंट का नाम जोड़ना, यह अंग्रेजियत की बू आ रही है इसके अन्दर। यह हमारी संस्कृति पर हमला है। इसके साथ उन लाखों, हजारों बच्चों के साथ खिलवाड़ है जो निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश तो ले लेंगे, इसके साथ ही जो भी, चाहे शिक्षा जगत में सेवा के भाव से आया हो, चाहे शिक्षा जगत में व्यवसाय के भाव से आया हो, आपका शिक्षा जगत के अन्दर जो राजस्थान एजुकेशन हब बनने जा रहा है, आपके इस एक्ट से सारी चीज धूल धूसरित हो जायेगी।

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसको प्रवर समिति को सौंपें या जनमत जानने के लिए प्रचारित करें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): इसमें आप पहले व्यवस्था करायें। यह बिल तो विचारार्थ तब शुरू होगा जब बहस हो। ये तो प्रारम्भिक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आब्जेक्शंस हैं हमारे। बिल पर तो बहस तब शुरू होगी, पहले इसमें सरकार अपनी मंशा बता दे कि इसको पारित कराना है तो फिर वह विधिवत शुरू हो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): विचारार्थ लेने में ही वोट करायेंगे।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): हां, वह तो सब में, हर क्लाज पर, हर पर होगा। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: कुछ तो हो रहा है। (व्यवधान) सचेतक महोदय, हर विषय के ऊपर...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): नहीं, पहले पूछ लीजिए, सरकार का मन क्या है?

**श्री सभापति**: मंत्रीजी, आप इसमें कुछ, जो माननीय उप नेता महोदय ने बोला, उसमें आप कुछ बोलना चाहेंगे?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): सरकार जड़वत क्यों हो रही है? बताओ तो सही। बताओ, आप जड़वत क्यों हो रहे हो?

**श्री जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, कल चार घंटे तक चार विश्वविद्यालयों के नियम पारित होने में माननीय पक्ष और प्रतिपक्ष का पूरा सहयोग था...

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): नहीं, विरोध था हमारा तो, साहब।

**श्री जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): और जो एक बात निकल कर आयी वह यह थी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में और जो राजकीय विश्वविद्यालय हैं, उनके अन्दर कुछ अन्तर होना चाहिए। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): क्यों होना चाहिए? प्राइवेट कालेजों में और सरकारी कालेज में तो कोई फर्क नहीं है। प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूल में तो कोई फर्क नहीं है। इसमें क्यों होना चाहिए? बताओ, कारण बताओ, क्यों होना चाहिए? कारण क्या हैं?

**श्री जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): उसके कारण स्पष्ट हैं, माननीय सभापति महोदय।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): बताओ। (व्यवधान)

**श्री जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में स्टेचर है राज्यपाल का, जो चांसलर कहलाता है और जिसमें स्टेचर है ...(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मतलब राज्यपाल का ही तो है और वह राज्यपाल वहां विजिटर है। यह क्या मतलब हुआ? इसलिए मैंने कल चर्चा की थी न राज्यपाल की, वह-वह मतलब था। किसी आदमी का, एक बुला कर कह देगा कि आप नाम काट दो। यह मजाक नहीं है। डाक्टर साहब, यह राजस्थान के 200 लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं, वे किसी की एक की, कोई बाहर का कोई आदमी, रिटायर अफसर आकर गवर्नर बन गया और वह लाट साहब नहीं बन गया जो वह कह देगा और हम सब के सब, 200 मान लेंगे उसकी बात को। यह नहीं चलेगा यहां पर। डाक्टर साहब, यह बात नहीं चलेगी, मैं आपको साफ कहता हूं। यह राजस्थान के हजारों लोगों के साथ भविष्य का खिलवाड़ अगर सरकार करना चाहे, किसी एक आदमी के उस पर, हम नहीं करने देंगे। यह नहीं करने देंगे, आप चाहे जो इसमें करो। इसलिए ऐसा नहीं होगा।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): आप इसको सलेक्ट कमेटी को भेज दो।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): दो वर्ष में तो नहीं किया आपने। दो वर्ष में क्या बिगड़ गया था?

**श्री जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, कल जो बिल पारित हुआ था, उसमें माननीय सदस्य यहीं मौजूद थे। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): हमने एतराज किया था, माननीय सभापति महोदय। ...(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): यह मैंने कहा था कि नाम मत लिखिये, मैंने उदाहरण देकर कहा था। (व्यवधान)

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): और मैंने भी किया था।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मैंने उसके बाद देख कर कहा था कि हम इतने कंगाल हो गये हैं, हम इतने दरिद्र हो गये हैं, भाषा के हिसाब से हम इतनी कंगाली में आ गये हैं कि हमारे पास नाम नहीं हैं।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): चेयरपर्सन।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): चेयरपर्सन मैंने नाम लेकर कहा था, क्या-क्या आप नाम कर रहे हो। बिना मतलब का सारे 200 मेम्बर्स पर कलंक लगाना चाहते हैं कि हम चेयरपर्सन लिखेंगे वहां पर कुलपति की जगह। क्यों बिल पास करेंगे इस प्रकार का जो बिल हमारी सारी अस्मिता को समाप्त करने वाला होगा?

यह लेजिस्लेटिव असेम्बली है, यहां पर हम विधान सभा में विधान बनाने के लिए आये हैं हम, इस प्रकार का काला विधेयक नहीं ला सकते जो हमारी सारी परम्पराओं को समाप्त कर दे, जिससे यह कह दें लोग कि हम नाम ही नहीं जानते, हमारे पास नाम ही नहीं हैं। क्या बात हुई? यह इतना गंदा बिल लेकर आप आये हैं जिसका कानून का मतलब नहीं है कोई और यहां पर, यहां यह कानून पास कराना चाहते हैं हमारे से हां करा कर। हम नहीं करेंगे इस कानून को पास।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): और इसको इतना प्रेस्टिज पाइंट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): किसलिए बना रहे हो आप?

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): आप इसको सलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए। इसमें क्या इतनी दिक्कत है? तीन महीने बाद हो जायेगा। पहाड़ थोड़ी टूट रहा है। (व्यवधान) नहीं, आप यह देखिये कि हमारे हिन्दी के शब्द कोष में शब्द ही नहीं है। इससे ज्यादा पराकाष्ठा ...(व्यवधान)

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): माननीय सभापतिजी, केन्द्र सरकार का माडल एक्ट भी है यू.जी.सी. का, उसमें भी कहीं इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं है।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजो, विराजो।

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): उसको आधार बना लीजिए।

**श्री सभापति**: हां, बोल रहे हैं, मंत्रीजी बोल रहे हैं, आप विराजो।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): मंत्रीजी, क्या बोल रहे हैं, साहब?

**श्री जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जहां तक इससे रिलेटेड प्रश्न है, मैं बताना चाहूंगा कि यह यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का 1956 का एक्ट है और इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि राज्य सरकार पदनाम नहीं बदल सकती। This is the Act of 1956.

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): 1956 में आपकी भारत सरकार ने जो राज्य सभा में यह बिल पेश किया उसकी कापी है मेरे पास। उसमें सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए कुलपति और वह नाम लिखा हुआ है, जो आज भी पेंडिंग है। भारत सरकार ने जो बिल पेश किया 1995 में उसमें यही नाम है। भारत सरकार के बिल को भी आप नहीं मानने के लिए तैयार हो। राज्य सभा में सलेक्ट कमेटी के पास अटका हुआ है 1995 का यह।

क्या मतलब हुआ, एक आदमी मीटिंग बुला ले और एक आदमी ने प्रस्ताव पास कर दिया और आप 200 लोगों पर कलंक लगाने के लिए तैयार हो गये। सारे देश की मान्यताओं को ऊपर ताक पर रखने के लिए तैयार हुए हो। यह कोई बात थोड़ी है। आपको, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, सरकार इसको सलेक्ट कमेटी को भेज दे। बिल यहां पर सलेक्ट कमेटी को जाता है।

माननीय सभापति महोदय, आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, आप अपने सचिवालय से पूछें, आप भी अपने सचिवालय से बात करें। यह बिल पास करने का आपकी, आसन की बराबर की जिम्मेदारी है। हम उन गलतियों को देखते हैं। सारी विधान सभा पर कलंक लगाने के लिए तैयार हो जाएं। कोई बात नहीं है इस बात की। आप इसको स्वयं देखें, चाहे सदन की कार्यवाही 15 मिनट स्थगित करके देख लें, चाहे सरकार से बातचीत करके देख लें। क्यों इस प्रकार का मजाक बना रहे हैं?

**श्री सभापति**: डा. दिगम्बर सिंहजी।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): आप, साहब, आधे घंटे के लिए स्थगित कर दो, स्थगित करके इस पर विचार-विमर्श कर लीजिए। बहुत सीरियस बात है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अभी उस पर चर्चा शुरू नहीं हुई है। आप चाहते क्या हो इस पर? (व्यवधान) आप किस पर चर्चा कर रहे हो?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): इसी पर, यह जनमत जानने पर।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अभी संशोधन पर तो चर्चा शुरू ही नहीं हुई।

**श्री सभापति**: जो संशोधन प्रस्ताव आपने दिये हैं, उसके ऊपर।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अभी संशोधन पर चर्चा शुरू नहीं हुई है। मैं तो प्रारम्भिक आब्जेक्शंस पर, आपत्तियों पर बोल रहा हूं।

**श्री सभापति**: आपने दिया ही नहीं है, उप नेता महोदय।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): क्या?

**श्री सभापति**: इसके अन्दर तो कोई प्रस्ताव ही नहीं आपका, सिर्फ संशोधन ...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यह नाम रहा इनका खुद का। है न।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मेरा दिया हुआ है।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): आप क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): सात नम्बर पर नाम है घनश्यामजी तिवाड़ी।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मैं तो केवल प्रारम्भिक आपत्तियों के लिए बात कर रहा हूं अभी तो।

**श्री सभापति**: मंत्रीजी उसके ऊपर बोल चुके न। ...(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): हां, प्रारम्भिक आपत्तियों का जवाब ...(व्यवधान) इसके बाद वह आयेगा।

**एक माननीय सदस्य**: आप बोल चुके, उसके बाद वह आयेगा।

**श्री सभापति**: मंत्रीजी बोल चुके न उस पर।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): देखिये, सभापति महोदय, अभी आपने इस विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव ही नहीं किया है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): वह आया ही नहीं अभी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अगर प्रस्ताव आ जायेगा तो इसी पर हम वोट करेंगे। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): नहीं, बोल दिया होगा ...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: वोट कराओ न।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): कर लेंगे वोट; हां, वोट कर लेंगे।

**श्री फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर): संख्या बल के आधार पर मत करो। (व्यवधान) यह शिक्षा का मामला है। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): क्या, धारीवालजी, क्या समस्या हो गयी इनके आज? (व्यवधान) तीन महीने बाद में क्या प्रलय आ जायेगा? अपने यह तीन महीने बाद हो जायेगा तो अपने क्या प्रलय हो जायेगी?

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): हैं?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): यह बिल तीन महीने बाद अगर पास कर लेंगे तो क्या प्रलय हो जायेगी?

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मैं आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूं कि यह जो नाम वाला, परिवर्तन वाला है न, इससे सारी अपनी यूनिवर्सिटीज की हालत खराब हो जायेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अपन सलेक्ट कमेटी को भेज दें और सारे हिन्दुस्तान भर की, और की, भारत सरकार का जो माडल एक्ट राज्य सभा में पेश है, उसकी कापी मंगा कर अपन देख लेते हैं और तदनुरूप पदनाम कर लें, पदनाम अपन सब के कर लेंगे ताकि हमारी स्थिति ठीक रहेगी। यह मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सरकार सलेक्ट कमेटी में भेज दे, सलेक्ट कमेटी प्रस्ताव लेकर आ जाए तो अपन सब मिल कर, बैठ कर के ठीक कर लेंगे।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): नहीं, मिल कर के, बैठ कर के विचार कर लें, सलेक्ट कमेटी में चला जाए, वहां तक तो कोई एतराज नहीं होता।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): बिलकुल ठीक है।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): लेकिन आपने जिस तरीके की बात यहां पर, सदन में जो इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि संस्कृति पर हमला है ...(व्यवधान) मेरी बात सुनिये, अगर संस्कृति पर हमला है तो एन डी ए के चेयरमैन को चेयरपर्सन क्यों कहा जाता है? लाल कृष्ण आडवाणी कैसे चेयरपर्सन कहलाते हैं? तो वह संस्कृति पर हमला नहीं है और इधर यू पी ए की चेयरमैन जो कल सोनिया गांधी बनी हैं वह संस्कृति पर हमला नहीं है? तो इस तरीके का आर्ग्यूमेंट आप दो। कल जो आपने कहा था, वह यह कहा था कि नाम चेंज करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। गुजरात जैसी स्टेट जहां पर कि निरमा जैसी फेमस यूनिवर्सिटी है, वहां भी वाइस-चांसलर और प्रेसिडेंट को, चांसलर को चेयरपर्सन कहा गया है। यहां क्या एतराज है? क्या एतराज

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

है? कल आपने चार बिल पास कर दिये। कल आपके पास शाम को सारे के सारे वे लोग पहुंच गये क्योंकि ये बिल आपके टाइम के लाए हुए हैं ... (व्यवधान) नहीं, यह आपके टाइम के लाये हुए हैं। आपने उन लोगों को ओब्लाइज करने के लिए कि मैं आपका यह काम करवाता हूं, आज आपने यह इश्यू उठाया है। ख्वामख्वाह वक्त खराब कर रहे हो आप, कोई लेना देना नहीं है इस बात का।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मेरे पास कोई नहीं आया।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): मेरा निवेदन सुनिये आप। एक बात बताइये, सरकार पैसा खर्च करती है और यूनिवर्सिटी खोलती है और उसका चांसलर और वाइस-चांसलर लगाती है। एक प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वह भी उसी के बराबर में आना चाहता है। अगर हम उसको प्रेसिडेंट कह दें या वाइस-प्रेसिडेंट कह दें, क्या एतराज है? आपको इसमें क्या आपत्ति है? कौनसी संस्कृति खतम हो गयी इसमें? असल जो संस्कृति की बात करने वाले आप लोग जो हो, आप लोगों ने ऐसा भ्रमित किया है संस्कृति के नाम पर कि संस्कृति का ही सत्यानाश कर दिया आपने।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): संस्कृति का और वह सवाल नहीं है। संस्कृति का तो सवाल यह है कि मैं कह रहा हूं कि मूल रूप से हम उन हजारों विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। इन यूनिवर्सिटीज की मान्यता खतम हो जाएगी। आपने, 2008 के बाद आपकी सरकार आने के बाद में भी आपने जो यूनिवर्सिटीज के पिछली बार बिल पास किये, उनमें कुलपति और कुलाधिपति यही लिखा है।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): 2008 का है यह तो।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): पहले मुझे बात कह लेने दीजिए।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): यह शिक्षा कहां जा रही है?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): यह शिक्षा जहां आप ले जा रहे हो, वहीं जा रही है।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): आप बोलिए, आप बोल लीजिए। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं बैठ जाऊंगा।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): आप खुद समझिए इस बात को, सोचिए यह कहां जा रही है शिक्षा? (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): जहां आप ले जा रहे हो।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): नहीं, इस शिक्षा में कौन लोग जा रहे हैं? पहले तो यह हुआ करता था कि बिरलाजी ने पिलानी में इंस्टीट्यूट खोल दी, रुड़की में इंस्टीट्यूट खोल दी, नाम हो गया एक अच्छा खासा, वह इंस्टीट्यूट चल पड़ी और फिर विश्व में प्रसिद्ध हो गयी। लेकिन आज शराब के ठेकेदार इसमें घुस रहे हैं, यह भी देखना चाहिए। (व्यवधान) उनको क्या कहलवायेंगे? उनको चांसलर कहलवायेंगे?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मत लाओ इस बिल को। यही कह रहे हैं, इस बिल को मत लाओ।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): चांसलर और वाइस-चांसलर हो जायेंगे। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): यही कह रहा हूं, इसको मत लाओ।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): नाम तो बदलना पड़ेगा हमें ।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): अगर आपको लगता है, यूनिवर्सिटीज में ...(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): इसीलिए शराबी लोग जो बिल लेकर आ रहे हैं...

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): हम प्रवर समिति में नहीं जाने देंगे। इसको किसी हालत में नहीं जाने देंगे हम प्रवर समिति में। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): हां, तो करो बहस। फिर बहस होगी।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आपने कल भी हमारी बात मानी है, कृपया मेहरबानी करके शिक्षा के हित में आज भी आप हमारी बात मान कर के इस बिल को पास करवाएं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): हम इस पर बहस करेंगे। बिल तो आपके पास बहुमत है, आप शराबियों के पास ले जाना चाहते हैं, ले जाओ शराबियों के पास शिक्षा को। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इस बिल का टूथ एंड नेल विरोध करेंगे और जितना हम प्रजातांत्रिक तरीके से कर सकते हैं, हमारा विरोध दर्ज करायेंगे। सभापति महोदय, आप चर्चा करा लीजिए, हम हमारा विरोध दर्ज करायेंगे।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): करिये, आप करिये, कोई दिक्कत नहीं है।

**श्री सभापति**: डाक्टर दिगम्बर सिंह।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, बहुत ही अफसोस की बात है कि अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि शराब के जो ठेकेदार हैं वे विश्वविद्यालय खोल रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि शिक्षा को हम कहां ले जा रहे हैं। यह तो आपके मुंह से ही आप कह रहे हो कि शिक्षा को आप कहां ले जाना चाह रहे हो। (व्यवधान) अगर आज हमारे छात्रों के भविष्य को ....

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): यह आपके समय के लाये हुए बिल हैं।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): हमारे छात्रों के भविष्य को शराब के ठेकेदारों के हाथों में आप देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी आए, आपके पास बहुमत है, आप करिये।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि जब छात्र इन यूनिवर्सिटीज से डिग्री लेगा, डिग्री को किसको दिखाएगा, कौन इसमें चेयरपर्सन, कौन पहचानेगा? यूनिवर्सिटी का जो कुलपति होता है, वाइस-चांसलर होता है, वह ही सब कुछ होता है। यह केवल नाम बदल करके आप क्या करना चाहते हैं? अगर आपको बदलना है तो आपको शिक्षा के स्तर को बदलना चाहिए। आप टोटल इस एजुकेशन का कामर्शियलाइजेशन करना चाहते हैं, पूरा व्यवसायीकरण शिक्षा का करना चाहते हैं।

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): विपक्ष की एप्रोच को भी बदलना चाहिए। मैं समझता हूं, यह बिलकुल .........

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): बिलकुल हमारे छात्रों के साथ, राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। सभापति महोदय, मैं

(डा. दिगम्बर सिंह)

निवेदन करना चाहता हूं, आज प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन आ रही है, बहुत अच्छी बात है, आए पर जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में इतने उसके ऊपर हमारे राइडर्स लगाते हैं, इतने नियम-कानून से बांधकर के उनको रखते हैं और प्राइवेट सेक्टर में, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा, अगर व्यापारी प्राइवेट सेक्टर में ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेकर आयेंगे तो क्या बच्चों का भविष्य होगा, स्टूडेंट्स का भविष्य होगा, यह हम सोच सकते हैं।

सभापति महोदय, एजुकेशन में राजस्थान में पहले ही हम बहुत पिछड़े हुए हैं। केवल एजुकेशन की वजह से राजस्थान आज पिछड़ा हुआ प्रदेश है और आज भी हम नहीं जागे, आज भी अगर इस सदन के अन्दर इस तरह के बिल पारित होते रहे, मैं समझता हूं कि राजस्थान का भविष्य फिर अन्धकार में डूबने वाला है और यहां के छात्रों के साथ एक घोर अन्याय सरकार करने वाली है। सभापति महोदय, इसका फैसला केवल यहीं नहीं होगा, अगर यह बिल पारित हुआ तो इसका फैसला राजस्थान की सड़कों पर होगा, राजस्थान की गली-गली में जाकर होगा। इसको यहां पर केवल बहुमत के आधार पर पास कर लें तो इसका मतलब यह नहीं है कि राजस्थान की जनता के साथ, राजस्थान के हमारे छात्रों के साथ हम आपको खिलवाड़ करने देंगे।

चेयरपर्सन का नाम दे दिया, अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री होती, उसका चेयरपर्सन बना रहे, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई आब्जक्शन नहीं है। यह चेयरपर्सन अगर यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी की डिग्री को लेकर कोई छात्र कहीं जाएगा, चेयरपर्सन वहां पर लिखा रहेगा, मेरे ख्याल से तो उस छात्र को इंटरव्यू के लिए अन्दर ही नहीं घुसने देंगे। तो हम ऐसे अन्धकार में इस शिक्षा को क्यों ले जाना चाहते हैं?

सभापति महोदय, जहां हमारी सरकार बालिका शिक्षा के लिए, कल से पूरी शिक्षा सबको अनिवार्य कर दी, कम्पलसरी कर दिया एजुकेशन को और हम दूसरी तरफ इसको एक तरह से गड्ढे में धकेलना चाहते हैं। मैं समझता हूं जब तक अच्छी शिक्षा हम नहीं देंगे, हमारे राज्य का भविष्य अन्धकारमय रहेगा। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, हमारी महिला शिक्षा के कारण, महिला शिक्षा में राजस्थान के इतने पिछड़ने के कारण आज राजस्थान इस हालत में पड़ा है। जब बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो एक घर नहीं, दो घर बच्ची सुधारती है परन्तु आपकी सोच ही कहां है, मुझे समझ नहीं आता।

(डा. दिगम्बर सिंह)

माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं, हम कहां ले जाना चाहे रहे हैं शिक्षा को। इस शिक्षा को आप ले जाना चाह रहे हैं काले कुए में, गड्ढे में, सूखे गड्ढे में और सुसाइड करने के लिए मजबूर करेंगे आप बच्चों को। बेरोजगारों की लाइन बढ़ाना चाहते हैं। आप इस बिल को पास कराने के लिए, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इनकी मर्जी है, इनके पास बहुमत है, यह चाहे जो कर सकते हैं परन्तु इसमें भी अगर हमारे पक्ष के जितने भी हमारे सदस्यगण बैठे हैं, अगर इनके अन्दर आत्मा जाग्रत है तो ये भी इस बिल के ऊपर सोचें और इस पर अपना मत उसी हिसाब से देंगे जिस हिसाब से हमारे राजस्थान के बच्चे का भविष्य सुरक्षित रह सके, उनको अच्छी एजुकेशन हम दे सकें।

**श्री सभापति**: श्रीमती अनिता सिंह । (अनुपस्थित)

श्री कालीचरण जी सराफ।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान) प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, इसका जब पहला बिल इंट्रोड्यूस हुआ था राजस्थान की विधान सभा में, उस समय इसके पीछे भावना यह थी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने यह कहा था कि आज सात परसेंट लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, 2015 तक पन्द्रह परसेंट लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करें हिन्दुस्तान के, यह उनका लक्ष्य था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जिसके सेम पित्रोदा चेयरमैन हैं, उन्होंने यह कहा था कि इसके लिए हिन्दुस्तान में 1500 यूनिवर्सिटीज और होनी चाहिए और उसके हिसाब से कम से कम 50-60 यूनिवर्सिटी होनी चाहिये। आज सरकार के पास वित्तीय साधन नहीं हैं। हर सरकार यूनिवर्सिटी खोलना चाहती है पर उनके पास संसाधन नहीं हैं। इसलिये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज राजस्थान में इंट्रोड्यूज की गयी थीं कि राजस्थान में भी एजुकेशन का हब बने।

आज कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में राजस्थान के स्टूडेंट माइग्रेट होकर जाते हैं, वहां प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। वे वहां नहीं जाएं और राजस्थान में ही इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए जिससे कि स्टूडेंट यहां पढ़ सकें।

आज गृह मंत्रीजी का इतना +++ और संकीर्ण सोच कि शराब माफिया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चला रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को हम कहां ले जाना चाहते हैं, हम तो उनको ले जाना चाहते हैं तो आप पकड़ के वापस ले आओ। आपको

(श्री कालीचरण सराफ)

शर्म आनी चाहिये। आप राज्य के गृह मंत्री हो और राजस्थान में जिस प्रकार का शिक्षा का वातावरण बन रहा है.. (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप यहां ? (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): बैठिये। आप बिराजिये। (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, इस तरह की भाषा की इस सदन में कतई अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। इस भाषा पर ऐतराज है हमको। (व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह हटाया जावे, एक्सपंज किया जाए और माफी मांगें। आपसे ज्यादा तो कौन +++ हो सकता है ? (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, शर्म आपको आनी चाहिये.. (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): कोई असंसदीय भाषा नहीं बोली मैंने। विराजो (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आपसे ज्यादा +++ व्यक्ति कोई सदन में है... (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): कोई बात नहीं। विराजो आप। बैठें। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजो। विराजो.. (व्यवधान) आप विराजिये।.. (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: +++ करनी है तो बाहर आ जाओ। (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): बड़ी चौपड़ पर भाषण दे रहे हो क्या? बड़ी चौपड़ पर बोल रहे हो क्या? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजो।.. (व्यवधान)

**श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): आपने दे दी प्राइवेट सेक्टर में... (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): यह नमूना है बी जे पी के राज के उच्च शिक्षा मंत्री का। यह उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, इनकी भाषा देखो। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): हां... (व्यवधान) आपने पूरा बता दिया... (व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): आपने तो परमीशन दी है, मान्यता दी है... (व्यवधान) शराब माफिया... (व्यवधान)

**श्री गिर्राज सिंह** (संसदीय सचिव): जिन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है इसलिये.. (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): मैंने जो शब्द का उपयोग किया है, बहुत सोच-समझकर किया है और यह... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजो। (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आपने अपने लिये किया है। आपने अपने लिये किया है। (व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आपने कहा, आपको शर्म आनी चाहिये। (व्यवधान) राजस्थान के गृह मंत्रीजी को यह शब्द कहे हैं और यह कह रहे हैं कि मैंने कुछ शब्द नहीं कहा। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के सारे सदस्य जो अमेंडमेंट चाहते हैं... (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आप +++ हो. (व्यवधान) आप बहुत.. (व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): इनके माननीय नेता ने कहा था... (व्यवधान) वह शब्द हम नहीं कर रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजो। विराजो, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): इन्होंने सही कहा है। जो कालीचरण जी ने कहा है, बिलकुल सही कहा है... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजो। विराजो। माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (राजस्व मंत्री): उप नेता महोदय, यह +++ शब्द क्या चीज है क्या ? उन्होंने सही किया ? क्या इन्होंने कहा ठीक है? आप ही बताओ। हम आप पर ही छोड़ते हैं। उप नेता महोदय कह दें, यह ठीक है तो

(श्री हेमाराम चौधरी)

ठीक है। +++ शब्द आपने जो प्रयुक्त किया है, यह, उप नेता महोदय, ठीक है क्या ? इसको... (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): आपका नाम तो नहीं है इसमें। (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): अभी तो शब्दों की... (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): चौपड़ पर बोल रहे हो क्या? बड़ी चौपड़ है क्या यह?... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आसन पांवों पर है। (व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): और फीस के लिये नहीं बोला... (व्यवधान) फीस कम करने की बात है... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: श्री मदनजी प्रजापत, विराजिये। आप विराजिये। एक मिनट। विराजो, माननीय सदस्य। आज सदन का अंतिम दिन है। (व्यवधान) आप विराजो। मंत्रीजी भी हैं... (व्यवधान) मंत्रीजी, विराजो। आज सत्र का अंतिम दिन है और आप... (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): उद्योग मंत्रीजी, आपने हाथ ऐसे करके... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: शिक्षा के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण बहस हो रही है। आप उम्र में बहुत बड़े, राज्य सरकार के मंत्री पद पर भी रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है... (व्यवधान) एक मिनट।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, अभी उद्योग मंत्री ने हाथ यूं किया, क्या मतलब है इस चीज का? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजो। आप विराजो। (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): आप पीछे पड़ रहे हो... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): इस सदन में यही दर्शक हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: सचेतक महोदय, विराजो। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): हाथ दिखा दिया ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजो आप। आपसे पूरा सदन यह अपेक्षा रखता है कि आपको सब नियम, प्रक्रियाओं, संचालन और बोलने का ध्यान रखना चाहिये।

(श्री सभापति)

आपको मालूम है। आप मेहरबानी करके कोई ऐसे शब्द बोलेंगे तो सदन इतने समय से बहुत अच्छा चल रहा है, आज हम लोग बहुत अच्छे माहौल के अन्दर हैं। कल सभी माननीय सदस्य... (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): माफी मंगवाओ, माफी इनसे। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: सभी माननीय सदस्यों ने... (व्यवधान)

**श्री नगराज** (धरियावद): और माफी मांगें।. (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराजो। मेरा करबद्ध, माननीय सदस्य, आपसे... (व्यवधान) आसन पांवों पर है। मेरी बात तो कह लेने दो। माननीय सदस्य, मुझे तो कह लेने दो। मुझे तो कुछ कह लेने दो। मेरा निवेदन है कि सदन बहुत अच्छे माहौल के अन्दर आज अपने सत्र का अंतिम दिन है, मेहरबानी करके... (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): प्रताड़ना दे दें नाम लेकर। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: ऐसा वातावरण दोनों पक्षों की तरफ से नहीं हो, यह मेरा निवेदन है। इसलिये शब्दों के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान रखते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने संशोधन पर विचार रखें।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): आपने शब्द तो सुन लिये... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजो। आप तो विराजो। (व्यवधान) निर्देश दे चुका हूं। कालीचरण जी सराफ। आप विराजो। (व्यवधान) पीछे बैठिये। (व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, इतने वरिष्ठ सदस्य इस तरह की बात करें तो यह भी कहां उचित है? (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): प्रताड़ना देनी चाहिये, नाम के साथ में। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजो आप। (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, उद्योग मंत्री ने हाथ को ऐसे कर दिया... (व्यवधान) यह इशारा किया। बोले कुछ नहीं हैं, हाथ को यूं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजो आप। आप विराजिये पीछे से। श्री कालीचरण जी सराफ।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): तो, सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आपस में चर्चा नहीं, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): आपत्ति नहीं है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं आपकी बात का कतई बुरा भी नहीं मान रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जब से जयपुर में मेयर के चुनाव में आपकी हार हुई है, आपकी मानसिकता पर जरूर फर्क पड़ा है।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): जय हो। जय हो। आपकी नालेज की मैं दाद देता हूं।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): यह आपको कैसे पता लगा ?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): गृह मंत्री का काम अब यहीं तक सीमित हो गया क्या ?

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): आप मेरी बात को नकार दो। आप नकार दो मेरी बात को कि कोई इनके दिमाग में असर पड़ा है कि नहीं ?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मैं यह कह रहा हूं...

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): आप बता दो बस।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मैं बता रहा हूं।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): आप कह दोगे मैं मान लूंगा।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मैं बता रहा हूं कि इनके असर पड़ा है या नहीं पड़ा, आपके असर पड़ गया इसका।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): तो, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि गृह मंत्री जैसे पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति की यह सोच हो कि हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी दारू के ठेकेदार चला रहे हैं तो इस सरकार का भगवान ही मालिक है। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। (व्यवधान) पर, सुनिये, हो क्या रहा है...

**श्री नगराज** (धरियावद): मंत्री महोदय ने यह बात कब कही?... (व्यवधान) यह किसी ने नहीं कहा है। इसलिये मंत्री महोदय ने... (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): अब विराजो। आप विराजो। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: यह दारू वाला मसला तो आपका ही लाया हुआ है।

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): राजस्थान में निजी विश्वविद्यालय इसलिये इंट्रोड्यूस किये गये थे कि राजस्थान के बच्चे बाहर नहीं जाएं, यहीं पर पढ़ें; यहां पर एजुकेशन हब का निर्माण हो। आज जितने भी प्राइवेट सेक्टर में कालेजेज चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज चल रही हैं चाहे वह बिट्स पिलानी हो, चाहे लक्ष्मणगढ़ का मोदी इंस्टीट्यूट हो, चाहे निवाई में वनस्थली विद्यापीठ हो, सबका एक अपना स्वर्णिम इतिहास है और इसलिये राजस्थान में ये विद्यालय प्रारम्भ किये गये थे। आज जब यूनिवर्सिटी यहां पर बन रही हैं, इस कारण हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। वहां पर प्राइवेट हास्टल्स बन रहे हैं, वहां पर रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं। इसलिये राजस्थान में इस प्रकार की यूनिवर्सिटी की स्थापना की गयी थी पर आपने इतने साधारण तरीके से यह कहा कि ये तो दारू के ठेकेदार चला रहे हैं, इससे ज्यादा कोई गलत बात नहीं हो सकती।

अब गवर्नर साहब के यहां एक मीटिंग हुई, कुलपतियों ने कह दिया कि यह हमारी इन्सल्ट है, नाम चेंज करो। नाम चेंज ही करना था तो हिन्दी का इतना समृद्ध शब्द कोष है, इसमें यदि आप अपने ज्ञान का थोड़ा बहुत भी उपयोग करते। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी, इधर सुनो, उधर बात मत करो। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): ज्ञान तो इधर है, उधर कहां?

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): हिन्दी का इतना समृद्ध शब्द कोष है, हिन्दी का इतना विस्तृत शब्द कोष है कि इसमें यदि आप चाहते तो आपको हिन्दी के बढिया से बढ़िया शब्द मिल जाते। आपके पास यदि शब्द नहीं हैं तो आप हमसे मिल लेना, हम आपको शब्द बता देंगे पर... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): जैसे अभी आपने बताया था.. (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): सुनिये। क्या है यह? बैठिये। (व्यवधान) यह हो क्या रहा है? सभापतिजी, क्या हो रहा है यह? आप रोकिये इनको। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप तो विराजें। माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): अब चांसलर को चेयरपर्सन, वाइस-चांसलर को प्रेसिडेंट, प्रो-वाइस-चांसलर को प्रो-प्रेसिडेंट, ये कौन से शब्द हैं? यह शब्द ही हमने तो पहली बार सुने हैं। आप इनकी जगह कुलगुरु कह सकते थे कुल प्रमुख कह सकते थे, कुल आचार्य कह सकते थे। कई शब्द हैं इस प्रकार के हिन्दी में।

मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनायें, आप कोई विकास के काम में प्रतिष्ठा का प्रश्न बनायें। धारीवालजी, तो आपके लोग गुण गायेंगे और यदि इतनी सी बात पर आप प्रतिष्ठा का प्रश्न बनायेंगे तो लोग आपकी बात पर धिक्कारेंगे।

सभापति महोदय, मेरी पुरजोर शब्दों में यह मांग है कि जो आप यह विधेयक लाये हैं, जो शब्दों का चयन आप लोगों ने किया है, इससे ऐसा लगता है कि हिन्दी का ज्ञान आपकी सरकार में किसी को भी नहीं है। इतना समृद्ध कोष है हमारी हिन्दी का ...(व्यवधान) बैठिये आप, बीच में खड़े हो जाते हैं।

**श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाईमाधोपुर): गलत कहा है आपने, गलत कहा है आपने। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजें आप। माननीय सदस्य, विराजें आप। (व्यवधान)

**श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाईमाधोपुर): आप अभी वाद-विवाद कर लीजिये यहां पर।...(व्यवधान)...

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): क्या है यहां पर?(व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाईमाधोपुर): आपको बता देंगे कि हिन्दी का ज्ञान है कि नहीं है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

**श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाईमाधोपुर): हिन्दी का ज्ञान नहीं है।...(व्यवधान)...

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान) आप विराजिये। आप विराजिये। (व्यधान)

**श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाईमाधोपुर): मेरा यह कहना है कि मुकाबला कर लीजिये यहां पर सदन के अन्दर, आपको है कि नहीं है। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बिलकुल नहीं बनाना चाहिए, इसको सलेक्ट कमेटी को आप सुपुर्द करें। हिन्दी का शब्द कोष लेकर के बैठिये, उसमें से बढ़िया से बढ़िया शब्द निकालिये और यह जो आपने तीन शब्द चुने हैं इनकी जगह हिन्दी के शब्द आप लायें जिससे कि राजस्थान के बारे में यह कहा जाये कि राजस्थान हिन्दी स्टेट है और यहां के लोग हिन्दी के बारे में समझते हैं। मेरा इतना ही कहना है। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री हनुमान बेनीवाल। माननीय सदस्य, संशोधन।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): सभापति महोदय, आज राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010 जो सदन के अन्दर रखा जा रहा है, मैं आपके मार्फत मांग करता हूं कि इस विधेयक को पारित करने से पहले सलेक्ट कमेटी को भेजें। जो हमारे माननीय उप नेता महोदय ने, हमारे वरिष्ठ विधायक गुलाब चन्दजी कटारिया और पूर्व शिक्षा मंत्री जिन्होंने राजस्थान के अन्दर शिक्षा के निजीकरण की एक नयी परम्परा शुरू की थी, क्रांति लाये थे और तारानगर से आने वाले हमारे सचेतक महोदय ने जो इसको सलेक्ट कमेटी में रखने की बात की थी, मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाये।

इस विधेयक के अन्दर जो पदनाम दिये गये हैं, चेयरपर्सन का पदनाम, प्रेसिडेंट का और प्रो-प्रेसीडेंट का, अगर आपको चेंज ही करना है तो सबसे पहले कांग्रेस का नाम चेंज करायें आप। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जगह +++ नेशनल कांग्रेस कर दीजिये। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): सभापति महोदय, इस तरह की +++ इस सदन में नहीं चलेगी। (व्यवधान)

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): सभापति महोदय, इस पर आप व्यवस्था दें। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): सभापति महोदय, बैठायें ऐसे आदमी को। (व्यवधान) सभापति महोदय, ऐसी अशोभनीय बात, ऐसी असंसदीय बात कहने वाले व्यक्ति को बैठायें। (व्यवधान)

**श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाईमाधोपुर): यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। (व्यवधान)

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): यह क्या बोल रहे हैं, इनको होश नहीं है इस बात का। यह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। (व्यवधान) इसका मामला नहीं है, क्या कह रहे हैं, ...(व्यवधान)

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): इन लोगों को आज सच्ची बात कहते हैं तो सत्ता के मद के अन्दर ...(व्यवधान)

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): सभापति महोदय, यह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इनको मालूम नहीं है, यह क्या बोल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): आप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं।

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): सभापति महोदय, इनका इलाज कराइये। इनका इलाज कराइये। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: यह शब्द एक्सपंज कर दो। (व्यवधान)

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): इनके इलाज की आवश्यकता है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: बिराजें, बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): इनका इलाज कराया जाये। (व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): यह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजें, माननीय सदस्य। आप विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): मानसिक संतुलन खो चुके हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजें। अब मैं व्यवस्था दे रहा हूं, विराजें। (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): माफी मांगनी चाहिए सदन से। (व्यवधान) यह खिलाफ कर रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजें तो सही। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, ऐसी व्यवस्था दीजिये ...(व्यवधान) बाहर निकालिये ...(व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): सभापति महोदय, इस प्रकार की जो असंसदीय भाषा का उपयोग करते हैं, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इनके इलाज के लिये स्पेशल व्यवस्था करायी जाये।

**श्री सभापति**: विराजिये, विराजिये, माननीय सदस्य।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): यह बार-बार इस तरह से आकर इस प्रकार से करेंगे ...(व्यवधान)...

**श्री सभापति**: मैं व्यवस्था दे रहा हूं (व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): सभापति महोदय, इनके ऊपर सदन की व्यवस्था दीजिये। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: कृपया बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): सभापति महोदय, इनके इलाज की व्यवस्था करिये। ...(व्यवधान)... इनके दौरे पड़ते हैं। यह बार-बार रह-रह करके कुछ भी बोलते हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप मेरी बात तो सुनिये।

**श्री रतन देवासी** (रानीवाड़ा): आप मेरी बात तो कहने दें। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप बिराज जायें। आप बिराज जायें। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: कह दिया, 8 पी.एम. नो सी.एम.। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): सभापति महोदय, ये शिक्षा के ऊपर सुझाव दे रहे हैं और माननीय सदस्य, कालीचरणजी सराफ सबसे पहले कह रहे थे ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजें, माननीय सदस्य।...(व्यवधान)...

**श्री जाकिर हुसैन गैसावत** (मकराना): सभापति महोदय, बी जे पी का नाम भी +++ होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, बी जे पी का नाम भी +++ होना चाहिए।

**श्री सभापति**: मैं व्यवस्था दे रहा हूं, बिराजें आप। दो मिनट विराजिये आप।...(व्यवधान)

**श्री जाकिर हुसैन गैसावत** (मकराना): बी जे पी का नाम भी +++ होना चाहिये।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): +++ श्रीमती सोनिया गांधी ...(व्यवधान)...

**श्री जाकिर हुसैन गैसावत** (मकराना): बी जे पी का नाम भी +++ होना चाहिए ...(व्यवधान)...

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): कांग्रेस की स्थापना ...(व्यवधान)...

**श्री जाकिर हुसैन गैसावत** (मकराना): बी जे पी का +++ होना चाहिए।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): इनकी अध्यक्ष +++ ...(व्यवधान)...

**श्री सभापति**: आसन पांवों पर, बिराज जायें।...(व्यवधान)...

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): इनकी अध्यक्ष +++ ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: आसन पावों पर, विराज जायें। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): मैं बैठ रहा हूं ।

**श्री सभापति**: सदन की कुछ प्रक्रिया तथा नियम ...(व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): लेकिन कांग्रेस का नाम पूरा बोलना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): कांग्रेस की अध्यक्ष का नाम ...(व्यवधान)

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): +++ ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजिये। माननीय सदस्य, बिराज जायें। (व्यवधान) उप नेता महोदय ...(व्यवधान)...

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: मीणा साहब, विराजिये आप। मैं आपको अलाऊ नहीं कर रहा हूं, विराजें आप। हां, मैं देख लूंगा। मीणा साहब, आप विराजिये। आप विराजिये तो सही।...(व्यवधान)...

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, आप व्यवस्था तो दें। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप कृपया करके विराज जायें। मैं नहीं सुनूंगा। अंकित भी नहीं होगा, आप बिराजें।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): xxx

**श्री सभापति**: आप बिराज जायें।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): xxx

**श्री सभापति**: आसन पांवों पर है। माननीय सदस्य, विराज जायें (व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): ×××

**श्री सभापति**: आप विराजिये।...(व्यवधान)...

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): xxx

**श्री सभापति**: हां, मैं बुला लूंगा, आप विराजें ...(व्यवधान)...

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): xxx

**श्री सभापति**: रामनारायणजी मीणा साहब, आप वरिष्ठ सदस्य हो, विराजें आप।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): xxx

**श्री सभापति**: रामनारायणजी मीणा साहब, मेहरबानी करके विराजें आप।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): xxx

**श्री सभापति**: उप नेता महोदय, चूंकि आप सदन के बहुत अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य हैं और उप नेता भी हैं और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हुए हैं; सचेतक महोदय, मैं आपसे भी सहयोग चाहूंगा, कटारिया साहब, मैं आपसे भी सहयोग चाहूंगा। (व्यवधान) आप विराजें। मंत्रीजी, मंत्रीजी, मैं अलाऊ नहीं करूंगा। मंत्रीजी, मैं अलाऊ नहीं करूंगा ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): ×××

**श्री सभापति**: मंत्रीजी, आप विराजिये। आप विराजिये।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): xxx

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, बिराज जायें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): xxx

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, विराजें आप। माननीय सदस्य, विराजें आप। (व्यवधान) उप नेता महोदय, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि आज सदन का अंतिम दिन है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): सत्र का आखिरी दिन है।

**श्री सभापति**: यह सदन काफी समय से अच्छा चला है। हमारे एक-दो शब्द ऐसे बोलने से सदन की व्यवस्था गड़बड़ाये। आज महत्वपूर्ण विषय शिक्षा पर चर्चा हो रही है, विश्वविद्यालयों के संशोधनों के बारे में चर्चा हो रही है, उसमें हम ऐसे-ऐसे शब्द बोलेंगे तो सदन किस दिशा में चला जाएगा, आप अच्छी तरह से सोच सकते हैं। आपको बहुत लम्बा अनुभव है, आप कानून के अच्छे ज्ञाता हैं, आपको रूल्स-रेग्यूलेशंस, प्रक्रिया एवं नियम, हर चीज का बहुत अच्छा ध्यान है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो भी प्रतिपक्ष के हैं, आज यह सदन का अंतिम दिन है लेकिन इनको मेहरबानी करके नियम, कार्य संचालन के थोड़े आप तौर-तरीके बताओ कि सदन में किन शब्दों को बोलना चाहिए। आपके लिए ही नहीं, सत्ता पक्ष के लिए भी है, दोनों के लिए है कि हम उनको बताएं कि किन शब्दों को बोलने से आखिर में सदन की बात जो बाहर जाती है, आप मानकर चलें, मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है लेकिन यह कहता हूं, तिवाड़ीजी, कि जब गया, मैं इस बार हाउस में तीन दिन का व्यवधान हुआ तो लोगों ने कहा कि हमारी पंचायत में भी उतना नहीं होता जितना आपके सदन में हुआ है। इसलिए यह टिप्पणी हमारे सदन के ऊपर हो, यह बिलकुल उचित नहीं है। हम लोग चुनकर आते हैं।

(श्री सभापति)

मेरा निवेदन है आपसे, माननीय सदस्य, श्री हनुमान बेनीवाल, मैं आपको नाम लेकर निवेदन कर रहा हूं कि आप छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, बहुत बड़े सदन में आ चुके हैं। छात्र राजनीति अलग होती है, माननीय सदस्य, और इस सदन की गरिमा और परम्परा अलग होती है। इसलिए, माननीय सदस्य, मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिलकुल नहीं करें जिससे सदन जिस दिशा में चल रहा है था, बिलकुल हटकर अलग दिशा में चला जाए। इसलिए मेरा निवेदन है अपने सभी माननीय सदस्यों से, मेरे से कई सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन देखिए, मेहरबानी करके हमें उन पर चलना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप छात्र राजनीति को बिलकुल त्याग दें और यहां पर किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, उप नेता महोदय के साथ बैठकर कुछ शिक्षा ग्रहण करें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

जो असंसदीय शब्द लिए हैं, उन सबको एक्सपंज करता हूं। (व्यवधान) मैंने दोनों के लिए निवेदन किया है, आप विराजो।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): आसन सबसे वरिष्ठ होता है, न कि कोई माननीय सदस्य वरिष्ठ होता है, आसन सबसे वरिष्ठ होता है। आसन ने जो व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है। हम बहुत गम्भीर विषय पर बहस कर रहे हैं इसलिए अपने विचार, अपने मतभेद रखें लेकिन इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करें जिससे कि किसी नेता के ऊपर व्यंग्यात्मक बात हो और अकारण सदन में उत्तेजना की स्थिति हम पैदा नहीं करें। लेकिन जिन शब्दों पर हमारा सरकार से मतभेद है, उन शब्दों को हम निश्चित रूप से रखेंगे। आज हमें और भी कई बिल पास करने हैं इसलिए मैं समझता हूं कि हम सब लोग गम्भीरता से इस पर बहस करके पारित करें।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): माननीय सभापति महोदय, मैंने आपसे अर्ज किया, मैं आपकी बात का खण्डन नहीं करता हूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा जहां तक ख्याल है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति या ऐसी बात करके अपने अधिकार का दुरुपयोग हो। उप नेता महोदय, मैं इस बात को तो नहीं कहना चाहता लेकिन कल आपने 272(5) और (8) को आप देखिए। माननीय सभापति महोदय, यदि ऐसा चलेगा तो हम भी किसी के बारे में बोलेंगे, कोई भी बोलेगा। इस सदन का कोई भी सदस्य किसी भी पक्ष का हो, वह सदन का सदस्य है, भले ही वह लीडर आफ अपोजिशन हो या चीफ

(श्री रामनारायण मीणा)

मिनिस्टर हो, पहले सदन का सदस्य है। इसमें साफ लिखा है, माननीय सभापति महोदय, बोलते समय पालनीय नियम और उसके 5 में है, "(v) reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms;" बिलकुल मानते हो। दूसरा मेरा आपको अर्ज करना है कि 8 है, माननीय सदस्य अपने भाषण के अधिकार का उपयोग सदन के कार्यों में बाधा डालने के प्रयोजन के लिए नहीं करेगा। मैं आपके माध्यम से मुख्य सचेतक महोदय से अर्ज करना चाहूंगा कि इस तरह की बात सदन में आती रही है और गम्भीर बातें आई हैं, इसको कंडेम किया जाए; कोई भी बोले, वह भर्त्सना किए जाने योग्य है।

इसलिए यह बातें आप निकालें। बात कोई भी किसी भी पर्सन या अथोरिटी के बारे में सदन में व्यवधान डाले, ये बातें हम देखते हैं, बहुत ही अनुचित हैं, इसकी जितनी निन्दा की जाए, उतनी निन्दा की जाए। इसलिए शब्द तो आप निकालिए और निन्दा भी कीजिए, माननीय सभापति महोदय।

**श्री सभापति**: निकाल दिया। माननीय सदस्य, एक्सपंज कर चुका हूं मैं। अब आप विराजिए।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): आप मुझे एक मिनट बोलने दें। कल भी गवर्नर के बारे में बात आई, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि, माननीय सभापति महोदय, ऐसा बिलकुल नहीं चलेगा।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): कल की बात कल ही गई।

**श्री सभापति**: आप विराजो, माननीय सदस्य, फिर वही बात।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): मंत्री थोड़े बन जाओगे ऐसे कहकर। कोई नहीं बनाएगा मंत्री।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): विराजने का सवाल नहीं है, आप रूल्स के खिलाफ जाकर देंगे या रूल्स के तहत डिसिजन नहीं देंगे तो यह सर्वोपरि नहीं है। आसन की गरिमा सदन में रखनी पड़ेगी, रूल्स की रखनी पड़ेगी और उसी के मुताबिक सदन चलेगा।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): राज्यपाल का लाएंगे तो फिर होगी।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): किसकी? (व्यवधान) कैसे होगी? आपने कल एंडोर्स किया है। रूल्स का आपने गलत इंटरप्रिटेशन किया है।

**श्री हेमसिंह भड़ाना** (थानागाजी): माननीय सदस्य ने किसी का नाम नहीं लिया है। जबरदस्ती उत्तेजित होते हो, किसी का नाम नहीं लिया।

**श्री सभापति**: विराजो आप।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): मुझे व्यवस्था चाहिए।

**श्री सभापति**: आप विराजो, व्यवधान मत करो आप।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं...(व्यवधान)

**श्री हेमसिंह भड़ाना** (थानागाजी): नाम किसी का लिया ही नहीं, जबरदस्ती क्यों एक्सपंज करवाओगे? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, ज्ञानदेवजी आहूजा, विराजिए।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, किस पर बोल रहे हैं ये? न इनका व्यवस्था का प्रश्न है और न कोई और।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): मुझे व्यवस्था चाहिए 272 वाली, कल की।

**श्री सभापति**: आप विराजो अब।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): मैं बैठने के लिए तैयार हूं, आज सदन का आखरी दिन है।

**श्री सभापति**: मैं व्यवस्था दे दूंगा।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): फिर रूल्स का क्या करेंगे हम?

**श्री सभापति**: हां, मैं दे दूंगा व्यवस्था। आपने जो बात कही है, उसकी व्यवस्था दे दूंगा।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): समय निर्धारित कर दिया, उसका क्या हुआ?

**श्री सभापति**: हां, अभी दूंगा; हां अभी दूंगा। आप विराजिए। श्री घनश्याम तिवाड़ी। (व्यवधान) बाकी है क्या आपका, माननीय सदस्य?

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, अब मैं विषय पर आ रहा हूं। राजस्थान में आज उच्च शिक्षा की दुर्दशा हो रही है।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने और हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री कालीचरण जी सराफ जो राजस्थान में शिक्षा के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की यहां शुरुआत पूर्ववर्ती सरकार के टाइम पर हुई थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्राइमरी स्कूल से जो शिक्षा शुरू होती है, उच्च शिक्षा तक चलते-चलते केवल 7 प्रतिशत लोग ही इस देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। माननीय सभापति महोदय, आज भारत में लगभग 357 विश्वविद्यालय और राजस्थान में मात्र 17 विश्वविद्यालय हैं। राजस्थान में 50-60 विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राइवेट विश्वविद्यालय धड़ल्ले से राजस्थान में खोलने के लिए बाहर के लोग आ रहे हैं। कल भी दो विश्वविद्यालयों के बिल यहां पेश हुए थे, एक मेरठ का रजिस्ट्रेशन था और दूसरा दिल्ली का रजिस्ट्रेशन था। बिल पेश होने से पहले, बिल पास होने से पहले जहां का रजिस्ट्रेशन होता है, पूरी उसकी जांच सरकार को करनी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कराने वाली संस्था का शिक्षा से क्या पुराना वास्ता रहा है, नहीं रहा है, यह सारी जांच करने के बाद ही अगर सदन में बिल आए तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं, शिक्षा मंत्रीजी विराजमान हैं, इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों पर एक उच्च शिक्षा नियामक आयोग बनना चाहिए जिससे इन विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बरकरार रहे। आज इन विश्वविद्यालयों में मोटी फीस लेंगे, आम गरीब का बालक इनमें पढ़ने की सोच भी नहीं-नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए 25 प्रतिशत कोटा एस सी, एस टी, ओ बी सी के अलावा उन गरीब छात्रों का इन प्राइवेट विश्वविद्यालयों में होना चाहिए। इन निजी विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण पूरी तरह रहे फीस में, इन्होंने अपने हिसाब से एक्ट बना लिया, जिसमें चेयरपर्सन, प्रबन्ध निदेशक, प्रेसिडेंट मिलकर फीस का निर्धारण करेंगे, अपनी मनचाही फीस लेंगे। इसलिए फीस पर सरकारी प्रतिनिधि जो एक होता है, वहां सरकार के ज्यादा प्रतिनिधि हों और मैं तो यहां तक मांग करूंगा कि उस इलाके का एम एल ए और उस संसदीय क्षेत्र का एम पी, जहां ये विश्वविद्यालय हों, वे भी इनके स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य हों।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

**(16.00 बजे)**

मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को जनमत जानने के पहले एक बार सलेक्ट कमेटी के पास भिजवाएं और फिर दो महीने के लिए जनमत जानने के लिए भेजा जाए। मैंने सुझाव दिया था, सभापति महोदय, और उस सुझाव के अन्दर कई लोग मंत्री बनने की दौड़ के अन्दर शामिल हैं और बड़ी-बड़ी कानून की किताबें लाकर और मेरे खिलाफ में बोलने शुरू हो गये। ऐसे बोलने से कोई मंत्री नहीं बनेगा, किताबें लाने से, सारे ही ले-लेकर आ जाएं किताबें। इसलिए, सभापति महोदय, पुनः आपसे आग्रह करूंगा ...

**श्री सभापति**: आप सम-अप करें, माननीय सदस्य।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): इस विधेयक को पुनः जनमत जानने के लिए दो माह के लिए राजस्थान की जनता के सामने भेजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): सभापति महोदय, यह सदन विधान बनाने का काम करता है। राजस्थान के लिए विधान बनाने की हमारी सर्वोपरि संस्था और आज हम एक ऐसे विषय पर बहस कर रहे हैं जिससे हमारे नये आने वाले माननीय सदस्यों को भी और बहुत से सदस्यों को इस बात का ज्ञान होगा कि हम केवल बजट पास करने के लिए ही नहीं, हम कानून बनाने के लिए और कानून बनाने की बारीकियां क्या हैं और कानून का असर क्या पड़ता है, यह हम सबको देखना पड़ेगा कि जो भी एक्ट सरकार लेकर आती है, उस एक्ट के आखिर में उसके उद्देश्य और कारण लिखे जाते हैं। संविधान के हिसाब से इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि सरकार कोई भी बिल नहीं ला सकती, सरकार के बिल लाने की मंशा क्या है, सरकार बिल क्यों लेकर आई है, उसका उद्देश्य क्या है और उसका कारण क्या है, यह उद्देश्य और कारण, इन दोनों का विश्लेषण बिल के आखिर में किया जाता है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यह जो बिल सरकार लेकर आई है, राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010, मैं इसका पहले आपको इतिहास ध्यान में दिलाना चाहता हूं। हमने सबसे पहले निजी विश्वविद्यालय विधेयक एक बनाया था, वह विधेयक हमने बनाया और उस विधेयक में हमने व्यवस्था की थी कि नये जो विधेयक लाएंगे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यूनिवर्सिटीज के लिए, उस हर यूनिवर्सिटी के लिए हमको अलग विधेयक नहीं लाना पड़े, इसलिए उसकी अनुसूची में हम उसको डाल देंगे। उसको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि हर यूनिवर्सिटी का आप अलग से बिल लेकर आओ। इसके बाद में हम हर विश्वविद्यालय का अलग से बिल लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले इसका उल्लंघन माननीय मंत्री महोदय कर रहे हैं कि जितने बिल बनाकर हमने अनुसूची में डाले हैं, उन सारे बिलों में एक ही बिल से उनमें संशोधन करना चाहते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय की मंशा के खिलाफ है, पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसमें लिखा हुआ है निजी विश्वविद्यालयों में,...(व्यवधान) सभापति महोदय, आर्डर में करिए, बाधा है।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य।

**श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा): आपको मुझसे एतराज है तो मैं वैसे ही चला जाता हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): निजी विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति, कुलपति और प्रति-कुलपति की नाम पद्धति, पदाभिमान का उपयोग किया गया है। महामहिम राज्यपाल और कुलाधिपति की अध्यक्षता में दिनांक 4 और 5 जनवरी, 2008 को आयोजित कुलपतियों के सम्मेलन के दौरान यह मत प्रकट किया गया था कि इन पदाभिमान का निजी विश्वविद्यालयों के संदर्भ में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, उनकी राय थी। इस राय के पीछे कारण नहीं है और कारण अगर है तो प्रोसीडिंग्स आप सदन में लाएं, क्या कारण दिये हैं उन्होंने? उनके स्थान पर उचित और उपयुक्त पदाभिमानों का उपयोग किया जा सकता है। ये कहने वाले वे कौन हैं? जो कुलपति सरकार के बनाने से बनते हैं, वे कुलपति मिलकर यह फैसला कर लें, वे शब्द का प्रयोग ठीक नहीं मानते। लेकिन उदाहरण है एक, कुछ लोग मिलकर अगर यह फैसला कर लें कि थाने सारे उठा दिये जाएं, थाने नहीं रहेंगे ताकि हम हमारा काम आराम से कर सकें तो थानों को उठा दोगे आप? तो उन्होंने कहा, नाम हटा दो, राज्य के विश्वविद्यालयों का निजी विश्वविद्यालय के उच्चतर पदों के बीच अंतर बनाये रखने की दृष्टि से। अंतर किस बात का? एक जो राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति आज रिटायर होकर कल दूसरे विश्वविद्यालय में कुलपति चला जाता है

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तो उनको अंतर चाहिए? हम बड़े हैं, वे छोटे हैं, यह अंतर क्यों करना चाहते हो? इसलिए उनके लिए आप चेयरपर्सन पर नाम। अब यह अंतर की अगर शुरुआत हो गई तो वहां विश्वविद्यालय, अब इसका नाम विश्वविद्यालय क्यों रख रहे हैं, कल वे यह प्रस्ताव पास कर देंगे कि हमारे विश्वविद्यालय हैं, इनका नाम विश्वविद्यालय मत रखो; आप फिर एक बिल लेकर आएंगे कि इतनी सारी यूनिवर्सिटी के नाम से विश्वविद्यालय शब्द हटा दिया गया है। किस कारण से? कारण समझ में नहीं आया। उस रोज मीटिंग करके फैसला कर लें और सरकार उनके दबाव में आकर इस प्रकार का बिल लेकर राजस्थान की सारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में लग जाए।

सभापति महोदय, अब यह चलेगा यहां से, विश्वविद्यालय, फिर आएंगे कालेज। सरकारी कालेजों में भी कालेज हैं, प्राइवेट कालेज भी महाविद्यालय हैं। उनमें भी प्रिंसिपल हैं, उनमें भी वाइस-प्रिंसिपल हैं, उनमें आचार्य हैं, प्राचार्य हैं, फैकल्टियों के डीन हैं। लेकर आओ बिल, लाओ बिल कि कालेजों में, प्राइवेट कालेजों में कोई प्राचार्य नहीं रहेगा, कोई आचार्य नहीं रहेगा। क्योंकि इसका अंतर चाहिए, प्राइवेट में और सरकार में अंतर चाहिए। एक बिल और लेकर आओ। फिर एक बिल तीसरा लाओ, सैकंडरी स्कूलों में जाएंगे, प्रिंसिपल नहीं रहेंगे, अध्यापक भी नहीं रहेंगे क्योंकि सरकार और प्राइवेट में अंतर चाहिए। नाम तक बदलो उनका। फिर नीचे की स्कूलों में आओ। फिर ये मास्टर मिलकर सरकार वाले प्रस्ताव पास कर देंगे कि हम तो शिक्षक हैं, ये प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक नहीं चलेंगे, नाम बदलो, उनको प्रबोधक बनाओ। वे कल बिल लेकर आएंगे। कानून की मंशा क्या होती है, ऐम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, कारण क्या होता है, कुछ भी कर लो? ये डाक्टर, हमारे मंत्री महोदय डाक्टर हैं। ये प्राइवेट में काम करते थे, अब ये सरकारी हास्पिटलों के डाक्टर मिलकर प्रस्ताव पास करेंगे, इन्होंने अगर डाक्टर लगाया सब तो इन पर जुर्माना करो। तो ये बिल लेकर आएंगे। आज के बाद कोई भी सरकारी हास्पिटल के डाक्टर के अलावा अगर कोई डाक्टर शब्द लगा देगा तो उसके डेढ़ सौ रुपये जुर्माना किया जाएगा और बिल लेकर आ जाएंगे। लाओ बिल, हटा दो डाक्टर।

क्या मजाक बनाया है कानून का? कानून का मजाक कोई बना सकता है जो राजस्थान सरकार बना रही है, क्यों किसलिए बना रही है? अब मैंने कई ग्रेड बताई हैं आपको। बिजली का अधीक्षण अभियंता, पी एच ई डी का

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अधीक्षण अभियंता; अधीक्षक, पुलिस का अधीक्षक, पुलिस का अधीक्षक कहेगा, मैं सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस, अगर एस एम एस हास्पिटल में अगर सुपरिंटेंडेंट नाम लिख दिया तो मेरे से बुरा मत जानना। कल मेडिकल मिनिस्टर, नवाब साहब खड़े होंगे, मैं साहब, एक प्रस्ताव लेकर आया हूं कि हमारे सारे एस पीज ने मीटिंग कर ली कि कोई भी सुपरिंटेंडेंट नहीं लिखेगा तो एस एम एस हास्पिटल के सुपरिंटेंडेंट को अब सुपरिंटेंडेंट नहीं कहा जाएगा। लाओ बिल। क्या मजाक शुरू की है कानून की? कानून का कुछ तो सीखो। कानून का ए बी सी डी लाने का, कानून का इस प्रकार मजाक करने का क्या अधिकार आपको मिल गया है?

फिर आप इस अधिकार के अन्दर किसके साथ अन्याय करना चाहते हो? 1995 का एक्ट पड़ा है मेरे पास जो भारत सरकार ने पेश किया है, जो राज्य सभा में आज भी विचाराधीन है। उस एक्ट में कुलपति है, कुलसचिव है, सारे के सारे नाम हैं। भारत सरकार को दिक्कत नहीं है, राजस्थान सरकार को दिक्कत आ रही है क्योंकि कुछ लोग, अभी चिढ़ जाएंगे, ऐसे आदमी ने कह दिया जिसका ऊपर संबंध था, इस समय दुनिया में नहीं हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन मैं पद के बारे में बोल रहा हूं। कोई आदमी बैठकर हमको गाइड करेगा? इसी विधान सभा में हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी हमको कानून का डायरेक्शन नहीं दे सकता कि आप यह कानून बनाओ, हाई कोर्ट भी हमको नहीं कह सकता आप यह बिल पास कर दो। हम हमारी मर्जी से पास करेंगे। किस बात के लिए ये कुलपतियों ने प्रस्ताव पास कर दिया और सरकार बिल लेकर आ गई? सरकार यह समझती हो कि यह विश्वविद्यालय का कुलपति/उप-कुलपति, यह नाम रखने से हमको इतना नुकसान हो गया है या हानि हो गई है या दुरुपयोग हो गया है, इस प्रकार का हमको बड़ा नुकसान हो गया है, वह हमको बताएं, मंत्रीजी। आप बताओ कि कुलपति, उप-कुलपति, यह नाम रखने से आपको सरकार को क्या नुकसान हो गया है, सरकार की यूनिवर्सिटीज को क्या नुकसान हो गया है, सरकार के कुलपतियों को क्या नुकसान हो गया है, सरकार के कुलसचिव को क्या नुकसान हो गया है, जिस नुकसान की भरपाई करने के लिए आप राजस्थान के उन हजारों विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, जो विद्यार्थी डिग्री लेकर जाएंगे? वे डिग्री लेकर जाएंगे, यूनिवर्सिटी के चांसलर के दस्तखत नहीं होंगे, वाइस-चांसलर के नहीं होंगे,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कारपोरेट कम्पनी के चेयरपर्सन के दस्तखत होंगे, उसके प्रेसिडेंट के दस्तखत होंगे। वे कम्पीटिशन में नहीं टिकेंगे। हिन्दुस्तान में तो कोई आपको समझ जाएगा, विदेश में कोई जाएगा और वहां चेयरपर्सन के दस्तखत से जाएगा तो आप उन हजारों विद्यार्थियों के साथ जो लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों को भी कहना चाहता हूं, बहुमत के बल पर आप पास कर लो लेकिन उन विद्यार्थियों का भविष्य खराब हुआ, उनका पाप आपके माथे पर आएगा, आपके सर पर आएगा और आपको देखना पड़ेगा कि हमने बहुत बड़ा एक काला कानून पास किया है। मैं आपको यह भी चुनौती देता हूं, इसी विधान सभा में, इसी सत्र में आने वाले दिनों में आपको वापस संशोधन करने के लिए कानून लाना पड़ेगा। आप कैसे, किस प्रकार से किसी को अन्याय करके किसी के अधिकार दबाना चाहते हो।

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में उनको मंजूरी नहीं मिलेगी, सैक्शन 12 पढ़िये आप। आपकी स्थिति तो क्या हो रही है, सरकार कह रही है, सरकार को तो तकलीफ यह हो रही है आज, मैं कहता हूं कि शर्म की बात है कि हमारी टैक्निकल यूनिवर्सिटी, उसको मान्यता नहीं है 12 में। आपने उसका काम पूरा नहीं किया; आपकी मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका आपने काम पूरा नहीं किया; आपकी बीकानेर यूनिवर्सिटी; आपका रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय; आपके 13 में से 10 विश्वविद्यालयों को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के पैसे इसलिए नहीं मिल रहे कि आपने उनका काम पूरा नहीं किया। अगर सरकार में थोड़ा बहुत भी पानी हो न तो पहले अपने जो सारे कुलपति हैं इनके नाम बदलो क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आवश्यकताओं को आप लोग पूरा नहीं करते। इतना बड़ा अन्याय कर रहे हो आप छात्रों के साथ और यह कानून लेकर आ गये।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कानून नहीं है, कलंक है; यह कानून नहीं है, यह उन हजारों विद्यार्थियों के भविष्य पर आघात है; यह कानून नहीं है, कुछ लोगों के व्हिम्स के कारण से सरकार दबाव में आकर सारी शिक्षा, प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं जो चल रही हैं उनको कम्पनियों के रूप में बदलना चाहते हैं। यह कानून नहीं है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार इस पर पुनर्विचार करे और सरकार विचार नहीं करती है तो मैं आपसे कहूंगा कि विधान सभा के सारे सदस्य

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अपनी आत्मा की आवाज सुनकर इस पर फैसला करें और इसमें मतदान पर विरोध करें।

हम इतनी जोर से कह रहे हैं, कल हमने सारे विधेयक पास किये न, और विधेयक हम पास कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब इंटीग्रिटी है; हम विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब कोई कारण है, हम विरोध कर रहे हैं, इतनी जोर से बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इसका मतलब इसके पीछे कोई महत्व है। इस बात को नहीं समझकर अगर आप इस पर तुले हुए हैं तो, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि फिर इसका एक ही हश्र होता है, जिन लोगों के लिए कानून बनता है, यह जनमत जानने का जो प्रस्ताव है वह बोलने का प्रस्ताव नहीं है, जनमत जानने का प्रस्ताव फिर विधान सभा सचिवालय द्वारा अखबारों में शाया होता है, शाया होने के बाद में जो लोग हैं वे अपनी रिपोर्ट, अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। उनकी जनमत की जब सारी प्रतिक्रियाएं हमारे पास आ जाती हैं तो उसके आधार पर हमारा मानस बनाकर विधान सभा इस प्रस्ताव को पुनः पास कर सकती है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैंने इसलिए प्रस्ताव किया है कि इसको जनमत जानने के परिचालित किया जाए, जनता की आवाज को आने दीजिये, जनता की आवाज हमारे पास आयेगी उसको सुनकर के हम फैसला करेंगे। आप जनता की आवाज को भी दबाना चाहते हैं, विधान सभा में भी आवाज दबाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर जनमत जानने के लिए सरकार परिचालित नहीं करती है तो हम उन सदस्यों में अपना नाम नहीं लिखाना चाहते जिन सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। इसलिए जब आप मतदान के लिए रखेंगे तो मैं खड़ा होकर के डिविजन क्लेम करूंगा। हम चाहेंगे कि नियमों के अनुसार आप हमको डिविजन दें, हम डिविजन क्लेम करें, हम हां पक्ष की लॉबी में जाएं, ये ना पक्ष की लाबी में जाएं, आप गिनें और नाम लिखा जाना चाहिए कि घनश्याम तिवाड़ी, गुलाब चन्द कटारिया, राजपाल सिंह, राजेन्द्र राठौड़, सुन्दर लालजी ने इसका विरोध किया और बेनीवालजी ने, भंवरलाल जी ने, परसादी लालजी ने, सोते हुए राजेन्द्र जी ने, रामलालजी ने सबका इनका समर्थन किया। तो कल अगर कोई कलंक आयेगा तो इनके सिर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पर आयेगा, हमारे सिर पर नहीं आयेगा। इसलिए हम इस पर डिविजन क्लेम करना चाहेंगे।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): बेनीवालजी कौन से? हनुमानजी क्या?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): सोते हुए राजेन्द्रजी। मैं चाहूंगा कि इस पर मत विभाजन हो, हम इस पर मत विभाजन करायेंगे। मैं चाहूंगा कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

**श्री सभापति**: श्री ओम बिरलाजी। (अनुपस्थित) श्री जितेन्द्र सिंह्जी।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन, जो स्वयं एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं और उनके साथ हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन ने जो कहा कि निजी विश्वविद्यालयों में पदनाम परिवर्तन का क्या औचित्य है। माननीय सभापति महोदय, जो हमारे सरकारी विश्वविद्यालय हैं, गर्वनमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अन्दर चांसलर हैं वे राज्यपाल होते हैं, वाइस-चांसलर हैं वे हमारे एजुकेशनिस्ट होते हैं। तो इस तरह यह परम्परा है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में चांसलर हैं, H.E. the Governor will be the Chancellor and the Vice-Chancellor, he will be an educationist. माननीय सभापति महोदय, निजी विश्वविद्यालयों में उच्च गरिमामय पदों पर स्वयं संस्थापक अथवा निजी रिश्तेदारों को पदासीन करना चाहें, वे निर्धारित अकेडमिक योग्यताधारी हैं अथवा नहीं, इन पदों की गरिमा के अनुकूल प्रतीत नहीं होता है। माननीय सभापति महोदय, न राज्य सरकार की कोई प्रतिष्ठा की मंशा है, न राज्य सरकार कोई नाम किसी के ऊपर थोपना चाहती है लेकिन distinction between the Universities should be there.

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर यही व्यवस्था होती तो वनस्थली विद्यापीठ जो आज से 60 साल पहले, इंटरनेशनल हमारा वूमेन कालेज का सेंटर है, विश्वविद्यालय है, चाहे वह डीम्ड हो, उनके अपने चांसलर का नाम वहां प्रेसिडेंट है। वनस्थली विद्यापीठ जैसे ने 60 साल पहले अपने चांसलर का नाम और वाइस-चांसलर का नाम जो आज रखा गया है प्रेसिडेंट, यह रखा हुआ है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): उस समय वह यूनिवर्सिटी भी नहीं थी और उस समय ये कुलपति के नाम भी नहीं आये थे।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): But still, यह रिकार्ड है मेरे पास और उसमें विश्वविद्यालय हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, it carries no difference.

माननीय सभापति महोदय, उदयपुर का बहुत पुराना जनार्दन नागर विद्यापीठ है, उसमें भी प्रेसीडेंट शब्द है। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, हमारे बहुत सीनियर मेम्बर आफ हाउस जो आप रहे हैं, आप होम मिनिस्टर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। उसके अलावा एल एम एन आई टी, जयपुर। उसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, आज आप यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ राजस्थान तक नहीं है, सिर्फ भारत तक नहीं हैं, इसका अन्तरराष्ट्रीय स्वरूप बनने जा रहा है। जो हमारे माननीय कपिल सिब्बल जी ने कहा कि विदेश की भी यूनिवर्सिटी आयेंगी। आज हम राजस्थान विश्वविद्यालय के हैं, it does not mean कि अगर हम बाहर जाएं तो हमारी यूनिवर्सिटी को चैलेंज किया जाए। विश्व की लीडिंग यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट है, ज्यूरिख यूनिवर्सिटी, क्वीनसिटी यूनिवर्सिटी, लन्दन, जो विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, 30 परसेंट आफ द टोटल, हमारा जो वर्ल्ड है, उनके विश्वविद्यालयों में प्रेसिडेंट शब्द का इस्तेमाल है। और तो और, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद की जो लीडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी है निरमा यूनिवर्सिटी, it is not deemed, it is a private university, उसमें उन्होंने प्रेसिडेंट और डायरेक्टर शब्द रखे हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह एक क्लीयर डिफरेंस होना चाहिए ताकि उसके अन्दर जो एक गरिमा है, जो एक गरिमा है गवर्नर की एज ए नेम आफ चांसलर और वाइंस-चांसलर में जो एक एजुकेशनिस्ट की है, वाइस-चांसलर हैं हमारे इवन द लीडिंग, इवन वाइस-प्रेसिडेंट थे राधाकृष्णन्, ये भी रहे हैं वाइस-चांसलर आफ चेन्नई यूनिवर्सिटी। ऐसे महान् व्यक्ति जैसे नाम हों, जिनका नाम शिक्षा जगत में लिया जाता है, उनको अगर एक साधारण प्राइवेट यूनिवर्सिटी के किसी बिजनेसमैन के समकक्ष खड़ा कर दिया जाएगा तो एक प्रश्नचिन्ह ही होगा एजुकेशन के स्टैंडर्ड के ऊपर। सवाल किसी सरकार की प्रतिष्ठा का नहीं है, सवाल किसी कांग्रेस या बी जे पी की सरकार का नहीं है, सवाल इस बात का है, there should be distinction between the two.

(डा. जितेन्द्र सिंह)

माननीय सभापति महोदय, दूसरा, जो सबसे ज्यादा छात्र हित की बात करते हैं, जहां तक डिग्रियों का प्रश्न है, छात्रों के हितों की बात कही है लेकिन मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 30 प्रतिशत आलरैडी, जैसे मैंने कहा, आल ओवर द वर्ल्ड की डिग्रियां हैं, उनमें प्रेसिडेंट और डायरेक्टर के शब्द हैं। कोई भी कहीं का एक्ट नहीं कहता, यह यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक्ट, 1956 है, इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि कोई भी सदन नाम चेंज नहीं कर सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता या इसको मान्य नहीं करेगा। इसमें प्रेसिडेंट और जो प्रो-प्रेसिडेंट है, इसको कोई भी एक्ट, किसी भी यू जी सी का एक्ट चैलेंज नहीं कर सकता। इसमें लिखा है। इसलिए हमारी डिग्रियां मान्य होंगी। यह मैं, सभापति महोदय, आपको बताना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अन्दर सारे एक्ट इस तरह के बनाये गये हैं जिसके अन्दर मोनोपॉली प्राइवेट यूनिवर्सिटी की नहीं चलेगी। जो प्राइवेट सैक्टर की यूनिवर्सिटी, आज वे करोड़ों रुपये खर्च कर-करके आती हैं। आज राजस्थान, Rajasthan is the hub for private education. आज राजस्थान के अन्दर भारत में सबसे ज्यादा एक साथ 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आईं। चार यूनिवर्सिटीज के बिल माननीय हमारे बहुत सीनियर डिप्टी लीडर आफ द अपोजिशन मौजूद थे, अगर इतनी यह महत्वपूर्ण बात थी तो कल भी उसको उठाया जा सकता था ताकि चारों बिलों को चैलेंज किया जा सकता था। यूनानिमसली, 'नो' शब्द आया ही नहीं, 'नो' शब्द नहीं आया उस समय। लेकिन हो सकता है, माननीय सभापति महोदय, I am not deaf and dumb, आपकी भाषा इतनी बुलंद है... (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मैंने कहा था। आया था। मैंने चेयरपर्सन के शब्द का विरोध किया था, महाराज। चेयरपर्सन का, प्रेसिडेंट का और मैंने पूछा था कि प्रोवोस्ट का क्या मतलब है, आपको ध्यान हो तो।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, माननीय डिप्टी लीडर आफ द अपोजिशन।

**डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): मंत्री महोदय, प्रोवोस्ट का लिटरेरी मीनिंग क्या है, यह 200 में से शायद किसी को मालूम नहीं है, यह सारे हाउस को मालूम नहीं है। यह हमें और समझा दीजिये, यह क्या चीज है, यह कौनसा शब्द है?

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): यस, यस। मैं बताता हूं। माननीय सभापति महोदय, कई नाम इतने प्रचलित होते हैं कि हम उनका डिसेक्शन इनेक्टमेंट में नहीं कर सकते। अब मैं माननीय हमारे सीनियर डिप्टी लीडर आफ द अपोजिशन से पूछूंगा, रेल का हिन्दी में क्या मतलब है? कृपया बताने का कष्ट करें।

**अनेक माननीय सदस्य**: लौहपथगामिनी।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): रेल का मतलब रेल है।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): यह इंग्लिश शब्द है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): लौहपथगामिनी, अरे भारवा, उसका अर्थ है अरे भारवा है कि लौहपथगामिनी विश्राम स्थल से कब तक तिसिल करेगी। (व्यवधान)

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ये कामन प्रचलित नेम हैं, इसमें किसी भाषा के कुछ अच्छे, हमारे खुद के इंग्लिश में जो लैटिन में नाम थे... (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): माननीय मंत्रीजी, जो डाक्टर रघुवीरजी की डिक्शनरी, ...(व्यवधान) आप सुनिये तो सही, आप बैठिये। डाक्टर रघुवीरजी की डिक्शनरी में जैसे वायुयान, खलिहान है, वैसे शयनयान भी बोलते हैं, रेल को तो शयनयान भी बोलते हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: विराजो, विराजो। विराजो, विराजो।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इंग्लिश के अन्दर, अंग्रेजी में कुछ लैटिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। किसी भी अगर दूसरी भाषा के शब्द ग्रहण किये जाते हैं किसी भाषा में किसी भी भाषा में अगर दूसरी भाषा के शब्द ग्रहण किये जाते हैं, उससे वह भाषा रिच होती है। माननीय सभापति महोदय, आज हिन्दी में कई उर्दू के हैं... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) मंत्रीजी, मंत्रीजी। वन मंत्रीजी।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): और हमारे स्वयं के हिन्दी में बहुत सारे ऐसे प्रचलित नाम हैं। अब सेक्रेटेरिएट, आप किसी को यह शब्द कह दीजिये, आपको रिक्शा वाला ले जायेगा सेक्रेटेरिएट। हिन्दी में सेक्रेटेरिएट का क्या मतलब है, माननीय सदस्य?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): सचिवालय है ना। सचिवालय है ना।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): सचिवालय बोलोगा जणां कोनी पहुंचाओगो बठे।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): ठीक है, पहुंचा देसी।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, बात किन्हीं शब्दों की गुलामी की नहीं है। मैं तो आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने आपसे प्रस्ताव किया था कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाये।

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): Division. We want division. We want division. We want division. (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): Noes have it. Noes have it. Noes have it. (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): We want division. We want division. We want division. (व्यवधान) We claim division. We want division. We want division

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

**(अस्वीकृत)**

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाये?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): No, No. Division, Division. We want division. We want division.

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): We claim division. We claim division.

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): Division, Division. (व्यवधान)

**खण्डश: विचार**

**श्री सभापति**: खण्डश: विचार। खण्ड 2 व 3-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जायें?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): No, No. Division, Division. We want division. We want division.

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): We claim division. We claim division.

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): Division, Division. (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): यह क्या मजाक बना रखा है? यह क्या मजाक बना रखा है? (व्यवधान) यह क्या कर रहे हो? यह क्या कर रहे हो? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यह क्या कर रहे हो? यह क्या कर रहे हो? (व्यवधान)

**अनेक माननीय सदस्य**: यह क्या कर रहे हो? यह क्या कर रहे हो? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: अनुसूची। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाये?

**(स्वीकृत)**

अनुसूची स्वीकार की गई। (व्यवधान)

**सदन कूप में**

**(प्रतिपक्ष के सदस्य सदन कूप में)**

मैं सदन चला रहा हूं। मैं सदन चला रहा हूं। (व्यवधान) उप नेता महोदय,... (व्यवधान) मैं कर लूंगा। मैं कर लूंगा। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्यः** आसन को धमका रहे हैं आप। आसन को धमका रहे हैं आप। (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): आसन को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। (व्यवधान) नियमों की, परम्पराओं की दुहाई देने वाला प्रतिपक्ष आसन को धमकाने का काम कर रहा है। (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** मैं डिविजन भी करा लूंगा। मैं डिविजन भी करा लूंगा। (व्यवधान) मैं दुबारा भी करा लूंगा। डिविजन भी करा लूंगा। (व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): आसन को प्रभावित करने की कार्यवाही की जा रही है। (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** मैं करा लूंगा। मैं करा लूंगा। (व्यवधान)

**(प्रतिपक्ष के सदस्य सदन कूप में)**

आप पधारो तो सही। आप पधारो तो सही। आप पधारो। आप पधारो। माननीय सचेतक महोदय, विराजिये। आप वहां पधारो तो सही। आप तो पधारो। आप तो पधारो। पधारो तो। (व्यवधान)

**(प्रतिपक्ष के सदस्य सदन कूप में)**

बिल पर जो भी संशोधन रखा गया है, उसके अन्दर आवश्यकता समझूंगा... आप पधारो तो सही। मैं देख लेता हूं। आप विराजो तो सही। आप विराजो तो सही। (व्यवधान) आप अपने आसन पर पधारो। आप अपने आसन पर पधारो। (व्यवधान) मैं आवश्यकता समझूंगा, मैं डिविजन करा लूंगा। मैं करा लूंगा। आप विराजो तो सही। (व्यवधान) बहुमत के आधार पर होगा। बहुमत के आधार पर होगा। आप विराजो तो सही। आप विराजो। बहुमत के आधार पर ही पास होगा। (व्यवधान) बहुमत के आधार पर ही पास होगा। आप पधारो तो सही। आप पधारो तो सही। उप नेता महोदय, पधारो तो सही। (व्यवधान)

**(प्रतिपक्ष के सदस्य सदन कूप में)**

आप मेरे से ज्यादा नियमों को, प्रक्रिया को अच्छी तरह से जानते हो। आप ज्ञाता हो। आप विराजो तो सही। आप विराजो तो सही। आप विराजो तो सही। (व्यवधान) आप मुझे व्यवस्था देने दीजिये। आप विराजो तो सही।

(श्री सभापति)

(व्यवधान) आप विराजो ना। आप विराजो ना। माननीय सचेतक महोदय, आप विराजिये। आप विराजिये। (व्यवधान)

**(प्रतिपक्ष के सदस्य सदन कूप में)**

आप विराजो तो सही। आप विराजो तो सही। मैं कर दूंगा, विराजो तो सही। आप दो मिनट विराजो तो सही। आप आसन पर तो पधारो। आप आसन पर तो पधारो। आप पधारो तो सही। आप दो मिनट तो विराजकर देखो ना।

**(प्रतिपक्ष के सदस्य सदन कूप में)**

आप दो मिनट तो विराजो। आप दो मिनट तो विराजो। आप दो मिनट तो विराजो। उप नेता महोदय, आप विराजो तो सही। आप विराजो तो सही। आप मेरा निवेदन स्वीकार करो, आप विराजो। (व्यवधान) आप विराजो। आप विराजो। आप दो मिनट विराजो। डिविजन भी हो जायेगा, माननीय सचेतक महोदय।... विराजो आप। (व्यवधान) आवश्यक होगा, वह मैं सब करवाऊंगा। विराजो तो सही दो मिनट। आप विराजो तो सही। आप विराजो तो सही दो मिनट, विराजो तो सही। आप विराजो, आप विराजो। (व्यवधान) आप मेहरबानी करके दो मिनट तो विराजो। (व्यवधान) आप विराजो तो सही। आप विराजिये। मैं कह रहा हूं ना। आप विराजो तो सही दो मिनट। आप विराजो तो सही। आप विराजो तो सही। आप विराजो तो सही।

**(प्रतिपक्ष के सदस्य सदन कूप में)**

आप विराजो तो सही। उप नेता महोदय, विराजो तो सही आप। मेरा निवेदन है, आप स्वीकार करके आप विराजो। आप विराजो। आपका राइट है। (व्यवधान) आप विराजो तो सही। आप विराजो तो सही। आप दो मिनट तो विराजो। मेरी बात भी तो मानो ना। आप आसन की व्यवस्था में सहयोग नहीं करेंगे? आप बिलकुल नहीं करेंगे? (व्यवधान) आप विराजो तो सही। आप विराजो तो सही। आपका राइट कौन खतम कर रहा है? आपका राइट कोई खत्म नहीं कर रहा है। आपके राइट को कोई खतम नहीं कर रहा है। आप विराजो तो सही दो मिनट। आप विराजो। दो मिनट विराजो आप। दो मिनट तो विराजो आप। दो मिनट विराजो आप। दो मिनट तो विराजो आप। (व्यवधान) आप विराजो तो सही, मैं दे रहा हूं व्यवस्था। आप विराजो तो सही। आप दो मिनट तो विराजो। आप विराजो। आपका राइट है ना। मैं कह रहा हूं, आपका राइट है, आपके पास सुरक्षित रखो आप। आप विराजो तो सही। आप

(श्री सभापति)

विराजो। आप विराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजो। माननीय सदस्य, विराजो। मेहरबानी करके विराजो आप। मेहरबानी करके विराजो आप। (व्यवधान) आप आसन पर तो पधारो। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप विराजो, आप विराजो। (व्यवधान) मुख्य सचेतक महोदय, आप जानते हो, आप विराजो तो सही दो मिनट। आप विराजो तो सही। आप विराजो तो सही। आप दो मिनट तो इंतजार कर लो। आप दो मिनट इंतजार कर लो। आप दो मिनट इंतजार कर लो। आप दो मिनट इंतजार कर लो।

**(प्रतिपक्ष के सदस्य सदन कूप में)**

आप विराजिये तो सही, मैं कराऊंगा। आप विराजो। आप विराजो। आप दो मिनट तो विराजो। (व्यवधान) आप विराजो तो सही। उप नेता महोदय, विराजो तो सही। आप विराजो। आप विराजो। (व्यवधान)

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में जोर-जोर से बोलना जारी)**

माननीय सदस्य, विराजो आप। आप विराजो तो सही। आप विराजो। दो मिनट विराजो आप। दो मिनट। मैं दे रहा हूं न व्यवस्था, आप विराजो तो सही। आपने अपनी बात कह दी। (व्यवधान) उप नेता महोदय, आपने बात कह दी, आप दो मिनट बिराजें तो सही। वापस आप, आप वापस यहां आ जाना। आप वापस यहां आ जाना ना। आप दो मिनट तो विराजो वहां पर। आप दो मिनट तो विराजो। दो मिनट तो विराजो। मेरा अनुरोध स्वीकार करो आप। आप दो मिनट विराजो। आप दो मिनट विराजो। मुझे दो मिनट तो दो आप। आप सभी माननीय सदस्यों को लेकर पधारो आप। आप दो मिनट तो मेरे को दो। आप दो मिनट मेहरबानी करके दे दो। आप विराजो वहां। आप विराजो।

**(सदन कूप में नारेबाजी)**

आप विराजो वहां। विराजो, विराजो। विराजो आप। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): सभापति महोदय, डिविजन क्लेम करने का हमारा अधिकार है और मैंने अपने भाषण में कह दिया था आपको कि इस विषय में इस बिल के ऊपर हम हमारा विरोध प्रकट करना चाहेंगे और हम नाम दर्ज करना चाहेंगे कि इस काले कानून को पास करते समय हम इसके साथ नहीं थे। इसलिए हमने डिविजन क्लेम किया। डिविजन क्लेम करने का हमारा अधिकार है और यह अधिकार हम आपके हाथ में नहीं दे सकते। इसलिए हम आपसे पुनः प्रार्थना करते हैं कि आप डिविजन करायें और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

डिविजन करा कर आज जिनके पास बहुमत है, बिल पास हो जायेगा। (व्यवधान) गिर जायेगा। (व्यवधान) We want division. We want...

**(सदन कूप में नारेबाजी)**

**श्री सभापति**: अनुसूची में कोई संशोधन नहीं । (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाय? जो पक्ष में हों हां कहें।

**अनेक माननीय सदस्य**: हां।

**श्री सभापति**: जो विपक्ष में हों ना कहें।

**अनेक माननीय सदस्य**: नो।

**श्री सभापति**: हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

**(स्वीकृत)**

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): We claim division. We claim division. Noes have it. (व्यवधान)

**श्री सभापति**: अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय? जो पक्ष में हो हां कहें...

**अनेक माननीय सदस्य**: हां।

**श्री सभापति**: जो विपक्ष में हों ना कहें।

**अनेक माननीय सदस्य**: नो।

**श्री सभापति**: हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

**(स्वीकृत)**

**श्री सभापति**: खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): डिविजन।

**श्री सभापति**: डा. जितेन्द्र सिंह।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाय। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: दे दूंगा मैं। विराजो आप। विराजो। (व्यवधान) जितेन्द्र सिंहजी।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): यह क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हैं आप? यह आज भी लड़ाई करना चाहते हैं क्या आप फिर दोबारा?

## विधेयक का पारण

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय। (व्यवधान)

**श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत): नियमों और परम्पराओं को पढ़ें। अध्यक्षीय व्यवस्थाओं को पढ़ो। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: डा. जितेन्द्र सिंहजी। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): क्या कर रहे हो आप?

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, कोई बोलना चाहें। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): एक मिनट, रुको। सभापति महोदय,...

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय? जो पक्ष में हों, हां कहें।

**अनेक माननीय सदस्य**: हां।

**श्री सभापति**: जो विपक्ष में हो ना कहें।

**अनेक माननीय सदस्य**: नो।

**श्री सभापति**: हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

**(स्वीकृत)**

**श्री सभापति**: राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया गया। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): मैं आपके खिलाफ, सभापति, +++ सभापति महोदय, मैं आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर रहा हूं, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास, अविश्वास। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: सदन की बैठक आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 16.34 बजे आधा घंटे के लिए स्थगित हुई)**

**(16.58 बजे)**

**पुन: समवेत होने पर**

**(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)**

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, ...

**श्री अध्यक्ष**: विराजें। पहले सदन का समय बढ़ाने वाली आवश्यकता है, कृपया विराजें।

# सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची में लिये गये कार्य संपादित किये जाने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: आप सब की अनुमति से कार्य सूची के पूर्ण होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाता है।

सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 16.59 बजे एक घंटे की लिए स्थगित हुई)**

**(17.59 बजे)**

**पुन: समवेत होने पर**

**(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)**

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय ...

**श्री अध्यक्ष**: आसन पांवों पर है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): एक बार आप विराजो, साहब।

**श्री अध्यक्ष**: यह अधिकार भी आपको नहीं है कि आप मुझे हुक्म दें कि मैं बैठ जाऊं। आप विराजो, विराजो।

**(18.00 बजे)**

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, अभी जब राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक पर विचार हो रहा था तो हमने डिविजन क्लेम किया था । अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि डिविजन क्लेम करने के पहले भी मैंने अपने भाषण में कह दिया था कि सरकार अगर इस पर अडामेंट ही है तो हम डिविजन क्लेम करना चाहते हैं। हमने डिविजन क्लेम किया बार-बार, दो बार किया, तीन बार किया, हमने एजिटेड किया इसके लिए क्योंकि प्रजातंत्र में विपक्ष का यह अधिकार है और हम नाम दर्ज कराना चाहते थे कि इस काले विधेयक को पारित करने में हम सहयोगी नहीं हैं और जो लोग सहयोगी हैं उसमें नाम दें। इसलिए हमने डिविजन क्लेम करने की बात की थी। लेकिन माननीय सभापति महोदय आसन पर विराजमान थे, उन्होंने हमारी लोकतांत्रिक और नियमों के अन्तर्गत जो बात है, उसको नहीं माना। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप डिविजन करा लें और डिविजन कराकर अपना आगे का काम चालू करें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है। (व्यवधान)

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): बोल चुके हैं। (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): उप नेता महोदय से बड़े नेता थोड़े ही हो आप।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): बोल चुके हैं, उसके बाद बोलने की क्या जरूरत है? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आपके उप नेता अपनी बात कह चुके हैं, मुझे उस पर व्यवस्था देने दीजिए। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। (व्यवधान)

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): क्या मतलब है? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: मुझे उस पर व्यवस्था देने दीजिए। कृपया शांति रखिये।

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): इनके ही आदेश थे। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदया। कृपया शांति रखिये। मैंने सुन ली, भाजपा के उप नेता, माननीय तिवाड़ी जी ने जो बात कही है, वह मैंने सुन ली है। मुझे भी तो उस बात पर बात कहने का अवसर दीजिए आप। आप वह बात ही कहना चाहते हैं जो इन्होंने कही है कि कोई नई बात कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

अभी राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक 2010 को पारित कराने के संबंध में चर्चा चली और जैसा कि माननीय तिवाड़ी जी कह रहे हैं कि उन्होंने क्लेम किया, किन्तु मैंने जो जानकारी की, उसके अनुसार आसन की ओर से सभापति ने व्यवस्था देते हुए उस विधेयक को पारित करा दिया, इसलिए उसके बाद डिविजन की चर्चा हुई। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यह लोकतंत्र की +++ है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान प्रदत्त अधिकारों की +++ है। (व्यवधान) यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलेगा, यह प्रक्रियाओं से चलेगा। इसीलिये मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय डिविजन..(व्यवधान)

**नारेबाजी**

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)**

**श्री अध्यक्ष**: पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2010। डा. जितेन्द्र सिंह।

# विधेयक पर विचार

## पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2010

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आप हमारे अधिकारों की +++ मत करो, हमें आपसे उम्मीद है। (व्यवधान) हमारे अधिकारों की +++ कर रहे हो आप। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: श्री अमराराम। श्री पवन दुग्गल। श्री पेमाराम। श्री गुलाब चन्द कटारिया। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। (व्यवधान) आप आसन पर विराजे हुए हो।

**श्री अध्यक्ष**: श्री राजेन्द्र राठौड़। डा. दिगम्बर सिंह। श्रीमती अनिता सिंह। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, I am in possession of the Floor of the House.

**श्री अध्यक्ष**: श्री कालीचरण सराफ। श्री हनुमान बेनीवाल। श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री ओम बिरला।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की विधान सभा ...(व्यवधान) हमें अधिकार है, कानून के तहत अधिकार है। (व्यवधान) नियमों और प्रक्रियाओं का हमें अधिकार है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक 2010 को विचारार्थ लिया जाए ।

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

**खण्डश: विचार**

खण्ड-2 से 47 ।कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये जाएं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 व 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाएं?

**(स्वीकृत)**

(श्री अध्यक्ष)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गईं।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री पारित करें।

## विधेयक का पारण

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2010 को पारित किया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: जो सदस्य बोलना चाहे, उन्हें अनुमति दी जाएगी। यदि कोई सदस्य बोलें, उन्हें अनुमति दी जाएगी। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2010 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2010 पारित किया गया।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)**

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2010 श्री हरजीराम बुरड़क।

## विधेयक पर विचार

### राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2010

**श्री हरजीराम बुरड़क** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: श्री अमराराम। श्री पेमाराम। श्री गुलाब चन्द कटारिया। श्री राजेन्द्र राठौड़। डा. दिगम्बर सिंह। श्रीमती अनिता सिंह। श्री कालीचरण सराफ। श्री हनुमान बेनीवाल। श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री ओम बिरला।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)**

प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

**खण्डशः विचार**

खण्ड 2 से 62 । कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 62 स्वीकार किये जाएं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 2 से 62 स्वीकार किये गये।

अनुसूची। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

**(स्वीकृत)**

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री हरजीराम जी बुरड़क।

## विधेयक का पारण

**श्री हरजीराम बुरड़क** (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 को पारित किया जाए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): लोकतंत्र की रक्षा करो, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: जो सदस्य बोलना चाहें, उन्हें अनुमति दी जाएगी। यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे, उन्हें अनुमति दी जाएगी। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 को पारित किया जाए ?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 को पारित किया गया।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)**

राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) विधेयक, 2010 । श्रीमती बीना काक।

# विधेयक पर विचार

## राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) विधेयक2010,

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: श्री गुलाब चन्द कटारिया। श्री राजेन्द्र राठौड़। डा. दिगम्बर सिंह। श्रीमती अनिता सिंह। श्री कालीचरण सराफ। श्री हनुमान बेनीवाल। श्री अमराराम। श्री पेमाराम। श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री ओम बिरला।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

**खण्डशः विचार**

खण्ड-2 से 32 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 32 स्वीकार किये जाएं?

(श्री अध्यक्ष)

**(स्वीकृत)**

खण्ड 2 से 32 स्वीकार किये गये।

अनुसूची। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए ?

**(स्वीकृत)**

अनुसूची स्वीकार की गई।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)**

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती बीना काक, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

## विधेयक का पारण

**श्रीमती बीना काक** (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): ऐसे ही पास कराओगे तो ठीक है।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)**

**श्री अध्यक्ष**: जो कोई सदस्य बोलना चाहें, उन्हें अनुमति दी जाएगी। (व्यवधान) जो कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें, उन्हें अनुमति दी जाएगी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय?

(श्री अध्यक्ष)

**(स्वीकृत)**

राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) विधेयक, 2010 को पारित किया गया।

## विधेयक का पुर:स्थापन

### राजस्थान विधान सभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक, 2010

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2010 । श्री शांति कुमार धारीवाल।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): न्यूनतम मजदूरियां बढ़ा नहीं रहे, इसलिये हम इसका विरोध करते हैं। (व्यवधान) हम इसका विरोध करते हैं। (व्यवधान) दैनिक मजदूरियां बढ़ा नहीं रहे, इसलिये हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)**

**श्री अध्यक्ष**: श्री शांति कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री विधेयक को विचारार्थ लेने के लिये प्रस्ताव करेंगे। श्री शांति कुमार धारीवाल।

# विधेयक पर विचार

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाय।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

**खण्डशः विचार**

खण्ड-2 से 11 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 11 स्वीकार किये जाएं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-2 से 11 स्वीकार किये गये।

खण्ड-12 । प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि in Clause 12, which seeks to insert section 8 D, after the words "twenty thousand rupees" and before the words "shall be" the words "per mensem" be inserted.

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि खण्ड-12 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय?

**(स्वीकृत)**

संशोधन स्वीकार किया गया।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)**

**श्री विजय बंसल** (भरतपुर): मजदूरों की मजदूरी बढ़ाओ, विधायकों को नहीं चाहिए। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाओ। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि खण्ड-12 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय?

(श्री अध्यक्ष)

**(स्वीकृत)**

खण्ड-12 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शांति कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2010 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

## विधेयक का पारण

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2010 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)**

**श्री अध्यक्ष**: यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो उन्हें अनुमति दी जायेगी। यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो उन्हें अनुमति दी जायेगी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2010 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

**(स्वीकृत)**

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2010 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)**

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, हम इसका विरोध करते हैं और बहिर्गमन करते हैं।

**बहिर्गमन**

**(माननीय सदस्य श्री अमराराम, श्री पेमाराम, श्री पवन कुमार दुग्गल व श्री विजय बंसल द्वारा बहिर्गमन)**

**श्री अध्यक्ष** : श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

# विधेयक का पुर:स्थापन

## राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2010

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुर:स्थापित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाय।

# विधेयक पर विचार

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाय।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2010 को विचारार्थ लिया जाय?

(श्री अध्यक्ष)

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

**खण्डशः विचार**

खण्ड-2 से 4 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जाएं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शांति कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

**(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)**

## विधेयक का पारण

**श्री शांति कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय।

**श्री अध्यक्ष**: यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो उन्हें अनुमति दी जायेगी। यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो उन्हें अनुमति दी जायेगी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया जाय?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2010 को पारित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

# घोषणा

## 13वीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र के कार्यों का लेखा-जोखा

13वीं राजस्थान विधान सभा का चतुर्थ सत्र दिनांक 22 फरवरी, 2010 से प्रारम्भ हुआ था एवं आज दिनांक 2 अप्रैल, 2010 को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो रहा है। इस सत्र में कुल 23 बैठकें हुईं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, हमारी बात को नहीं सुना आपने। आसन हमारी बात को नहीं सुन...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): यह लोकतंत्र की +++ हुई है।

**श्री अध्यक्ष**: आसन पांवों पर।

## प्रश्न

इस सत्र में माननीय सदस्यों से 1973 तारांकित प्रश्न, 2276 अतारांकित प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई है। कुल 429 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए जिनमें से 86 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई। 772 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

## प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव

माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत 150 स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई जिनमें से राज्य सरकार को 6 प्रस्ताव उत्तर प्राप्ति हेतु प्रेषित किये गये। राज्य सरकार से 4 प्रस्तावों के उत्तर प्राप्त हुए, 2 के उत्तर प्राप्त होने शेष हैं।

## प्रक्रिया नियम-295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम-295 के अन्तर्गत प्राप्त 211 विशेष उल्लेख की सूचनाएं सदन में पढ़ी गई/पढ़ी हुई मानी गई जिनमें से 114 सूचनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है।

## प्रक्रिया के नियम-131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

उक्त नियम के अंतर्गत 207 प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से 192 प्रस्ताव राज्य सरकार को जानकारी हेतु भेजे गये। उनमें से 118 के उत्तर प्राप्त हो गये हैं। 3 प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये। इनमें से 19 प्रस्ताव

(श्री अध्यक्ष)

सदन में संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करने हेतु कार्य-सूची में सूचीबद्ध किये गये।

## मंत्री द्वारा वक्तव्य

लोक महत्व के 03 विषयों पर संबंधित मंत्रियों द्वारा वक्तव्य दिये गये।

## महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2010 को सदन में अपना अभिभाषण दिया गया, जिस पर सदन में 4 दिन चर्चा हुई जिसमें 82 माननीय सदस्यों ने भाग लिया।

## आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-11 पर सामान्य वाद-विवाद एवं अनुदानों की मांगों पर विचार

दिनांक 09 मार्च, 2010 को आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-11 सदन में उपस्थापित किया गया, जिस पर 4 दिन सामान्य वाद-विवाद हुआ, जिसमें 85 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। विभिन्न विभागों से संबंधित 18 अनुदानों की मांगों पर सदन में चर्चा हेतु 8 दिवस नियत, तय किये गये। अनुदान की मांगों पर 2,433 कटौती प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई, जिनमें से 2062 कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये गये एवं 371 कटौती प्रस्ताव अग्राह्य किये गये। अनुदानों की मांगों पर विभिन्न तिथियों को हुई चर्चा में कुल 206 सदस्यों ने भाग लिया।

## विधायी कार्य

वर्तमान सत्र में कुल 16 विधेयक पुरःस्थापित किये जाकर 15 विधेयक सदन द्वारा पारित किये गये। पारित विधेयकों पर कुल 68 संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से एक संशोधन प्रस्ताव अग्राह्य किया गया और 67 सदन द्वारा अस्वीकार किये गये। इसके साथ ही सरकार द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

## पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय

प्रतिदिन शून्यकाल में माननीय सदस्यों की ज्वलंत समस्याओं और विभिन्न जनहित के मुद्दे उठाने का अवसर उनके द्वारा दी गई पर्चियों आदि के आधार पर दिया गया।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): विधेयकों का पारण गलत हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयकों को नियम विरुद्ध पारित किया गया है।

**श्री अध्यक्ष**: आसन पांवों पर। (व्यवधान) 55 माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई पर्ची के आधार पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): आसन सिर माथे लेकिन यह गलत किया गया है विधेयकों के बारे में, हम इसका प्रोटेस्ट करते हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं हो।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): xxx

**श्री अध्यक्ष**: यहां यह भी उल्लेख करना है कि पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषयों पर राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाना आवश्यक नहीं है फिर भी पर्ची के माध्यम से उठाये गये 14 विषयों पर तत्काल राज्य सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई।

## याचिकाएं

सदन में 18 याचिकाएं माननीय सदस्यों द्वारा उपस्थापित की गईं।

## राज्य में बिजली, पेयजल एवं अकाल की स्थिति पर चर्चा

सदन में दिनांक 30 एवं 31 मार्च, 2010 को राज्य में बिजली, पेयजल एवं अकाल की स्थिति पर विचार हुआ, जिसमें 96 माननीय सदस्यों ने भाग लिया एवं संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिया गया।

## विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

सत्र में विभिन्न समितियों के कुल 64 प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किये गये।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि आज सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात् इसी सदन में राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ (सी.पी.ए.), राजस्थान शाखा की साधारण सभा की बैठक होगी। अतः माननीय सदस्यगण कार्यवाही स्थगित होने के पश्चात् भी सदन में विराजे रहेंगे।

## राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता।

पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा।

विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा।

तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मांगे।

गाये तव जय गाथा।

जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता।

जय हे, जय हे, जय हे। जय जय जय जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 18.23 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)**

# सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

## राज्य राजमार्ग संख्या 39 क्षेत्र जहाजपुर का सुदृढ़ीकरण

**414. श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश के राज्य राजमार्ग की सड़कों की चौड़ाई एवं मोटाई के लिए मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य राजमार्ग संख्या 39 के किमी 27.0 से 50.0 तक निर्मित सड़क की चौड़ाई 3 मीटर होने से मानदण्ड अनुसार नहीं है? क्या सरकार मानदण्ड अनुसार इस सड़क की चौड़ाई एवं मोटाई बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के राज्य राजमार्गों के चौड़ाईकरण के लिये भारतीय सड़क कांग्रेस की विशिष्ठी संख्या 64-1990 के अनुसार 2000 पी.सी.यू. तक एक लेन, 6000 पी.सी.यू. तक इण्टरमीजिएट लेन, 15000 पी.सी.यू. तक डबल लेन सड़क की चौड़ाई के मानदण्ड निर्धारित हैं तथा भारतीय सड़क कांग्रेस की विशिष्ठी संख्या 37-2001 के अनुसार डामर सड़क की मोटाई की डिजाइन विभिन्न वाहनों की संख्या एवं सी.बी.आर. के आधार पर की जाती है। निर्धारित मानदण्डों की प्रतियां क्रमश: परिशिष्ट-1 व 2 पर प्रस्तुत हैं।

(2) जी हां। राज्य राजमार्ग संख्या 39 के किमी. 27/0 से 48/0 तक सड़क की चौड़ाई 3.0 मीटर व किमी. 48/0 से 50/0 तक सड़क की चौड़ाई 5.50 मीटर है जो कि अक्टूबर, 2009 में करायी गयी यातायात गणना के अनुसार मानक स्तर से 7.0 मीटर से कम है।

जी हां। इस सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

**(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## पाटोदा-हापास (सीकर) की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

**415. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित अनेक सड़कें क्षतिग्रस्त एवं मरम्मत योग्य हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की पाटोदा से हापास सड़क काफी समय से क्षतिग्रस्त है? क्या सरकार उक्त सड़क को पुनर्निर्मित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा निर्मित सड़कों में से कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त एवं मरम्मत योग्य हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। पाटोदा से हापास सड़क क्षतिग्रस्त है। इसकी विशेष मरम्मत पर अनुमानित 24.00 लाख रुपये व्यय होने संभावित हैं। कृषि उपज मंडी समिति सीकर के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण स्वीकृति संभव नहीं हो सकी है।

**परिशिष्ट "अ"**

**लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा निर्मित सड़कों में से क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची**

| क्र. सं. | कृषि उपज मंडी समिति | सम्पर्क सड़क का नाम | निर्मित लम्बाई (कि.मी.) | निर्माण वर्ष | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सीकर | पाटोदा से हापास | 3.00 | 1997-98 | विशेष मरम्मत की आवश्यकता |
| 2. | फतेहपुर | पनलावा से खींवसर | 4.77 | 1999-2000 | विशेष मरम्मत की आवश्यकता |
| 3. | फतेहपुर | लक्ष्मणगढ़-मुकन्दगढ़ रोड से राजपुरा | 4.74 | 2000-01 | विशेष मरम्मत की आवश्यकता |

## जयपुर शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु आपात योजना

**416. श्री मोहनलाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर बांध का जलस्तर काफी तेजी से गिरता जा रहा है तथा उक्त बांध से जयपुर में पेयजल आपूर्ति मात्र तीन महीने तक ही हो पायेगी?

(2) क्या बीसलपुर से 180 एमएलडी तक मिलने वाला पेयजल मात्र 29 एमएलडी तक ही सिमट कर रह गया है? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

(3) सरकार की जयपुर शहर में आने वाली भीषण गर्मी की परेशानी को देखते हुये पेयजल की आपूर्ति हेतु क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) पिछले 2 वर्षो से मेहंदी के चौक स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय में पानी के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं व उनका निस्तारण कितने समय में किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। बीसलपुर बांध से वर्तमान में जयपुर शहर में 290 लाख लीटर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शहर में कुल 1854 नलकूपों से 3114 लाख लीटर प्रतिदिन पेयजल उत्पादन हो रहा है तथा आवश्यकतानुसार 1950 टैंकर ट्रिपों के माध्यम से लगभग 70 लाख लीटर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। आपात योजना के तहत वर्तमान में प्रगतिरत नलकूप निर्माण कार्यों से ग्रीष्म 2010 में लगभग 160 लाख लीटर अतिरिक्त पेयजल का उत्पादन होगा।

(3) जयपुर शहर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाये रखने के लिये ग्रीष्म कंटीजेन्सी/आपातकालीन योजनाओं की स्वीकृति समय-समय पर निम्नानुसार जारी की गई :—

(जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

| क्र. सं. | योजना का नाम | स्वीकृत माह/ वर्ष | स्वीकृत राशि (रु. लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1. | ग्रीष्म कंटीजेन्सी मार्च, 2009 | मार्च, 2009 | 387.00 |
| 2. | आपात योजना, फेज प्रथम (माह सितम्बर, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक) | अगस्त, 2009 | 762.02 |
| 3. | आपात योजना, फेज द्वितीय (माह जनवरी, 2010 से अप्रैल, 2010 तक) | फरवरी, 2010 | 880.50 |

उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कार्यवार स्वीकृति का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(4) वर्ष 2008 एवं वर्ष 2009 में मेहंदी चौक स्थित उपखण्ड कार्यालय में पेयजल संबंधी प्राप्त क्रमश: 3456 व 4451, कुल 7907 शिकायतों का विभाग द्वारा निराकरण किया जा चुका है। विभाग द्वारा प्राप्त शिकायत का निराकरण यथासम्भव एक दिन में किया जाता है।

परिशिष्ट "अ"

**जयपुर शहर में पेयजल व्यवस्था हेतु स्वीकृत ग्रीष्म कंटीजेन्सी एवं आपातकालीन योजना 2009-10 के तहत स्वीकृत कार्यो का विवरण**

| चरण | अवधि | नए नलकूप | नए हैण्ड पम्प | नए सिंगल फेज | पुराने नलकूपों को गहरा करने का कार्य | पुराने हैडपंपों को गहरा करने का कार्य | होरि-जंटल/ वर्टीकल बोरिंग | पेयजल परिवहन (रू. लाख में) | अन्य कार्य | कॉलम 3 से 10 तक के कार्यों की अनुमानित राशि (रुपये लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ग्रीटिंग्स कंटीजेन्सी योजना, 2009 | मार्च, 2009 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | — | 387.00 |
| | प्रगति | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | — | — |
| आपातकालीन योजना-प्रथम चरण | अक्टूबर, 2009 से दिसम्बर, 2009 | 50 | 20 | 50 | 150 | 200 | 0 | 216.00 | 11 कि.मी. पाइप लाइन | 762.00 |
| | प्रगति दिनांक 28.3.2010 | 50 | 16 | 35 | 98 | 82 | 0 | 216.00 | 11 कि.मी. पाइप लाइन | — |
| आपातकालीन योजना-द्वितीय चरण (स्वीकृति दिनांक 20 फरवरी, 2010) | जनवरी, 2010 से मार्च, 2010 | 85 | 30 | 50 | — | — | — | — | 9.5 कि.मी. पाइप लाइन | 880.50 |
| | प्रगति दिनांक 28.3.2010 | 6 | 8 (वेधन कार्य पूर्ण) | 12 (वेधन कार्य पूर्ण) | — | — | — | — | 1.0 कि.मी. पाइप लाइन पूर्ण | |

## औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय बहुमंजिला इमारतों हेतु स्वीकृति

**417. श्री ओम बिरला** (कोटा-दक्षिण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) औद्योगिक क्षेत्र में आवासीय मल्टी स्टोरी फ्लैट बनाने के क्या-क्या नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित है? नियम/प्रक्रिया की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में गत तीन वर्षों में कौन-कौन से औद्योगिक क्षेत्र में आवासीय मल्टी स्टोरी फ्लैट निर्माण की कितने क्षेत्रफल में व कितने फ्लैट बनाने की अनुमति दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित भूखण्डों पर गत तीन वर्षों में आवासीय मल्टी स्टोरी फ्लैट निर्माण हेतु किस-किस द्वारा व कितने-कितने क्षेत्र के लिए आवेदन किया गया एवं किन-किन को अनुमति दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कोटा शहर के औद्योगिक शहर में आवासीय मल्टी स्टोरी फ्लैट के निर्माण की अनुमति दी गई है? यदि हां, तो किस प्रक्रिया के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) रीको के औद्योगिक क्षेत्र में आवासीय मल्टी स्टोरी फ्लैटों का निर्माण "रीको गैर औद्योगिक भवन विनियम" के अनुरूप करना होता है। उक्त कार्य हेतु भू-आबंटन से सम्बन्धित नियम व "रीको गैर औद्योगिक भवन विनियम" की प्रतिलिपि परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) राज्य में गत 3 वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र बगरू (विस्तार)-द्वितीय चरण में कुल 8 आबंटी कम्पनियों/उद्यमियों को केप्टिव ग्रुप हाउसिंग हेतु आवासीय फ्लैट्स बनाने हेतु भूखण्ड आवंटित किए गए हैं। विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

उक्त आबंटियों में से किसी भी आबंटी ने फ्लैट्स निर्माण हेतु भवन-मानचित्र प्रस्तुत नहीं किए हैं एवं ना ही फ्लैट्स निर्माण हेतु अनुमति मांगी है। अत: उक्त आबंटियों में से किसी भी आबंटी को आज दिनांक तक उक्त अनुमति नहीं दी गई है।

इसके अतिरिक्त मैसर्स ओम मेटल्स एण्ड मिनरल्स लि. (वर्तमान में ओम मेटल्स इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड) को वर्ष 2001 में शिक्षण संस्थान एवं आवासीय कॉलोनी हेतु इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा में भूमि आबंटित की गई थी। इसमें से आवासी कॉलोनी हेतु 20000 वर्गमीटर भूमि आबंटित की गई थी। उक्त कम्पनी के

(उद्योग मंत्री)

आवेदन पर आवासीय कालोनी हेतु आबंटित भूमि पर कम्पनी को 2 चरणों में आवासीय फ्लैट्स निर्माण हेतु भवन मानचित्र दिनांक 03.02.2006 (20 फ्लैट्स एवं 7 बंगलॉज) एवं 04.09.2007 (244 फ्लैट्स) को अनुमोदित किए गए।

(3) राज्य में रीको औद्योगिक क्षेत्रों में गत 3 वर्षो में आवासीय मल्टी स्टोरी फ्लैट्स (ग्रुप हाउसिंग) निर्माण हेतु 8 आबंटी उद्यमियों ने भूखण्ड हेतु आवेदन किया। इसके अतिरिक्त एक कम्पनी ने पूर्व आबंटित भूखण्ड पर आवासीय फ्लैट्स निर्माण हेतु भवन मानचित्र अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए। सूची परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। कोटा शहर के औद्योगिक क्षेत्र में मैसर्स ओम मेटल्स एण्ड मिनरल्स लि. (वर्तमान में ओम मेटल्स इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लि.) को वर्ष 2001 में शिक्षण संस्थान की भूमि आबंटन के साथ-साथ आवासीय कालोनी हेतु भी आबंटित की गई है। उक्त भूमि का आबंटन रीको के बोर्ड की आधारभूत विकास समिति द्वारा अनुमोदन उपरान्त किया गया है। आबंटन से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट "य" एवं "य-1" पर उपलब्ध है।

उक्त कम्पनी के आवेदन पर आवासीय कालोनी हेतु आबंटित भूमि पर कम्पनी के आवासीय फ्लैट्स निर्माण हेतु भवन मानचित्र दिनांक 03.02.2006 (20 फ्लैट्स एवं 7 बंगलाज) एवं 04.09.2007 (244 फ्लैट्स) को अनुमोदित किए गए। उक्त अनुमोदन तत्समय प्रचलित रीको गैर औद्योगिक भवन विनियम के अन्तर्गत किए गए थे।

**(प्रतिलिपि, विवरण व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## बीकानेर शहर की अर्द्ध विकसित कालोनियों में मोबाइल स्कूल

**418. सुश्री सिद्धीकुमारी** (बीकानेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार बीकानेर की अर्द्ध विकसित कालोनियों में सरकारी प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो इन कॉलोनियों में नए विद्यालय कब तक खोल दिये जायेंगे?

(2) बीकानेर में पूर्व में बन्द अथवा मर्ज किये गये विद्यालयों को कब तक खोला जाना प्रस्तावित है?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए "मोबाइल स्कूल" चलाये जा रहे हैं? यदि हां, तो बीकानेर के किन क्षेत्रों में व नहीं, तो सरकार ऐसे ''मोबाइल स्कूल'' कब तक शुरू करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) वर्तमान में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं हैं।

(2) पूर्व में बंद अथवा मर्ज विद्यालय पुन: शुरू करने के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

(3) जी नहीं।

## दूढा लाम्बोडी ग्राम (सोजत) में नियम विरुद्ध संचालित स्टोन क्रेशर

**419. श्रीमती संजना आगरी** (सोजत) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सोजत में नियम विरुद्ध क्रेसर लगाने हेतु खान आबंटित की गई हैं? यदि हां, तो कब व कहां-कहां पर?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांव दूढा लाम्बोडी में कंकरीट खनन के कार्य व क्रेसर के संबंध में सरकार को ग्रामीणों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब व क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दूढा लाम्बोडी गांव के आस-पास स्थित खानों के संबंध में प्राप्त ग्रामीणों की शिकायत पर कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। गुडा रामसिंह ग्राम पंचायत जिला पाली के ग्रामवासियों द्वारा अवैध ढंग से हो रहे खनन कार्य एवं गिट्टी निर्माण कार्य को रोकने बाबत शिकायतें दिनांक 24.8.2009 एवं 29.9.2009 को प्राप्त हुई है। शिकायत दिनांक 24.8.2009 एवं 29.9.2009 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सोजत के गांव दूढा लाम्बोडी की ग्राम पंचायत गुडारामसिंह के ग्रामीणों की ओर से अवैध खनन एवं गिट्टी निर्माण कार्य रूकवाने बाबत शिकायत प्राप्त हुई, जिसकी जांच दिनांक 10.11.2009 को की गई। शिकायत निराधार पाई गई। ग्रामवासियों द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.खं.) सोजतसिटी में दीवानी विविध प्रकरण संख्या 73/2009 दायर किया गया जिसका निर्णय दिनांक 22.10.2009 को हुआ। जिसमें प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। ग्रामीणों द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सोजतसिटी में दीवानी अपील आर्डर संख्या

(राज्य मंत्री, खनिज)

11/09 दायर की गई, जिसका निर्णय दिनांक 17.2.2010 को हुआ। जिसमें अपील में कोई तथ्य नहीं पाये जाने से अस्वीकार किये जाकर एतदद्वारा निरस्त की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2009 की पुष्टि की गई। मूल वाद संख्या 74/09 कोर्ट में विचाराधीन है।

**(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड द्वारा यातायात प्रबंधन हेतु कार्य-योजना

**420. श्री कैलाश चन्द भंसाली** (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोधपुर का यातायात मास्टर प्लान बनाने के लिए कंसल्टेंट कम्पनी को काम्प्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाने का आदेश दिया गया है? क्या उक्त प्लान की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधीन गठित जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड ने अब तक सिटी में यातायात प्रबन्धन के लिए क्या कदम उठाए हैं एवं भावी योजनाएं क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोधपुर शहर का यातायात मास्टर प्लान बनाने के लिये मैसर्स विल्बर स्मिथ एसोसियेट्स, बैंगलोर को दिनांक 22.10.2009 को सम्पादित एमओयू के तहत काम्प्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाने का आदेश दिया गया था। इस प्लान की ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(2) जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधीन गठित जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक दिनांक 4 दिसम्बर, 2009 को आयोजित की गई। जिसमें सिटी में यातायात प्रबंधन के लिये मुख्य रूप से लिये गये निर्णय एवं की जा रही कार्यवाही निम्न प्रकार से है :-

1. कमला नेहरू कालेज के सामने सड़क की चौड़ाई का विस्तार करने की कार्यवाही की जा रही है।
2. पावटा चौराहे पर यातायात सुव्यवस्थित करने हेतु मल्टीग्रेड फ्लाई ओवर के प्रस्ताव पर सी.एम.पी. कंसल्टेंट की राय लेते हुए अविलम्ब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

3. पूरे शहर में ट्राफिक लाइनिंग, केटआई, सोलर बिलिंकर, बोलार्ड, हजार्ड मार्कर, पी.बी.सी. स्पीड ब्रेकर आदि आधुनिक ट्राफिक फर्निचर लगवाने का कार्य करवाया जा रहा है। शहर में विभिन्न स्थानों पर गुणावगुण के आधार पर ट्राफिक फर्निचर लगवाने की कार्यवाही की जा रही है।
4. शहर के अन्दर आने वाली पांच मुख्य सड़कों यथा नागौर रोड, जयपुर रोड, पाली रोड़, बाड़मेर रोड एवं जैसलमेर रोड पर स्थित पुलिस नाकों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
5. ट्रेफिक मैनेजमेंट हेतु कम्प्यूटर एडेड सिस्टम हेतु नई बेटरी खरीदकर व्यवस्था दुरूस्त करने हेतु 1.50 लाख रुपये व्यय की सहमति दी गई है।
6. रेल्वे स्टेशन पर प्रीपेड बूथ में विद्युत कनेक्शन हेतु 40,000/- रुपये रेल्वे विभाग को दिये गये।

यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय की पालना हेतु इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है।

भविष्य में भी आवश्यकतानुसार जोधपुर शहर के यातायात को व्यवस्थित करने हेतु सम्यक प्रयास किये जायेंगे।

**(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## नगरपालिका सीमा के पास स्थापित टोल नाका

**421. श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील चौमूं (जयपुर) में सामोद रोड पर टोल टैक्स नाका स्थित है? यदि हां, तो टोल टैक्स चौमूं नगरपालिका सीमा से कितने किलोमीटर दूरी पर स्थित है?

(2) क्या यह भी सही है कि सड़क एवं टोल टैक्स अधिनियम के अनुसार कोई भी टोल टैक्स नाका नगरपालिका सीमा से 10 किलोमीटर दूरी से पहले नहीं होना चाहिए? यदि हां, तो सामोद रोड पर टोल टैक्स नाका नगरपालिका सीमा के समीप स्थापित किए जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त टोल टैक्स नाका को नगरपालिका, चौमूं सीमा से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) जी हां। सामोद रोड पर टोल टैक्स नाका स्थित है एवं यह टोल टैक्स नाका चौमूं नगरपालिका सीमा से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

(2) जी नहीं। राजस्थान रोड डवलपमेंट एक्ट, 2002 के अनुसार ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि टोल टैक्स नाके की स्थिति का चयन परियोजना की स्वीकृति के समय ही किया गया था। इसको स्थानान्तरित करने से इस परियोजना का मूल स्वरूप बदल जाएगा। इसलिए टोल टैक्स नाके को बदलना विचाराधीन नहीं है।

## किशनगढ़ बास विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

**422. श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़बास) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में गत दस वर्षों में किन-किन डामर सड़कों का निर्माण कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्माण की गई किस-किस सड़क का नवीनीकरण कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार क्षतिग्रस्त/जर्जर सड़कों का नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल द्वारा किशनगढ़बास विधान सभा क्षेत्र में गत दस वर्षों में 10 सड़कें लम्बाई 29.07 कि.मी. का निर्माण करवाया गया है। सड़कों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) गत दस वर्षों में निर्मित की गई सड़कों में से किसी भी सड़क पर नवीनीकरण का कार्य नहीं किया गया है।

(3) मण्डी समिति से वर्ष 2009-10 में कोई प्रस्ताव सड़कों के मरम्मत हेतु प्राप्त नहीं हुआ है। मण्डी समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मण्डी के पास में बजट उपलब्धता के आधार पर सड़क का निर्माण/नवीनीकरण कराया जाता है।

**परिशिष्ट "अ"**

**विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में गत 10 वर्षों में निर्मित सड़कों की सूचना**

| क्र. सं. | कृ.उ.म. समिति का नाम | विधान सभा क्षेत्र | सड़क का नाम | निर्मित लम्बाई (किमी) | कुल व्यय (लाखों में) | निर्मित वर्ष | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | खैरथल | किशनगढ़बास | किशनगढ़ कोटकासिम रोड से इकरोटिया | 0.51 | 4.39 | 1999-2000 | सा.नि.वि. द्वारा सी.सी. सड़क बना दी है |
| 2. | खैरथल | किशनगढ़बास | जगताबसई रोड से राताखुर्द | 4.30 | 16.74 | 1999-2000 | विशेषमरम्मत की आवश्यकता |
| 3. | खैरथल | किशनगढ़बास | नूरनगर से मीरका | 2.10 | 20.02 | 2005-06 | पैचवर्क की आवश्यकता |
| 4. | खैरथल | किशनगढ़बास | तलवाडा से कांकरा | 2.25 | 30.69 | 2005-06 | पैचवर्क की आवश्यकता |
| 5. | खैरथल | किशनगढ़बास | मीरका से टोहरी | 2.55 | 33.24 | 2005-06 | पैचवर्क की आवश्यकता |
| 6. | खैरथल | किशनगढ़बास | श्यामाका से बालनबसई अपटें राताखुर्द | 2.71 | 28.45 | 2005-06 | पैचवर्क की आवश्यकता |
| 7. | खैरथल | किशनगढ़बास | खानपुर से रनियावास वाया बडसेरा मेवली | 4.25 | 36.96 | 2005-06 | पैचवर्क की आवश्यकता |
| 8. | खैरथल | किशनगढ़बास | आलमपुर से गूजरीवास वाया जखोपुर अपटू हरियाणा बॉर्डर | 5.00 | 51.71 | 2005-06 | पैचवर्क की आवश्यकता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | खैरथल | किशनगढ़बास | घासोली हाइवे रोड से खोहाबास रोड वाया चूरियाबास | 2.40 | 38.13 | 2008-09 | मरम्मत कार्य कीआवश्यकता नहीं है। |
| 10. | खैरथल | किशनगढ़बास | बासकृपाल नगर से बसई (जटियाना रोड) | 3.00 | 45.31 | 2008-09 | मरम्मत कार्य कीआवश्यकता नहीं है। |
| | | | **योग** | **29.07** | **305.64** | | |

## राजसमन्द जिले की पेयजल समस्या समाधान हेतु दीर्घकालीन योजना

**423. श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला राजसमन्द में पेयजल वितरण तंत्र पर वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कितना व्यय किया गया? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले के कितने गांवों व नगरों को पेयजल आपूर्ति हेतु संवेदनशील घोषित किया गया तथा इन स्थानों पर आपदा प्रबंधन के क्या प्रयास किये गये हैं?

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त जिले में पेयजल संकट के समाधान के लिये दीर्घकालिक योजना बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जिला राजसमन्द के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने के लिये वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 (फरवरी, 2010 तक) में पेयजल वितरण तन्त्र संबंधी कार्यों पर राशि क्रमश: रुपये 1001.43 लाख एवं 908.30 लाख का व्यय किया गया। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान आंकलन के अनुसार राजसमन्द जिले के 451 ग्राम एवं 3 शहर क्रमश: देवगढ़, आमेट एवं कांकरोली पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से समस्याग्रस्त चिन्हित किये गये हैं। इन क्षेत्रों में आपात योजना वर्ष 2009-10 में किये गये एवं प्रस्तावित कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

जिला राजसमन्द के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाये रखने के लिए आपात योजना वर्ष 2009-10 के प्रथम एवं द्वितीय चरण में राशि रुपये 784.00 लाख की निम्नानुसार कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गई हैं :-

| कार्य का नाम | ग्रामीण क्षेत्र | | शहरी क्षेत्र | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत | प्रगति | स्वीकृत | प्रगति |
| नलकूप निर्माण | 16 | 13 | 13 | 7 |
| हैण्डपम्प निर्माण | 301 | 161 | 100 | 68 |
| सिंगल फेज निर्माण | 39 | 38 | 50 | 49 |

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

उक्त योजनान्तर्गत शेष कार्य माह अप्रैल, 2010 तक पूर्ण किये जाने प्रस्तावित हैं। उक्त के अतिरिक्त जिले के 3 शहरों क्रमश: देवगढ़, आमेट एवं कांकरोली तथा ग्रामीण क्षेत्र के 69 ग्राम/ढाणियों में वर्तमान में 142 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन पेयजल परिवहन भी किया जा रहा है।

(3) जी हां। जिला राजसमन्द के 206 ग्रामों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु राशि रुपये 128.40 करोड़ की स्वीकृत बाघेरी का नाका पेयजल परियोजना से अब तक कुल 182 ग्रामों (नाथद्वारा तहसील के 116 ग्राम, रेलमगरा तहसील के 17 ग्राम, राजसमन्द तहसील के 29 ग्राम एवं तहसील गिर्वा के 20 ग्राम) को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष 24 ग्रामों (राजसमन्द तहसील के 17 ग्राम एवं रेलमगरा तहसील के 7 ग्राम) को इस योजना से माह अप्रैल, 2010 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

आमेट कस्बे हेतु माह अप्रैल, 2005 में राशि रुपये 6.04 करोड़ की स्वीकृत आपात योजना के कार्य पूर्ण कर दिनांक 28 मार्च, 2010 से 5.00 लाख लीटर अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## मेवाड़ टैक्सटाइल मिल का नीलामी प्रकरण

**424. श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स (एम.टी.एम.) की नीलामी सरकार द्वारा की गई है? क्या यह सही है कि सरकार ने मिल की न्यूनतम नीलामी राशि 100 करोड़ रखने का निर्णय कर उच्च न्यायालय की ओर से नीलामी के लिये अधिकृत डी.आर.डी. को सूचित किया था?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने नीलामी के दिन न्यूनतम नीलामी राशि को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 142.34 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया? यदि हां, तो क्यों व किस आधार पर?

(3) मिल की न्यूनतम नीलामी राशि के परिवर्तन से तथा नीलामी में प्राप्त राशि में कुल कितना अन्तर रहा?

## उत्तर

(1) जी नहीं। मेवाड़ टैक्सटाइल्स मिल्स भीलवाड़ा की नीलामी केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित ऋण वसूली अधिकरण जयपुर द्वारा नियुक्त वसूली अधिकारी के

(उद्योग मंत्री)

माध्यम से की गई है। मिल की न्यूनतम नीलामी राशि 100 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा न रखी जाकर ऋण वसूली अधिकरण द्वारा निर्धारित की गई है।

(2) जी नहीं। न्यूनतम नीलामी राशि बाबत निर्णय ऋण वसूली अधिकरण द्वारा लिया गया था न कि राज्य सरकार द्वारा।

(3) ऋण वसूली अधिकरण द्वारा न्यूनतम नीलामी राशि 100 करोड़ रुपये रखी गई तथा नीलामी में 125 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

## बाड़मेर जिले के प्राथमिक विद्यालयों में भूमि दानदाताओं के नाम की शिलापट्टिका

425. **कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खोले गये नये प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु भवन निर्माण के लिए दानदाताओं द्वारा भूमि सरकार के हित में समर्पित की जाती है? यदि हां, तो बाड़मेर जिले में कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भूमि दानदाताओं के नाम पर विद्यालय का नाम परिवर्तन करने या भूमि दानदाताओं के नाम की शिला पट्टिका विद्यालय में लगाने के निर्देश जारी कर दानदाताओं को सम्मानित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी हां। जिला बाड़मेर में किसी दानदाता द्वारा नये प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु भूमि दान में देने का कोई प्रकरण विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(2) भूमि सहित विद्यालय भवन की कुल लागत में 51% भाग होने पर विद्यालय का नामकरण दानदाता के नाम से किये जाने का प्रावधान है तथा भामाशाह योजना के तहत दानदाताओं को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है।

## कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में एनीकट निर्माण/मरम्मत पर व्यय राशि

426. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़-जंक्शन) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री केसाराम चौधरी )

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन में वर्ष 2009-10 में वाइल्ड लाइफ अभयारण्य क्षेत्र कुम्भलगढ़ में एनीकट निर्माण एवं मरम्मत कार्य बाबत् विभिन्न कार्यों पर कितनी राशि स्वीकृत की गई? स्वीकृति की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एनीकटों हेतु स्वीकृत राशि में से कितनी राशि व्यय की जा चुकी है तथा किस-किस एनीकट का कार्य अभी तक अपूर्ण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कार्यों की गुणवत्ता की नियमित जांच की गई? यदि हां, तो क्या अनियमितता बाबत कोई प्रकरण दर्ज किया गया? अब गुणवत्ता की जांच कराकर जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) सामबरिया (ग्राम पंचायत कोट) में नाथूसिंह का चबूतरा के पास एनीकट पर स्वीकृत राशि में से कुल कितनी राशि व्यय की गयी? क्या इसके कार्य की गुणवत्ता की जांच की गई? व्यय बिलों की प्रति एवं गुणवत्ता जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन में वन्य जीव अभयारण्य कुम्भलगढ़ क्षेत्र में वर्ष 2009-10 के दौरान वन क्षेत्र में एनीकट निर्माण एवं मरम्मत का कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है और न ही कोई राशि स्वीकृत हुई है।

(2) प्रश्न के भाग संख्या 1 के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में उत्तर अपेक्षित नहीं है।

(3) प्रश्न के भाग संख्या 1 के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में उत्तर अपेक्षित नहीं है।

(4) अभयारण्य रावली टाटगढ़ में वित्तीय वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 में सामबरिया (ग्राम पंचायत कोट) में नाथूसिंह का चबूतरा के पास उटियाभाटा स्थल पर विधायक मद से प्राप्त राशि से एनीकट निर्माण कार्य कराया गया है। इस एनीकट निर्माण हेतु विधायक मद से 4.98 लाख रुपये की स्वीकृत राशि के विरुद्ध 4.968 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी, (वन्य जीव) जोजावर के द्वारा कार्य के माप एवं गुणवत्ता की जांच उपरान्त बिल्स प्रस्तुत किये गये जिनका टेस्ट चैकिंग सहायक वन संरक्षक द्वारा किया गया। बिलों की प्रतियां परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

**(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## पाली नगर परिषद् को आबंटित राशि का उपयोग

**427. श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में केन्द्र व राज्य सरकार एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा नगर परिषद् पाली को कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु कब-कब आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आबंटित राशि से कौन-कौनसा कार्य कब-कब पूर्ण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत राशि में से किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि अभी भी किन-किन कारणों से शेष है?

(4) क्या यह सही है कि निश्चित कार्यों हेतु जारी की गई इस राशि में से काफी राशि अन्य कार्यों में उपयोग में ले ली गई है? यदि हां, तो कितनी राशि किन-किन कार्यों के उपयोग में ली गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त आबंटित राशि में से अन्य कार्यों में उपयोग ली गई राशि हेतु कौन-कौन जिम्मेवार है? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

### उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में केन्द्र, राज्य एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा नगर परिषद् को कार्य एवं वर्षवार आबंटित राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त आबंटित राशि में से कार्य पूर्णता का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त स्वीकृत राशि में से शेष रही राशि एवं राशि शेष रहने का कारण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) प्राप्त राशि का उपयोग उन्हीं कार्यों पर किया गया है जिस हेतु राशि आबंटित की गई है, किन्तु नगर परिषद की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने से आई.एच.एस.डी.पी. योजना में से रुपये 25.00 लाख कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु तथा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना के तहत नगर परिषद् अंशदान की आरक्षित राशि में से रुपये 50.00 लाख परिशिष्ट "द" में अंकित कार्यों के भुगतान हेतु परिषद् के सामान्य कोष में हस्तान्तरित की गई।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(5) नगर परिषद् की आर्थिक स्थिति सदृढ़ नहीं होने से तत्कालीन आयुक्त व तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा भुगतान किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। प्रकरण की जांच करवाई जा रही है जांच उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## विराटनगर विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें

**428. डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की सड़कें जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं तथा इन्हें बने 10 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इन सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की मिसिंगलिंक सड़कों के कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? क्या सरकार इनकी स्वीकृति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि दो विधान सभा क्षेत्र या दो तहसीलों को जोड़ने वाली मिसिंगलिंक सड़कों के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं? क्या सरकार उनको भी स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित कुल 221.00 कि.मी. लम्बाई की 55 सड़कें हैं, जिनकी स्थिति सन्तोषजनक है तथा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संधारित 158.00 कि.मी. लम्बाई की 66 सड़कें हैं। जिनमें से सिर्फ 10 सड़कों पर मरम्मत की आवश्यकता है। विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

इन 121 सड़कों में से 69 सड़कों का निर्माण 10 वर्ष पूर्व कराया गया है एवं इन सभी सड़कों का नवीनीकरण एवं सामान्य मरम्मत का कार्य निर्माण के उपरान्त निर्धारित नवीनीकरण चक्र एवं आवश्यकता के अनुरूप समय-समय पर कराया गया है। जिसका विवरण मय गत नवीनीकरण वर्ष के परिशिष्ट-1 में अंकित है।

इसके अतिरिक्त प्रागपुरा से पाछूडाला सड़क के उन्नयन का कार्य प्रधानमंत्री

(राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण)

ग्राम सड़क योजना एवं अलवर-शाहपुरा सड़क (एस.एच.-13) के चौड़ाईकरण का कार्य राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत प्रगतिरत है तथा विराटनगर से पावटा वाया छितौली के उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं निविदा संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-2 मे मय कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के 19 मिसिंग लिंक सड़कों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, सूची परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है। इन मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(3) जी नहीं। ऐसी मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

**(विवरण व सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## टर्मिनल मार्केट मुहाना मण्डी जयपुर में फूल मण्डी हेतु आबंटित भू-खण्ड

**429. श्री प्रभुलाल सैनी** (हिण्डौली) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार टर्मिनल मार्केट मुहाना में मण्डी समिति द्वारा फूलों की विशेष मण्डी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि टर्मिनल मार्केट जयपुर में फूलों के व्यवसायियों को दुकानें आबंटन की कार्यवाही पूरी कर ली गई?

(3) क्या सरकार आवेदनकर्ता पात्र व्यवसायियों को शीघ्र दुकान हेतु भूखण्ड आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

## उत्तर

(1) टर्मिनल मार्केट मुहाना में फूल मंडी की स्थापना, व्यापार स्थानान्तरण एवं आवश्यकता/औचित्यता का आंकलन करवाया जा रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) उक्तानुसार।

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## प्रवासी भारतीयों की सुविधा हेतु गठित राजस्थान फाउण्डेशन का स्वरूप

**710. श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रवासी भारतीयों को राज्य में पूंजी निवेश करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राजस्थान फाउण्डेशन जयपुर का गठन किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त फाउण्डेशन सरकारी है?

(2) उक्त पर वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक गैरयोजना एवं आयोजना बजट में अलग-अलग कितनी राशि व्यय की गई है एवं कितने भारतीय प्रवासियों ने कितना पूंजी निवेश किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान फाउण्डेशन जयपुर का गठन कब किया गया व फाउण्डेशन का स्वरूप क्या है एवं इसमें कौन-कौन किस पद पर आसीन है तथा फाउण्डेशन के सदस्य कौन-कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) राजस्थान फाउण्डेशन का गठन राज्य एवं प्रवासी राजस्थानियों के मध्य भावनात्मक संबंधों को मजबूत करने, एवं प्रवासी राजस्थानियों को मातृभूमि के सामाजिक सरोकार व आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान फाउण्डेशन के उद्देश्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान फाउण्डेशन में वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक आयोजना बजट में निम्नानुसार राशि व्यय की गई है :-

| वर्ष | राशि (रुपयों में) |
|---|---|
| 2004-05 | 23,08,176.00 |
| 2005-06 | 19,89,585.00 |
| 2006-07 | 24,82,503.00 |
| 2007-08 | 7,46,443.00 |
| 2008-09 | 8,90,223.00 |

(उद्योग मंत्री)

गैर-आयोजना मद में कोई बजट आबंटित नहीं किया जाता है।

(3) राजस्थान संस्था रजिस्टीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत राजस्थान फाउण्डेशन का रजिस्टीकरण दिनांक 30 मार्च, 2001 को किया गया।

इसमें पदासीन अधिकारी/कार्मिक इस प्रकार हैं :

आयुक्त डा. पुरुषोत्तम अग्रवाल

वरिष्ठ कार्यकारी (शि.)-श्री देवेश सूद

वरिष्ठ कार्यकारी (प्र.)-श्री राजेश शर्मा

कनिष्ठ कार्यकारी (वित्त)-श्री एम.पी. गुप्ता

कनिष्ठ कार्यकारी (प.)-श्री हरिनारायण

राजस्थान फाउण्डेशन के पदेन सदस्यों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट-2)।

**परिशिष्ट-1**

**राजस्थान फाउण्डेशन का गठन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है :**

1. राज्य के सर्वांगीण सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए राज्य एवं प्रवासी राजस्थानियों तथा राज्य में निवास कर रहे राजस्थानियों के मध्य भावनात्मक संबंधों को मजबूत करना, जिससे उनकी अपनी मातृभूमि के सामाजिक, आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। इसमें समन्वित ग्रामीण विकास, पेयजल तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सांस्कृतिक खेल-कूद तथा राज्य के समग्रित आर्थिक विकास/अनुसंधानात्मक विकास, जैसी विभिन्न योजनाएं तथा गतिविधियां सम्मिलित हैं।
2. प्रवासी राजस्थानियों एवं राज्य सरकार के बीच निरन्तर संवाद के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना, ताकि प्रवासी राजस्थानी अपनी मातृभूमि से उत्तरोत्तर जुड़ सकें।
3. देश एवं विश्व के विभिन्न भागों में रह रहे राजस्थानियों के हितों को बढ़ावा देना।
4. राजस्थान और राजस्थानियों के कल्याण के उद्देश्य से राज्य के विकास में देश और दुनिया के विभिन्न भागों में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
5. ऐसे सभी शिक्षाप्रद और propagative कदम उठाना जिससे राजस्थान के मानवीय, सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी लाई जा सके।

6. सभी हितधारकों और लाभार्थियों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और सूचना का आयोजन।
7. इन उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में पुस्तकालयों, संदर्भ और सूचना केन्द्र और प्रणालियों, संवर्धन केन्द्रों, सामान्य सेवा केन्द्रों, प्रदर्शनियों का आयोजन।
8. इन उद्देश्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु इलैक्ट्रोनिक एवं प्रिन्ट मीडिया से साहित्य और सामग्री, अध्ययन, रिपोर्ट, ब्रोशर, पत्र-पत्रिका, प्रकाशित कराना।
9. इन उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए राजस्थान में हुए विकास और परियोजनाओं की जानकारी हेतु प्रलेखन, रख-रखाव और डेटाबेस तैयार करना।
10. राज्य के आर्थिक-सामाजिक विकास हेतु परियोजनाएं बनाने के क्रम में सरकार को सुझाव देना।
11. राज्य में सामाजिक बुनियादी सुविधाओं का आंकलन, और उसमें आए अन्तराल को दूर करना।
12. राजस्थान फाउण्डेशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय-समय पर फण्ड एकत्रित करना, जैसा कि शासी निकाय अपने पूर्ण विवेक में समीचीन समझे।
13. ऐसे सभी कार्य करना जो कि राजस्थान फाउण्डेशन के उद्देश्यों की सम्पूर्ति में परमावश्यक हों। इन उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ का उद्देश्य निहित नहीं है।

**परिशिष्ट-2**

**राजस्थान फाउण्डेशन के पदेन सदस्यों की सूची :**

मुख्य मंत्री राजस्थान-अध्यक्ष

वित्त मंत्री

उद्योग मंत्री

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री

शिक्षा मंत्री

पर्यटन मंत्री

आयोजना मंत्री

मुख्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रमुख शासन सचिव, उद्योग

प्रमुख शासन सचिव, आयोजना

आयुक्त, राजस्थान फाउण्डेशन-सदस्य-सचिव

## महुआ खुर्द (अलवर) ग्राम में नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु किसानों की अवाप्त भूमि

**711. श्री टीकाराम जूली** (अलवर ग्रामीण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में कुल कितने कल कारखाने, उद्योग वर्तमान में संचालित हैं तथा उक्त कल कारखानों हेतु आसपास में रहने वाले किसानों की कितनी भूमि अवाप्त की गई है? क्या इस वर्ष उक्त विधान सभा क्षेत्र में और उद्योग लगाने की स्वीकृति दी जा रही है? यदि हां, तो उसके मानदंड क्या हैं?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम महुआ खुर्द जिला अलवर में मैसर्स एमटेक रेलकार इण्ड्रस्ट्रीज प्रा. लि. नई दिल्ली व मैसर्स मरिचका प्रापर्टी नई दिल्ली फाउन्ड्री की स्थापना की जा रही है? क्या उक्त इलाका ग्रीन बैल्ट में आता है? यदि हां, तो क्या इस हेतु अनुमति राज्य सरकार से ली गई है?

(3) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र में कब्रिस्तान एवं गोचर भूमि भी आ रही है? क्या सरकार इस भूमि को अधिग्रहण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

### उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में कुल 72 कल कारखाने हैं, जिनमें से 63 उद्योग वर्तमान में संचालित हैं। विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में रीको के औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि अवाप्त नहीं की गई है। अलवर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में मैसर्स एमटेक रेलकार इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. नई दिल्ली एवं मैसर्स मरीचिका प्रापर्टी प्रा.लि. नई दिल्ली द्वारा ग्राम मह्रुवाखुर्द में रेलवैगन बनाने का कारखाना लगाया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए जिला कलक्टर अलवर के मार्फत ग्राम मह्रुवा खुर्द की 35.8377 हैक्टेयर भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। उक्त इलाका ग्रीन बैल्ट में नहीं आता है।

(3) जी नहीं।

## अजमेर शहर में काजी के नाले पर अवैध निर्माण

**712. श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर शहर के बरसाती नालों पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कार्य हुआ है? यदि हां, तो काजी के नाले पर किस-किस स्थान पर किस-किस व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या काजी के नाले पर अवैध निर्माण के क्रम में कोई वाद न्यायालय में दायर हुआ है? यदि हां, तो क्या न्यायालय द्वारा अतिक्रमणकर्ता को कोई राहत प्रदान की गई अथवा नहीं? न्यायालय में दायर वाद की प्रति सहित आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे अवैध निर्माण कार्य को हटाने का विचार रखती है, जिसे न्यायालय द्वारा कोई राहत प्रदान नहीं की गई है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी हां। काजी के नाले पर अवैध अतिक्रमण व अवैध निर्माणों के संबंध में सर्वे करवाकर अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार करने हेतु नगर निगम, अजमेर को निर्देशित किया गया है।

(2) जी हां। काजी के नाले पर अतिक्रमण की अवैध निर्माण के क्रम में निम्न तीन वाद दायर हुए जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. वाद संख्या 169/97 वादी धन्ना लाल बनाम नगर निगम दायर हुआ जिसमें अस्थाई निषेध आज्ञा द्वारा नगर निगम को नाले पर हो रहे अतिक्रमणों को अभियान चलाकर हटाने व साफ सफाई करने के लिए पाबन्द किया गया है।
2. दीवानी अपील संख्या 105/02 जो कि महेन्द्र कुमार जैन पुत्र बिरदीचन्द पोखरणा ने विरूद्ध किशन स्वरूप सिमलोत व अन्य नगर परिषद् दायर की। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.07.2002 से व्यथित होकर की गई इस अपील में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा गया एवं अतिक्रमी-अपीलार्थी को कोई राहत नहीं दी गई।
3. वाद संख्या 121/03 वादी श्री अरविन्द कुमार व श्रीमती रमा चौधरी ने

(स्वायत्त शासन मंत्री)

नगर परिषद् व नगर सुधार न्यास आदि को पक्षकार बनाते हुए दायर किया जिसमें वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा यह आदेशित किया कि प्रत्यर्थीगण भूखण्ड के बाबत जांच, बिना विधि की सम्यक प्रक्रिया अपनाए पूर्ण नहीं करे। न्यायालय में दायर वाद की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी हां। अवैध निर्माण जिसे न्यायालय द्वारा कोई राहत प्रदान नहीं की गई है उसका सर्वे व जांच करवाई जाकर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए निर्माण हटाने की कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी।

**(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## बाड़मेर नगरपालिका क्षेत्र बाड़मेर की कच्ची बस्तियों का नियमन

**713. श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र बाड़मेर के अधिकांश वार्ड कच्ची बस्ती में आते हैं? यदि हां, तो क्या उक्त कच्ची बस्ती के वार्डों में लोग वर्षों से घर बनाकर रह रहे हैं?

(2) क्या सरकार वर्षों से रह रहे उक्त परिवारों के आवासों का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

## उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों के नियमन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है। नगरपालिका द्वारा तदानुसार कार्यवाही की जा रही है।

## बालोतरा नगरपालिका द्वारा डाली जा रही पाइप लाइन

**714. श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में नगरपालिका बालोतरा द्वारा आईएसएमटी योजनान्तर्गत ट्रांसपोर्ट नगर को विकसित करने के लिए पानी की पाइप लाइन बिछाने हेतु 19.9 लाख रुपये स्वीकृत किए गये हैं? यदि हां, तो क्या जिस स्थान पर पाइप लाइन बिछाई जा रही है वहां पर ट्रांसपोर्ट नगर स्थित है? यदि नहीं, तो उक्त स्थान पर पाइप लाइन डालने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

जी नहीं। परन्तु आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अन्तर्गत सिटी मोनेटरिंग समिति के निर्णय अनुसार रहवासीय क्षेत्र व स्टेडियम क्षेत्र में प्रारम्भिक विकास हेतु जलदाय विभाग द्वारा प्रस्तुत तकमीने अनुसार 19.90 लाख रुपये जलदाय विभाग को दिये गये हैं। जलदाय विभाग द्वारा लूनी नदी किनारे बने जलदाय विभाग के टैंक से आवासीय स्कीम व स्टेडियम में पाइप लाइन डाली जा रही है।

## कोटा नगर निगम द्वारा नालों की सफाई हेतु दिये गये ठेका कार्यों का भुगतान

**715. श्री अनिल जैन** (खानपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2008-09 में नगर निगम कोटा द्वारा नालों की सफाई हेतु दिये गये ठेकों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा अब भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सभी ठेकेदारों का भुगतान रोककर केवल एक ठेकेदार मानसी एन्टरप्राईजेज को भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि 15 सेक्टर में से 14 सेक्टर के ठेकेदारों का भुगतान 10 प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया गया है, जबकि एक ठेकेदार को शत प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) जी हां। नगर निगम कोटा द्वारा नाली की सफाई हेतु दिये गये ठेकों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है क्योंकि भुगतान की स्वीकृति/अनुमोदन निगम बोर्ड से अभी तक नहीं हो पाया है, उक्त प्रकरण निगम बोर्ड के समक्ष रखा जाकर बोर्ड निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। मैसर्स भुवनेश एन्टरप्राईजेज के द्वारा सर्व प्रथम बिल प्रस्तुत किये जाने पर उसका शत प्रतिशत भुगतान किया गया। मौके पर कार्यादेश मुताबिक पूरा कार्य नहीं होने विषयक तथ्य विभिन्न स्रोतों से सामने आने पर महापौर द्वारा नालों की सफाई कार्य का 10 प्रतिशत राशि काटते हुये भुगतान करने के निर्देश दिये गये हैं

(स्वायत्त शासन मंत्री)

एवं महापौर ने आदेश दिये हैं कि सेक्टर नं. 1 के नाला की पत्रावली पर सहवन से भुगतान हो गया है। अत: उस फर्म के सफाई संबंधी बकाया भुगतानों से 10 प्रतिशत कटौती कर रिकवरी की जावे।

**परिशिष्ट**

**नगर निगम कोटा**

**वर्ष 2008 के नालों की सफाई कार्य के संवेदकों का विवरण**

| क्र. सं. | से. नं. | फर्म का नाम | कार्यादेश राशि | भुगतान राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | भुवनेश एन्टरप्राईजेज | 1,82,000/- | 1,82,000/- |
| 2. | 2 | भारद्वाज कन्स्ट्रक्शन | 2,18,400/- | भुगतान नहीं हुआ |
| 3. | 3 | कैलाशपति एन्टरप्राईजेज | 2,36,400/- | भुगतान नहीं हुआ |
| 4. | 4 | शर्मा एन्टरप्राईजेज | 2,18,400/- | भुगतान नहीं हुआ |
| 5. | 5 | राठौर ट्रेडर्स | 2,18,400/- | भुगतान नहीं हुआ |
| 6. | 6 | राठौर ट्रेडर्स | 1,65,000/- | भुगतान नहीं हुआ |
| 7. | 7 | वरदान ट्रेडर्स | 1,40,600/- | भुगतान नहीं हुआ |
| 8. | 8 | शर्मा एन्टरप्राईजेज | 2,18,400/- | भुगतान नहीं हुआ |
| 9. | 9 | मिश्रा एन्टरप्राईजेज | 2,73,000/- | भुगतान नहीं हुआ |
| 10. | 10 | दीपांशु एन्टरप्राईजेज | 2,11,120/- | भुगतान नहीं हुआ |
| 11. | 11 | दीपांशु एन्टरप्राईजेज | 3,64,000/- | भुगतान नहीं हुआ |
| 12. | 12 | डा. अम्बेडकर बहु. सह. समिति | 2,36,600/- | भुगतान नहीं हुआ |
| 13. | 13 | दीपांशु एन्टरप्राईजेज | 3,45,800/- | भुगतान नहीं हुआ |
| 14. | 14 | दीपहरि एन्टरप्राईजेज | 2,73,000/- | भुगतान नहीं हुआ |
| 15. | 15 | डा. अम्बेडकर बहु. सह. समिति | 2,18,400/- | भुगतान नहीं हुआ |

## रतनगढ़ नगरपालिका में टाउन हाल निर्माण का अपूर्ण कार्य

**716. श्री राजकुमार रिणवां** (रतनगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 32/सानिवियो/चूरू/95 दिनांक 6.1.90 द्वारा नगरपालिका रतनगढ़ में टाउन हाल निर्माण हेतु 81.00 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण विकास अभिकरण, चूरू द्वारा राज्य सरकार के हिस्से की राशि कार्यकारी एजेन्सी को नहीं दिये जाने के कारण कार्य बीच में ही रोक दिया गया? यदि नहीं, तो वर्तमान में कार्य किस स्थिति में है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने हेतु प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किया जाना था? यदि हां, तो उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या सरकार उक्त अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी नहीं। परन्तु निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 32/सानिवियो/चूरू/95 दिनांक 6.1.99 के द्वारा नगरपालिका रतनगढ़ में टाउन हाल निर्माण हेतु 81.00 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी। स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। प्रकरण पुन: वित्त विभाग को प्रस्तुत किया गया था। जिस पर वित्त विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग की टिप्पणी की पूर्ण सूचना सहित प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है।

(4) जी हां। वित्त विभाग से सहमति प्राप्त होने पर विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की जावेगी।

**परिशिष्ट**

**राजस्थान सरकार**

**निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर**

क्रमांक :-एफ.32()सा./सनधियो/चूरू/95/　　　　दि.

**प्रशासनिक स्वीकृति आदेश**

सहभागी नगर विकास योजनान्तर्गत वर्ष 1998-99 के लिए जिला कलक्टर, चूरू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक :-एफ()सामान्य/1बी.एच/98 दिनांक 13 जुलाई, 98 के आधार पर निम्न कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है :-

**(राशि लाख रुपये)**

| क्र. सं. | कार्य का विवरण | जनसहयोग/न. पा. अंश | राज्य सरकार का हिस्सा | कुल स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | नगरपालिका रतनगढ़ में टाउन हाल का निर्माण | 40.50 | 40.50 | 81.00 |

उक्त निर्माण कार्य निम्न शर्तों के आधार पर पूरा कराया जायेगा।

1. निर्माण कार्य सहभागी नगर विकास योजना की मार्गदर्शिका के आधार पर कराया जावेगा।
2. कार्य पर स्वीकृति से अधिक व्यय इस कार्यालय को बिना अनुमति के नहीं किया जावे।
3. कार्य की वित्तीय स्वीकृति जिला कलक्टर के द्वारा जारी की जावेगी।
4. उक्त निर्माण कार्य को लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा नगरपालिका, रतनगढ़ द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा शेष 50 प्रतिशत राशि जो कि 40.50 लाख रुपये है राज्य सरकार द्वारा सहभागी नगर विकास योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी जावेगी।

**ह./-**
**निदेशक**
**स्थानीय निकाय विभाग**
**राज., जयपुर।**

## रामदेव कॉलोनी, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर के आवासीयों को पट्टों का आबंटन

**717. श्री शंकर लाल बैरवा** (कपासन) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाबा रामदेव कालोनी, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर गोपालपुरा बाइपास गाडिया लुहार, जोगी, बावरी, कालबेलिया, सांसी जाति के परिवारों को राज्य सरकार के आदेशानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बसाया गया था तथा सरकार द्वारा पानी-बिजली की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिखे गये पत्र दिनांक 20.4.87 व 17.12.87 की उप खण्ड अधिकारी सांगानेर द्वारा कोई जांच की गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गाडिया लुहार, बावरी, जोगी, सांसी जाति के परिवारों के रामदेव नगर गुर्जर की थड़ी के कुछ पट्टे तैयार किये गये थे? यदि हां, तो कितने? पट्टों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां। बाबा रामदेव कॉलोनी, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर गोपालपुरा बाइपास गाडिया लुहार, जोगी, बावरी, कालबेलिया, सांसी जाति के परिवारों को राज्य सरकार के आदेशानुसार अजमेर रोड पुलिया से हटाकर बैठाया गया था। बिजली व पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं है। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा बिजली की सुविधा इस बस्ती में उपलब्ध नहीं कराई गई। मौका मुआयना करने पर उक्त कच्ची बस्ती में चार हैण्डपम्प चालू है तथा तीन ट्यूबवैल खुदे हुए है।

(2) उप खण्ड अधिकारी, सांगानेर का कार्यालय वर्ष 1987 में अस्तित्व में ही नहीं आया था। ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(3) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गाडिया लुहार, जोगी, सांसी जाति के परिवारों को रामदेव नगर गुर्जर की थडी के कोई पट्टे जारी नहीं किये गये हैं।

## खिरणी व दादी का रेलवे फाटक जयपुर पर ओवर ब्रिज निर्माण

**718. श्री नरपत सिंह राजवी** (विद्याधर नगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नरपत सिंह राजवी )

(1) राज्य में रेलवे ओवर ब्रिज बनाये जाने के मानदण्ड क्या हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार  विधान सभा क्षेत्र विद्याधर नगर, जयपुर के खिरणी रेलवे फाटक तथा दादी का फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने का विचार रखती है?

(3) क्या उपरोक्त स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाये जाने हेतु वर्ष 2008 में कंसलटेन्ट/कंसलटिंग की  गई थी? यदि हां, तो प्राप्त रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया गया?

(4) अब उक्त स्थान पर यातायात समस्या को ध्यान में रखते हुये जनता की मांग के अनुसार रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कब से प्रारम्भ किया जावेगा?

## उत्तर

(1) राज्य में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण  इण्डियन रोड कांग्रेस के निर्धारित मापदण्डों  के अनुसार किया जाता है, जिसका विवरण इण्डियन रोड कांग्रेस के प्रकाशन आर.आर.सी. 62 1976 में उपलब्ध है (आई.आर.सी. 62 की फोटो प्रतिलिपि परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है)।

(2) खिरणी के फाटक  पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाये जाने के प्रस्ताव का तकनीकी अध्ययन किया जा रहा है। दादी का फाटक पर वर्तमान में आर.ओ.बी. बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) जी हां। उक्त स्थानों पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाये जाने हेतु वर्ष 2008 में कंसल्टेंसी करवाई गई थी। कंसल्टेन्ट द्वारा दी गई रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए दादी के फाटक पर रेल्वे ओवर ब्रिज बनाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। खिरणी रेलवे फाटक  पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने हेतु प्रस्ताव का तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है।

(4) दादी के फाटक पर फिलहाल रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है। खिरणी रेलवे फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाये जाने के प्रस्ताव एवं इसके सम्भावित प्रारूप का उपलब्ध विकल्पों के आधार पर अध्ययन किया जा रहा है, तत्पश्चात् प्रस्ताव का उचित स्तर पर निर्णय होने के पश्चात् तदानुसार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

**परिशिष्ट 'अ'**

**Grade separations across railways**

6.14 Grade separations should be provided at railway crossings when justified by traffic and economic condsidersions. No grade separations may be required at isolated sidings etc.

**Grade separations across railway**

7.7 Grade separations should be provided acce railway crossings. If the product of ADT (fast vehicles only) and the number of trains per day exceeds 50,000 within the next 5 years. For new constructions such as byepasses grade separations should be provided when this is granter than 25,000.

## अलवर में रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे अतिक्रमण

**719. श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर शहर में जय मार्ग से अग्रसेन सर्किल तक बने हुए रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे कितने व्यवसायिक भू खण्ड नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा पूर्व में आबंटित किये गये थे? आबंटियों/नीलामी के द्वारा खरीदारों के नाम पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रेलवे ओवर ब्रिज के नीवे आबंटियों के अतिरिक्त भी क्या किसी एक या अनेक लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है? यदि हां, तो अतिक्रमियों के नाम पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) जी हां। अलवर शहर में जय मार्ग से अग्रसेन सर्किल तक बने हुए रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे कुल 25 दुकानें नीलामी के माध्यम से विक्रय की गई थीं। खरीददारों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। आबंटियों के अतिरिक्त 12 व्यक्तियों द्वारा अस्थाई अतिक्रमण कर रखा है। जिसकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

**परिशिष्ट "अ"**

**कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर**

**रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे पूर्वी और नीलामी से विक्रय की गयी दुकानें**

| क्र. सं. | आबंटी का नाम व पता | पत्रावली सं. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री अशोक कुमार मित्तल पुत्र श्री पन्ना लाल मित्तल निवासी 38 बी आर्यनगर, अलवर | दुकान नं. 1 |
| 2. | श्री मन्तोष जैन पुत्र श्री एमपी जैन 9 बैंक कालोनी, अलवर | दुकान नं. 2 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | श्री मन्तोष जैन पुत्र श्री एमपी जैन 9 बैंक कालोनी, अलवर | दुकान नं. 3 |
| 4. | श्री शिवलाल सैनी पुत्र श्री मोहन लाल सैनी निवासी काली मोरी, अलवर | दुकान नं. 4 |
| 5. | श्रीमती सरला देवी पत्नि श्री सुभाष मोदी, मोदी की बावड़ी, अलवर | दुकान नं. 5 |
| 6. | श्री प्यारे लाल सैनी पुत्र श्री नत्थी राम सैनी, मो. प्रताप बास अलवर | दुकान नं. 6 |
| 7. | श्री हरिसिंह पुत्र श्री प्रभुदयाल ई-59, रेलवे कालोनी, अलवर | दुकान नं. 7 |
| 8. | श्री मुसद्दी लाल पुत्र श्री मगतुराम मो. खदाना, अलवर | दुकान नं. 8 |
| 9. | श्री गुलशन सिंह पुत्र श्री अमृत सिंह, 331, स्कीम नं. 2 ,अलवर | दुकान नं. 9 |
| 10. | श्री कन्हैयालाल गुप्ता पुत्र श्री रामनिवास गुप्ता, बजाजा बाजार, अलवर | दुकान नं. 10 |
| 11. | श्री एसके अग्रवाल पुत्र श्री ज्योति प्रसाद, 1/79, काला कुआं, अलवर | दुकान नं. 11 |
| 12. | श्री अजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री कन्हैयालाल गुप्ता, ए/42, स्कीम नं. 10, अलवर | दुकान नं. 12 |
| 13. | श्री श्याम लाल पुत्र श्री फकीर चन्द ग्राम मुंगस्का, अलवर | दुकान नं. 13 |
| 14. | श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री मक्खन लाल हीरा बास, अलवर | दुकान नं. 14 |
| 15. | श्री रामजीलाल गुप्ता पुत्र श्री गुलजारी लाल, चान्दोली, अलवर | दुकान नं. 15 |
| 16. | श्री हरिनारायण शर्मा स्व. श्री रामकिशोर शर्मा, 2 मंगला मार्ग, अलवर | दुकान नं. 16 |
| 17. | श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री नन्दलाल, 39 केशव नगर, अलवर | दुकान नं. 17 |
| 18. | श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री नेमीचन्द अग्रवाल सी-12 रेलवे कालोनी, अलवर | दुकान नं. 18 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 19. | श्री देशराज छाबडा, पुत्र श्री टालाराम छाबडा, ए-73, स्कीम नं. 2, अलवर | दुकान नं. 19 |
| 20. | श्री जगमाल सिन्धी पुत्र श्री खानुमल 62 बी गणेश मार्केट, अलवर | दुकान नं. 20 |
| 21. | श्री संजीव मदान पुत्र श्री केएल मदान, प्लाट नं. 3 सब्जी मण्डी, अलवर | दुकान नं. 21 |
| 22. | श्री रूपचन्द सिन्धी पुत्र श्री विजय कुमार 62 गणेश मार्केट, अलवर | दुकान नं. 22 |
| 23. | श्री गुलाब मल सिन्धी पुत्र श्री धनमल सिन्धी, 65 गणेश मार्केट, अलवर | दुकान नं. 23 |
| 24. | श्रीमती सोमत बाई पत्नि गुलाब मल निवासी 62, गणेश मार्केट, अलवर | दुकान नं. 24 |
| 25. | श्री सुभाष चन्द गुप्ता पुत्र श्री रामसहाय गुप्ता स्टेशन रोड, अलवर | दुकान नं. 25 |

**परिशिष्ट "ब"**

**कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर**

**जयमार्ग से अग्रसेन सर्किल के मध्य आरओबी के नीचे अस्थायी अतिक्रमियों की सूची**

| क्र. सं. | नाम | अस्थाई | आरओबी के पश्चिम के नीचे |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री राम कुवंर पुत्र श्री गौरीशंकर सैनी निवासी केशव नगर | चाय का खोखा | आरओबी के पश्चिमी और नीचे |
| 2. | शेर सैनी निवासी राजभट्टा, अलवर | खाली थडी 5'x6' | आरओबी के पश्चिमी और नीचे |
| 3. | पुलिस चौकी ओवर ब्रिज अलवर | अस्थाई केबिन 10'x20' | आरओबी के पश्चिमी और नीचे |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | बन्टी राजपूत पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार राजपूत 2/17 एनईबी | गन्ने के रस की मशीन 10’x15’ | आरओबी के पश्चिमी और नीचे |
| 5. | गिर्राज सैनी | चाय का खोखा 6’x4’ | आरओबी के पश्चिमी और नीचे |
| 6. | बब्बल सैनी पुत्र श्री नन्दराम सैनी मेहताब सिंह का चौराया अलवर | चाय का खोखा 6’x4’ | आरओबी के पश्चिमी और नीचे |
| 7. | तेज सिंह पुत्र श्री प्यारेलाल प्रजापत निवासी 200 फुट रोड, अलवर | ठेली 10’x10’ | आरओबी के पश्चिमी और नीचे |
| 8. | शान्ति स्वरूप पुत्र श्री मोहनलाल पंजाबी केशव नगर अलवर | पान का खोखा 8’x6’ | आरओबी के पश्चिमी और नीचे |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | साकिर पुत्र श्री दुल्ली खां निवासी साडोली | नाई का खोखा 8’x5’ | आरओबी के पूर्वी और नीचे |
| 2. | अशरफ पुत्र श्री सुफेदा मेव ग्राम बल्लाना | लकडी का खोखा 5’x5’ | आरओबी के पूर्वीऔर नीचे |
| 3. | मुसुफ पुत्र श्री सिताब खॉं जाति मेव चान्दोली अलवर | लकडी का खोखा 8’x5’ | आरओबी के पूर्वी और नीचे |
| 4. | ईलियास पुत्र श्री मान खॉं जाति मेव चान्दोली, अलवर | बन्द खोखा | आरओबी के पूर्वी और नीचे |

**सचिव**
**नगर विकास न्यास, अलवर**

## जयपुर विकास प्राधिकरण की परिधि क्षेत्र में तहसील आमेर के ग्रामों के रिहायशी पट्टे

**720. श्री गंगासहाय शर्मा** (आमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जयपुर विकास प्राधिकरण परिक्षेत्र में सम्मिलित आमेर तहसील के ग्रामों में खातेदारी भूमि पर बने मकानों तथा वार्डो को आबादी भूमि में परिवर्तित कर नि:शुल्क पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव/कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

## बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपम्पों की मरम्मत पर व्यय

**721. श्री अर्जुन लाल** (बिलाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में वर्ष 2009-10 में योजना वार कुल कितने हैण्डपम्प, नये ट्यूबवैल एवं नई पाइप लाइन बिछाने का कार्य कहां-कहां किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आकस्मिक योजना के तहत वर्ष 2009-10 में विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में जल परिवहन हेतु ग्रामों में पानी के टैंकर के ट्रिप प्रति दिन डाले गये? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कितने-कितने टैंकर मय क्षमता एवं इन्हें कितनी राशि का भुगतान किया गया/करना शेष है? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में 35वां हैण्डपम्प मरम्मत अभियान अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में कितने हैण्डपम्पों की मरम्मत की गई एवं उस पर कितना व्यय हुआ तथा कहां-कहां पर मरम्मत की गई? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) ग्रीष्म कंटीजेंसी, मार्च 2009 तथा आपात योजना प्रथम एवं द्वितीय चरण की स्वीकृत योजनाओं में विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्णित अवधि में हैण्डपम्प, नलकूप एवं पाइप लाइन बिछाने के कार्यो की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :-

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

| योजना का नाम | स्वीकृत कार्य | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | हैण्डपम्प | | नलकूप | | पाइप लाइन | |
| | स्वीकृत | कार्य पूर्ण | स्वीकृत | कार्य पूर्ण | स्वीकृत | कार्य पूर्ण |
| ग्रीष्म कंटीजेंसी मार्च, 2009 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3350 मीटर | 3350 मीटर |
| आपात योजना-प्रथम चरण | 0 | 0 | 3 | 3 | 4300 मीटर | 4300 मीटर |
| आपात योजना-द्वितीय चरण | 21 | 0 | 1 | 1 (वेधन कार्य पूर्ण) | 7568 मीटर | 4698 मीटर |
| **योग** | 24 | 3 | 7 | 7 (6 चालू) | 15218 मीटर | 12348 मीटर |

उक्त स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में स्थानवार स्वीकृति एवं प्रगति का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 2009-10 में विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा टैंकरों के माध्यम से 122 ग्राम/ढाणियों में अब तक कुल 6356 टैंकर ट्रिपों के माध्यम से पेयजल परिवहन के कार्य पर 40.15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया है एवं इसके अतिरिक्त 1.88 लाख रुपये का कार्य और कराया जा चुका है जिसका भुगतान प्रक्रियाधीन है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) 35वें विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के दौरान वर्णित अवधि में विधान सभा क्षेत्र, बिलाड़ा में 180 मरम्मत योग्य खराब हैण्डपम्पों को सुधारा गया तथा इनके सुधार कार्य पर 5.37 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। उक्त क्षेत्र में स्थानवार सुधारे गये हैण्डपम्पों संदर्भ में वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

**(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की सांखडा-कांटी व टीकड पेयजल योजना

**722. श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की स्वीकृत सांखडा-कांटी पेयजल योजना एवं टीकड पाइप्ड स्कीम से कब तक जनता को लाभान्वित कर दिया जावेगा? उक्त योजनाओं से अब तक लाभान्वित नहीं किये जाने के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) ग्रामीण जल योजना कांटी-सांखड़ा– इस योजना में सम्मिलित 5 ग्रामों में से 4 ग्राम क्रमश: कांटी, बेलवा, मोडियाखेड़ा एवं बागड़ा को माह अप्रैल, 2010 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है। ग्राम सांखड़ा हेतु पाइपों की आपूर्ति हाल ही में प्रारम्भ हुई है। इस ग्राम को माह जून, 2010 तक पेयजल सुविधा से लाभान्वित करना प्रस्तावित है। इन समस्त ग्रामों में वर्तमान में पर्याप्त संख्या में हैण्डपम्प क्रियाशील हैं। ग्राम सांखड़ा में पेयजल परिवहन भी किया जा रहा है।

(ब) ग्रामीण जल योजना उंचा-टीकड़ के ग्राम टीकड़ में उच्च जलाशय निर्माण एवं पाइप लाइन कार्य की योजना-पूर्व में कार्यरत जल योजना के विद्यमान स्रोत पर्याप्त होने के कारण, इस योजना में नये जल स्रोत के निर्माण का कार्य प्रस्तावित नहीं किया गया। स्वीकृत प्रावधानों के अनुरूप उच्च जलाशय निर्माण एवं पाइप लाइन के कार्य पूर्ण हो चुके हैं परन्तु विद्यमान स्रोत सूख जाने के कारण इस योजना से ग्राम टीकड़ को लाभान्वित नहीं किया जा सका है। मानसून उपरान्त स्रोत (खुला कुंआ) चार्ज होने पर ग्राम लाभान्वित होगा।

ग्राम टीकड़ सहित उक्त जल योजना में सम्मिलित 7 अन्य ग्रामों में वर्तमान में पर्याप्त संख्या में हैण्डपम्प क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त पेयजल परिवहन भी किया जा रहा है।

## अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, चूरू में रिक्त पद

**723. श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय चूरू के अन्तर्गत कुल कितने पद अभियन्ताओं के स्वीकृत हैं, इनमें से कुल कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

**(श्री राजेन्द्र राठौड़)**

(2) क्या यह सही है कि चूरू जिले में पदस्थापित कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता प्रतिनियुक्ति पर अन्य जिलों में पदस्थापित हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का विचार रखती है?

(3) जनवरी, 2009 से फरवरी, 2010 तक चूरू जिले में कुल कितनी नई ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया गया? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, वृत्त चूरू के अधीनस्थ चूरू जिले में अधीक्षण अभियन्ता का एक पद एवं अधिशाषी अभियन्ता के 5 पद स्वीकृत हैं एवं इनमें से कोई पद वर्तमान में रिक्त नहीं है।

सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता के क्रमश: 20 एवं 39 पद स्वीकृत हैं। इनमें से सहायक अभियन्ता के 4 पद एवं कनिष्ठ अभियन्ता के 12 पद वर्तमान में रिक्त हैं। जिनके विरुद्ध सहायक अभियन्ताओं के रिक्त 3 पदों पर कनिष्ठ अभियन्ताओं को आदेश दिनांक 9 सितम्बर, 2009 द्वारा अतिरिक्त कार्यभार आबंटित किया गया है एवं कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त 6 पदों पर पदस्थापन आदेश जारी किये जा चुके हैं। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) वर्णित अवधि में चूरू जिले में 63 नई ढाणियों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किया गया। तहसीलवार सूची संलग्न परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

**(विवरण व सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## भीम ग्राम पंचायत में जलदाय योजना की उदघाटन पट्टिका

**724. श्री कल्याण सिंह चौहान** (नाथद्वारा) एवं **श्री हरिसिंह रावत** (भीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत भीम में पेयजल योजना का किस वर्ष एवं किस मंत्री द्वारा प्रारम्भ/उद्‌घाटन किया गया?

(2) क्या यह सही है कि मंत्री के उद्‌घाटन पट्टिका की सरकारी जगह को बेच दी गई? यदि हां, तो किसके द्वारा क्रय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि बेची हुई जगह में ही उद्‌घाटन पट्टिका को

(श्री कल्याण सिंह चौहान एवं श्री हरिसिंह रावत)

खरीददार द्वारा दीवार में चुना दिया गया? यदि हां, तो क्या सरकार इस चुनी दीवार को तोड़कर मंत्री की उद्‌घाटन पट्टिका को निकाल कर अन्यत्र लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार ऐसे नेता व सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ दण्डनीय कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा पेयजल योजनाओं के उद्‌घाटन सम्बन्धी कोई अभिलेख (रिकार्ड) संधारित नहीं किया जाता है।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा कोई सरकारी जगह नहीं बेची गई है। राजस्व विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विभागीय परिसर के बाहर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के मध्य का स्थान निजी खातेदार के नाम से राजस्व रिकार्ड में पूर्व से ही अंकित है।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) उपरोक्तानुसार विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

## स्वर्ण पदक विजेता जोधपुर की सुश्री अनुश्री मोदी को सहायता

**725. श्री कैलाश चन्द भंसाली** (जोधपुर) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा स्वर्ण एवं रजत पदक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाती है?

(2) क्या यह भी सही है कि जोधपुर की सुश्री अनुश्री मोदी जो एक हाथ से विकलांग हैं एवं केवल 9 वर्ष की उम्र में ही वर्ष 2007 में पूना में आयोजित नेशनल पैरा आलम्पिक स्वीमिंग एण्ड वाटर पोलो चैम्पियनशिप में जीतकर 2 रजत पदक एवं वर्ष 2008 करनाल (हरियाणा) में आयोजित उक्त प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक एवं एक रजत पदक हासिल कर राजस्थान का नाम गौरान्वित किया है?

(3) क्या यह सही है कि इस हेतु स्थानीय जिला कलक्टर एवं विशेषाधिकारी (डी) मुख्य मंत्री की अनुशंसा के बाद भी उक्त खिलाड़ी को अनुदान राशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

(4) क्या सरकार उक्त पदक विजेता सुश्री अनुश्री मोदी को अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम, 1986 के प्रावधान के तहत अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। इस वित्तीय वर्ष में खिलाड़ियों को उनकी खेल उपलब्धियों के फलस्वरूप स्वीकृत की जाने वाली आर्थिक सहायता बजट उपलब्धता के आधार पर वर्ष 2007 एवं उपलब्ध बजट में राशि शेष होने के कारण फरवरी, 2008 तक के आवेदनों पर अनुदान राशि स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रकार सुश्री अनुश्री मोदी को वर्ष 2007 के खेल उपलब्धि के फलस्वरूप राजस्थान खेल अनुदान नियम 1986 के अन्तर्गत आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं निर्णय होने पर शीघ्र ही अनुदान राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

(4) जी हां। सुश्री अनुश्री मोदी को वर्ष 2007 के खेल उपलब्धि के फलस्वरूप राजस्थान खेल अनुदान नियम 1986 के अन्तर्गत आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं निर्णय होने पर शीघ्र ही अनुदान राशि स्वीकृत की जा सकेगी। सुश्री मोदी की नवम्बर, 2008 एवं वर्ष 2009 की खेल उपलब्धियों के लिए नियमानुसार आर्थिक सहायता अगले वित्तीय वर्ष में बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किया जाना सम्भव होगा।

## सिरोही विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन

**726. श्री ओटाराम देवासी** (सिरोही) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिरोही में अवैध खनन किया जा रहा है? क्या पहाड़ी क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? क्या सरकार द्वारा अवैध खनन संचालकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि अवैध खनन प्रशासनिक स्तर पर रोके जाने के बावजूद अवैध खनन वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है? क्या सरकार

(श्री ओटाराम देवासी)

ऐसे माफिया के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में अवैध खनन खनिज मेसनरी स्टोन की कुछ शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। व्यापक स्तर पर अवैध खनन होना नहीं पाया गया है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो। अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध लगातार चैकिंग अभियान चलाये जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में अवैध खनन के 46 मामले पाए गए। जिनमें नियमानुसार पेनल्टी राशि वसूल की गई है। जिसका विवरण संलग्न है।

(2) अवैध खनन की रोकथाम हेतु समय-समय पर क्षेत्र में चैकिंग की जाती है। इस हेतु दिनांक 1 अगस्त, 2009 से 15 सितम्बर, 2009 की अवधि में विभिन्न विभागों के सहयोग से विशेष अभियान भी चलाया गया था, जिसमें अवैध खनन के 22 मामले पाए गए तथा दोषी व्यक्तियों से पेनल्टी के रूप में रु. 98176/- की वसूली की गई है।

**पूरक उत्तर दिनांक 01.04.2007 से 15.03.2010 (गत तीन वर्षों के) तक अवैध खनन के प्रकरणों का विवरण**

| क्र. सं. | नाम अवैध खनन कर्ता | खनिज | क्षेत्र का विवरण ग्राम/ तहसील | दिनांक | मात्रा टन में | पेनल्टी राशि जो वसूल की गई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| वर्ष 2007-08 | | | | | | |
| 1. | श्री रताराम पुत्र श्री हरजी | चिनाई पत्थर | मोहब्बतनगर/ सिरोही | 9.05.07 | 20 | 1600/- |
| 2. | पावापुरी गौशाला पावापुरी | साधारण मिट्टी | पावापुरी/ सिरोही | 07.05.07 | 60 | 900/- |
| 3. | श्री चीनाराम पुत्र श्री खंगारजी | चिनाई पत्थर | गुडा/सिरोही | 22.05.07 | 6615 | 6292/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | श्री पिण्टू पुत्र श्री सवाजी | चिनाई पत्थर | सिंदरथ/ सिरोही | 22.06.07 | 30 | 3500/- |
| 5. | श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह | मारबल | वासन/रेवदर | 01.09.07 | 16 | 8000/- |
| **वर्ष 2008-09** | | | | | | |
| 1. | श्री भग्गू पुत्र श्री भांकरजी भील | चिनाई पत्थर | मोरथला/ आबूरोड | 6.05.08 | 75 | 8000/- |
| 2. | श्री कानारामज कोली | चिनाई पत्थर | कैला नगर/ शिवगंज | 4.07.08 | 5 | 500/- |
| 3. | श्री मांगाराम ग्रासीया | चिनाई पत्थर | खडात/ आबूरोड | 13.07.08 | 40 | 5000/- |
| 4. | श्री भीमा पुत्र श्री रामा ग्रासीया | चिनाई पत्थर | किवरली/ आबूरोड | 19.07.08 | 40 | 5000/- |
| 5. | श्री अमित पुत्र श्री विमल भार्मा | चिनाई पत्थर | मोरथला/ आबूरोड | 22.07.08 | 60 | 7000/- |
| 6. | श्री भांकर पुत्र श्री लुबारामजी | चिनाई पत्थर | रेवदर/रेवदर | 4.08.08 | 80 | 10000/- |
| 7. | श्री रसीद खान पुत्र श्री दराब खान | चिनाई पत्थर | वाडा/ पिण्डवाडा | 2.08.08 | 25 | 3500/- |
| 8. | श्री रेवाराम ग्रासीया | चिनाई पत्थर | किवरली/ आबूरोड | 8.08.08 | 40 | 5000/- |
| 9. | श्री सोनाराम पुत्र श्री राजाजी ग्रासीया | चिनाई पत्थर | सियावा/ आबूरोड | 3.09.08 | 40 | 5000/- |
| 10. | श्री भूराराम ग्रासीया | चिनाई पत्थर | किवरली/ आबूरोड | 17.09.08 | 40 | 5000/- |
| 11. | श्री लुम्बाराम पुत्र श्री लादाराम | चिनाई पत्थर | गुलाबगंज/ रेवदर | 16.10.08 | 20 | 3000/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | श्री लुग्माराम ग्रासीया | चिनाई पत्थर | किवरली/ आबूरोड | 27.10.08 | 40 | 5000/- |
| 13. | शिवपुजा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी | चिनाई पत्थर | गुलाबगंज/ रेवदर | 27.01.09 | 190 | 20000/- |
| 14. | श्री महेन्द्र यादव | चिनाई पत्थर | मोरथला/ आबूरोड | 02.02.09 | 25.2 | 3020/- |
| 15. | श्री सतीश कुमार | चिनाई पत्थर | मोरथला/ आबूरोड | 02.02.09 | 23.52 | 2852/- |
| 16. | श्री बाबुभाई पटेल | चिनाई पत्थर | मोरथला/ आबूरोड | 02.02.09 | 25.48 | 3048/- |
| **वर्ष 01.04.2009 से 15.03.2010 तक** | | | | | | |
| 1. | श्री नारायण पुत्र रामाराम | चिनाई पत्थर | बसन्तगढ़/ पिण्डवाडा | 1.08.09 | 25 | 3500/- |
| 2. | श्री भीरमजी पुत्र श्री रूघनाथ जी | चिनाई पत्थर | सिलोईया/ सिरोही | 2.08.09 | 20 | 2500/- |
| 3. | श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री थानसिंह | चिनाई पत्थर | डोडुआ/सिरोही | 03.08.09 | 20 | 2500/- |
| 4. | श्री जगसीराम पुत्र श्री लखमाजी | चिनाई पत्थर | जामठा/रेवदर | 03.08.09 | 55 | 6460/- |
| 5. | श्री ऐजाज अली | चिनाई पत्थर | गडिया/सिरोही | 04.08.09 | 20.16 | 2516/- |
| 6. | श्री गलबाराम पुत्र श्री रायगाजी | चिनाई पत्थर | महोब्बतनगर/ सिरोही | 06.08.09 | 25 | 3000/- |
| 7. | श्री रमणभाई ट्रस्ट | चिनाई पत्थर | दानवाव/ आबूरोड | 07.08.09 | 25 | 3500/- |
| 8. | श्री मोहन सिंह पुत्र श्री सांवल सिंह | चिनाई पत्थर | भीमाणा/ पिण्डवाडा | 07.08.09 | 90 | 10000/- |
| 9. | श्री भेकाजी पुत्र श्री भूदाजी | चिनाई पत्थर | पाडीव/सिरोही | 08.08.09 | 15 | 2000/- |
| 10. | श्री भवरजी पुत्र श्री नवलजी | चिनाई पत्थर | भारजा/ पिण्डवाडा | 09.08.09 | 25 | 3500/- |
| 11. | श्री देसाराम पुत्र श्री गोपाराम | चिनाई पत्थर | बडगांव/ शिवगंज | 11.08.09 | 25 | 3500/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | श्री मंगल पुत्र श्री जीवनदान | चिनाई पत्थर | फाचरिया/ सिरोही | 12.08.09 | 19 | 2500/- |
| 13. | श्री गणेश पुत्र श्री प्रभाजी | चिनाई पत्थर | माडंवा/सिरोही | 12.08.09 | 13 | 2000/- |
| 14. | श्री मोनाराम पुत्र श्री खूमाजी | चिनाई पत्थर | मालेरा/ पिण्डवाडा | 17.08.09 | 15 | 2500/- |
| 15. | श्री बाबूलाल पुत्र श्री नगाजी | चिनाई पत्थर | घरट/ पिण्डवाडा | 17.08.09 | 20 | 2500/- |
| 16. | श्री पुखराज पुत्र श्री दलचन्दजी | चिनाई पत्थर | कृष्णगंज/ सिरोही | 18.08.09 | 20 | 3000/- |
| 17. | श्री के मूर्ति पुत्र श्री कुमारस्वामी | ग्रेनाईट | सलतरा/ सिरोही | 19.08.09 | 5 | 8500/- |
| 18. | श्री हंसाराम पुत्र श्री गोमाजी | चिनाई पत्थर | कैला नगर/ शिवगंज | 22.08.09 | 15 | 2000/- |
| 19. | श्री करण सिंह पुत्र श्री तेजसिंह | चिनाई पत्थर | सिलाईया/ सिरोही | 25.08.09 | 30 | 4000/- |
| 20. | श्री जेताराम पुत्र श्री मोतीजी | चिनाई पत्थर | गुलाबगंज/ रेवदर | 27.08.09 | 67 | 7700/- |
| 21. | श्री हरीश पुत्र श्री चुन्नीलालजी | चिनाई पत्थर | कांटल/ पिण्डवाडा | 29.08.09 | 131 | 15000/- |
| 22. | श्री भावाराम पुत्र श्री मोतीजी | चिनाई पत्थर | गुलाबगंज/ रेवदर | 17.12.09 | 35 | 4500/- |
| 23. | श्री लखाराम पुत्र श्री रामाजी | चिनाई पत्थर | अजारी/ पिण्डवाडा | 22.12.09 | 45 | 5500/- |
| 24. | श्री मालाराम पुत्र श्री तोलाजी | चिनाई पत्थर | गुलाबगंज/ रेवदर | 01.01.10 | 35 | 4500/- |
| 25. | श्री सुमेर सिंह पुत्र श्री गंगासिंह किवरली | चिनाई पत्थर | वाडा/ पिण्डवाडा | 10.09.09 | 45 | 5500/- |

नोट :—उक्त प्रश्न में केवल अवैध खनन के प्रकरणों के सम्बन्ध में सूचना चाही गई है। अत: उक्त प्रकरण केवल अवैध खनन के हैं। इनमें अवैध निर्गमन के प्रकरण शामिल नहीं है।

## बस्सी (जयपुर) तहसील में लम्बित खनन पट्टे

**727. श्रीमती अंजु खन्गवाल** (बस्सी) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले की तहसील बस्सी में किस-किस व्यक्ति/फर्म को कौन-कौन से क्षेत्र में, किस-किस खनिज की कितनी अवधि तक तथा क्षेत्रफल में खानें आबंटित हैं तथा खनन पट्टों हेतु कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पट्टाधारकों में किस-किस की खानें संचालित हैं तथा किस-किस की खानें बन्द हैं?

(3) क्रेशर संचालन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? जयपुर जिले में वर्तमान में कहां-कहां वैध एवं अवैध क्रेशर चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अवैध क्षेत्रों में "खनन" एवं क्रेशर-शिफ्टिंग के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा किस-किस शिकायत पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जयपुर जिले की तहसील बस्सी में जिस-जिस व्यक्ति/फर्म को जहां-जहां, जिस-जिस खनिज की खानें आबंटित की हुई हैं, उन खानों की अवधि एवं क्षेत्रफल सहित सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। तहसील बस्सी में कुल 107 आवेदन पत्र विभिन्न खनिजों के लम्बित हैं। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) उक्त पट्टाधारकों में जिन-जिन की खानें संचालित हैं तथा जिन-जिन की खानें बन्द हैं, का विवरण सूची परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है।

(3) स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु पृथक से कोई लाईसेंस नहीं दिया जाता है। परन्तु कृषि भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ (क्रेशर) के लिये जो भूमि का संपरिवर्तन किया जाता है वह राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम के तहत किया जाता है। क्रेशर की स्थापना एवं उत्पादन चालू करने से पूर्व क्रेशर मालिक को प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से कन्सेन्ट टू एसटेबलिश व कन्सेन्ट टू आपरेट प्राप्त करनी होती है।

(4) जयपुर जिले में स्थापित क्रेशरों की सूची परिशिष्ट 3 एवं 3-अ पर संलग्न है।

जयपुर जिले में गत 3 वर्षों में जिला कलक्टर जयपुर कार्यालय में 4 शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा विभाग में 72 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विभाग में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 4 एवं 4-अ पर संलग्न है।

**(सूचियां व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## खनिज अभियन्ता कार्यालय भरतपुर में लम्बित खनन लीज प्रकरण

**728. श्री ग्यारसाराम कोली** (बयाना) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खनिज अभियन्ता भरतपुर कार्यालय से खनिज लीज, गिट्टी बोल्डर हेतु जारी की जाती है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यालय में गत कई वर्षो से लीज प्रार्थना पत्र लम्बित हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्षो में कितने व क्यों? वर्षवार एवं आवेदकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एक निर्धारित अवधि में लीज जारी कर देनी चाहिए? यदि हां, तो अब लम्बित लीजों को कब तक जारी कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां।

(2) गत तीन वर्षो में लम्बित आवेदन पत्रों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है। सूची संलग्न है।

| वर्ष | 2007 | 2008 | 2009 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| | 347 | 148 | 1488 | 2313 |

प्रार्थना पत्र लम्बित रहने का मुख्य कारण है कि तहसील कामां व डीग के विस्थापित खनन पट्टाधारियों को तहसील पहाड़ी में पुनर्वास किये जाने हेतु तहसील पहाड़ी में आवेदन पत्रों के निस्तारण पर रोक होने से निस्तारण नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त संयुक्त सीमांकन/खसरा सत्यापन एवं वन विभाग से अनापत्ति की प्रक्रिया में समय लगता है।

(3) लीज जारी करने से सम्बन्धित नियमों के तहत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के तहत आबंटन पत्रों का गुणावगुण के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने की कार्यवाही की जा रही है।

**(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## पुलिस कर्मियों से दुर्व्यवहार की घटनाएं

**729. श्री भवानी सिंह राजावत** (लाडपुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में गत छह माह में पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के साथ मारपीट की वारदातें हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब तथा कहां और उसके क्या कारण रहे?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में पुलिस के सोते जवान पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का भी हादसा हुआ? यदि हां, तो कब और कहां?

(3) क्या सरकार उक्त स्थिति से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या?

### उत्तर

(1) जी हां। पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के साथ गत छह माह में हुई मारपीट की वारदातों के सम्बन्ध में घटना दिनांक, घटना का स्थान एवं मारपीट के कारणों सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) जी हां। दिनांक 03.03.2009 की रात्री को अग्रवाल थावरी धर्मशाला चौमूं में आर.ए.सी. पांचवी बटालियन के श्री दानाराम कानि. नं. 706, सोते हुए पर आरोपीगण सोनू उर्फ मनोज, कैलाश, जोगी, दीपक सैनी, रवि मीणा, जयप्रकाश सैनी द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई जिसकी दिनांक 31.03.2009 को एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चौमूं, जिला जयपुर ग्रामीण पर अभि. सं. 114/09 धारा 147, 353, 436, 460, 302, 149 भा.द.सं. दिनांक 03.03.2009 को पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधानोपरान्त आरोप पत्र संख्या 185/09 धारा 147, 353, 436, 460, 302, 149 भा.द.सं. में दिनांक 29.04.2009 को पेश न्यायालय किया गया।

(3) जी हां। पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मारपीट करने की घटनाओं की स्थिति से निपटने के लिए लोक सेवक के साथ मारपीट करने से सम्बन्धित अपराध के सम्बन्ध में जा.फौ. की प्रथम अनुसूची में आवश्यक संशोधन कर धारा 332 भा.द.सं. को जमानतीय अपराध से अजमानतीय अपराध बनाया गया है। ऐसी घटनाओं के घटित होने पर पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा तुरन्त मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली जाती है व घटना की तुरन्त एफ.आई.आर. दर्ज कर

(गृह मंत्री)

त्वरित अनुसंधान कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु आरोप पत्र सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है।

पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों के साथ मारपीट की स्थिति से निपटने के लिए निम्नांकित कदम उठाये गये हैं :-

1. जिले के थानों/चौकियों से पुलिस अनुसंधान/दस्तयाबी कार्यवाही/गिरफ्तारी/वारन्ट तामील या अन्य कार्य हेतु गठित टीम/जाप्ता अन्य जिलों में भेजा जाता है, उनको थानाधिकारी/वृत्ताधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष रूप से ब्रीफ कर ही भिजवाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।
2. जिले के थानों/चौकियों से अन्य जिलों में अनुसंधान/दस्तयाबी/वारन्ट तामील या अन्य राजकार्य के लिए जाने वाली पुलिस टीम स्वयं के जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/वृत्ताधिकारी/एस.एच.ओ. से विचार-विमर्श उपरान्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
3. जाप्ते की कमी महसूस होने पर उस जिले के वरिष्ठ उच्चाधिकारियों से सम्पर्क कर जाप्ता पूरा लेकर ही जाने के निर्देश दिये गये हैं।
4. गिरफ्तारी/दस्तयाबी की कार्य योजना जल्दबाजी में नहीं बनाने एवं गोपनीय सूत्रों से सत्यापन कराने, उसके बाद ही दबिश दी जाने तथा औपचारिकता पूरी करने के स्थान पर सफलता प्राप्त करने का दृष्टिकोण रखा जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
5. दबिश के दौरान गांव के मौतबिरान/सीएलजी सदस्य/बीट कानिस्टेबल तथा पुलिस के मददगारों की सहायता ली जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
6. महिलाओं की दस्तयाबी/गिरफ्तारी के समय महिला कानिस्टेबल आवश्यक रूप से रखने हेतु निर्देश दिये गये हैं।
7. दबिश के दौरान गड़बड़ी व हिंसा होने की स्थिति से किस प्रकार निपटा जायेगा तथा अतिरिक्त जाप्ता कहां से प्राप्त होगा/किस प्रकार जाप्ते को सुरक्षित निकालने की कार्यवाही होगी/उसकी भी पूर्व में ही कार्य योजना बनाई जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
8. सम्बन्धित जिले के अधिकारियों के मोबाइल व आफिस एवं निवास के फोन नम्बर भी साथ हो ताकि आपात स्थिति में उनका उपयोग कर शीघ्र मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

(गृह मंत्री)

9. दबिश देने वाली टीम के सभी सदस्यों के मोबाइल नम्बर टीम के अन्य सदस्यों के पास भी होना चाहिए/वाहन सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए। धक्के देकर स्टार्ट होने वाले वाहनों का उपयोग दबिश में नहीं किया जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

**(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## पुलिस थानों में नियुक्त अस्थाई थानाधिकारी

**730. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के किन-किन पुलिस थानों में तदर्थ/टेम्परेरी आधार पर थानाधिकारी नियुक्त हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्थायी नियुक्ति के अभाव में टेम्परेरी आधार पर नियुक्त अधिकारी पर जवाबदेही नहीं होने से विभागीय कार्य एवं जांचें प्रभावित होती हैं? क्या सरकार इस स्थिति में सुधार लाने हेतु कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा क्या व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) राज्य के पुलिस थानों में तदर्थ/टेम्परेरी आधार पर नियुक्त एस.एच.ओ. जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

**परिशिष्ट "अ"**

| क्र. सं. | जिला | निम्न पुलिस थानों में तदर्थ/टेम्परेरी एसएचओ की नियुक्ति की गई है। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | नागौर | परबतसर |
| 2. | जयपुर शहर उत्तर | गलतागेट |
| | | ब्रह्मपुरी |
| 3. | जयपुर शहर दक्षिण | बनीपार्क |
| | | श्यामनगर |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | मुरलीपुरा |
| | | सोड़ाला |
| | | झोटवाड़ा |
| | | अशोक नगर |
| | | महिला थाना दक्षिण |
| 4. | जयपुर शहर पूर्व | जवाहर सर्किल |
| 5. | दौसा | सिकन्दरा |
| 6. | करौली | मण्डरायल |
| | | करणपुर |
| | | नादौती |
| 7. | जोधपुर शहर | रातानाड़ा |
| | | सदर बाजार |
| | | महिला थाना जोधपुर |
| | | चौपासनी हाउसिंग बोर्ड |
| | | महामंदिर |
| | | उदय मंदिर |
| 8. | जालौर | सांचोर |
| | | मोदरा |
| 9. | बाड़मेर | शिव |
| 10. | पाली | जैतारण |
| | | महिला थाना पाली |
| 11. | सिरोही | रेवदर |
| | | आबूरोड शहर |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | सिरोही |
| 12. | कोटा शहर | रेलवे कालोनी |
| 13. | झालावाड़ | असनावर |
| | | दांगीपुरा |
| | | गंगधार |
| | | डग |
| | | खानपुर |
| | | घाटोली |
| | | बकानी |
| | | सरोला |
| | | उन्हैल नागेश्वर |
| | | मनोहर |
| | | जावर |
| 14. | बांसवाड़ा | महिला थाना |
| 15. | चित्तौड़गढ़ | बड़ी सादड़ी |
| 16. | डूंगरपुर | कोतवाली |
| 17. | राजसमंद | रेलमगरा |
| | | राजनगर |
| 18. | प्रतापगढ़ | अरनोद |
| 19. | जीआरपी अजमेर | जीआरपी उदयपुर |
| | | जीआरपी डूंगरपुर |
| | | जीआरपी थाना मावली |

## कोटड़ा तहसील मुख्यालय कोटड़ा पर सर्किल इंस्पेक्टर का पदस्थापन

731. **श्री बाबूलाल खराड़ी** (झाड़ोल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के तहसील मुख्यालय कोटड़ा पर सर्किल इंस्पेक्टर का पद नहीं है? क्या सरकार उक्त पद पर सर्किल इंस्पेक्टर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के तहसील मुख्यालय कोटड़ा पर पुलिस निरीक्षक का पद स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

## रायसिंहनगर, श्री विजयनगर एवं मुकलावा पुलिस थानों में जमा हथियार

732. **श्री दौलतराज समेजा** (रायसिंहनगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) रायसिंहनगर, श्री विजयनगर, मुकलावा के पुलिस थानों में कितने अस्त्र शस्त्र कितने समय से जमा हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इनका नवीनीकरण नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

### उत्तर

(1)

| क्र. सं. | नाम पुलिस थाना | कुल जमा शस्त्र | अस्त्र/शस्त्र जमा की अवधि | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 6 माह से कम | 6 माह से ज्यादा |
| 1. | रायसिंहनगर | 325 | 255 | 70 |
| 2. | मुकलावा | 195 | 144 | 51 |
| 3. | विजयनगर | 382 | 227 | 155 |
| | **योग** | **902** | **626** | **276** |

(2) खण्ड एक में उल्लेखित शस्त्रों में से 415 शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण से शेष है। इनका नवीनीकरण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है।

## मथुरा गेट पुलिस थाना भरतपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 76/10

**733. डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना मथुरा गेट, भरतपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 76/10 के सम्बन्ध में पुलिस कार्यवाही नहीं कर पा रही है? यदि हां, तो कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त केस में लगाये गये आरोपों को सही मानती है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी और नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी नहीं। पुलिस थाना मथुरा गेट, भरतपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 76/2010 अन्तर्गत जुर्म धारा 332, 353, 354, 379 भा.द.सं. दिनांक 11.02.2010 को पंजीबद्ध किया जाकर अन्वेषण प्रारम्भ कर दिया गया है।

(2) प्रकरण संख्या 76/2010 में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रार्थी के साथ गाली-गलौच कर अभद्र व्यवहार करने, राजकार्य में बाधा पहुंचाने एवं प्रार्थी का बैग व रुपये छीनने सम्बन्धी आरोप लगाये गये हैं। उपरोक्त प्रकरण में लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में थानाधिकारी मथुरा गेट, भरतपुर द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है। अन्वेषण पूरा होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

## सहायक आयुक्त देवस्थान प्रथम व द्वितीय जयपुर की स्पेशल आडिट

**734. श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान देवस्थान निधि बजट एवं लेखा नियम 1997 के तहत अनियमित तरीके से करोड़ों रुपये व्यय करने के लिए अंकेक्षण विभाग से सहायक आयुक्त देवस्थान प्रथम व द्वितीय जयपुर की पांच साल की स्पेशल आडिट करवाई गई है? क्या आडिट में अंकेक्षण विभाग ने उक्त नियम 1997 के तहत किये गये करोड़ों रुपयों के व्यय को अनियमित बताया है? यदि हां, तो सहायक आयुक्त देवस्थान प्रथम व द्वितीय जयपुर के लिए दी गई आडिट रिपोर्ट की प्रति मय समस्त संलग्नकों के सदन की मेज पर रखें। क्या स्पेशल आडिट के तहत अब तक सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

(2) क्या यह भी सही है कि अंकेक्षण विभाग द्वारा दी गई स्पेशल आडिट रिपोर्ट वर्ष 2003 से 2009 पर सरकार द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस जारी किये हैं? यदि हां, तो किन-किन लोगों को? सूची सदन की मेज पर रखें। अब तक आडिट रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब सरकार दोषी व्यक्तियों पर कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) यह सही है कि विभागीय अशासकीय टीप संख्या प.1(29)देव/09 दिनांक 3.7.09 द्वारा देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त प्रथम एवं सहायक आयुक्त, द्वितीय, जयपुर के कार्यालयों की वर्ष 2003 से 2008 तक की अवधि में देवस्थान निधि फण्ड से व्यय किये गये का विशेष अंकेक्षण बाबत वित्त विभाग को अनुरोध किया गया है। अंकेक्षण की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संदर्भित कार्यालयों के सम्बन्धित लेखों का निरीक्षण निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जाकर अपने प्रारम्भिक टिप्पणी/आक्षेप से विभाग को अवगत कराया गया है। इसी क्रम में विभाग की ओर से टिप्पणी/प्रथम जवाब अशासकीय टीप क्रमांक प. 1(29)देव/09-पार्ट जयपुर, दिनांक 5.3.2010 के द्वारा शासन सचिव, वित्त (व्यय) को प्रेषित किया जा चुका है। इस प्रकार अंकेक्षण की प्रक्रिया अभी जारी है एवं प्रकरण में अन्तिम निष्कर्ष/प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं है।

(2) अंकेक्षण विभाग द्वारा अवगत कराई गई प्रारम्भिक आक्षेप/टिप्पणी के सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस जारी किये जा चुके हैं (सूची संलग्न है)। अंकेक्षण प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त प्रारम्भिक टिप्पणी/आक्षेप पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में निहित है।

(3) चूंकि प्रकरण प्रक्रियाधीन है अत: अभी तक किसी व्यक्ति पर दोष निर्धारण/प्रमाणीकरण नहीं हुआ है अत: वर्तमान में कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है।

**संलग्नक**

**अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रारम्भिक आक्षेप/टिप्पणी के सम्बन्ध में नोटिस जारी किये गये सम्बन्धित व्यक्तियों की सूची**

**कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)**

| क्र. सं. | नाम/पदनाम | वि. वि. |
|---|---|---|
| 1. | श्री गोपीराम गुप्ता, सेवानिवृत्त, उप शासन सचिव, देवस्थान विभाग, जयपुर | |
| 2. | श्री भगवान सिंह, तत्कालीन निजी सचिव, देवस्थान मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर | |
| 3. | तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, देवस्थान विभाग, हाल प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि., शासन सचिवालय, जयपुर | निजी सचिव को सम्बोधित |
| 4. | तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, देवस्थान विभाग, हाल प्रमुख शासन सचिव, आयोजना, विभाग शासन सचिवालय, जयपुर | निजी सचिव को सम्बोधित |
| 5. | तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, देवस्थान विभाग, हॉल प्रमुख शासन सचिव, न्याय विभाग शासन सचिवालय, जयपुर | निजी सचिव को सम्बोधित |
| 6. | श्री वासुदेव शर्मा, तत्कालीन सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर | |
| 7. | श्री महेन्द्र शर्मा, तत्कालीन सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर | |
| 8. | श्री हिम्मत सिंह भाटी, तत्कालीन सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर | |
| 9. | श्री गिरीश बच्चानी, तत्कालीन सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर | |
| 10. | श्री बाबू लाल गोयल, तत्कालीन सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर | |

**कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय)**

| **क्र. सं.** | **नाम/पदनाम** | **वि. वि.** |
|---|---|---|
| 1. | श्री हिम्मत सिंह भाटी, तत्कालीन सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर | |
| 2. | श्री गिरीश बच्चानी, तत्कालीन सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर | |
| 3. | श्री शिव भगवान राजपुरोहित, तत्कालीन सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर | |
| 4. | श्री रवि शंकर गुर्जर, कनिष्ठ लिपिक, देवस्थान विभाग, जयपुर | |
| 5. | श्री महेश बिहारी शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, देवस्थान विभाग, जयपुर | |
| 6. | श्री दामोदर लाल शर्मा, पुजारी (निधि) देवस्थान विभाग, जयपुर | |

## सोजत विधान सभा क्षेत्र के रानीगांव, जोगमाया मंदिर तथा नृसिंह मंदिर का जीर्णोद्धार

735. **श्रीमती संजना आगरी** (सोजत) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार सोजत शहर में स्थित नृसिंह मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार सोजत के रानीगांव जोगमाया मंदिर पर जाने के लिए पहाड़ी पर सड़क तथा मंदिर का जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) सोजत शहर में स्थित नृसिंह मंदिर देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिर नहीं है एवं न ही यह मंदिर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास

(देवस्थान मंत्री)

अधिनियम 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रन्यास है। अराजकीय मंदिरों के लिए विभागीय बजट में जीर्णोद्धार हेतु राशि का प्रावधान नहीं किया जाता है।

(2) सोजत शहर में स्थित रानीगांव जोगमाया मंदिर देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिर नहीं है एवं न ही यह मंदिर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रन्यास है। अराजकीय मंदिरों के लिए विभागीय बजट में प्रावधान नहीं किया जाता है।

## अवधि पार अपीलों पर आयुक्त देवस्थान को निर्णय का अधिकार

**736. श्री गोपाल मीणा** (जमवारामगढ़) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आयुक्त देवस्थान विभाग को पंजीकृत न्यासों के विरुद्ध समयावधि के उपरान्त अपील सुनवाई में राजस्थान लोक न्यास एक्ट 1959 के तहत किसी भी धारा के तहत लिमिटेशन एक्ट के तहत डिले कन्डोन करके अपील में निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं है? यदि अधिकार है तो एक्ट 1959 की किस धारा के तहत डिले कन्डोन के प्रार्थना पत्र पर आयुक्त देवस्थान विभाग डिले कन्डोन की अधिकारिता रखते हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अवधिपार कई अपीलों पर आयुक्त देवस्थान विभाग डिले कन्डोन के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलों का निर्णय पारित करते हैं? यदि हां, तो वर्ष 2008 से फरवरी, 2010 तक कुल कितनी अवधिपार अपीलों में डिले कन्डोन करके अपीलें निर्णित की गई हैं? अवधिपार निर्णित अपीलों के दो साल के निर्णयों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अपीलों की सुनवाई के समय आयुक्त देवस्थान विभाग न्यायालय की शक्ति के तहत अधिकारिता रखते हुए निर्णय पारित करते हैं? यदि हां, तो लोक न्यास एक्ट की किस धारा के तहत? नियमों/धारा की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) यह सही नहीं है क्योंकि लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के अनुसार "कोई भी अपील या कोई भी आवेदन जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 के उपबन्धों के अतिरिक्त हो, विहित काल के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा यदि

(देवस्थान मंत्री)

अपीलार्थी या आवेदक, न्यायालय को यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिये पर्याप्त हेतुक था"

उक्त से यह स्पष्ट है कि धारा 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-21 को छोड़कर सभी आवेदन पत्रों पर लागू होते हैं। अर्थात् यह अन्य अधिनियम में भी समान प्रकार से लागू होगी सिवाय उस परिस्थिति के जब किसी अधिनियम में इस धारा के लागू होने पर स्पष्ट रूप से रोक न लगा दी हो।

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 में लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा-5 के प्रावधान लागू किये जाने पर कोई रोक नहीं है।

(2) हां। यह सही है कि न्यायालय, आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा अपीलों में डिले कन्डोन के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर अपीलों का निर्णय किया जाता है। वर्ष 2008 से फरवरी, 2010 तक की स्थिति निम्न प्रकार है :—

| **क्र. सं.** | **वर्ष** | **डिले कन्डोन कर निर्णित की गई अपीलों की संख्या** |
|---|---|---|
| 1. | 2008 | 16 |
| 2. | 2009 | 35 |
| 3. | फरवरी 2010 | 07 |

निर्णित अपीलों के निर्णयों की सूची संलग्न है।

(3) राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 की धारा 20 के प्रावधानों के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, देवस्थान द्वारा की गई जांच के परिणाम से व्यथित पक्षकार आयुक्त, देवस्थान के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी अपील की सुनवाई के दौरान धारा 67 राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के तहत आयुक्त को वैसे ही शक्तियां प्राप्त हैं जो किसी वाद के विचारण में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत सिविल न्यायालयों में निहित है; (धारा 67 की प्रति संलग्न)।

इसके अलावा राजस्थान लोक न्यास अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत ऐसे समस्त जांच भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 193, 219 तथा 228 के अर्थो में न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाती हैं; (धारा 68 की प्रति संलग्न)।

**वर्ष 2008 से फरवरी, 2010 तक आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा अपीलों में डिले कन्डोन कर निर्णित अपीलों की सूची**

**वर्ष 2008**

| क्र. सं. | अपील संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | 49/06 | निरीक्षक, देवस्थान विभाग, बीकानेर बनाम श्री कुमार बागला |
| 2. | 13/06 | मूर्ति मंदिर श्री हनुमानजी बाडीयो वाला बनाम भवर लाल सैनी व अन्य |
| 3. | 47/06 | निरीक्षक, देवस्थान विभाग, बीकानेर बनाम श्री सत्यनारायण बागला |
| 4. | 48/06 | निरीक्षक, देवस्थान विभाग, बीकानेर बनाम नीदरकान्त बागला |
| 5. | 32/06 | सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम गणेश मंदिर प्रन्यास |
| 6. | 4/07 | शम्भूकरण शर्मा बनाम महेन्द्र कुमार स्वामी व अन्य |
| 7. | 24/08 | राजेन्द्र कुमार पटेल बनाम सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, ऋषभदेव |
| 8. | 28/05 | श्री मोहन लाल व अन्य बनाम कैलाश चन्द शर्मा |
| 9. | 22/05 | श्री सीताराम व अन्य बनाम उम्मेदसिंह व अन्य |
| 10. | 10/07 | श्री शुभकरण व अन्य बनाम श्री उम्मेदसिंह व अन्य |
| 11. | 23/03 | श्रीमती सोमोती व अन्य बनाम श्री रामहेत सिंह गुर्जर व अन्य |
| 12. | 25/03 | कन्हैया लाल शर्मा बनाम राजकुमार शर्मा व अन्य |
| 13. | 5/04 | देवेन्द्र कुमार व अन्य बनाम श्री राजेश्वर महादेव ट्रस्ट व अन्य |
| 14. | 35/04 | देवेन्द्र कुमार व अन्य बनाम श्री राजेश्वर महादेव ट्रस्ट व अन्य |
| 15. | 10/05 | बाबा रामदास गिरी आश्रम प्रन्यास बनाम श्री राम हनुमान मंदिर खेलीवाडा ट्रस्ट व अन्य |
| 16. | 3/06 | जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. शि. बनाम श्री राम हनुमान मंदिर खेलीवाला व अन्य |

**वर्ष 2009**

| क्र. सं. | अपील संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 3/09 | श्री पुरूषोत्तम शर्मा बनाम निरीक्षक देवस्थान विभाग, बूंदी |
| 2. | 36/06 | रामदास मीणा व अन्य बनाम हरिसिंह मीणा व अन्य |
| 3. | 46/05 | श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर व अन्य बनाम श्री गंगाधर मीणा व अन्य |
| 4. | 31/08 | पूरणमल मीणा व अन्य बनाम रामेश्वर पुत्र श्री सुखपाल मीणा |
| 5. | 31/06 | श्री रामावतार शर्मा बनाम प्रेमनाथ शर्मा व अन्य |
| 6. | 17/06 | ग्यारसी लाल भोपा व अन्य बनाम गोपीराम भोपा व अन्य |
| 7. | 6/07 | श्रीमती उर्मिला देवी बनाम मूर्ति श्री चतुर्भुज नाथजी महाराज व अन्य |
| 8. | 39/08 | श्री आत्मानन्द पुरी गोस्वामी व अन्य बनाम सहायक आयुक्त, देवस्थान, अजमेर व अन्य |
| 9. | 12/09 | जांगिड ब्राह्मण पंचायत (बडवास) व अन्य बनाम श्री कैलाश चन्द व अन्य |
| 10. | 40/08 | धर्मशाला बागडा ब्राह्मण समाज, गोनेर व अन्य बनाम श्री बद्री नारायण शर्मा व अन्य |
| 11. | 32/04 | बद्री प्रसाद बनाम श्री बसन्त काबरा व अन्य |
| 12. | 18/07 | श्री शिव भारती बनाम पुरुषोत्तम पुरी व अन्य |
| 13. | 20/07 | जगदीश बनाम श्री पुरूषोत्तम पुरी |
| 14. | 30/08 | श्री उदय भारती व अन्य बनाम पुरूषोत्तम पुरी |
| 15. | 6/06 | मनोज कुमार बनाम देवेन्द्र चन्द्र |
| 16. | 38/08 | महेन्द्र कुमार व अन्य बनाम श्री बालमुकुन्द व अन्य |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 17. | 20/09 | मंदिर श्री राम जानकी महाराज सेवा समिति बनाम श्री शिव प्रसाद शर्मा व अन्य |
| 18. | 13/09 | परशुराम व अन्य बनाम श्री समताराम |
| 19. | 24/06 | श्रीमती कंकू बाई बनाम श्री कृष्ण चन्द आमेटा व अन्य |
| 20. | 2/09 | श्री पी.एन. गुप्ता बनाम सहायक आयुक्त, प्रथम, देवस्थान विभाग, जयपुर व अन्य |
| 21. | 13/08 | संत गुलाबदास जी महाराज बनाम श्री गंगासिंह व अन्य |
| 22. | 45/06 | श्री जगदीशनारायण व अन्य बनाम सहायक आयुक्त, ट्रस्ट, देवस्थान विभाग, जयपुर व अन्य |
| 23. | 31/01 | श्री डालचन्द शर्मा बनाम सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर व अन्य |
| 24. | 33/08 | राजेन्द्र मिश्रा बनाम श्री धनेश शर्मा व अन्य |
| 25. | 24/07 | कजोड़ व अन्य बनाम गौरीशंकर शर्मा व अन्य |
| 26. | 14/05 | गुमान सिंह राव बनाम भूपेन्द्र सिंह राव व अन्य |
| 27. | 38/06 | श्री चारभुजाजी मंदिर ट्रस्ट बनाम श्री चारभुजा (श्री लक्ष्मीनारायण जी) मंदिर ट्रस्ट |
| 28. | 16/08 | श्री डूगाराम बनाम सरदार सिंह व अन्य |
| 29. | 35/06 | श्री शांति लाल नागदा बनाम श्री चारभुजाजी का मंदिर (कुमावत समाज) व अन्य |
| 30. | 12/08 | श्री कोरा भगत व अन्य बनाम सहायक आयुक्त, द्वितीय, देवस्थान विभाग, जयपुर |
| 31. | 34/06 | श्री भगवान दास व अन्य बनाम सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, भरतपुर व अन्य |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 32. | 35/08 | श्री नेमीचन्द व अन्य बनाम सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, भरतपुर व अन्य |
| 33. | 15/08 | श्री ओम प्रकाश बनाम श्री गजानन्द |
| 34. | 46/08 | श्री चन्दाराम बनाम बनवारी लाल व अन्य |
| 35. | 20/07 | प्रभु दयाल गुप्ता बनाम सहायक आयुक्त, द्वितीय, देवस्थान विभाग, जयपुर व अन्य |

**वर्ष 2010**

| क्र. सं. | अपील सं. | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | 1/05 | समस्त आर्य समाज जोधपुर व अन्य बनाम श्री दया सिंह व अन्य |
| 2. | 7/08 | श्री महावीर प्रसाद जागिड व अन्य बनाम श्री हनुमान दास स्वामी व अन्य |
| 3. | 10/08 | निरीक्षक, देवस्थान विभाग, बीकानेर बनाम श्री श्रवण कुमार बागला |
| 4. | 13ए/09 | श्री आलोक जाजोदिया व अन्य बनाम अरूण कुमार व अन्य |
| 5. | 18/09 | श्रीमती रूकमणी देवी ताम्बी बनाम सहायक आयुक्त, द्वितीय, देवस्थान विभाग, जयपुर व अन्य |
| 6. | 31/04 | लालदास चेला व अन्य बनाम कैलाश सिंह व अन्य |
| 7. | 10/10 | श्याम बाबा संकीर्तन मण्डल संघ बनाम मोतीराम अग्रवाल व अन्य |

## अध्याय 12

## कार्य प्रणाली तथा शास्तियां

**67. जांच अधिकारियों को सिविल न्यायालय की शक्तियां :-**इस अधिनियम के अन्तर्गत जांच करते समय आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त को वैसी ही शक्तियां होंगी जो किसी वाद के विचारण में निम्नांकित मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम 5 सन् 1908) के अन्तर्गत सिविल न्यायालयों में निहित होती है :-

(क) शपथ पत्रों द्वारा तथ्यों का साक्ष्य;

(ख) किसी व्यक्ति को सम्मन द्वारा बुलाना तथा उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना एवं शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(ग) दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना; और

(घ) कमीशन जारी करना।

## CHAPTER XII

## PROCEDURE AND PENALTIES

**67. Officers holding Inquiries to have the powers of civil court :—** In holding inquiries under this Act the Commissioner or an Assistant Commissioner shall have the same powers as are vested in civil courts in respect of the following matters under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act V of 1908) in trying a suit-

(a) proof of facts by affidavits;

(b) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(c) compelling the production of documents; and

(d) issuing of commissions.

**68. जांच न्यायिक कार्यवाही होना :-**इस अधिनियम के अन्तर्गत समस्त जांच भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 193, 219 तथा 228 के अर्थों में न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी।

**68. Enquiries to be judicial proceedings.-**All inquiries under this Act shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193, 219 and 228 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act XLV of 1860).

## भरतपुर जिले की तहसीलों में पदस्थापित कार्मिक

737. **श्रीमती अनीता सिंह** (नगर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा वन नीति बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील नगर, पहाड़ी, डीग व कामां में कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी किस पद पर कार्यरत हैं? सूची मय नाम, मोबाइल नं. सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वन नीति बनाई गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) नगर, पहाड़ी, डीग एवं कामां तहसीलों में वन विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची मय नाम, पता, मोबाईल नम्बर के परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

**(प्रति व सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## गंग भाखड़ा कमाण्ड एरिया के जीर्णोद्धार की प्रस्तावित योजना

738. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गंग भाखड़ा कमाण्ड एरिया में सिंचित क्षेत्र विकास जल प्रबंधन एवं जीर्णोद्धार के लिए परियोजना केन्द्र सरकार को भेजी गई है? यदि हां, तो किस-किस स्थान की कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना की स्वीकृति दे दी गई है? यदि हां, तो कितनी राशि की किस-किस मद में व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा गंग भाखड़ा कमाण्ड एरिया में सिंचित क्षेत्र विकास, जल प्रबंधन एवं जीर्णोद्धार के लिये केन्द्र सरकार को भिजवाई गयी परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

(सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री)

1. राज्य सरकार द्वारा पक्का खाला निर्माण हेतु गंग केनाल क्षेत्र एवं भाखड़ा केनाल (प्रथम चरण) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्र सरकार को दिनांक 23.07.08 को प्रेषित की गई थी। गंग नहर के कुल 314268 हैक्टेयर सी.सी.ए. में से पूर्व में निर्मित चकों के 16573 हैक्टेयर सी.सी.ए. एवं डी.आर.डी.ए. द्वारा निर्मित अपूर्ण चकों के 65829 हैक्टेयर सी.सी.ए. को कम करने के पश्चात् शेष रहे 231866 हैक्टेयर अर्थात 231900 हैक्टेयर सी.सी.ए. हेतु रुपये 538.75 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं भाखड़ा केनाल (प्रथम चरण) के 112750 हैक्टेयर सी.सी.ए. हेतु रुपये 267.00 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार स्थानों की सूची परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

2. गंग नहर के सिंचित क्षेत्र की नहरों के आधुनिकीकरण/जीर्णोद्धार के लिये रुपये 445.79 करोड़ की योजना ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 2002 में स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में उक्त कार्यों की रुपये 614.62 करोड़ की संशोधित परियोजना केन्द्रीय जल आयोग को दिनांक 30.12.2009 को प्रस्तुत की गयी।

(2)

1. अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा पक्का खाला निर्माण हेतु गंग केनाल क्षेत्र एवं भांखड़ा केनाल (प्रथम चरण) के लिये दिनांक 23.07.2008 को प्रेषित उक्त परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई हैं। केन्द्र सरकार के जल संसाधन विभाग के सीएडी डब्ल्यू.एम. विंग द्वारा पत्रांक 13-2/2008-सीएडी डब्ल्यू.एम./41 दिनांक 09.02.09 द्वारा गंग केनाल क्षेत्र में पक्के खाले निर्माण की परियोजना को सैद्धान्तिक तौर पर इस शर्त पर सहमति दी गई है कि राजस्थान राज्य की चालू परियोजनाओं में से कोई एक परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर ही गंग केनाल परियोजना में पक्का खाला निर्माण की योजना को स्वीकृत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

2. ए.आई.बी.पी. योजना के अन्तर्गत रुपये 614.52 करोड़ की संशोधित योजना की केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुयी है।

**परिशिष्ट "अ"**

**विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुसार गंग केनाल क्षेत्र में नहर वार कुल सी.सी.ए. पूर्व में पूर्ण हुए चकों का कुल सी सी ए, पूर्व में डी आर डी ए द्वारा निर्मित अपूर्ण चकों का कुल सी सी ए एवं शेष सी सी ए जिसमें सिक्षेवि द्वारा पक्का खाला निर्माण करवाया जाना है की सूचना निम्नानुसार प्रस्तुत है**

| क्र. सं. | नहर का नाम | कुल सी सी ए | पूर्व में पूर्ण हुए चकों का कुल सी सी ए | पूर्व में डी आर डी ए द्वारा निर्मित अपूर्ण चकों का कुल सी सी ए | शेष सी सी ए जिसमें सिक्षेवि द्वारा पक्का खाला निर्माण करवाया जाना है |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | बीकानेर कैनाल | 854 | — | 0 | 854 एकड़ |
| 2. | एम एल-I | 14874 | — | 2085 | 12789 एकड़ |
| 3. | डी माईनर | 5959 | — | 460 | 5499 एकड़ |
| 4. | एम एल-II | 9915 | — | 778 | 9137 एकड़ |
| 5. | एल एन जे आई ब्रांच | 531 | — | 230 | 301 एकड़ |
| 6. | बाईफरकेशन डिस्ट्रीब्यूटरी | 7063 | — | 1648 | 5415 एकड़ |
| 7. | एच डिस्ट्रीब्यूटरी | 82337 | — | 24359 | 57978 एकड़ |
| 8. | एफ ब्रांच | 131789 | 1707 | 30958 | 99124 एकड़ |
| 9. | गंग कैनाल फीडर डीओएल | 6334 | — | 324 | 6010 एकड़ |
| 10. | वाई डिस्ट्रीब्यूटरी | 7342 | — | 838 | 6504 एकड़ |
| 11. | जेड डिस्ट्रीब्यूटरी | 31860 | 7228 | 7178 | 17454 एकड़ |
| 12. | एल एन पी डिस्ट्रीब्यूटरी | 65088 | — | 9316 | 55772 एकड़ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | फार्म माईनर | 10673 | — | 1883 | 8790 एकड़ |
| 14. | डी-साधूवाली | 5363 | — | 2273 | 3090 एकड़ |
| 15. | डी-भागसर | 1595 | — | 482 | 1113 एकड़ |
| 16. | जी जी डिस्ट्रीब्यूटरी | 56390 | — | 13054 | 43336 एकड़ |
| 17. | एच एच-नेतेवाली डिस्ट्रीब्यूटरी | 13572 | — | 3627 | 9945 एकड़ |
| 18. | हिरनोंवाली डिस्ट्रीब्यूटरी | 4904 | 1557 | 299 | 3048 एकड़ |
| 19. | सुलेमानकी डिस्ट्रीब्यूटरी (इ.इ.ए) | 15821 | — | 3126 | 12695 एकड़ |
| 20. | के के माईनर | 4614 | — | 516 | 4098 एकड़ |
| 21. | बी बी डिस्ट्रीब्यूटरी | 50894 | — | 15636 | 35258 एकड़ |
| 22. | आर बी डिस्ट्रीब्यूटरी | 66379 | 15283 | 15280 | 35816 एकड़ |
| 23. | पी एस डिस्ट्रीब्यूटरी | 37502 | 6873 | 11408 | 19221 एकड़ |
| 24. | रिडमलसर डिस्ट्रीब्यूटरी | 3126 | — | 712 | 2414 एकड़ |
| 25. | एम के डिस्ट्रीब्यूटरी | 21866 | 6699 | 3079 | 12088 एकड़ |
| 26. | एन पी समेजा डिस्ट्रीब्यूटरी | 46318 | — | 3200 | 43118 एकड़ |
| 27. | करणी जी डिस्ट्रीब्यूटरी | 73582 | 1604 | 9911 | 62067 एकड़ |
| | **योग एकड़ में** | **776545** | **40951** | **162660** | **572934 हैक्टेयर** |
| | **योग हैक्टेयर में** | **314268** | **16573** | **65829** | **231866 हैक्टेयर** |
| | | | | **अर्थात** | **231900 हैक्टेयर** |

परिशिष्ट "ब"

**विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुसार भाखड़ा केनाल क्षेत्र (फेज-I) में पक्के खाले बनाये जाने वाले क्षेत्र का नहर वार विवरण निम्नानुसार है**

| क्र. सं. | नहर का नाम | कुल सी सी ए (हैक्टेयर में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | मोरजन्डा डिस्ट्रीब्यूटरी | 12209 |
| 2. | लालगढ़ माईनर | 3465 |
| 3. | सुन्दरपुरा माईनर | 4775 |
| 4. | ममरखेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी | 11266 |
| 5. | किकरवालिया माईनर | 2071 |
| 6. | सरदारपुरा माईनर | 6423 |
| 7. | ठमेवाला माईनर | 1668 |
| 8. | लीलावाली डिस्ट्रीब्यूटरी | 15987 |
| 9. | जन्डावाली माईनर | 4278 |
| 10. | उत्तमसिंह वाला माईनर | 1792 |
| 11. | तखरानवाली माईनर | 2248 |
| 12. | भोलेवाला माईनर | 2455 |
| 13. | मोडिया डिस्ट्रीब्यूटरी | 3918 |
| 14. | हरदयालपुरा माईनर | 2274 |
| 15. | ढाबा माईनर | 3342 |
| 16. | लोंगवाला डिस्ट्रीब्यूटरी | 1697 |
| 17. | खारलिया माईनर | 6839 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 18. | लाखासर माईनर | 4434 |
| 19. | श्यामसिंहवाला डिस्ट्रीब्यूटरी | 12465 |
| 20. | फतेहगढ़ माईनर | 2072 |
| 21. | घग्घर सब ब्रांच | 4894 |
| 22. | सादुल ब्रांच | 2178 |
| | **योग** | **112750** |

## शेरगढ़ तहसील में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन सड़कें

**739. श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील शेरगढ़ में प्रधान मंत्री सड़क योजना में थ्रू-रूट व नई सड़कों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कें? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नई सड़कों के प्रस्तावों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी हां। तहसील शेरगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत थ्रू-रूट के उन्नयन के प्रस्ताव राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं-सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार 250 व इससे अधिक आबादी की पात्र बसावटों को सड़क से जोड़ने के प्रस्ताव भी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं- सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत नई सड़कों के प्रस्ताव राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं- स्वीकृति अपेक्षित है।

**परिशिष्ट-1**

**तहसील शेरगढ़ (जिला-जोधपुर) में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित थ्रू-रूट सड़कों के उन्नयन करने के प्रस्ताव (यूजी-III)**

| क्र. सं. | तहसील का नाम | पंचायत समिति का नाम | विधान सभा क्षेत्र | कार्य का नाम | लम्बाई (कि.मी.) | अनुमानित लागत (रु. लाख) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | शेरगढ़ | शेरगढ़ | लोहावट | सेतरावा से खियासरिया | 10.50 | 72.65 |

परिशिष्ट-2

**तहसील शेरगढ़ (जिला-जोधपुर) में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत हेबीटेशनों को जोड़ने हेतु नई डामर सड़कों के प्रस्ताव**

| क्र. सं. प. स. की | तहसील का नाम | पंचायत समिति का नाम | राजस्व गांव | हेबीटेशन का नाम | जनसंख्या | कहां से | आवश्यक लम्बाई (कि.मी.) | अनुमान्ति लागत (रु. लाख) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | शेरगढ़ | बालेसर | आगोलाई | पाबूजी पठान की ढाणी | 600 | उदयसर सड़क से | 8.45 | 123.21 |
| 2. | शेरगढ़ | बालेसर | रावलगढ़ | बेलवा बस स्टेण्ड | 600 | बालेसर सत्ता | 12.40 | 174.18 |
| 3. | शेरगढ़ | बालेसर | तोलसर पुरोहितान | तोलसर पुरोहितान | 556 | एन.एच.-114 किमी. 41 | 2.50 | 45.97 |
| 4. | शेरगढ़ | बालेसर | बालेसर सत्ता | सिलावटों का बेरा | 500 | एन.एच.-114 किमी. 68 | 7.10 | 135.31 |
| 5. | शेरगढ़ | बालेसर | खुडियाला | चारणों की ढाणी | 420 | चामू | 10.25 | 163.18 |
| 6. | शेरगढ़ | बालेसर | बेलवा | मडाटों की ढाणी | 402 | सम्पर्क सड़क कुई इन्दा (सिद्धों का थान) | 11.05 | 177.47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | शेरगढ़ | बालेसर | धोकलसर | धोकलसर | 385 | जोधपुर-जैसलमेर एन.एच.-114 किमी. 91 | 3.00 | 49.58 |
| 8. | शेरगढ़ | बालेसर | नाथडाऊ | मेघवालों की ढाणी | 360 | देवानिया | 11.25 | 176.18 |
| 9. | शेरगढ़ | बालेसर | आगोलाई | जाखड़ों की ढाणी | 330 | आगोलाई | 7.30 | 123.05 |
| 10. | शेरगढ़ | बालेसर | पण्डितों का बास | पण्डितों का बास | 311 | बारनाऊ | 11.30 | 174.36 |
| 11. | शेरगढ़ | बालेसर | चिडवाई | गेले सुथारों की ढाणी | 305 | चिड़वाई | 9.20 | 136.22 |
| 12. | शेरगढ़ | बालेसर | गुडियाला | गुडियाला | 300 | जीयाबेरी | 9.10 | 132.73 |
| 13. | शेरगढ़ | बालेसर | बेलवा | भानाणियों की ढाणी | 296 | सूवेरी जियाबेरी सड़क (अजबार) | 8.90 | 127.77 |
| 14. | शेरगढ़ | बालेसर | अजीतगढ़ | अजीतगढ़ | 287 | देवातू | 17.20 | 250.43 |
| 15. | शेरगढ़ | बालेसर | बेलवा | अनालियों की ढाणी | 284 | बेलवा | 4.90 | 99.14 |
| 16. | शेरगढ़ | बालेसर | देवगढ़ | देवगढ़ | 260 | जोधपुर-जैसलमेर एन.एच.-114 किमी. 62 | 6.60 | 100.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | शेरगढ़ | बालेसर | बालेसर सत्ता | ब्राह्मणों की ढाणी | 250 | जोधपुर-जैसलमेर एन.एच.-114 किमी. 70 | 5.05 | 69.28 |
| 18. | शेरगढ़ | बालेसर | बालेसर सत्ता | प्राइमरी स्कूल खिलों का धोरा | 250 | अमृत नगर | 6.75 | 148.34 |
| 19. | शेरगढ़ | बालेसर | बालेसर सत्ता | गुमानसिंह की ढाणी | 250 | जाटी भाण्डू | 6.85 | 90.76 |
| 20. | शेरगढ़ | बालेसर | बालेसर सत्ता | खियानियों का बेरा | 250 | जोधपुर-जैसलमेर एन.एच.-114 किमी. 71 | 2.00 | 26.43 |
| 21. | शेरगढ़ | शेरगढ़ | लुम्बानसर | मेघवालपोलानियों की ढाणी | 400 | लुम्बानसर सड़क से | 4.30 | 60.27 |
| 22. | शेरगढ़ | शेरगढ़ | भोमसागर | स्वामियों की ढाणी | 300 | चामू-चाबा सड़क कि.मी. 61 | 8.10 | 121.48 |
| 23. | शेरगढ़ | शेरगढ़ | पाबुसर | बगनानियों की ढाणी, कुम्हारों की ढाणी | 280 | पाबुसर | 3.70 | 49.95 |
| 24. | शेरगढ़ | शेरगढ़ | खिरजांखास | गांवतलिया सोढ़ा जोरजी की ढाणी | 270 | खिरजांखास | 4.50 | 62.11 |
| 25. | शेरगढ़ | शेरगढ़ | सांई | खेतसिंह नगर | 250 | साई | 2.75 | 48.29 |
| 26. | शेरगढ़ | शेरगढ़ | सोमेसर | ओकातियों की ढाणी | 250 | किशोरनगर सड़क | 4.70 | 69.53 |
| 27. | शेरगढ़ | शेरगढ़ | सुवालिया | राइकों की ढाणी | 250 | सुवालिया | 6.00 | 80.14 |
| | | **योग :— तहसील शेरगढ़** | | | | | **195.20** | **3015.51** |

## प्रतापगढ़ जिले की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण

**740. श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2009-10 में जिला प्रतापगढ़ में किस-किस योजना में कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उक्त जिले में निर्मित सड़कों में से कौन-कौन सी सड़कें किस-किस निजी ठेकेदार के माध्यम से निर्मित कराई गई तथा निर्मित सड़कों की गुणवत्ता की जांच किस-किस अभियन्ता द्वारा की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में गत तीन वर्षों में निर्मित सड़कों में से कितनी क्षतिग्रस्त हुई हैं तथा इनका पुनर्निर्माण कब-कब किया गया तथा उक्त सड़कें किस-किस के द्वारा निर्मित कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) वर्ष 2009-10 में प्रतापगढ़ जिले में जिन सड़कों का निर्माण कराया गया, उनका योजनावार विवरण परिशिष्ट "अ" में प्रस्तुत है।

(2) इस अवधि में सड़क का निर्माण कार्य निजी ठेकेदार से नहीं करवाया गया है। पंजीकृत संवेदकों के माध्यम से ही कार्य करवाया गया है। कार्यों का विवरण मय एजेन्सी तथा गुणवत्ता की जांच करने वाले अभियन्ताओं का विवरण परिशिष्ट "अ" में कालम 4 से 9 पर प्रस्तुत है।

(3) प्रतापगढ़ जिले में गत तीन वर्षों में निर्मित सड़कों में से कोई भी सड़क इतनी क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, जिसमें पुन: निर्माण की आवश्यकता हो। सड़कों के सामान्य मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य गारन्टी अवधि में सम्बन्धित संवेदक द्वारा किया जाता है।

**(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## रामनगर-जटियाना (अलवर) ग्राम की सम्पर्क सड़क का निर्माण

**741. श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़बास) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के ग्राम रामनगर से जटियाना की लिंक रोड़ बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास का जटियाना ग्राम खैरथल फतियाबाद बघेरीकलां सड़क से डामर सड़क से जुड़ा हुआ है तथा ग्राम रामनगर को खैरथल फतियाबाद बघेरीकलां सड़क से ग्रेवल सड़क से जोड़ने का कार्य महानेरगा में स्वीकृति है। दोनों गांवों के मध्य नवीन मिसिंग लिंक रोड बनाना सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

## मकराना विधान सभा क्षेत्र के सड़क विहीन राजस्व ग्राम

**742. श्री जाकिर हुसैन गैसावत** (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना के "16" राजस्व गांव सड़क से जुड़े हुये नहीं है? यदि हां, तो कब से? आबादीवार प्रत्येक गांव की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गांवों को प्रधानमंत्री सड़क योजना या अन्य किसी योजना में डामर सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मकराना के कुल 135 राजस्व गांवों में से 117 राजस्व गांव डामर सड़क से व 16 राजस्व गांव ग्रेवल सड़क से जुड़े हुए हैं। शेष 2 राजस्व गांव डामर/ग्रेवल सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं, आबादीवार गांवों की सूची परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(2) जी हां। डामर सड़क से नहीं जुड़े हुये 18 गांवों में से दो गांवों (बसावटों) को डामर सड़कों से जोड़ने के प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं जिसका विवरण परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है-स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण सम्भव है।

शेष 16 राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ना सरकार के वित्तीय संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

**(सूची व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## खैरवाड़ा पंचायत समिति के सड़क विहीन गांव

**743. डा. दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. दयाराम परमार)

क्या यह सही है कि वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 250 की जनसंख्या वाले गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2008 तक डामर सड़क से जोड़ना प्रस्तावित था? यदि हां, तो पंचायत समिति खैरवाड़ा के ग्राम काकण, गडावन, भलून, निचला फला, खाण्डी ओबारी, कनबई चक नं. 2, करावाड़ा चक नं. 2, 3 व 4 गोडपाडा एवं पीपली-बी को सड़क से नहीं जोड़ने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

जी नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 500 व इससे अधिक आबादी की बसावटों को सड़क से जोड़े जाने का प्रावधान है।

मरू एवं जनजाति क्षेत्रों में 250 से 499 तक की आबादी की बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ने का प्रावधान है।

खैरवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम काकण, गडावन, भलून, निचला फला खाण्डी ओबारी, कनबई चक नं. 2, करावाड़ा चक नं. 2, 3 व 4 एवं पीपली-बी डामर सड़क से जुड़े हुए हैं।

राजस्व गांव गोड़पाड़ा वर्ष 2001 के बाद घोषित नया राजस्व गांव है व हैबीटेशन गोड़पाड़ा को डामर सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को वर्ष 2009 में प्रेषित किया गया है-स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य कराया जा सकेगा।

## राड़ावास (शाहपुरा) ग्राम की बस स्टैण्ड की भूमि पर अतिक्रमण

**744. श्री ओम बिरला** (कोटा-दक्षिण) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के ग्राम राड़ावास के बस स्टैण्ड पर सार्वजनिक निर्माण विभाग को आबंटित खसरा नं. 1634 भूमि पर अतिक्रमण है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प.9 (6) राज-6 2004/13 दिनांक 02.07.2004 के द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु 91 (बी) की शक्तियों का प्रयोग क्षेत्र के सम्बन्धित तहसीलदार व नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के ग्राम राड़ावास के बस स्टैण्ड पर सार्वजनिक निर्माण विभाग को आबंटित खसरा नं. 1634 की भूमि पर कुछ लोगों ने अस्थाई अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण को हटाने के लिये उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार सम्बन्धित तहसीलदार को सूचित कर दिया गया है। अस्थाई अतिक्रमणों को समय-समय पर हटाने के प्रयत्न भी किये जाते हैं। पुन: प्रशासन की मदद से इन अतिक्रमणों को हटाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

**परिशिष्ट-1**

**राजस्थान सरकार**

**राजस्व (ग्रुप-6) विभाग**

क्रमांक : प. 9(6)राज-6/2004/13 जयपुर दिनांक 2.7.2004

## अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 260 की उपधारा (1) के (ख) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6 (69)राज-4/74 दिनांक 30-1-75 जिसके द्वारा 91 की शक्तियां सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ताओं की दी गई थीं, को वापिस लिया जाता है अब इन शक्तियों का प्रयोग तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों द्वारा ही किया जायेगा।

**राज्यपाल के आदेश से**

**ह./-**

**उप शासन सचिव**

**परिशिष्ट-2/1**

**फोन : 91-141-2707024**

**राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, यूनिट-III जयपुर**

**राजस्थान सरकार के अधीन**

पंजीकृत आफिस : सेतु भवन, झालाना डूंगरी के सामने, जयपुर आगरा-बाई पास, जयपुर-302004

फाईल नं. : RE/JP-III/2009-10/1020 दिनांक : 30.3.2010

**तहसीलदार,**

**तहसील-शाहपुरा**

**विषय :** ग्राम राड़ावास बस स्टैण्ड पर सार्वजनिक निर्माण विभाग को आबंटित खसरा नं. 1634 में अतिक्रमण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि चौमूं-अजीतगढ़-शाहपुरा सड़क बी.ओ.टी. आधार पर विकास हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम को हस्तान्तरित की गई थी। वर्तमान में सड़क विकास कार्य करवाकर निगम इस पर टोल द्वारा लागत वसूल कर रहा है।

2. उपरोक्त सड़क पर ग्राम राड़ावास बस स्टैण्ड पर सार्वजनिक निर्माण को आबंटित खसरा नं. 1634 में कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिनकी सूची संलग्न है। इस सम्बन्ध में माननीय विधायक महोदय श्री ओम बिड़ला ने विधान सभा में प्रश्न भी उठाया है (प्रति संलग्न)।

3. अत: आपसे निवेदन है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को आबंटित राजकीय भूमि पर से अतिक्रमण हटाने सम्बन्धित कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।

सधन्यवाद।

**भवदीय**

**ह./-**

**आवासीय अभियन्ता**

**परिशिष्ट-2/2**

**फोन : 91-141-2707024**

**राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, यूनिट-III जयपुर**

**राजस्थान सरकार के अधीन**

पंजीकृत आफिस : सेतु भवन, झालाना डूंगरी के सामने, जयपुर आगरा-बाई पास, जयपुर-302004

फाईल नं. : RE/JP-III/2009-10/ दिनांक :

**ग्राम राड़ावास (शाहपुरा) बस स्टैण्ड पर अतिक्रमित दुकानदारों की सूची**

| क्र. सं. | दुकानदार का नाम | दुकान का स्वरूप | स्थान |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री राजू बराला | चाय, दुध की थड़ी | राजकीय अस्पताल के पास |
| 2. | मोची | मोची की थड़ी | राजकीय अस्पताल के पास |
| 3. | श्री मोहन बराला | चाय की थड़ी | राजकीय अस्पताल के पास |
| 4. | श्री बाबूलाल | चाय व ठंडे की थड़ी | राजकीय अस्पताल के पास |
| 5. | श्री रीछपाल बढाई | सब्जी का ठेला | राजकीय अस्पताल के सामने |
| 6. | श्री मनोज | नाई की थड़ी | राजकीय अस्पताल के सामने |
| 7. | श्री हजारी खटीक | खाली दुकान | राजकीय अस्पताल के सामने |
| 8. | श्री मदन सिंह | पान-बीड़ी की थड़ी | राजकीय अस्पताल के सामने |
| 9. | इसके अतिरिक्त राजकीय अस्पताल के सामने दवाइयों की दुकानों के आगे टीन शेड लगे हुए हैं। | | |

## नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र के सड़क विहिन गांव

**745. श्री महेन्द्र सिंह** (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में 0 से 250 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना से प्रभावित कौन-कौन से गांव हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) जी हां। नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में 0 से 250 की आबादी के कुल 13 गांवों में से 6 गांव डामर सड़क से तथा 2 गांव ग्रेवल सड़क से जुड़े हुए हैं, शेष 5 गांव ग्रेवल सड़क स्तर तक महानरेगा योजना में स्वीकृत हैं तथा कार्य प्रगतिरत है।

(2) नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना से प्रभावित 13 गांव हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-अ में प्रस्तुत है।

**परिशिष्ट-"अ"**

**विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 0 से 250 की आबादी वाले गांव जो डामर सड़क से जुड़े नहीं हैं**

**(अ) 2001 की जनगणना के अनुसार घोषित राजस्व गांव**

| क्र. सं. | गांव का नाम | जनगणना 2001 के अनुसार | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | रामपुरा-न्यारा | 203 | डामर सड़क पर स्थित है। |
| 2. | भैरू खेडा | 202 | डामर सड़क पर स्थित है। |
| 3. | बड़ा पत्थर | 170 | डामर सड़क पर स्थित है। |
| 4. | आशापुरा | 200 | डामर सड़क पर स्थित है। |
| 5. | लच्छीपुरा | 191 | डामर सड़क पर स्थित है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6. | राताखेड़ा | 226 | डामर सड़क पर स्थित है। |
| 7. | रघुनाथपुरा | 182 | ग्रेवल सड़क पर स्थित है। |
| 8. | शिवपुरा | 17 | ग्रेवल सड़क पर स्थित है। |
| 9. | भगवानपुरा | 236 | महानरेगा योजनान्तर्गत ग्रेवल स्तर का कार्य प्रगति पर है। |
| 10. | जबरकिया | 64 | महानरेगा योजनान्तर्गत ग्रेवल स्तर का कार्य प्रगति पर है। |
| 11. | बक्तावरपुरा | 26 | महानरेगा योजनान्तर्गत ग्रेवल स्तर का कार्य प्रगति पर है। |
| 12. | कदमपुरा | 211 | महानरेगा योजनान्तर्गत ग्रेवल स्तर का कार्य प्रगति पर है। |
| 13. | राजपुरा | 56 | महानरेगा योजनान्तर्गत ग्रेवल स्तर का कार्य प्रगति पर है। |

## सिवाना विधान सभा क्षेत्र के सड़क विहिन राजस्व गांव

**746. श्री कान सिंह कोटड़ी** (सिवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कितने राजस्व ग्राम स्वयं के पंचायत मुख्यालय से डामर सड़क से जुड़ने शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे गांवों को पंचायत मुख्यालय से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में 39 राजस्व ग्राम स्वयं के पंचायत मुख्यालय से डामर सड़क से जुडे हुए नहीं हैं। सूची परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। राजस्व गांवों को पंचायत मुख्यालयों से परस्पर जोड़ना राज्य सरकार के उपलब्ध संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

**परिशिष्ट-1**

**सिवाना विधान सभा क्षेत्र में स्वयं के पंचायत मुख्यालय से डामर सड़क से नहीं जुडे राजस्व गांवों की सूची**
**वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्व गांवों की स्थिति**

| क्र. सं. | पंचायत मुख्यालय | राजस्व गांव का नाम जो स्वयं के पंचायत मुख्यालय से डामर सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है | जनसंख्या | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **(पंचायत समिति सिवाना)** | | | | |
| 1. | सांवरड़ा | भूति | 154 | |
| 2. | राखी | खेड़ा सुजेर | 0 | |
| 3. | मोतीसरा | रोजियों की ढाणी | 231 | |
| 4. | मवड़ी | निम्बेश्वर | 641 | बसावट को डामर सड़क से जोड़ने हेतु प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं। |
| 5. | काठाड़ी | दरबला | 743 | बसावट को डामर सड़क से जोड़ने हेतु प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **(पंचायत समिति सिवाना)** | | | | |
| 6. | बामसीन | सूईली | 212 | |
| 7. | देवन्दी | बिजलीया | 796 | पीएमजीएसवाई में डामर सड़क स्वीकृत है, न्यायालय में विवादित होने के कारण कार्य बन्द है। |
| **पंचायत समिति सिवाना (वर्ष 2001 की जनगणना के पश्चात् घोषित राजस्व गांव)** | | | | |
| 8. | सिणेर | अन्नपूर्णानगर | 1022 | |
| 9. | सिणेर | भाकरपुरा | 969 | |
| 10. | मोतीसरा | जूनाखेड़ा मोतीसरा | 280 | बसावट को डामर सड़क से जोड़ने हेतु प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं। |
| 11. | इन्द्राणा | कल्याणसिंह की ढाणी | 1069 | बसावट को डामर सड़क से जोड़ने हेतु प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं। |
| 12. | जेठन्तरी | लादूनगर | 400 | |
| 13. | कांखी | रावतनगर | 296 | |
| 14. | धारणा | ताण्डा बेरा | 1202 | बसावट को डामर सड़क से जोड़ने हेतु प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 15. | गोलिया | उमसर | 960 | |
| 16 | मिठौड़ा | उडेलनगर | 1729 | |
| 17. | पादरू | वावनगर | 564 | |
| 18. | कुशीप | रामदेवनगर | 894 | |
| 19. | लालाना | टीकमपुरा | 316 | |
| **(पंचायत समिति सिणधरी)** | | | | |
| 20. | कमठाई | एवाड़ी चौसीरा | 97 | |
| 21. | होड्र | जेरूपाणियों का तला | 880 | कार्य पीएमजीएसवाई में स्वीकृत है परन्तु कटाण मार्ग नहीं होने के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ है। |
| 22. | डंडाली | झरोखा | 55 | |
| 23. | डंडाली | गांगली | 21 | |
| **पंचायत समिति सिणधरी (वर्ष 2001 की जनगणना के पश्चात् घोषित राजस्व गांव)** | | | | |
| 24. | खारा मेहता | बांडा नाडा | 1158 | |
| 25. | खारा मेहता | सजाड़ा | 888 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 26. | खारा मेहता | महादेव नगर | 737 | |
| 27. | कमठाई | नई कमठाई | 818 | |
| 28. | कमठाई | गोसाई नगर | 618 | |
| 29. | कमठाई | शिवनगर टाकू | 447 | |
| 30. | कमठाई | पीपराला | 870 | |
| 31. | कमठाई | नई रानेरी | 481 | |
| 32. | कमठाई | जसनाथ नगर | 378 | |
| 33. | कमठाई | महादेव पुरा | 412 | |
| 34. | कमठाई | शक्ति नगर | 285 | |
| 35. | सिणधरी चौसेरा | गैह्रवाली नाडी | 758 | |
| 36. | भूका भगतसिंह | लोहीड़ी | 1270 | |
| 37. | भूका भगतसिंह | डेरपाना | 827 | |
| 38. | भूका भगतसिंह | शाहनगर | 499 | |
| 39. | डंडाली | धतरवालों की ढाणी | 295 | |

## भरतपुर जिले के प्रतिनियुक्त अध्यापक

**747. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा'** (नदबई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा एसएसए के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के लिए आने जाने हेतु रिक्शा भाड़ा दिया जाता है? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत भुगतान के क्या मानदण्ड हैं? भरतपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का लाभ कौन-कौन से विद्यालय ले रहे हैं तथा उक्त योजना से कितने छात्र/छात्रायें लाभान्वित हो रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति किये जाने पर रोक लगा रखी है? यदि हां, तो नवम्बर, 2009 से फरवरी, 2010 तक जिला भरतपुर में कितने कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सर्व शिक्षा अभियान एक परियोजना है। जिसमें शिक्षा व अन्य विभागों से अधिकारियों/कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है। नवम्बर, 2009 से राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19.01.2010 के द्वारा भरतपुर जिले में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत श्री सतीश कुमार गुप्ता अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के पद पर एवं इसके अतिरिक्त निदेशक प्रा.शि. बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/प्रारं/संस्था/एफ/डीपीईपी/प्रति/503/07 दिनांक 9.11.2009 के अनुसार निम्न कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया :-

| क्र. सं. | कर्मचारी का नाम | पदस्थापन स्थान | प्रतिनियुक्ति स्थान (संदर्भ केन्द्र) |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री दिलीप कुमार | राउप्रावि मथुरागेट, भरतपुर | नदबई |
| 2. | श्री धन सिंह | राउप्रावि मथुरागेट, भरतपुर | भरतपुर |
| 3. | श्री नवल किशोर | राउप्रावि मथुरागेट, भरतपुर | कामां |
| 4. | श्री संतोष कुमार | राप्रावि भावडा गली, बयाना | बयाना |
| 5. | हेमलता कुमारी | राप्रावि काचेरा, रूपवास | रूपवास |

## प्रदेश के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सहायक कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति

**748. डा. रघु शर्मा** (केकड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के कई माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सहायक कर्मचारी का पद स्वीकृत नहीं है? यदि हां, तो क्यों? ऐसे विद्यालयों की संख्या सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) सहायक कर्मचारी पदविहीन विद्यालयों में सफाई, घण्टी बजाना, पोषाहार व अन्य वजनी सामान उठाने आदि कार्य किस तरह संचालित किये जा रहे हैं? क्या उक्त कार्य विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो उक्त कार्य किस प्रकार संचालित हो रहे हैं?

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में सहायक कर्मचारी के पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी हां। राज्य में ऐसे 1522 रामावि. एवं राउमावि हैं जिनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद स्वीकृत नहीं है, का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में पद प्रावधान आबंटन नहीं किये जाने के कारण विद्यालयों में पद स्वीकृत नहीं किये जा सके हैं।

(2) जी नहीं। प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय रख-रखाव (S.F.G.) के तहत उपलब्ध वित्तीय प्रावधान से विद्यालयों में सफाई कार्य करवाया जाता है तथा पोषाहार वितरण विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है।

जी नहीं। माध्यमिक शिक्षान्तर्गत विद्यालय विकास समिति एवं संस्था प्रधान के स्तर पर अस्थाई व्यवस्था कर विद्यालय में सफाई एवं वजनी सामान इधर-उधर करने का कार्य करवाया जाता है।

(3) राज्य सरकार को इन विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद प्रावधान हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये हुये हैं। राज्य सरकार द्वारा पद प्रावधान का आबंटन किये जाने पर ही विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पद स्वीकृत किये जा सकेंगे।

**परिशिष्ट "क"**

**राउमावि/रामावि जिनमें च. श्रे. कर्मचारी का पद स्वीकृत नहीं है**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | चूरू | 152 | 18. | झालावाड़ | 193 |
| 2. | हनुमानगढ़ | 35 | 19. | बारां | 146 |
| 3. | झुन्झुनूं | 143 | 20. | भरतपुर | 147 |
| 4. | बीकानेर | 92 | 21. | धौलपुर | 89 |
| 5. | श्रीगंगानगर | 152 | 22. | सवाईमाधोपुर | 128 |
| 6. | उदयपुर | 191 | 23. | करौली | 61 |
| 7. | राजसमन्द | 141 | 24. | जालौर | 105 |
| 8. | चित्तौड़गढ़ | 141 | 25. | सिरोही | 83 |
| 9. | डूंगरपुर | 155 | 26. | पाली | 182 |
| 10. | बांसवाड़ा | 108 | 27. | बाड़मेर | 189 |
| 11. | प्रतापगढ़ | 55 | 28. | जैसलमेर | 38 |
| 12. | अजमेर | 167 | 29. | जोधपुर | 181 |
| 13. | भीलवाड़ा | 167 | 30. | जयपुर | 238 |
| 14. | टोंक | 227 | 31. | अलवर | 236 |
| 15. | नागौर | 122 | 32. | सीकर | 193 |
| 16. | कोटा | 83 | 33. | दौसा | 102 |
| 17. | बून्दी | 87 | | **योग** | **4529** |

## विद्यालयों में कार्यरत अस्थाई दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण

**749. श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पांच वर्षों से अधिक समय से विद्यालयों में कार्यरत अस्थायी दैनिक वेतनभोगी एवं विद्यालयों के निजी कोष से वेतन प्राप्त करने वाले सफाई कर्मचारियों के संबंध में सरकार द्वारा आदेश/परिपत्र जारी किये हुए हैं? यदि हां, तो क्या? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सफाई कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी एवं रिक्त पदों को ध्यान में रखकर पूर्व में कार्यरत उक्त प्रकार के कर्मचारियों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस बाबत की जा रही कार्यवाही की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो क्यों?

(3) क्या जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) टोंक द्वारा प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलीगढ़ (टोंक) को पत्र क्रमांक जिशिअ/मा/टोंक/सा-3/09/फा/प्रभारीमंत्रि/950 दिनांक 20.10.2009 लिखा गया है? यदि हां, तो उक्त पत्र तथा संलग्न पत्रों की प्रति सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां। आदेश दिनांक 24.06.1991 की छाया प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। अस्थाई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लगाये जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक प.13(15)सा.प्र./3/83 दिनांक 24.06.1991 के द्वारा पूर्णतया प्रतिबन्ध है। अत: प्रतिबन्ध होने के कारण जब लगाया ही नहीं जा सकता तो नियमित करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

(3) जी हां। श्री रूपनारायण पुत्र श्री जम्बूराम हरिजन को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलीगढ़ (टोंक) की विकास समिति के द्वारा सफाई कार्य हेतु लगाया हुआ है तथा विद्यालय विकास समिति के द्वारा ही इन्हें भुगतान किया जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) टोंक के पृष्ठांकित पत्र दिनांक 20.10.2009 की प्रति एवं संलग्न पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं।

**(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## पुस्तकालयाध्यक्षों को चयनित वेतनमान

**750. श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती से नियुक्त द्वितीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्षों को चयनित वेतनमान देने के क्या नियम/निर्देश हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अलग-अलग संभागों में द्वितीय श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्षों को नियमित 18 वर्ष की सेवा में चयनित वेतनमान देने के अलग-अलग मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो संभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर संभाग में चयनित वेतनमान 18 वर्ष की सेवा के पश्चात् भी नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या चयनित वेतनमान की गणना नियुक्ति तिथि से देने के आदेश विभिन्न न्यायालयों ने दिये हैं? यदि हां, तो कब व क्या?

## उत्तर

(1) वित्त विभाग के आदेशांक : एफ.20(1)एफडी/ग्रुप-2/92 दिनांक 25.1.1992 द्वारा अराजपत्रित कार्मिकों को 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिये जाने के आदेश जारी किये गये। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक : एफ.16(5)एफडी/रूल्स/98 दिनांक 07.08.98 द्वारा अध्यापकों/पुस्तकालयाध्यक्षों एवं प्रयोगशाला सहायकों को चयनित वेतनमान देने के आदेश जारी किये गये, जिसके अनुसार दिनांक 01.07.98 से पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II को 10 वर्ष की नियमित सेवा पर वरिष्ठ वेतनमान एवं वरिष्ठ वेतनमान में 8 वर्ष पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान दिये जाने का प्रावधान किया गया। उक्त आदेशों की छाया प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विभाग के सभी कार्मिकों पर समान रूप से लागू है।

(3) जी नहीं। जयपुर संभाग के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को प्रश्न के खण्ड-1 में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत आने वालों को निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने के पश्चात् स्वीकृति जारी की जाती है।

(4) जी हां। विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की पालना में राज्य सरकार के पत्रांक प.18( )प्रांशिक्षा/विधि प्रकोष्ठ/2001/600 दिनांक 28.6.2001 तथा विभाग के पत्रांक : शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-2/12811/99 दिनांक 31.7.2001 की पालना में प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान दिये जाने का

(शिक्षा मंत्री)

प्रावधान किया गया। राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.5.09 की पालना में वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशांक : एफ-16(2) एफडी/रूल्स/98 दिनांक 29.6.99 एवं 31.12.09 के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना की जाकर 9, 18 एवं 27 वर्षीय ए.सी.पी. स्वीकृत किया जा रहा है।

**(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

**751. श्री रामस्वरूप कसाना** (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में गत एक वर्ष में कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष ग्राम पंचायतों में भी संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम पंचायत द्वारिकापुर मीरपुर फार्म के रा.उ.प्रा.वि. को माध्यमिक विद्यालय में वर्ष 2009-10 में क्रमोन्नत किया गया है।

(2) जी हां। शेष रही माध्यमिक विद्यालय विहीन ग्राम पंचायतों के राउप्रावि. को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

## श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले के विद्यालयों में रिक्त पद

**752. श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं और उन स्वीकृत पदों की तुलना में कितने पद रिक्त हैं? सरकार रिक्त पदों पर अध्यापकों का कब तक पदस्थापन करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि अध्यापकों की भर्ती के लिए लगभग दो वर्ष पहले

(श्री अभिषेक मटोरिया)

लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती हेतु आवेदन मांगे गए थे? क्या उक्त भर्ती प्रक्रिया रूकी पड़ी है? यदि हां, तो क्यों?

## उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर में माध्यमिक शिक्षा में अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से है :-

| प्रारम्भिक शिक्षा विभाग | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | जिला | स्वीकृत पद | | | रिक्त पद | | |
| | | II ग्रेड | III ग्रेड | प्रबो. | II ग्रेड | III ग्रेड | प्रबो. |
| 1. | श्रीगंगानगर | 1014 | 6791 | 682 | 214 | 1764 | 115 |
| 2. | हनुमानगढ़ | 725 | 4561 | 475 | 171 | 603 | 112 |
| **माध्यमिक शिक्षा विभाग** | | | | | | | |
| क्र. सं. | जिला | स्वीकृत पद | | | रिक्त पद | | |
| | | I ग्रेड | II ग्रेड | III ग्रेड | I ग्रेड | II ग्रेड | III ग्रेड |
| 1. | श्रीगंगानगर | 549 | 1022 | 317 | 266 | 249 | 114 |
| 2. | हनुमानगढ़ | 453 | 959 | 381 | 217 | 306 | 169 |

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर उक्त रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(2) जी हां। अध्यापकों की भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश एवं कतिपय प्रक्रिया संबंधी कारणों से विगत वर्षों में विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है।

## आसीन्द विधान सभा क्षेत्र के पेयजल व्यवस्था रहित विद्यालय

**753. श्री रामलाल गुर्जर** (आसीन्द) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में पेयजल व्यवस्था रहित कितने प्राइमरी, मिडिल, सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी विद्यालय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में पेयजल रहित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में पेयजल व्यवस्था रहित विद्यालयों का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र. सं. | नाम विद्यालय |
|---|---|
| 1. | राउमावि भादसी |
| 2. | राउमावि जगपुरा |
| 3. | रामावि भोजपुर |
| 4 | रामावि पडासोली |
| 5. | रामावि आमेसर |
| 6. | रामावि गांगलास |
| 7. | रामावि बराणा |
| 8. | रामावि धोली (मोतीपुरा) |
| 9. | रामावि कांवलास |
| 10. | रामावि गागेडा |
| 11. | राउमावि कवलियास |
| 12. | रामावि दातडा |
| 13. | रामावि तस्वारिया |
| 14. | रामावि बराटिया |
| 15. | रामावि उखलिया |

परिशिष्ट-क

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के पेयजल व्यवस्था रहित विद्यालयों की सूची

| S. No. | Bikname | Sch name |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | AASIND | GGUPS JAGPURA |
| 2. | AASIND | GPS AHIRON KA KHEDA |
| 3. | AASIND | GGUPS KATAR |
| 4. | AASIND | GGUPS AAKADSADA |
| 5. | AASIND | GGUPS B K SARERI |
| 6. | AASIND | GGUPS MOD KA NIMBAHEDA |
| 7. | AASIND | GGUPS MOTRAS |
| 8. | AASIND | GGUPS SANGRAMGARH |
| 9. | AASIND | GGUPS SHAMBHUBARH |
| 10. | AASIND | GPS KATAR |
| 11. | AASIND | GPS WORD NO 15 BHILON KI JHO |
| 12. | AASIND | GPS ANTALI |
| 13. | AASIND | GPS BAKHATA KA KHEDA |
| 14. | AASIND | GPS BANIO KA BANDA |
| 15. | AASIND | GPS BHAWANPURA |
| 16. | AASIND | GPS BHAWANPURA |
| 17. | AASIND | GPS BHARUPURA |
| 18. | AASIND | GPS BRAMHNO KA KHEDA |
| 19. | AASIND | GPS CHINPURA |
| 20. | AASIND | GPS DHARDIYA KI BADIA |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 21. | AASIND | GPS GAJSIHNGPURA |
| 22. | AASIND | GPS GANDHI NAGAR |
| 23. | AASIND | GPS GANGARMA KI JHONPARIYA |
| 24. | AASIND | GPS GOVELIYA |
| 25. | AASIND | GPS HATAN |
| 26. | AASIND | GPS HATUNDI |
| 27. | AASIND | GPS JAGURA |
| 28. | AASIND | GPS KACHHIYON KI BERI |
| 29. | AASIND | GPS KALAMAGRA |
| 30. | AASIND | GPS KEMIRYA |
| 31. | AASIND | GPS KISHANPURA |
| 32. | AASIND | GPS KISHANPURA |
| 33. | AASIND | GPS KUMLAI |
| 34. | AASIND | GPS LADPURA |
| 35. | AASIND | GPS LAXMIPURA |
| 36. | AASIND | GPS MOD KA NIMBAHEDA |
| 37. | AASIND | GPS NARAYANPURA |
| 38. | AASIND | GPS NEW BASTI BARSANI |
| 39. | AASIND | GPS RAGHUNATHPURA DHAU KA KHE |
| 40. | AASIND | GPS RAGUNATH PURA |
| 41. | AASIND | GPS RAJPURA |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 42. | AASIND | GPS RAMNAGAR |
| 43. | AASIND | GPS RAMPURA |
| 44. | AASIND | GPS REGARON KA BADIA |
| 45. | AASIND | GPS SABAL SAGAR |
| 46. | AASIND | GPS SANGRAMPURA |
| 47. | AASIND | GPS SHAMBUGARH |
| 48. | AASIND | GPS TULCHA KA KHEDA |
| 49. | AASIND | GPS WARD NO. 5 |
| 50. | AASIND | GSKPS AANADIPUR |
| 51. | AASIND | GUPS (SANSKRIT) JALRA |
| 52. | AASIND | GUPS BALAPURA |
| 53. | AASIND | GUPS BALEB |
| 54. | AASIND | GUPS BAMANI |
| 55. | AASIND | GUPS BARNI |
| 56. | AASIND | GUPS CHOTIYAS |
| 57. | AASIND | GUPS DADAVAT SABALPURA |
| 58. | AASIND | GUPS DHULEHPURA |
| 59. | AASIND | GUPS GAYALON KA KHERA |
| 60. | AASIND | GUPS GAYRLA KHEDA |
| 61. | AASIND | GUPS GENPURA |
| 62. | AASIND | GUPS GOPALPURA |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 63. | AASIND | GUPS GOVINDPURA |
| 64. | AASIND | GUPS GOVINDPURA |
| 65. | AASIND | GUPS JAISINGHPURA |
| 66. | AASIND | GUPS JAITPURA |
| 67. | AASIND | GUPS JALRA |
| 68. | AASIND | GUPS JARDHU KA KHEDA |
| 69. | AASIND | GUPS JAYNAGAR |
| 70. | AASIND | GUPS JODHDAS |
| 71. | AASIND | GUPS KARANGARH |
| 72. | AASIND | GUPS MEPHLYAS |
| 73. | AASIND | GUPS NEGHIDYA |
| 74. | AASIND | GUPS RAIRA |
| 75. | AASIND | GUPS SABDADA |
| 76. | AASIND | GUPS SALARMALA |
| 77. | AASIND | GUPS SANK. AAMLI KHEDA KI JHO. |
| 78. | AASIND | GUPS SHETLA KA CHOUDA |
| 79. | AASIND | SANSKRIT GUPS PALADI |

## राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कादेड़ा, अजमेर के मृतक आश्रित को नियुक्ति

**754. श्री अशोक परनामी** (आदर्श नगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कादेड़ा जिला अजमेर में जनवरी 2002 में सहायक कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए हुई थी? यदि हां, तो कब एवं उनके परिवार में कौन-कौन आश्रित थे एवं मृत्यु के उपरान्त मृतक के सेवा परिलाभ की राशि किस व्यक्ति को किस आधार पर भुगतान की गई? क्या उक्त मृतक के सेवा परिलाभ की राशि उनके दत्तक पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार को दी गई थी? यदि हां, तो किस आधार पर एवं कितनी राशि? मृतक के आश्रितों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मृतक के दत्तक पुत्र ने अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ गोदनामा, मृतक के सेवा अभिलेख में वारिस के स्थान पर भी दत्तक पुत्र का नाम अंकित होने तथा राजस्व रिकार्ड आदि के सभी प्रमाण प्रस्तुत किये हैं? यदि हां, तो आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रति सहित आवेदन पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आवेदक के आवेदन में किसी कमी के बारे में प्रार्थी को सूचित किया गया था? यदि हां, तो कब एवं इस हेतु जारी पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें तथा यह भी बतावें कि उक्त आवेदन पत्र को किस आधार पर नियुक्ति हेतु वैध नहीं माना गया?

(4) मृतक के दत्तक पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु क्या-क्या प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं एवं प्रार्थी द्वारा कौन-कौन से दस्तावेजों के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया गया? दत्तक पुत्र के उक्त नियुक्ति हेतु नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के मृतक राज्य कर्मी के परिवार को लगभग 8 वर्षों से उक्त लाभ से वंचित किया गया है? यदि हां, तो क्यों एवं किस आधार पर तथा सरकार द्वारा अब कब तक प्रार्थी को नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी?

### उत्तर

(1) जी हां। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कादेड़ा जिला अजमेर में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री रामस्वरूप बलाई का राज्य सेवा में रहते दिनांक

(शिक्षा मंत्री)

23.01.2002 को निधन हो गया था। स्व. श्री बलाई निधन के समय विधुर था, तथा उनकी अपनी कोई सन्तान नहीं थी। मृत्यु के पश्चात् मृतक कर्मचारी के सेवा परिलाभ की राशि मृतक द्वारा किये गये मनोनयन के आधार पर श्री राजेन्द्र कुमार बलाई को दी गई। पेंशन विभाग द्वारा कर्मचारी के मनोनयन के आधार पर राशि रुपये 1,21,821/- मात्र का भुगतान किया गया। मृतक कर्मचारी मृत्यु के समय विधुर थे तथा आश्रितों की सूची में उसके सन्तान होने का उल्लेख नहीं है।

(2) स्व. श्री रामस्वरूप बलाई की मृत्यु के पश्चात् श्री राजेन्द्र कुमार बलाई ने दत्तक पुत्र के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया, आवेदन पत्र के साथ में केवल गोदनामा प्रस्तुत किया गया अन्य दस्तावेज यथा सेवा अभिलेख में दत्तक पुत्र अंकित होने तथा राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज की छाया प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी हां। जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) अजमेर द्वितीय के द्वारा पत्र दिनांक 5.5.2006 के द्वारा अवगत कराया गया था कि उनके द्वारा प्रस्तुत गोदनामा वैध नहीं होने एवं गोद लेते समय अधिक आयु होने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है। जारी पत्र दिनांक 05.05.2006 की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(4) मृतक के तथाकथित दत्तक पुत्र का आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण नहीं, अपितु गोदनामा वैध नहीं पाये जाने के कारण नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना गया। हिन्दू दत्तक तथा भरणपोषण अधिनियम-1956 के नियम-10 (IV) के अनुसार आवेदक को वैध दत्तक पुत्र नहीं पाया गया, नियम की छाया प्रति परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। प्रश्न के खण्ड-04 के अनुसार।

**(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## राजकीय भैरव उच्च माध्यमिक विद्यालय भीण्डर (उदयपुर) के व्याख्याताओं को चयनित वेतनमान

**755. श्रीमती सज्जन कटारा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय भैरव उच्च माध्यमिक विद्यालय भीण्डर जिला उदयपुर में कार्यरत अध्यापकों/व्याख्याताओं के छठे वेतनमान का स्थरीकरण एवं चयनित वेतनमान के लाभ तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की

(श्रीमती सज्जन कटारा)

क्रियान्वित के प्रकरण लम्बित हैं? यदि हां, तो किस-किस का कब-कब से एवं क्यों? प्रत्येक प्रकरण का विवरण कारण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि माननीय उच्च न्यायालय के वर्ष 2008 में निर्णित मामलों की अभी तक क्रियान्विति नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? सरकार द्वारा इसकी क्रियान्विति हेतु क्या-क्या प्रयास कब-कब किये? विभाग द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित पत्र एवं सरकार द्वारा विभाग को प्रेषित पत्रों की प्रति तथा इस पर की गई कार्यवाही का विवरण न्यायालय के निर्णय की प्रति तथा विभाग द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित पत्र दिनांक 6.01.2010 की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार यह मानती है कि उक्त तीनों प्रकार के प्रकरणों में काफी विलम्ब हुआ है? यदि हां, तो इसके लिये प्रत्येक प्रकरण में किस-किस अधिकारी/कर्मचारी को दोषी माना गया? क्या सरकार दोषियों को दंडित करने एवं उक्त लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कर पीड़ितों को राहत पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त लम्बित प्रकरणों में पीड़ित अध्यापकों/व्याख्याताओं के ज्ञापन/प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो कब-कब एवं प्रत्येक पर क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई? प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति एवं विभाग द्वारा प्रत्येक पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) राजकीय भैरव उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीण्डर जिला उदयपुर में कार्यरत अध्यापकों/व्याख्याताओं के छठे आयोग का स्थिरीकरण एवं चयनित वेतनमान के लम्बित प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.11.2008 के विरुद्ध माननीय खण्डपीठ में स्पेशल अपील दायर करने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया है लेकिन खण्डपीठ द्वारा अभी तक स्थगन नहीं दिया गया हैं। इस सन्दर्भ में माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति तथा राज्य सरकार को लिखे गये पत्र दिनांक 06.01.2010 की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) जी हां। खण्ड 01 में वर्णित विवरणानुसार किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि ए.सी.पी. एवं वेतनमान स्वीकृति हेतु संवर्गवार नियमानुसार प्राप्त प्रकरणों पर सक्षम अधिकारियों के द्वारा स्वीकृतियां/अनुमोदन किया जाता है।

(शिक्षा मंत्री)

(4) श्री नरेन्द्र कुमार नलवाया के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत वेतनमान एवं चयनित वेतनमान स्वीकृति के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी, इस सन्दर्भ में सम्पूर्ण स्थिति का हवाला देते हुए प्रकरण में वित्त विभाग से मार्गदर्शन चाहा गया है।

**(विवरण व प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)**

## उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के रिक्त पद

**756. श्री अजय सिंह** (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी, बी.एड. कालेज, बी.एस.टी.सी. स्कूलों में कितने पुस्तकालयाध्यक्ष के पद स्वीकृत हैं व उनमें कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने पुस्तकालयाध्यक्षों के पद समाप्त कर दिये हैं? यदि नहीं, तो इन पदों पर कब तक भर्ती की जावेगी?

## उत्तर

(1) राज्य में सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी, बी.एड. कालेजों एवं बी.एस.टी.सी. स्कूलों (डाईटों) में पुस्तकालयाध्यक्षों के स्वीकृत व उनमें रिक्त पदों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2003-04 में पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II का 01 पद तथा 2005-06 में पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II के 02 पद एवं पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III के 22 पद समाप्त किये गये हैं। रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरे जा सकेंगे।

**परिशिष्ट- "क"**

| क्र. सं. | जिले का नाम | पुस्तकालध्यक्ष I ग्रेड | | पुस्तकालध्यक्ष II ग्रेड | | पुस्तकालध्यक्ष III ग्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त | स्वीकृत | रिक्त |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | चूरू | 0 | 0 | 45 | 15 | 49 | 0 |
| 2. | हनुमानगढ़ | 0 | 0 | 34 | 19 | 58 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | झुन्झुनूं | 1 | 1 | 55 | 7 | 84 | 0 |
| 4. | बीकानेर | 4 | 2 | 33 | 10 | 65 | 17 |
| 5. | श्रीगंगानगर | 1 | 0 | 25 | 9 | 64 | 16 |
| 6. | उदयपुर | 2 | 0 | 55 | 3 | 116 | 20 |
| 7. | राजसमन्द | 0 | 0 | 25 | 3 | 52 | 10 |
| 8. | चित्तौड़गढ़ | 0 | 0 | 51 | 6 | 53 | 3 |
| 9. | डूंगरपुर | 1 | 1 | 26 | 1 | 45 | 1 |
| 10. | बांसवाड़ा | 0 | 0 | 28 | 8 | 63 | 0 |
| 11. | प्रतापगढ़ | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 3 |
| 12. | अजमेर | 1 | 1 | 43 | 2 | 101 | 3 |
| 13. | भीलवाड़ा | 1 | 1 | 39 | 7 | 98 | 7 |
| 14. | टोंक | 1 | 0 | 30 | 0 | 51 | 2 |
| 15. | नागौर | 1 | 0 | 47 | 19 | 111 | 10 |
| 16. | कोटा | 3 | 3 | 30 | 1 | 50 | 2 |
| 17. | बून्दी | 1 | 1 | 22 | 5 | 39 | 0 |
| 18. | झालावाड़ | 1 | 1 | 29 | 11 | 36 | 0 |
| 19. | बारां | 1 | 1 | 20 | 7 | 40 | 0 |
| 20. | भरतपुर | 3 | 2 | 41 | 4 | 93 | 0 |
| 21. | धौलपुर | 1 | 1 | 12 | 4 | 36 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | सवाईमाधोपुर | 1 | 0 | 22 | 0 | 45 | 3 |
| 23. | करौली | 1 | 1 | 24 | 1 | 49 | 6 |
| 24. | जालौर | 0 | 0 | 25 | 8 | 44 | 6 |
| 25. | सिरोही | 1 | 0 | 20 | 3 | 39 | 2 |
| 26. | पाली | 2 | 1 | 41 | 6 | 78 | 3 |
| 27. | बाडमेर | 1 | 0 | 31 | 13 | 57 | 17 |
| 28. | जैसलमेर | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 3 |
| 29. | जोधपुर | 2 | 0 | 53 | 2 | 86 | 0 |
| 30. | जयपुर | 5 | 3 | 98 | 9 | 146 | 3 |
| 31. | अलवर | 3 | 1 | 72 | 21 | 111 | 2 |
| 32. | सीकर | 1 | 0 | 46 | 10 | 91 | 0 |
| 33. | दौसा | 0 | 0 | 27 | 2 | 48 | 1 |
| | **योग** | **40** | **21** | **1175** | **220** | **2132** | **148** |

**परिशिष्ट "क"**

**प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित डाइटस में पुस्तकालयाध्यक्ष के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का जिलेवार संख्या विवरण**

| क्र. सं. | जिला | पुस्तकालयाध्यक्ष पद | |
|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत पद | रिक्त पद |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | जयपुर | 01 | — |
| 2. | सीकर | 01 | — |
| 3. | अलवर | 01 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | दौसा | — | — |
| 5. | जोधपुर | 01 | — |
| 6. | पाली | 01 | 01 |
| 7. | सिरोही | 01 | — |
| 8. | जालौर | 01 | 01 |
| 9. | बाड़मेर | 01 | 01 |
| 10. | जैसलमेर | 01 | 01 |
| 11. | उदयपुर | 01 | — |
| 12. | डूंगरपुर | 01 | 01 |
| 13. | बांसवाड़ा | 01 | — |
| 14. | राजसमन्द | 01 | 01 |
| 15. | चित्तौड़गढ़ | 01 | 01 |
| 16. | अजमेर | 01 | 01 |
| 17. | भीलवाड़ा | 01 | — |
| 18. | नागौर | 01 | — |
| 19. | टोंक | 01 | — |
| 20. | चूरू | 01 | — |
| 21. | झुंझुनूं | 01 | — |
| 22. | बीकानेर | 01 | — |
| 23. | श्रीगंगानगर | 01 | — |
| 24. | हनुमानगढ़ | 01 | 01 |
| 25. | कोटा | 01 | — |
| 26. | बून्दी | 01 | — |
| 27. | झालावाड़ | 01 | — |
| 28. | बारां | — | — |
| 29. | भरतपुर | 01 | — |
| 30. | करौली | 01 | — |
| 31. | सवाईमाधोपुर | 01 | 01 |
| 32. | धौलपुर | 01 | — |
|  | **योग** | **30** | **10** |

## आवासीय सार्दुल स्पोर्टस विद्यालय बीकानेर में चिकित्सा सुविधा

757. **सुश्री सिद्धीकुमारी** (बीकानेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने राज्य के एक मात्र आवासीय सार्दुल स्पोर्टस स्कूल बीकानेर में खिलाड़ी छात्रों को चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने हेतु स्थायी चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मी का पद स्वीकृत किया है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो उक्त पद कब तक स्वीकृत कर दिया जावेगा?

(2) विद्यालय के प्रधानाचार्य पद पर किस स्तर के अधिकारी को पदस्थापित किया गया है? क्या पदस्थापित वर्तमान प्रधानाचार्य उप निदेशक के स्तर का है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उप निदेशक स्तर के अधिकारी को प्रधानाचार्य पद पर लगाये जाने का विचार रखती है?

### उत्तर

(1) जी नहीं। निदेशालय में नर्सिंग कर्मचारी का पद स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर के खिलाडियों एवं प्रतियोगिताओं में छात्र/छात्राओं को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु सृजित किया हुआ है। आवासीय सार्दुल स्पोर्टस, बीकानेर में स्थायी चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मचारी का पद स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद का अतिरिक्त कार्यभार उप प्रधानाचार्य सार्दुल स्पोर्टस स्कूल को दिया हुआ है। विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा प्रधानाचार्य (उपनिदेशक के समक्ष) पद हेतु आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जा सकेगा।

## जयपुर के विद्यालयों में विज्ञान विषयाध्यापक

758. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक व्यवस्था कब से लागू है तथा इसके क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदंडों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर भी अध्यापकों को शैक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत लगाया जाता है? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि सत्र 2009-10

(श्री हनुमान बेनीवाल)

में जयपुर शहर के विद्यालयों में स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर भी शैक्षिक व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो क्यों तथा कहां-कहां? विद्यालयों व शिक्षकों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) दिसम्बर, 2009 से जयपुर शहर के किन-किन विद्यालयों में विज्ञान विषय का शिक्षण शिक्षकों की व्यवस्था न होने के कारण बाधित है तथा किन-किन विद्यालयों में इसी विषय का विषयाध्यापक होते हुए भी अतिरिक्त विषयाध्यापक लगाया गया? क्या इसके लिए संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य द्वारा मांग की गई है? यदि हां, तो प्रधानाचार्य द्वारा दिये गये मांग पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा असत्य शिकायतों पर अंकुश लगाने के लिए शिकायतकर्ता कर्मचारी से शपथ पत्र लेना अनिवार्य किया गया है? यदि हां, तो झूंठी शिकायत करने वाले कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि अपने अधिकारियों के विरुद्ध सीधे प्रेस के माध्यम से आरोप लगाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत कार्यवाही करने का प्रावधान है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत व क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक व्यवस्था हेतु जारी पत्र दिनांक 11.8.2009 की छाया प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जयपुर शहर के रा.उ.मा.वि. श्योपुर की वरिष्ठ अध्यापिका विज्ञान, श्रीमती संगीता सारस्वत का आवेदन पत्र प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. बाढदेवरी, जयपुर ने श्रीमती सारस्वत को रा.उ.मा.वि. बाढदेवरी में वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) के पद विरुद्ध लगाये जाने की अभिशंसा की गई थी। श्रीमती सारस्वत द्वारा प्रधानाचार्य, राउमावि, श्योपुर के विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप लगाने से विद्यालय के वातावरण दूषित होने की स्थिति को देखते हुए श्रीमती सारस्वत को पूर्णतया अस्थाई रूप से शैक्षिक व्यवस्थार्थ लगाया गया था।

(3) वर्तमान में संकलित सूचना के आधार पर राउमावि., श्योपुर में विज्ञान विषय का शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है तथा राउमावि, बाढदेवरी, जयपुर में विज्ञान विषय का अध्यापक होते हुए अतिरिक्त विज्ञान विषयाध्यापक लगाया हुआ है। संस्था प्रधान राउमावि, बाढदेवरी द्वारा विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) के रिक्त पद पर श्रीमती सारस्वत को लगाये जाने की अभिशंसा की गई थी। संस्था प्रधान द्वारा श्रीमती सारस्वत के मूल पत्र पर की गई अभिशंसा का पत्र परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(4) जी नहीं। शिकायत प्राप्त होने पर प्राथमिक जांच करवाये जाने का प्रावधान है। यदि प्राप्त शिकायत असत्य पाई जाती है तो उसे नस्तीबद्ध कर दिया जाता है।

(5) सीसीए नियमों के उप नियम-10 के अनुसार कार्मिक बिना अनुमति प्रेस, रेडियो में किसी भी प्रकार के विचार व्यक्त नहीं कर सकता है लेकिन ऐसे कार्य पर लागू नहीं होगा जो कि शुद्ध रूप से वैज्ञानिक साहित्य या कलात्मक प्रवृति हो एवं अन्य कानून से प्रतिबन्धित नहीं हो।

**परिशिष्ट-क**

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर**

क्रमांक : शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12155/08/116 दिनांक 11.08.2009

1. **समस्त उप निदेशक (माध्यमिक)**
2. **समस्त जिला शिक्षा अधिकारी**
   **(माध्यमिक)**

**विषय :** शिक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में।

**प्रसंग :** राज्य सरकार का पत्रांक प.17(1) शिक्षा-2/2002/दिनांक 11.08.2009

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विद्यालयों में रिक्त पदों के कारण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित नहीं हो इसके लिए इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.06.2009 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में आवश्यकतानुसार शिक्षकों को शिक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत जिला कलक्टर से अनुमोदन कराये जाने के बाद लगायें।

प्रासंगिक पत्र के क्रम में उक्त आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देशित किया जाता है कि शिक्षण व्यवस्था का अनुमोदन सम्बन्धित उप निदेशक से प्राप्त करें।

**ह./**
**संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)**
**माध्यमिक शिक्षा राजस्थान**
**बीकानेर**

**परिशिष्ट-ख**

**उपनिदेशक महोदय / जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम**
**माध्यमिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा**
**जयपुर सम्भाग, / जयपुर**
**जयपुर**

महोदय,

**जयपुर शहर से शहर में स्थानांतरण/पदस्थापन किये जाने के क्रम में**

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्योपुर, जयपुर में वरिष्ठ अध्यापिका विज्ञान पद पर कार्यरत हूं तथा निम्न कारणों से अपना स्थानांतरण किसी नजदीकी विद्यालय में चाहती हूं :—

1. मेरी माताजी जो कि लगभग 70 वर्ष की आयु की हैं एवं प्राय: बीमार रहती हैं तथा मेरा कोई भाई न होने के कारण मुझ पर पूरी तरह आश्रित हैं। उनकी देख-रेख की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। समय-समय पर मुझे उनको अस्पताल/डाक्टर के पास ले जाना होता है।
2. मेरी सास जो कि लगभग 80 वर्ष की आयु की हैं तथा मेरे साथ ही रहती हैं, उनकी इस वृद्धावस्था में देख-रेख भी मुझे ही करनी होती है।
3. मैने अपने सेवाकाल में लम्बे समय तक ग्रामीण अंचल में एवं तत्पश्चात् शहरी विद्यालयों में कार्यरत रहते हुए उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दिये हैं जिसके लिये मुझे विभागीय प्रशंसा-पत्र भी प्रदान किये गये हैं।
4. मेरे पति भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर में कार्यरत हैं तथा उनका स्थानांतरण राजस्थान में अन्यत्र शाखा न होने के कारण सम्भव नहीं है।
5. मुझे पथरी की शिकायत होने के कारण किसी भी समय असह्नीय वेदना हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में मुझे शीघ्र चिकित्सक की सहायता लेनी पड़ती है।
6. जयपुर शहर में मुझसे अधिक ठहराव वाले अनेकों शिक्षक अभी भी कार्यरत हैं तथा मुझसे विभाग को कभी कोई शिकायत भी नहीं रही है।

अत: प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर महोदय से विनम्र निवेदन एवं आशा है कि मेरी पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरा स्थानांतरण रा.मा.वि. बाढ़देवरी/किरण पथ,

मानसरोवर, जयपुर में करने के आदेश पारित करवाकर मुझे अनुग्रहीत करेंगे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

**भवदीया,**

**ह./-**

**(संगीता सारस्वत)**

**वरिष्ठ अध्यापिका विज्ञान**

**राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,**

**श्योपुर, जयपुर**

**स्थानीय पता :—**

**75/7ए शिप्रा पथ, मानसरोवर,**

रा.मा.वि. बाढ़देवरी में वरि. अध्यापक (सामान्य) का स्वीकृत पद रिक्त है। श्रीमती संगीता सारस्वत का उक्त विद्यालय में पदस्थापन किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

**ह./-**

**प्रधानाध्यापक**

**राजकीय माध्यमिक विद्यालय,**

**मानसरोवर, जयपुर**

## धौलपुर जिले के शेरगढ़ एवं बाड़ी के किलों पर अतिक्रमण

**759. श्री अब्दुल सगीर खां** (धौलपुर) : क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला धौलपुर में शेरगढ़ का किला एवं बाड़ी का किला ऐतिहासिक स्थल है?

(2) क्या यह भी सही है कि बाड़ी किले में न्यायालय के कार्यालय संचालित हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त किलों में अतिक्रमण कर लिये गये हैं? क्या सरकार अतिक्रमण हटवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और कैसे?

## उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। शेरगढ़ का किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है, जिस पर अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी कार्यवाही उनके द्वारा की जा रही है। बाड़ी के किले में कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य कोई अतिक्रमण नहीं है।

## बूंदी नगर के पर्यटन स्थलों का सौन्दर्यकरण

**760. श्री अशोक डोगरा** (बून्दी) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दस वर्षों में पर्यटन नगरी बून्दी में भ्रमण हेतु कितने देशी एवं विदेशी पर्यटक आये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बून्दी में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए बून्दी के सौन्दर्य एवं सफाई व्यवस्था के मध्यनजर कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) वर्ष 2000 से 2009 तक बून्दी में आये देशी एवं विदेशी पर्यटकों का विवरण निम्नानुसार है :-

| वर्ष | देशी | विदेशी | योग |
|---|---|---|---|
| 2000 | 30443 | 10568 | 41011 |
| 2001 | 20911 | 4334 | 25245 |
| 2002 | 11811 | 4000 | 15811 |
| 2003 | 17041 | 6916 | 23957 |
| 2004 | 14296 | 5516 | 19812 |
| 2005 | 21582 | 7866 | 29448 |
| 2006 | 24332 | 9072 | 33404 |
| 2007 | 34781 | 10665 | 45446 |
| 2008 | 50406 | 13244 | 63650 |
| 2009 | 55150 | 13695 | 68845 |

(2) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 की बजट घोषणाओं में बून्दी में जैतसागर झील क्षेत्र के सौन्दर्यकरण हेतु राशि रु. 1.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

## प्रदूषण मापक लेबोरेट्रीज को उपलब्ध संसाधन

**761. श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कार्यरत प्रदूषण मापक लेबोरेट्रीज भारत सरकार के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि इन लेबोरेट्रीज में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं? यदि हां, तो सरकार इन्हें कब तक आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

## उत्तर

(1) जी नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय प्रयोगशाला के लिए किसी प्रकार के मानक निर्धारित नहीं किये हैं। हां, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा वर्ष 2008-09 में पर्यावरणीय प्रयोगशाला को मान्यता प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हैं। राज्य मंडल की प्रयोगशालाओं को उक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप मान्यता प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। राज्य मंडल की प्रयोगशालायें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित गुणवत्ता मूल्यांकन/गुणवत्ता नियंत्रण प्रोग्राम में भाग लेती रही है जिसके परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा संतोषजनक पाये गये हैं।

(2) जी हां। राज्य मंडल के पास स्वयं के वित्तीय संसाधन उपलब्ध है एवं प्रयोगशालाओं को साधन सम्पन्न बनाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

## कोटा, बूंदी एवं बारां जिलों में औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषण

**762. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला कोटा, बूंदी एवं बारां के कितने-कितने वृहद् औद्योगिक उत्पाद समूहों से प्रदूषण फैल रहा है तथा पर्यावरण सुरक्षा/पूर्ति हेतु क्या-क्या कार्य किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण तथा पर्यावरण सम्बन्धी मामलों की निरन्तर सतर्कता के लिए क्या कार्यवाही की गई है? गत तीन वर्षों में उपरोक्त जिलों में की गई कार्यवाहियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या किसी उद्योग को पर्यावरण के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों में कोई चेतावनी दी गई अथवा उनके विरुद्ध अन्य कार्यवाही की गई? यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) जिला कोटा, बून्दी एवं बारां में क्रमश: 22, 4 एवं 2 वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं, जिनसे जल एवं वायु प्रदूषण फैलने की सम्भावना रहती है। इन उद्योगों से उच्छिष्ठ एवं गैसों के एकत्रित नवीनतम नमूनों में से उच्छिष्ठ के सभी नमूने एवं एक उद्योग के गैस के नमूने के अलावा अन्य सभी उद्योगों के गैस के नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये हैं। इन औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये गये उपायों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उल्लेखित है।

(2) राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समय-समय पर उद्योगों का निरीक्षण किया जाता है एवं उद्योगों में जल व वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित उपचार व्यवस्था की दक्षता की जांच हेतु उद्योगों से निस्त्रावित जल एवं वायु प्रदूषण तत्वों के नमूने एकत्रित किये जाते हैं। निरीक्षण के दौरान यदि उपचार व्यवस्था में कमियां पायी जाती हैं तो सम्बन्धित उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं प्रदूषण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रख-रखाव में सुधार करने एवं सुचारू रूप से कार्यरत रखने हेतु उद्योगों को आगाह किया जाता है। यदि नोटिस के उपरान्त भी उद्योग निर्धारित मानकों की पालना करने में असफल रहता है तो गुणावगुण के आधार पर उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जाता है एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33(ए) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31(ए) के अन्तर्गत उद्योग को बन्द करने के निर्देश जारी किये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त पर्यावरण सम्बन्धी मामलों की निरन्तर सतर्कता के लिए राज्य मण्डल द्वारा उक्त जिलों में स्थित जल स्रोतों की गुणवत्ता की जांच "राष्ट्रीय जल प्रबोधन कार्यक्रम (NWMP) के अन्तर्गत की की जाती है। साथ ही 'राष्ट्रीय वायु प्रबोधन कार्यक्रम (NAMP) के अन्तर्गत तीन स्थानों पर परिवेषिय वायु (Ambient Air) की गुणवत्ता की जांच की जाती है।

गत तीन वर्षों में कोटा, बून्दी एवं बारां में स्थित सभी श्रेणी के उद्योगों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) गत तीन वर्षों में दोषी पाये गये सभी श्रेणी के उद्योगों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

**(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)**

## हरित राजस्थान कार्यक्रम के प्रचार प्रसार पर व्यय

**763. श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 2009 से जनवरी, 2010 तक किन-किन योजनाओं के लिए सरकार द्वारा प्रचार प्रसार हेतु किन-किन माध्यमों से विज्ञापन दिये गये तथा विज्ञापनों पर कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान में हरित राजस्थान के तहत जनवरी, 2009 से जनवरी, 2010 तक किन-किन माध्यमों से विज्ञापन देकर प्रचार प्रसार करवाया गया तथा उक्त विज्ञापनों पर कितनी राशि का व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

## उत्तर

(1) 2009 व 2010 में इस विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं व विभिन्न अवसरों पर प्रचार प्रसार के लिए निम्न प्रकार राशि व्यय की गयी :-

| अवधि | प्रिंट मीडिया | इलेक्ट्रोनिक मीडिया |
|---|---|---|
| दिनांक 01.01.09 से 31.12.09 | 8,52,49,584/- रु. | 84, 71,073/- रु. |
| दिनांक 31.01.10 | 50,20,248/- रु. | 3, 73,350/- रु. |

(2) इस विभाग द्वारा हरित राजस्थान के तहत किसी प्रकार के विज्ञापन जारी नहीं किये गये।

## बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नति

**764. डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि महिला बाल विकास विभाग में विगत वर्ष सी.डी.पी.ओ. एवं ए.सी.डी.पी.ओ. के पदों पर पदोन्नति दी गई हैं? यदि हां, तो कब एवं किन नियमों के तहत? विवरण मय नियमों की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पदोन्नतियां विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा से की गईं? यदि नहीं, तो क्या उक्त पदोन्नतियां तदर्थ आधार पर थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कतिपय महिला पर्यवेक्षकों के पदों पर पदोन्नति के

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

मामले अभी भी लम्बित हैं? यदि हां, तो कब से एवं क्यों? क्या सरकार अब शेष उक्त पदोन्नति के प्रकरणों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर पदोन्नति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या वर्तमान में सरकार के समक्ष वरिष्ठ महिला पर्यवेक्षक के पद को समाप्त करने का प्रकरण भी विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से एवं क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। वर्ष 2009 के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग में राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1998 के तहत विभागीय आदेश क्रमांक 30100 दिनांक 08.05.2009 द्वारा सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी से बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर छह कार्मिकों को पदोन्नति दी गई है। नियम एवं आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

वर्ष 2009 के दौरान सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर कोई पदोन्नति नहीं दी गई है।

(2) जी हां। सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी से बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा पर की गयी है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर ही संलग्न है।

(3) जी नहीं। राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) एवं संशोधित नियम 2009 में महिला पर्यवेक्षक का पद पदोन्नति का नहीं है। महिला पर्यवेक्षक के 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं तथा 25 प्रतिशत पद निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए सीधी भर्ती हेतु आरक्षित हैं। निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में से रिक्त पदों पर नियमानुसार भर्ती हेतु यथासमय कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

**(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## जयपुर शहर में आटो रिक्शाओं के संचालन हेतु निर्देश

**765. श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में आटोरिक्शा मीटर से नहीं चल रहे हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर में आटोरिक्शा मीटर से चलाने के लिये सरकार द्वारा दिशा-निर्देश तय किए गए हैं? यदि हां, तो समस्त दिशा-निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जयपुर शहर के आटो रिक्शाओं को गैस से चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर शहर में अधिकांश आटोरिक्शा मीटर से संचालित हैं। मीटर के अनुसार नहीं चलने वाले आटोरिक्शाओं के विरुद्ध दिनांक 2 फरवरी, 2010 से कार्यवाही हेतु जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत अब तक 6871 आटोरिक्शाओं को चैक किया गया जिसमें से 4529 आटोरिक्शा मीटर से चलते पाए गए। इस अभियान के अन्तर्गत अब तक 612 आटोरिक्शाओं के चालान बनाए जाकर 292 आटोरिक्शा जब्त किए जा चुके हैं, 99 आटोरिक्शाओं के परमिट निलम्बित किए गए हैं तथा 4,27,140 रुपये की प्रशमन राशि वसूल की गई है।

इसी प्रकार पुलिस विभाग द्वारा भी मीटर से संचालित नहीं होने पर दिनांक 01.02.2010 से 31.03.2010 तक 332 आटोरिक्शाओं के विरुद्ध कार्यवाही कर 60,750 रुपये प्रशमन राशि वसूल की गई है।

(2) इस संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा आटोरिक्शा को मीटर से चलाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जिनकी प्रति परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 21.10.2009 से एल.पी.जी./सी.एन.जी. द्वारा चलित आटोरिक्शाओं के अनुज्ञापत्रों की संख्या 2000 तक कर दी गई है तथा आवश्यकता एवं मांग के अनुसार इस संख्या में वृद्धि की जा सकती है। वर्तमान में 1620 आटोरिक्शाओं को एल.पी.जी. से चलाए जाने हेतु परमिट स्वीकृत कर दिए गए हैं।

**(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## भरतपुर-दिल्ली वाया कामां बस सेवा

**766. श्रीमती जाहिदा** (कामां) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती जाहिदा)

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर से दिल्ली जाने वाली बसों का संचालन पूर्व में वाया कामां था जिसे अब वाया मथुरा से संचालित किये जाने के कारण कामां की जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? पूर्व में सड़क ठीक नहीं होने के कारण इन बसों का सीधा संचालन किया जा रहा था परन्तु अब कामां से भरतपुर तथा कामां से कोसी सड़क का निर्माण हो चुका है?

(2) क्या सरकार भरतपुर से दिल्ली जाने वाली बसों को पुन: कामां होकर चलाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो कामां क्षेत्र के लोगों के लिए परिवहन की क्या व्यवस्था होगी?

(3) क्या सरकार भरतपुर से कामां के लिए सायं 8.00 बजे बाद तथा कामां से भरतपुर सायं 6.00 बजे बाद भी बस संचालन किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

(1) जी नहीं। भरतपुर से देहली वाया कामां एवं भरतपुर से देहली वाया मथुरा, दोनों ही मार्गों पर यात्रियों की उपलब्धता के अनुरूप राजस्थान परिवहन निगम की बसें संचालित की जा रही हैं।

वर्तमान में भरतपुर से दिल्ली वाया कामां 10 वाहनें संचालित की जा रही हैं जो यात्रियों की उपलब्धता के अनुरूप पर्याप्त है।

कोसी से दिल्ली के लिए रेलवे की शटल सेवा इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (EMU) संचालित हो रही है जिसका किराया रोडवेज बसों की तुलना में काफी कम है। इस कारण निगम की बसों में कोसी तक ही पर्याप्त यात्रीभार मिलता है। इस सम्भावित यात्रीभार को देखते हुए आगामी 1 अप्रैल, 2010 से नवीन समय सारिणी को लागू करने पर कामां से कोसी के मध्य 5 परिचक्रों की वृद्धि की जा रही है जिससे कामां की जनता को अवागमन के पर्याप्त साधन उपलब्ध होंगे।

(2) जी नहीं। वर्तमान में यात्रीभार की उपलब्धता के अनुरूप वाया कामां 10 वाहनें संचालित हो रही हैं जो पर्याप्त हैं क्योंकि बालाजी से दिल्ली व भरतपुर से दिल्ली जाने वाले सीधे यात्री, अधिक समय लगने के कारण वाया कामां होकर जाने में रूचि नहीं रखते तथापि यात्रियों के रुझान को देखते हुए भरतपुर-दिल्ली वाया मथुरा मार्ग पर अपेक्षाकृत अधिक संचालन किया जा रहा है।

कामां क्षेत्र की जनता को भरतपुर-कैथल वाया कामां सेवा दिनांक 1.4.2010

(यातायात मंत्री)

से प्रारम्भ कर दी गई है। देहली मार्ग के अतिरिक्त कामां से डीग-भरतपुर के लिए 28 परिचक्रों पर वाहन संचालन किया जाएगा।

(3) जी नहीं। भरतपुर से कामां के लिए अन्तिम सेवा अभी तक सायं 7.30 बजे संचालित हो रही है, अब दिनांक 1.4.2010 से लागू होने वाली ग्रीष्मकालीन समय सारिणी में सायं 8.00 बजे अन्तिम सेवा संचालित किया जाना प्रस्तावित है। सायं 8.00 बजे बाद डीग एवं कामां के लिए पर्याप्त यात्रीभार उपलब्ध नहीं होता है इस कारण सायं 8.00 बजे बाद भरतपुर से कामां के लिए वाहन संचालन करने पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार सायं 6.00 बजे कामां से भरतपुर के लिए एक सेवा का संचालन दिनांक 1.4.2010 से प्रारम्भ कर दिया गया है। सायं 6.00 बजे के बाद कामां से भरतपुर के लिए पर्याप्त यात्रीभार उपलब्ध नहीं होने के कारण सायं 6.00 बजे बाद सेवा के संचालन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

## जायल उप खण्ड मुख्यालय में बस स्टैण्ड का निर्माण

767. **श्रीमती मंजू देवी** (जायल) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार उपखण्ड मुख्यालय जायल में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का बस स्टैण्ड स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण उप खण्ड जायल में बस स्टैण्ड बनाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। परन्तु वांछित बस स्टैण्ड हेतु उपयुक्त स्थान पर बस स्टैण्ड के लिए किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध करवाई जाती है तथा उस पर बस स्टैण्ड निर्माण हेतु एम.एल.ए. लेड/सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है तो बस स्टैण्ड निर्माण पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है।

## वाहन दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कारगर उपाय

768. **श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर** (लोहावट) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

क्या सरकार राज्य में बढ़ रही वाहन दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कारगर कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या तथा नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

जी हां। राज्य में बढ़ रही वाहन दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा अनेक कारगर कदम उठाए गए हैं जिनका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

**परिशिष्ट "क"**

**राज्य में बढ़ रही वाहन दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उठाए गए कारगर कदम**

1. राज्य में बढ़ती दुर्घटनाओं के कारणों एवं इनमें कमी लाने के बारे में विचार कर सुझाव देने एवं उनकी क्रियान्विति की मानिटरिंग करने के लिए माननीय परिवहन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में "स्टेट रोड सेफ्टी कौंसिल" का गठन दिनांक 03.07.2009 को किया गया है।
2. सड़क दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण के लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
3. सड़क दुर्घटनाओं को कम किए जाने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव के संयोजन में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन दिनांक 04.03.2010 को किया गया है।
4. सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार आदि के लिए विभाग में अलग से सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाया गया है जिसका प्रभारी अपर परिवहन आयुक्त स्तर के अधिकारी को बनाया गया है।
5. विभाग में आधुनिकीकरण की महती योजना प्रारम्भ की गई है। इसके प्रथम चरण में पांच इन्टरसेप्टर क्रय कर एक मई, 2009 से राष्ट्रीय राजमार्ग पर तैनात किये गये हैं। ये वाहनों के निर्धारित गति सीमा में चलने, सीट बैल्ट का उपयोग करने, नशे में वाहन नहीं चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने एवं यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठाने सम्बन्धी यातायात नियमों की जांच करते हैं। वर्ष 2010-11 के बजट में 10 इन्टरसेप्टर क्रय करने की घोषणा की गई है।
6. सभी जिलों में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला यातायात प्रबन्धन समिति का गठन दिनांक 28.06.2008 को किया गया है।

7. दुर्घटना का कारण बनने वाले धीमी गति के वाहनों यथा ट्रैक्टर, ट्रोली, ऊंटगाड़ी, बैलगाड़ी, जुगाड़ आदि वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने की व्यापक योजना तैयार की गई है। अब तक कुल 4,19,386 रिफ्लेक्टर लगाये जा चुके हैं।

8. राज्य में ट्रकों पर ओवरलोडिंग रोकने की दिशा में सख्त व कारगर कदम उठाये गये हैं। राज्य के प्रवेश मार्गों पर ओवरलोड ट्रकों को खाली करवाया जा रहा है एवं खाली नहीं करने वाले भार वाहनों को राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। राज्य में पहली बार भार वाहनों पर ओवरलोडिंग प्रभावी ढंग से नियन्त्रित की गई है। केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार के इस प्रभावी कदम की प्रशंसा की है एवं अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया है। केरल एवं हरियाणा राज्य के अधिकारियों ने राजस्थान आकर इस पहल का अध्ययन किया है।

9. राज्य में कुशल चालक तैयार करने के लिये सम्भागीय स्तर पर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित करने के लिये जयपुर एवं जोधपुर में भूमि चिन्हित कर ली गई है तथा आबंटन प्रक्रियाधीन है।

10. लर्निंग लाइसेन्स जारी करने से पूर्व टच स्क्रीन कियोस्क पर टेस्ट की अनिवार्यता प्रारम्भ की गई। सभी जिलों में कियोस्क उपलब्ध हैं। निजी ड्राइविंग स्कूलों को भी कियोस्क लगाना अनिवार्य किया गया है।

11. चालक के वाहन चालन का परीक्षण ड्राइविंग ट्रैक पर लेने की अनिवार्यता लागू की गई है तथा परीक्षण के लिये कड़े मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। 37 में से 32 परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग ट्रैक निर्मित, शेष 5 में निर्माण करवाया जावेगा।

12. विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा की जानकारी देने के लिए शारीरिक शिक्षक/अध्यापक को मास्टर ट्रेनर के रूप में स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से प्रशिक्षण दिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस ट्रेफिक वार्डनों द्वारा स्कूलों में यातायात नियमों की जानकारी दी जाती है।

13. नशे में वाहन चलाने वाले चालकों की जांच के लिए पुलिस विभाग को 40 ब्रेथ एनेलाइजर उपलब्ध कराये गये। विभागीय उड़नदस्तों के लिए 70 ब्रेथ एनेलाइजर क्रय किये जा रहे हैं।

14. क्षमता से अधिक सवारी बैठने, छत के ऊपर सवारी बैठाने तथा सवारी के बाहर लटकने की प्रवृत्ति को रोकने के लिये साफ्ट टाप मैक्सी कैब को राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनुज्ञापत्र जारी करना बन्द कर दिया गया है।

## बागीदौरा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत हैण्डपम्प

**769. श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा में वर्ष 2008-09 में जनजाति उप योजना द्वारा कौन-कौन से कार्य की स्वीकृति जारी की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जनजाति मद से वर्ष 2008 व 2009 में उक्त जिले में कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये और उनमें से विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में वर्ष 2008-09 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के समस्त मदों में स्वीकृत किये गये कार्यो की सूची परिशिष्ट 1 से 11 पर संलग्न है।

(2) जनजाति मद में बांसवाड़ा जिले में वर्ष 2008 में 120 व वर्ष 2009 में 133 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये। जिनकी पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट-10 अ व ब पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में आलौच्य 2 वर्षों में कुल 185 (पंचायत समिति बागीदौरा में 110 व आनन्दपुरी में 75) हैण्डपम्प स्वीकृत हुए हैं।

**(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## धोद विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण

**770. श्री पेमाराम** (धोद) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सीकर जिले की विधान सभा क्षेत्र धोद में बनाई गई डामर की सड़कें जिन पर कि वर्ष 2003-04 में डामरीकरण या पेच कार्य करवाया था, क्षतिग्रस्त हो गई हैं? क्या सरकार उक्त टूटी हुई सड़कों का पुन: डामरीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कों का व कब तक?

### उत्तर

जी नहीं। सीकर जिले की विधान सभा क्षेत्र धोद में वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में निर्मित की गई नई सड़कों पर पुन: डामरीकरण का कार्य जिन सड़कों पर

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

करवाया गया था उन पर वर्तमान में पुन: डामरीकरण की आवश्यकता नहीं है बल्कि पेच कार्य आवश्यक है। उक्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

सीकर जिले की धोद विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कुल 17 सड़कों का निर्माण करवाया गया है, जिनमें से 2 सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा टेक ओवर कर ली गई हैं, 3 सडकों की विशेष मरम्मत/पुन: डामरीकरण वर्ष 2008-09 में करवाया गया है, 4 सडकों की विशेष मरम्मत/पुन: डामरीकरण वर्ष 2003-04 में करवाया गया है तथा वर्तमान में 3 सडकों पर विशेष मरम्मत की आवश्यकता है जिनका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

**विधान सभा क्षेत्र धोद में वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में बनाई गई डामर की सड़कों की सूचना**

| क्र. सं. | सड़क का नाम | निर्मित वर्ष | निर्मित लम्बाई (कि.मी.) | विशेष मरम्मत/ पुन: डामरीकरण का वर्ष | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | सम्पर्क सड़क सरवड़ी से सिंगरावट | 2004-05 | 4.85 | — | सतह ठीक है एवं माइनर पेच कार्य आवश्यक है। |
| 2. | सम्पर्क सड़क टाटनवां से बिंजासी | 2004-05 | 7.00 | — | सतह ठीक है एवं पेचकार्य कियाजाना आवश्यक है। |
| 3. | सम्पर्क सड़क मूण्डवाड़ा से पुरां छोटी | 2004-05 | 3.00 | — | गांव के भाग एवं पानी ठहराव के कारण लगभग 50 मीटर के भाग के अलावा सतह ठीक है एवं पेच कार्य आवश्यक है। |
| 4. | सम्पर्क सड़क नागवा | 1983-84 | 3.00 | 2003-04 | गांव के भाग एवं पानी ठहराव के कारण लगभग 50 मीटर के भाग के अलावा सतह ठीक है एवं पेच कार्य आवश्यक है। |
| 5. | सम्पर्क सड़क खूड़-लोसल सड़क से सांगलिया | 1984-85 | 3.25 | 2003-04 | सतह ठीक है एवं माइनर पेच कार्य एवं सेनकट दुरस्तीकरण आवश्यक है। |
| 6. | सम्पर्क सड़क थोरासी बस स्टैण्ड से गांव तक | 1993-94 | 1.50 | 2003-04 | गांव के भाग एवं पानी के ठहराव से लगभग 400 मीटर के भाग के अलावा सतह ठीक है एवं पेच कार्य आवश्यक है। |
| 7. | सम्पर्क सड़क सीकर-सालासर रोड से सिहोट छोटी | 1983-84 | 1.00 | 2003-04 | गांव के भाग एवं पानी के ठहराव से लगभग 500 मीटर के भाग के अलावा सतह ठीक है एवं पेच भी नहीं है। |

**परिशिष्ट "ब"**

| क्र. सं. | सड़क का नाम | विधान सभा क्षेत्र | निर्मित लम्बाई (किमी.) | व्यय (लाख) | निर्मित वर्ष | वर्तमान स्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **कृषि उपज मण्डी समिति-सीकर** | | | | | | |
| 1. | सम्पर्क सड़क मूंडवाडा बस स्टैण्ड से गांव तक | धोद | 0.60 | 1.08 | 1979-80 | विशेष मरम्मत 2002-03 | सा.नि.वि. द्वारा थ्रू-रूट में स्वीकृत है। |
| 2. | सम्पर्क सड़क नागवा | धोद | 3.00 | 7.50 | 1983-84 | विशेष मरम्मत 2003-04 | पेच रिपेयर कार्य आवश्यक |
| 3. | सम्पर्क सड़क सीकर-सालासर रोड से सिहोट छोटी | धोद | 1.00 | 2.50 | 1983-84 | विशेष मरम्मत 2003-04 | पेच रिपेयर कार्य आवश्यक |
| 4. | सम्पर्क सड़क खूड़-लोसल सड़क से सांगलिया | धोद | 3.25 | 8.93 | 1984-85 | विशेष मरम्मत 2003-04 | पेच रिपेयर कार्य आवश्यक |
| 5. | सम्पर्क सड़क थोरासी बस स्टैण्ड से गांव तक | धोद | 1.50 | 8.25 | 1993-94 | विशेष मरम्मत 2003-04 | पेच रिपेयर कार्य आवश्यक |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | सम्पर्क सड़क सीकर-सालासर रोड से मौलासी | धोद | 3.60 | 23.76 | 1996-97 | विशेष मरम्मत 2008-09 | गारण्टी अवधि में है। |
| 7. | सम्पर्क सड़क सीकर-सिहोट से टाटनवां | धोद | 3.65 | 24.09 | 1996-97 | — | सा.नि.वि. द्वारा थ्रू-रूट में स्वीकृत है। |
| 8. | सम्पर्क सड़क सीकर-सालासर रोड से तूनवां | धोद | 2.40 | 15.84 | 1996-97 | विशेष मरम्मत 2008-09 | गारण्टी अवधि में है। |
| 9. | सम्पर्क सड़क कूदन से यालसर | धोद | 2.80 | 18.48 | 1996-97 | विशेष मरम्मत 2008-09 | गारण्टी अवधि में है। |
| 10. | सम्पर्क सड़क धोद से रामपुरा | धोद | 2.00 | 14.00 | 1996-97 | — | विशेष मरम्मत आवश्यक है। |
| 11. | सम्पर्क सड़क तासर बड़ी से तासर छोटी | धोद | 2.23 | 22.03 | 2006-07 | — | पेच रिपेयर कार्य आवश्यंक। |
| 12. | सम्पर्क सड़क सांवलोदा से पिरोहितान | धोद | 1.23 | 6.24 | 99-2000 | — | विशेष मरम्मत आवश्यक है। |
| 13. | सम्पर्क सड़क श्यामपुरा | धोद | 2.80 | 16.8 | 2000-01 | — | विशेष मरम्मत आवश्यक है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | सम्पर्क सड़क सरवड़ी से सिंगरावट | धोद | 4.85 | 32.54 | 2004-05 | — | पेचरिपेयरकार्य आवश्यक। |
| 15. | सम्पर्क सड़क टाटनवां से बिंजासी | धोद | 7.00 | 45.06 | 2004-05 | — | पेचरिपेयरकार्य आवश्यक। |
| 16. | सम्पर्क सड़क मूंडवाड़ा से पुरां छोटी | धोद | 3.00 | 17.02 | 2004-05 | — | पेचरिपेयरकार्य आवश्यक। |
| 17. | सम्पर्क सड़क कोलीड़ा से कूदन | धोद | 5.00 | 50.54 | 2006-07 | — | गारण्टी अवधि में है। |
| | **योग विधान सभा क्षेत्र धोद** | | **49.91** | **314.66** | | | |

## बीकानेर जिले में फल सब्जी, ऊन मण्डी की दुकानों का प्रस्तावित नक्शा

**771. श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में बीकानेर फल सब्जी, ऊन मण्डी की दुकानों के आबंटन हेतु बोर्ड की बैठकों में निर्णय लेकर संशोधित नक्शा पास करवाने हेतु भेजा गया था? यदि हां, तो कब-कब? पत्र/प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सभी आक्षेपों की पूर्ति करने के बावजूद भी लम्बे समय से संशोधित नक्शा पास नहीं किया गया है? यदि हां, तो संशोधित नक्शे पास नहीं करने के क्या कारण रहे हैं?

(3) क्या सरकार उक्त फल सब्जी/ऊन मण्डी की दुकानों के आबंटन हेतु संशोधित नक्शे पास कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) फल-सब्जी, ऊन मण्डी द्वारा गत दो वर्षों में पत्रांक 840 दिनांक 21.08.2008 एवं पत्रांक 90 दिनांक 17.04.2009 से नक्शे में संशोधन के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

इन प्रस्तावों को इकजाई कर मण्डी समिति द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 30 दिनांक 03.07.2009 से निदेशक, कृषि विपणन के माध्यम से भिजवाये गये थे। प्रस्ताव/पत्रों की प्रति परिशिष्ट "अ" "ब" "स" "द" "य" पर उपलब्ध है।

(2) तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 25.03.2010 में संशोधित नक्शे को पास कर संशोधित नक्शा दिनांक 29.03.2010 को जारी कर दिया गया है।

(3) संशोधित नक्शा पास कर दिया गया है। वर्तमान में कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

**(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सब यार्ड रामसिंहपुर का विकास

**772. श्री पवन दुग्गल** (अनूपगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के रामसिंहपुर मण्डी में निर्मित सब यार्ड को विकसित करने व इसकी व्यवस्था हेतु स्वतंत्र अधिकारी की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

## उत्तर

रामसिंहपुर में कुल 14 दुकानें वर्ष 1988 में तत्कालीन व्यापार अनुमानों के अनुसार निर्मित की गई थीं। जिनमें से 8 दुकानें अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों तथा 2 दुकानें दूर संचार विभाग को किराये पर दी गई हैं। वर्तमान में गौणमण्डी यार्ड रामसिंहपुर में उक्त दुकानों के अतिरिक्त एक कार्यालय भवन, एक प्याऊ, एक जल संग्रहण डिग्गी तथा एक ग्रामीण गोदाम निर्मित है। इसके अतिरिक्त विद्युत तथा जल की व्यवस्था है।

गौण मण्डी यार्ड रामसिंहपुर में 4 दुकानें दिनांक 12.11.1998 से रिक्त चल रही हैं जिनके आबंटन हेतु मण्डी समिति स्तर पर कई बार प्रयास किये गये परन्तु अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों द्वारा इस हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण इनको आबंटित किया जाना संभव नहीं हो सका। वर्तमान में आबंटित 8 दुकानों में भी केवल समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद के समय ही आबंटी व्यापारी कार्यरत रहते हैं। वर्ष के शेष समय में गौण मण्डी यार्ड रामसिंहपुर में व्यापारिक कार्य नहीं होता है। स्थानीय कृषकों तथा व्यापारियों से इस हेतु चर्चा करने पर यह ज्ञात हुआ कि रामसिंहपुर क्षेत्र में अनुज्ञापत्रधारी क वर्ग दलालों की संख्या 15 है जो कि बहुत कम है तथा व्यापारियों की क्रय क्षमता भी अधिक नहीं है। फलस्वरूप क्रेताओं की संख्या व क्षमता में कमी के कारण किसानों को गौण मण्डी यार्ड में प्रतिस्पर्धात्मक दरों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अत: किसान अपनी उपज अन्यत्र ले जाते है। गौण मण्डी यार्ड रामसिंहपुर से मुख्य मण्डी प्रांगण श्रीविजयनगर तथा निकटतम पड़ौसी मण्डी अनूपगढ़ मात्र 16-16 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इस कारण क्रेताओं की अधिक संख्या व क्षमता से आकर्षित होकर कृषक वर्ग अपनी उपज श्रीविजयनगर या अनूपगढ़ में ले जाना अधिक पसन्द करता है। कम आवक तथा न्यून व्यापार तथा लाभ संभावनाओं के कारण अधिकांश अनुज्ञापत्रधारी फर्म अपना व्यापार श्रीविजयनगर या अनूपगढ़ में स्थापित कर चुके हैं। इस कारण अनुज्ञापत्रधारियों की दुकानें आबंटित करवाने में रूचि नहीं है।

गौण मण्डी प्रांगण में मूल-भूत सुविधाऐं उपलब्ध हैं परन्तु उपरोक्त कारणों से नियमित व्यापार नहीं हो रहा है। गौण मण्डी में व्यापार हेतु व्यापारी प्रेरित हो तभी इस गौण मण्डी का आर्थिक दृष्टि से विकास करना सम्भव होगा।

उपरोक्त तथ्यों की रोशनी में श्रीविजयनगर कृषि उपज मण्डी समिति के अधीन रामसिंहपुर गौणमण्डी में व्यवस्था हेतु अलग से अधिकारी नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

# परिशिष्ट-1

## नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं

## जो पढ़ी हुई मानी गयीं

### एम.पी. व एम.एल.ए. लैड का महानरेगा से डवटेल किया जाना

विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य में नरेगा योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिवस का काम उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसमें स्थाई संपत्तियों का निर्माण बहुत कम हो रहा है। अत: अनुरोध है कि राज्य में एम.पी. और एम.एल.ए. लेड में 230 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च होते हैं यदि इस योजना से नरेगा को डवटेल किया जाता है तो 30 प्रतिशत एवं अन्य कार्यों में 50 प्रतिशत मजदूरी अगर नरेगा योजना से लागू की जाती है तो 70 करोड़ की मजदूरी स्थाई संम्पतियां निर्माण करने में काम आयेगी जिससे राज्य की परि-संपत्तियों में वृद्धि होगी।

इसलिए एम.पी. व एम.एल.ए. लैड योजना में जो भी काम प्रस्तावित किये जावें उन कामों को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित होने के आदेश किये जावें, जिस तरह से राजीव गांधी सेवा केन्द्र हर पंचायत और पंचायत समिति में बनाया जा रहा है।

**अमराराम**

(दांतारामगढ़)

### दहेज हत्या प्रकरण में पुलिस द्वारा कार्रवाई का अभाव

श्री महावीर प्रसाद जैन निवासी 180/158 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर ने अपनी पुत्री ममता का विवाह बड़ी धूम-धाम से दिनांक 11 फरवरी, 2010 को नरेश कुमार जैन पुत्र श्री सोहन लाल जैन निवासी मालपुरा के साथ किया था। विवाह के तुरन्त बाद से ही पति, जेठ-जेठानी, ससुर द्वारा ममता को दहेज के लिए निरन्तर प्रताड़ित किया गया तथा उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। दिनांक 18 फरवरी, 2010 को ममता ने अपने पिता को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद ममता के भाई ममता को जयपुर ले आए। इस बेरहम पिटाई एवं रोज-रोज दहेज की मांग के कारण लड़की डिप्रेशन में आ गई और दिनांक 5 मार्च, 2010 को उसकी मौत हो गई। दिनांक 8 मार्च, 2010 को प्रताप नगर थाने में मृतक के पिता ने मृतक के पति जेठ-जेठानी, ससुर के खिलाफ हत्या का मुकदमा एफ.आई.आर. क्रमांक 72/10 दर्ज कराई। मुकदमा दर्ज कराने के इतने दिन बाद भी अभी तक पुलिस ने ना तो अभियुक्तों की

गिरफ्तारी की है और ना अन्य कोई कार्यवाही की है। हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। एवं पीड़ित पक्ष पर केस वापस लेने का दबाव डाल रहे हैं।

अत: नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

**कालीचरण सराफ**

(मालवीय नगर)

## जोधपुर नगर निगम का क्षेत्र विस्तार

मैं प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार का ध्यान नगर निगम, जोधपुर के क्षेत्र विस्तार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

जोधपुर में नगर निगम का गठन हुए 2 दशक बीत चुके हैं, परन्तु आज तक इसका क्षेत्र विस्तार कर नगर निगम क्षेत्र पुनर्गठन का कार्य पूरा नहीं किया गया है। इस हेतु स्वायत्त शासन विभाग द्वारा बार-बार नगर निगम जोधपुर को लिखा जा चुका है परन्तु नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही एवं उदासीनता से ये प्रस्ताव आज तक नहीं भेजे जा सके हैं।

मान्यवर, इसके अभाव में जोधपुर के निकटस्थ लूणी विधान सभा क्षेत्र जिसका नगरीकरण हो चुका है परन्तु नगर निगम क्षेत्र में नहीं लिये जाने के कारण इन क्षेत्रों में सफाई, भू-रूपान्तरण, सीवरेज आदि का कार्य सुचारू नहीं हो पा रहा है।

अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि ग्राम पंचायत सांगरिया, पाल चौखा, झालामण्ड, नांदड़ा को नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित करवाने की कृपा करें।

सादर।

**मलखान सिंह**

(लूणी)

## डोगर ग्राम तहसील जमवारामगढ़, जयपुर का भूमि प्रकरण

निवेदन है कि खसरा संख्या 250 ग्राम डोगर तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर से 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि अवधेश पुत्र बाबूलाल बैरवा व प्रेम कुमारी पत्नी आदर्श किशोर जाति बैरवा ए-21, किसान मार्ग, टोंक फाटक जयपुर ने :-

(1) सतीश चन्द्र महाजन पुत्र श्री बंशीधर,

(2) महेश कुमार मेघवाल पुत्र श्री बनवारी लाल,

(3) विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री खैरू लाल।

(4) महेश कुमार पुत्र बनवारी लाल

चारों निवासी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर से दिनांक 28/06/2005 को रजिस्ट्री द्वारा खरीदी थी। जिसका इन्तकाल संख्या 899/दिनांक 31.08.2005 के द्वारा विनोद कुमार पुत्र खेरूलाल व महेश कुमार पुत्र लक्ष्मी नारायण के बजाय अवधेश पुत्र बाबूलाल व इन्तकाल संख्या 900/दिनांक 31.08.2005 के द्वारा सतीश कुमार पुत्र बंशीधर व महेश पुत्र लक्ष्मी नारायण के बजाय प्रेमकुमारी पत्नी आदर्श किशोर निवासी ए-21 किशन मार्ग, टोंक फाटक, जयपुर का नाम स्वीकार किया गया।

इसके बाद एसडीएम जमवारामगढ़ ने 28/08/2006 को तकासमा का फैसला दे दिया तथा राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने 14.07.2007 को एसडीएम के तकासमा को सही बताया। लेकिन सहकाश्तगार के हस्ताक्षर तकासमा में नहीं होने के कारण एक माह के अन्दर सभी काश्तगारों के हस्ताक्षर तकासमा पर होने चाहिये का फैसला देकर पत्रावली वापिस एसडीएम जमवारामगढ़ को भिजवा दी गई। एक माह के बजाय 2½ वर्ष होने के बावजूद अभी तक कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई। दिनांक 13.08.2009 को एसडीएम द्वारा पार्टियों को सम्मन भी जारी कर दिये गये। जिससे प्रार्थी से जमीन खरीदने वाले परेशान हो रहे हैं, तथा सवर्ण जाति के लोग इन अनुसूचित जाति के गरीब प्रार्थियों को परेशान कर रहे हैं। अभी तक 2 ½ वर्ष गुजर जाने के बाद भी क्यों नहीं निर्णय लिया गया तथा परेशान कर रहे सवर्णो को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की व्यवस्था करवावें तथा एससी के प्रार्थियों को भूमि पर संरक्षण प्रदान किया जावे।

**ज्ञानदेव आहूजा**

(रामगढ़)

## जैसलमेर की बिजली समस्या के समाधान हेतु तैयार जी.एस.एस. का प्रारम्भ किया जाना

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत जैसलमेर जिले की बिजली की समस्या व कई गांवों में बिजली के आये दिन आंख मिचौनी के तहत मैं निवेदन कर रहा हूं।

जैसलमेर जिले में बिजली की भारी कटौती व साथ ही पेयजल ट्यूबवैल हैं उनके भी साथ कनेक्शन होने के कारण बिजली पर्याप्त मात्रा में आती नहीं इसलिए पानी की भारी किल्लत आये दिन होती रहती है।

विभाग द्वारा जीएसएस तैयार किये हुए 10-15 माह हो गये उन्हें चालू नहीं किया गया है व जो जीएसएस तैयार हो गये थे उनको चालू नहीं करने पर व्यवस्था

तथा साथ ही कई ट्यूबवैल्स खोदे गये उनके भी बिजली कनेक्शन नहीं हुए हैं। कई गांव व ढाणियों के पूर्व में खम्बों के तार खिंचने का टेण्डर हो गये थे परन्तु अभी तक तार खींचे नहीं गये हैं। बीपीएल परिवारों के डिमाण्ड नोटिस भरे हुए 6 माह हो गये उनको कनेक्शन नहीं मिले हैं। पूर्व में जिन खम्बो पर तार चौरी हो गये थे उन तारों को पुन: वापिस लगवाया नहीं गया व डीपी चोरी हो गये जो कि बरामद भी हो गये मगर अधिकारियों की लापरवाही के कारण वहां आज तक तार वापस नहीं खिंचवाये।

मेरा निवेदन है कि जो पूर्ण जीएसएस है उनको जल्दी शुरू किया जावे व किसानों का कनेक्शन जो लक्ष्य 2009 में रखे थे उसको कनेक्शन दिया जावे तथा चौरी की गई लाइन को पुन: तार खिंचवाकर लाईन चालू करवाई जावे।

इसी आशा के साथ।

**छोटू सिंह भाटी**

(जैसलमेर)

## स्वामी केशवानंद कृषि महाविद्यालय, संगरिया में ग्रामीण परिवेश के बच्चों का प्रवेश

विगत समय पहले स्वामी केशवानंदजी की शिक्षा प्रसार के प्रति की गई सेवाओं से प्रभावित होकर ही बीकानेर के कृषि विश्वविद्यालय का नाम आपकी सरकार ने स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय रखा है। ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया का कृषि महाविद्यालय भी उसी महान शिक्षा संत स्वामी केशवानंदजी द्वारा सन् 1962 में स्थापित गया था। यह महाविद्यालय कृषि शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है जिसमें बीकानेर संभाग के जिलों के अलावा सम्पूर्ण राजस्थान के छात्र/छात्राएं यहां कृषि शिक्षा हेतु प्रवेश प्राप्त करते हैं, परन्तु राज्य सरकार द्वारा कृषि विषय की केवल 60 सीटों का आबंटन एवं प्रवेश की अनुमति के कारण इस ग्रामीण इलाके के बहुत से छात्र कृषि विषय में प्रवेश से वंचित रह जाते हैं तथा वे आर्थिक कारणों से अन्यत्र से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी सक्षम नहीं हैं।

उच्च माध्यमिक विद्यालयों से कृषि शिक्षा से जमा दो उत्तीर्ण छात्रों का आऊटर्ण संख्या के अनुपात में प्रवेश के लिए 60 की संख्या काफी कम है। हमारे महाविद्यालय से बहुत बाद में स्थापित परमानंद डिग्री कालेज, गजसिंहपुर (श्रीगंगानगर) को राज्य सरकार द्वारा 120 सीट आबंटित की गई हैं। यह महाविद्यालय भी राज्य सरकार से अनुदानित पोषित है। हमारे महाविद्यालय की आधारभूत सुविधाएं- भवन, कृषि भूमि, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, प्रशिक्षित स्टाफ

आदि सुविधाएं गजसिंहपुर महाविद्यालय से किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। इसलिये हमारे कृषि महाविद्यालय को भी कम से कम 120 सीटें दी जानी न्याय संगत है।

अत: मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि स्वामी केशवानंदजी कृषि महाविद्यालय, संगरिया को प्रवेश के लिये 120 सीटें आबंटित करने का आदेश प्रदान करावें, जिससे इस ग्रामीण परिवेश के बच्चों को प्रवेश की सुविधा दी जा सके।

**अभिषेक मटोरिया**

(नोहर)

## तालेड़ा (बूंदी) को उप-तहसील से तहसील व डाबी को उप-तहसील बनाया जाना

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि बूंदी तहसील राज्य की सबसे बड़ी तहसीलों में से एक है, जिसमें बूंदी नगरपालिका क्षेत्र तथा दो पंचायत समितियां सम्मिलित हैं। तहसील के इस बड़े आकार के कारण तहसील की कार्य निष्पादन श्रमता अत्यन्त धीमी है, तहसील मुख्यालय पर छोटे-छोटे कामों के लिये भी दूर-दराज से आये ग्रामीणों को कई चक्कर लगाने पड़ते हैं।

बूंदी की उप तहसील तालेड़ा, जिले की सबसे बड़ी पंचायत समिति है जिसमें 31 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। यह तहसील के लिये आवश्यक सभी मानदण्डों को पूरा करती है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत डाबी, बरड क्षेत्र जिसमें अधिसंख्य रूप से खनन मजदूर तथा ऐसा वर्ग निवास करता है जिसकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है इनके द्वारा रोजमर्रा के कार्यों के लिये लगभग 60 से 80 किलोमीटर दूर तहसील कार्यालय के चक्कर काटना अत्यन्त ही महंगा व कष्टदायीं होता है। यदि तालेड़ा को उप तहसील से तहसील व डाबी को उप तहसील बना दिया जाये तो क्षेत्र की जनता को अत्यधिक लाभ मिलेगा। कम दूरी पर तहसील व उप तहसील मुख्यालय होने से जनता के समय, श्रम तथा धन की भी बचत होगी।

मेरी सरकार से प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से पुरजोर शब्दों में मांग है कि तालेड़ा को उप तहसील से तहसील व डाबी को उप तहसील बनाया जाये।

**अशोक डोगरा**

(बूंदी)

## सज्जन विधि महाविद्यालय, पाली द्वारा मान्यता रद्द किये जाने पश्चात् भी अध्यापन जारी रखना

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.2/95/शिक्षा-4/2003 दिनांक 14 अगस्त, 2003 के द्वारा पत्र जारी कर सज्जन विधि महाविद्यालय, पाली में खोलने हेतु तीन वर्षों के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया।

यह महाविद्यालय महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से संबद्ध है जिसने अपने आदेश दिनांक 29.9.2003 को प्रवेश कार्य सम्पन्न करने के तुरन्त पश्चात् भारतीय विधि परिषद्, नई दिल्ली को पंजीयन हेतु आवेदन करने के लिए सज्जन विधि महाविद्यालय, पाली को निर्देशित किया गया। इस महाविद्यालय ने बार काउंसलिंग आफ इंडिया से निरीक्षण के लिए आवेदन किया।

तत्पश्चात् 2005 में दिनांक 10.1.2005 को बार काउंसलिंग आफ इंडिया की निरीक्षण समिति जिसके सदस्य श्री बी.एस. चौहान, श्री आर.बी. रघुवंशी एवं श्री जयराम बेनीवाल थे। समिति ने कालेज का निरीक्षण किया तथा उक्त कालेज को विधि अध्यापन के लिए उपयुक्त नहीं मानते हुए वहां अध्ययनरत विधि छात्रों को अन्य मान्यता प्राप्त कालेजों में प्रवेश हेतु इस कालेज एवं महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में आदेश दिया। इसके बाद फिर बार काउंसलिंग आफ इंडिया ने दिनांक 20.10.2005 को महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर के सचिव को पत्र लिखा जिसमें पुन: तुरन्त प्रभाव से कालेज बन्द कर अध्ययनरत विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त विधि महाविद्यालयों में स्थानान्तरित करने का आदेश दिया। जिसकी प्रति सज्जन विधि महाविद्यालय, पाली को भी दी गई।

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा भी दिनांक 14.11.2006 को एक विज्ञप्ति जारी कर उक्त महाविद्यालय सहित कुल 10 विधि महाविद्यालयों को सूचित किया गया कि उक्त महाविद्यालयों को बीसीआई द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

इतना होने के बावजूद अन्य सभी विधि महाविद्यालयों ने अपने संस्थान बन्द कर दिये परन्तु सज्जन विधि महाविद्यालय ने मान्यता नहीं होने का ज्ञान होते हुए भी लगभग 400 विद्यार्थियों के साथ धोखा-धड़ी कर अध्यापन जारी रखा, जिससे उक्त विद्यार्थियों को डिग्री नहीं मिल सकी तथा करोड़ों रुपये विद्यार्थियों से वसूल किये गये।

इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 68/2009 थाना कोतवाली, पाली में दर्ज की गई थी किन्तु पुलिस द्वारा इसमें एफ.आर. लगा दी है।

अत: मैं, आपके माध्यम से गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित कर इस मुकदमे को

रीओपन कर जांच सीआईडी, सीबी से कराई जाने तथा विद्यार्थियों को डिग्री दिलाने की मांग करता हूं।

**केसाराम चौधरी**

(मारवाड़-जंक्शन)

## परबतसर में पानी की भारी परेशानी

परबतसर विधान सभा क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार ने गत वर्ष मात्र 30 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये जो कि 150 कि.मी. के लगभग लम्बाई वाले क्षेत्र के लिये नगण्य है। जबकि हर वर्ष इनकी संख्या 100 होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय परबतसर विधान सभा क्षेत्र में लगभग 250 ग्राम व इतनी ही ढाणियां हैं जिसके लिये गत कंटेन्जेंसी प्लान में 1 जनवरी, 2010 से मार्च, 2010 में मात्र चार ट्यूबवैल स्वीकृत किये गये हैं जो बहुत ही कम हैं, इसे बढ़ाया जाना चाहिये। गर्मी में पानी की कमी को देखते हुये टैंकरों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय कंटेन्जेंसी प्लान टाइम बाउन्ड प्रोग्राम होता है। परन्तु परबतसर विधान सभा में न ही पिछला कंटेन्जेंसी प्लान (दिसम्बर 2009) तक का कार्य अभी 30 मार्च, 2010 तक भी पूरा नहीं हुआ और न ही विधायक विकास कोष द्वारा स्वीकृत कार्य वर्ष नवम्बर 2008 से 30 मार्च, 2010 तक भी पूर्ण नहीं हुये हैं।

अध्यक्ष महोदय इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय सरकार द्वारा इस क्षेत्र की मांग को देखते हुये अधिकारियों को पाइप लाइन के लिये खरीदने का अधिकार भी नहीं दे रखा है और ना ही सरकार की ओर से इसकी सप्लाई की कोई पूर्ण व्यवस्था है। सरकार से मेरा निवेदन हैं कि पाइप लाइन के लिये पाइपों की सप्लाई की उचित व्यवस्था करवायी जावे।

**मानसिंह**

(परबतसर)

## जोधियासी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय का क्रमोन्नयन

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे क्षेत्र जायल की ग्राम पंचायत जोधियासी (नागौर) में बालिका शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए रा.उ.प्रा.बा.वि. को रा.मा.बा.वि. में

क्रमोन्नत करवाना चाहती हूं। क्योंकि जोधियासी एक बड़ा कस्बा है यहां पर प्रथम से 10वीं तक लगभग 500 छात्रायें अध्ययनरत हैं। स्थानीय भामाशाह द्वारा बालिका विद्यालय पर लाखों रु. खर्च किये जा चुके हैं जहां पर्याप्त कक्षाकक्ष, लाइब्रेरी कक्ष, कार्यालय कक्ष तथा पानी व शौचालय, मंत्रालय की सुविधा उपलब्ध है तथा पेयजल व विद्युत फिटिंग का कार्य पूर्ण रूप से किया हुआ है।

अत: माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार से मेरा सादर अनुरोध है कि बालिका शिक्षा के महत्व को देखते हुए रा.उ.प्रा.बा.वि., जोधियासी को रा.मा.बा.वि. में क्रमोन्नत कर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करावें।

**मंजू देवी**

(जायल)

## सुभाष नगर/शास्त्री नगर में घटित पैट्रोल पम्प अग्निकांड के घायलों को मुआवजे की गैर-अदायगी

जयपुर में बनीपार्क शास्त्री नगर के बीच सुभाष नगर एक शांतिप्रिय कालोनी स्थित है। जहां सभी वर्ग के 500 परिवार निवास करते हैं। 5 वर्ष पूर्व कॉलोनी के बीच में सरकार द्वारा एक पैट्रोल पम्प आवंटित किया गया था, जिसका वहां के नागरिकों ने काफी विरोध किया था। इस पैट्रोल पम्प के पास राज्य का सबसे बड़ा श्वास एवं क्षय रोग अस्पताल जिसमें सैकड़ों मरीज हमेशा इलाज कराते रहते हैं। दिनांक 11.10.2008 की देर रात को सुभाष नगर, शास्त्री नगर में जे.पी. यादव पैट्रोल पम्प पर कर्मचारियों की लापरवाही के कारण भयानक विस्फोट हुआ था। इस भीषण अग्निकांड में 80 से 100 फीट ऊंची आग की लपटें एल.पी.जी. गैस से निकल रही थीं। इस रात्रि को सुभाष नगर निवासी शांतिपूर्वक निद्रा में सो रहे थे, अचानक हुए इस विस्फोट से इतने सहम गये कि जो भी जैसी स्थिति में थे, अपना घर छोड़कर सड़कों पर आ गये। कई लोग एवं छोटे बच्चे इस भीषण अग्निकांड में घायल हो गये। आग की लपटों से स्थानीय निवासियों के मकान एवं निजी वाहन जलकर क्षतिग्रस्त हो गये। इस अग्निकांड में घायल हुए नागरिकों को पूर्व सरकार द्वारा मुआवजा राशि घोषित की गयी थी, किन्तु सुभाष नगर के घायल पीड़ितों को अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिली।

इसके बाद सीतापुरा में भी इण्डेन आयल पैट्रोल डिपो के टैंकरों में भीषण अग्निकांड हुआ एवं इसी माह दिनांक 12.3.2010 को सांगानेर पैट्रोल पम्प पर टैंकर से पैट्रोल खाली करते समय हुआ अग्निकांड इसके ताजा उदाहरण हैं। जयपुर शहर के जो भी अधिकतर पैट्रोल पम्प रिहायशी इलाके के बीच स्थित हैं, उनमें सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नहीं हैं।

अत: मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि सरकार इन हादसों से सबक लेकर एवं गम्भीरता से विचार करते हुए, जो भी पेट्रोल पम्प रिहायशी ईलाके के बीच स्थित हैं, उन्हें अन्यत्र स्थापित करवाने एवं पूर्व सरकार द्वारा घोषित मुआवजा देने हेतु अधिकारियों को निर्देश देने का श्रम करें।

**मोहन लाल गुप्ता**

(किशनपोल)

## पदोन्नति में प्रयुक्त बी. लिस्ट फार्मूले का पुलिस निरीक्षक से उप-अधीक्षक की पदोन्नति में भी उपयोग

राज्य सरकार का पुलिस विभाग पदोन्नति प्रक्रिया में मूल रूप से रिक्त पदों पर पदोन्नति के बाद शेष पद जो उसी वित्तीय वर्ष में समय-समय पर खाली होते हैं उनकी पूर्ति B. List जो पूर्व में तैयार की गई होती है, से करते हैं। B. List की प्रक्रिया गत 12 वर्षों से बंद थी जिसको हाल ही में पुलिस विभाग में एक विशेष पुलिस उप अधीक्षक को अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये उच्चस्थ पदों के दखल से लागू की गई है। परन्तु इसी के साथ पुलिस विभाग में पुलिस निरीक्षकों की भी 15 अधिकारियों की B. List बनी हुई है जिनको उप अधीक्षक पद पर पदोन्नति के लिये B. List के अनुसार पात्रता रखते हैं। यह B. List दिनांक 31.03.2010 के बाद अप्रभावी हो जाएगी।

इस प्रकार की विसंगती से पुलिस निरीक्षकों के साथ भेदभाव हो रहा है।

अत: मेरी मांग है कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने पुलिस उप अधीक्षक से अपर पुलिस अधीक्षक की पदोन्नति में B. List का जो फार्मूला लागू किया है उसी प्रकार पुलिस निरीक्षकों की भी B. List के पात्रताधारी अधिकारियों को उप अधीक्षक पुलिस के पद पर शीघ्र पदोन्नत किया जावे।

**राजेन्द्र राठौड़**

(तारानगर)